त्रयोदश माला, खंड 2, अंक 3

बुधवार, 1 दिसम्बर, 1999

10 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 22/9/2000

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

[त्रयोदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1999/1921(शक)]

अंक 3, बुधवार, 1 दिसम्बर, 1999/10 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 43 से 46	1–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 42 और 47 से 60	29–45
अतारांकित प्रश्न संख्या 411 से 535 और 537 से 570	45–256
सभा पटल पर रखे गए पत्र	256–264
राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	265
समितियों के लिए निर्वाचन	265–266
(एक) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी	265–266
(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	266
कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	266
सीएटल में विश्व व्यापार संगठन के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में	269–293
नियम 377 के अधीन मामले	293-299
(एक) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के औद्योगिक विकास हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामपाल सिंह	293–294
(दो) गुजरात के जामनगर क्षेत्र में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	294-295
(तीन) मध्य प्रदेश की नर्मदा – शिप्रा नदी परियोजना और रणजीत सागर परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	295

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	असम के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कंटीले तार की बाड़ से हो रही परेशानियों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री नेपाल चन्द्र दास	295–296
(पांच)	प्रमुख नगरों, विशेषकर राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के आने को रोकने के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती श्यामा सिंह	296
(छह)	महाराष्ट्र में वन परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	297
(सात)	दामोदर बैराज से गाद और बालू निकालने के लिए "दामोदर कार्य योजना" बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	297–298
(आठ)	गेहूँ और धान उत्पादकों के उत्पाद की बिक्री संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा	298
(नौ)	प्याज उत्पादकों विशेषकर महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	298–299
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव		299–334, 341–351, 352–408
	श्रीमती गीता मुखर्जी	299-301
	श्री राजेश पायलट	301–308
	श्री राजीव प्रताप रूडी	308–313
	श्री रूपचन्द पाल	313–323
	डॉ. बी. बी. रमैया	324–328
	श्री मुलायम सिंह यादव	328–334
	डॉ. नीतिश सेन गुप्ता	341-351
	श्री के. मलयसामी	352–357
	श्री आदि शंकर	357-358

विषय	कॉलम
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	358–368
श्री सुरेश रामराव जाधव	368–369
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	369–373
श्री खारबेल स्वाइं	373–377
श्री संतोष मोहन देव	377–382
श्री जोवाकिम बखला	382–383
श्री अमर राय प्रधान	383–387
डॉ. जयंत रंगपी	387–389
श्री रामदास आठवले	389–390
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	390–391
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	391–395
श्री राशिद अलवी	395–398
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	398–400
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	400–403
श्री उत्तमराव ढिकले	403–404
श्री पी. एच. पांडियन	404–408

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गेहूं पर सीमा–शुल्क लगाया जाना

श्री यशवंत सिन्हा	335–341

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

सीएटल में विश्व व्यापार संगठन का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आरंम्भ होना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	351–352

लोक सभा

बुधवार, 1 दिसम्बर, 1999/10 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

धान की खेती

*41. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में धान की खेती की जाती है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में धान की खेती के क्षेत्र में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा धान की खेती के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करने और धान का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) वर्ष 1996–97 से 1998–99 के दौरान देश में धान की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र तथा इसका राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में धान की खेती के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में कोई कमी नहीं आई है। देश में चावल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.–चावल) का कार्यान्वयन 16 राज्यो तथा केन्द्रशासित प्रदेश पाण्डिचेरी में किया जा रहा है। इस स्कीम में उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्षेत्र में वृद्धि करने पर नहीं।

अनुबंध

धान के अन्तर्गत क्षेत्र

क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99 (अनुमानित क्षेत्र)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	41.1	35.0	41.1
असम	24.9	24.9	24.6
बिहार	50.7	49.8	50.8
गुजरात	6.4	6.7	6.3
हरियाणा	8.3	9.1	10.8
हिमाचल प्रदेश	0.8	0.9	0.9
जम्मू एवं कश्मीर	2.8	2.8	2.7
कर्नाटक	13.6	13.8	13.3
केरल	4.3	4.1	4.6
मध्य प्रदेश	54.0	54.0	53.1
महाराष्ट्र	14.8	14.8	14.8
उड़ीसा	44.7	45.0	44.1
पंजाब	21.6	22.8	25.2
राजस्थान	1.5	1.6	1.7
तमिलनाडु	21.7	23.6	23.8
उत्तर प्रदेश	55.5	56.6	59.4
पश्चिम बंगाल	58.0	59.0	58.0
अन्य	9.8	9.8	9.6
अखिल भारत :	434.3	434.3	444.8

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब के अनुसार धान की खेती के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान इकोनोमिक सर्वे सितम्बर, 1999 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश के कई राज्यों में धान की खेती में लाखों हेक्टेयर की कटौती हुई है, विशेषकर जो तटवर्तीय क्षेत्रा हैं, जिसमें सिर्फ धान की खेती होती है इसके अलावा कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती है। महाराष्ट्र राज्य में 720 किलोमीटर तटवर्तीय क्षेत्र में 1990–91 में 15 लाख 80 हजार हैक्टेयर धान की खेती की गई थी, जब कि अब 14 लाख 76 हजार हैक्टेयर ही धान की खेती की जाती है। इसका मतलब एक ही राज्य में एक लाख पांच हजार से भी ज्यादा हैक्टेयर धान की खेती कम हुई है। मंत्री जी बता रहे हैं कि चावल का उत्पादन बढ़ाने में हम जोर दे रहे हैं, खेती का क्षेत्र बढ़ाने में नहीं दे रहे हैं। मैं उस तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में धान का उत्पादन 26 लाख 14 हजार

टन हुआ था जब कि पिछले साल 23 लाख 94 हजार टन तक था, इतना कम उत्पादन हुआ है। आंध्र प्रदेश का उत्पादन 106 लाख 86 हजार टन से घट कर 85 लाख दस हजार टन तक हो गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठाकुर जी, जवाब मंत्री साहब देंगे, आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामशेठ ठाकुर : केरल का उत्पादन 8 लाख 21 हजार से घट कर 6 लाख 21 हजार दिया गया है। मंत्री जी कहते हैं कि उत्पादन बढ़ता गया है, क्षेत्र बढ़ता गया है। मैं समझता हूं कि तटवर्तीय बंध टूटने के कारण ही क्षेत्र और उत्पादन मे इतनी कमी आई है, प्रति हैक्टेयर उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तटवर्तीय क्षेत्र में, विशेषतः महाराष्ट्र में धान की खेती के क्षेत्र में आने वाले कमी को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में ही यह बताया जा चुका है कि धान की खेती के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है उसमे भी कोई कमी नही आई है, ऐसा मूल प्रश्न के उत्तर में ही जवाब दिया जा चुका है। इन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात कही है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है उसमें यह बात सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी मे कोई कमी नहीं आई है। जहां 1997–98 में यील्ड प्रति हैक्टेयर 1614 किलोग्राम था वह 1998–99 में 1656 किलोग्राम हो गया। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि धान के क्षेत्र मे कमी आई है। उनकी उत्पादकता में भी कमी आई है। देश भर में धान के क्षेत्र को बढ़ाने के बारे मे तो कोई योजना नही है। वह तो किसान अपने ढंग से जिस किस्म की खेती करना चाहता है करता है। जहां तक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात है तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चलती है और वह आई. सी. डी. पी. राईस है। इसमें कई राज्यों को लिया गया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है वहां ज्यादा जोर कोअर्स सीरियल्स के प्रोडेक्शन पर है। जो राईस के क्षेत्र है वहां आई. सी. डी. पी. राईस के अंतर्गत जो कई कम्पोनेन्ट्स होते हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब पर ध्यान दिया जाता है।

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष जी, मैं इक्नोमिक सर्वे की तरफ से सवाल पूछ रहा था, जिसमें एक लाख पांच हजार का क्षेत्र कम दिखाया गया है। महाराष्ट्र 1997–98 तक हैक्टेयर के हिसाब से पहले 10 राज्यों में आता था। लेकिन अब उसका नम्बर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जो आप आई. सी. डी. पी. स्कीम कार्यान्वित कर रहे हैं उसमें महाराष्ट्र के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है और प्रति–हैक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

श्री नीतीश कुमार : आई. सी. डी. पी. में तीन है। जहां धान की पैदावार होती है, जहां उसका थस्ट है वहां आई. सी. डी. पी. राईस है। जहां गेंहू है वहां आई. सी. डी. पी. गेहूं है और जहां मोटा अनाज पैदा होता है वहां आई. सी. डी. पी. कोअर्स क्राप्स है। महाराष्ट्र को आई. सी. डी. पी. कोअर्स क्रॉप के अंतर्गत कवर किया गया है, वहां उस पर ज्यादा थ्रस्ट दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो परम्परागत रूप से चावल–भोगी राज्य नहीं है फिर भी यह राष्ट्रीय खाद्य कोष में काफी मात्रा में चावल का योगदान करता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि सरकार ऐसे राज्यों का क्या विशेष ध्यान रखती है जिनका राष्ट्रीय खाद्य कोष में प्रचुर योगदान है।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि पंजाब के लिए आप क्या दे रहे हैं। अपने गेंहू और चावल का जिक्र किया है। पंजाब जितना खाता है उससे ज्यादा उसका उत्पादन होता है और वह दूसरे राज्यों को गेहूं और चावल भेजता है लेकिन पंजाब की वित्तीय हालत आज बहुत खराब है। उसके लिए आप क्या दे रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : पंजाब ने तो कई क्षेत्रों में नेतृत्व किया है और वहां तो हरित–क्रांति हुई है। वहां तो देने की जरूरत नहीं है। वहां के किसानों को तो सारा देश सैल्यूट करता है। आपके दिमाग में कोई खास बात हो तो बताएं?

श्री पवन कुमार बंसल : पंजाब में उत्पादन और उत्पादकता दोनों ज्यादा है। लेकिन पंजाब की वित्तीय हालत पिछले दिनों बहुत खराब हुई है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : आप किस क्षेत्र में चाहते हैं, वह बताएं? जहां तक धान का सवाल है तो पंजाब धान का बहुत उत्पादन करता है। उनकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी है।

श्री पवन कुमार बंसल : पंजाब के किसान को सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है।

श्री नीतीश कुमार : पंजाब के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट योजना है।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की फसल में एक विशेष प्रकार की बीमारी लगती जा रही है, जिससे किसान परेशान है। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ कहेंगे?

श्री नीतीश कुमार : जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है वह हमारे प्रोग्राम में आता है। जो आई. सी. डी. पी. राइस की योजना है इसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती हैं, फील्ड डैमोस्ट्रेशन और फ्रंट–लाइन डैमोस्ट्रेशन भी किये जाते हैं तथा इंटेगरेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है। ये सारी योजनाएं वहां चल रही हैं। किसी खास इलाके

में, खास किस्म की बात के बारे मे जानकारी हो दो वहां हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे और वहां क्या किया जा सकता है उसे करेंगे।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह पता चलता है कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से उन स्कीमों के बारे में जानना चाहूंगा, जो पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं। दूसरा, वे कौन सी योजनाएं हैं जो कृषि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं और क्या भारत सरकार के पास उन राज्यों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है जो अधिक उत्पादन करते हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ईस्टर्न इंडिया मोटे तौर पर आई. सी. डी. पी. के अंतर्गत कवर होता है। हम लोग एक और योजना के बारे में सोच रहे हैं और उस पर विचार चल रहा है। "ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट" के द्वारा वहां की क्रॉप को बढ़ाना है। यह भी राईस बेस अप्रोच ही है और इसके बारे में काम चल रहा है और यह विचाराधीन है और जल्दी ही हम इस योजना को मूर्त रूप दे पायेंगे जिससे भारत के पूर्वी हिस्से में इस योजना को लागू किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : **'स्वर्ण'** धान के नाम से धान की एक विशेष किस्म को उड़ीसा में एक साधारण धान की किस्म के रुप में खरीदा जा रहा है परंतु पड़ोसी राज्यों, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में धान की उसी किस्म को उत्तम किस्म के रुप में खरीदा जा रहा है जिससे उड़ीसा के किसानों को लगभग 30 रुपए प्रति क्विन्टल के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए क्या मंत्रीजी इस मामले की जांच करेंगे और इसे इस तरह व्यवस्थित करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम धान की **'स्वर्ण'** किस्म को उत्तम किस्म की दर पर खरीदे?

अध्यक्ष महोदय : श्री देव जी, यह प्रश्न धान की कृषि से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इससे इस चीज का संबंध नहीं है लेकिन फिर भी जो उन्होंने सवाल उठाया है उस पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैं चावल भोगी क्षेत्र का रहने वाला हूं और हम पंजाब, आंध्रप्रदेश और अन्य राज्यों का धन्यवाद करते हैं जो हमें चावल की आपूर्ति कर रहे हैं। यद्यपि केरल में हम चावल ही खाते हैं फिर भी धान की खेती और उत्पादकता वाले क्षेत्र मे वृद्धि नहीं हो रही है। अतः क्या आप उस राज्य के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाएंगे ताकि उस राज्य में उत्पादकता बढ़ सके? मैं एक और बात, जो प्रश्न के रूप में नहीं, कहना चाहता हूं। मैंने इस सदन में पहले भी 'हाइड्रोपोनिक्स' नामक एक आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में बताया है। इस बारे में जांच की गई और इसे लाभदायक पाया गया । कम निवेश के द्वारा इस वैज्ञानिक तरीके से अधिक उत्पादन किया जा सकता है यह प्रौद्योगिकी जापान और कुछ अन्य देशों में उपयोग में लाई जा रही है। क्या इसका पता लगाया जा सकता है और क्या आप इस बात पर गौर करोगे और धान के विकास के लिए इस हाइड्रोपोनिक्स प्रौद्योगिकी की छानबीन करोगे ताकि इसे प्रयोग में लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आई. सी. डी. पी. राईस योजना में केरल भी कवर्ड है। उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस बारे में हम इनकी एक बैठक करायेंगे। हमारे वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं इनके सुझाव पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री ने अपने वक्तव्य में विशेष रूप से क्रमबद्ध रूप से बताया है कि वह धान की खेती का क्षेत्र नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वे केवल मात्रा बढ़ाना चाहते हैं क्षेत्र नहीं। अर्थात् भारत सरकार इस संबंध में कोई परियोजना नहीं लगाना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी जी, मंत्री जी ने कहा है कि धान की खेती के क्षेत्र को बढ़ाना किसानों की चिंता का विषय है, न कि सरकार की। आप उत्तर देख सकते हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह लिखित रूप में है।

अध्यक्ष महोदय : अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि खेती के क्षेत्र को बढ़ाना किसानों की चिंता का विषय है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : उत्तर तो केवल जोड़ा गया है। 1996–97 में आंध्र प्रदेश में यह क्षेत्र 41.01 लाख हेक्टेयर था और 1997–98 में 35 लाख हेक्टेयर।

यह फिर 41.1 लाख हेक्टेयर हो गया। इसका कारण यह था कि कुछ सिंचाई परियोजनाएं इत्यादि इसमें शामिल की गई थीं। पूरे रूप में देखा जाए तो, केवल आंध्र प्रदेश में ही धान की खेती के क्षेत्रों में 10 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। इसका कारण केवल यही है कि किसानों को उनके परिश्रम का मूल्य नहीं मिल रहा है और भारत सरकार किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

मैं फसल बीमा योजना के बारे मे भी बात करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में कृषि की अधिकांश भूमि तटीय क्षेत्रों में है। अब, हर वर्ष एक नई सरकार बन रही है और इसी तरह चक्रवात भी आ रहे हैं। एक कारगर व्यापक और संशोधित फसल बीमा योजना बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने अखबारों में देखा कि प्रधानमंत्री भी यह चाहते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि आई. सी. डी. पी राइस, इसका थ्रस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का है। लेकिन जहां तक एरिया ऑफ कल्टिवेशन का सवाल है, यह किसानों की मर्जी पर निर्भर करता है। उनको क्या मिलता है और वहां कौन सी फसल पैदा करने से ज्यादा फायदा है, इसको वह जज करते हैं। जहां तक मीनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल है, अगर आप 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 की फीगर्स को देखें तो कॉमन वैराइटी की पर–क्विंटल पैडी के लिए 415 रुपए थे। 1998-99 में वह बढ़ कर 440 रुपए हो गए। 1999-2000 के लिए 490 रुपए किए गए। हम मीनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। वह काफी बढ़े हैं। जहां तक किसानों को इनसैटिव्स देने का सवाल है, मीनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़े हैं। हम अपनी स्कीम चला रहे हैं लेकिन बहुत कुछ किसानों पर निर्भर करता है। उनको जिस फसल में ज्यादा फायदा मिलेगा, उस हिसाब से वे उन्हें लगाएंगे। जहां तक आंध्र प्रदेश के एरिया का सवाल है। वहां एक साल घटने के बाद 1998–99 में वह पहुंच गया।

[अनुवाद]

वर्ष 1996–97 में यह क्षेत्र 41.1 हेक्टेयर था। वर्ष 1997–98 में यह घटकर 35 लाख हेक्टेयर हो गया था और वर्ष 1998–99 में यह फिर से बढ़कर 41.1 लाख हेक्टेयर हो गया था।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह क्षेत्र वही क्षेत्र नहीं है इस क्षेत्र वृद्धि में तो अन्य फसलें भी शामिल हैं।

श्री नीतीश कुमार : परंतु सिंचाई राज्य का विषय है।

सरदार सरोवर बांध

***43. श्री दिन्शा पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरदार सरोवर परियोजना में भागीदार राज्यों, अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा गुजरात सरकार को लागत के अपने हिस्से का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक भागीदार राज्य में बकाया राशि का अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(घ) गुजरात सरकार को बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (डॉ. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) यह सच है कि सहभागी राज्यों अर्थात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने मुख्यतः अपनी बजटीय कठिनाईयों के कारण गुजरात राज्य सरकार को सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण–लागत के हिस्से की बकाया राशि का भुगतान करना है।

सरदार सरोवर परियोजना की अंशलागत के रूप में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा 31.3.99 तक दी जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

		मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान
1.	भुगतान की जाने वाली कुल अंशलागत	768.89	232.27	250.53
2.	विवादित हिस्सा	298.09	141.19	50.33
3.	शेष विवाद रहित हिस्सा	470.80	91.08	200.20

इस मामले पर नर्मदा नियत्रण प्राधिकरण (एन. सी. ए.), सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस.एस.सी.ए.सी.) और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति (आर.सी.एन.सी.ए.) की बैठकों में विचार–विमर्श किया गया है। इन बैठकों में जिन राज्यों के पास धन राशि बकाया है उनसे अनुरोध किया गया कि वे सरदार सरोवर परियोजना की लागत के अपने हिस्से का भुगतान कर दें। मंत्रिमंडल सचिव ने भी इस मामले पर 8.6.98 और 13.10.98 को अन्तर–राज्यीय बैठकें आयोजित कीं थीं। इन बैठकों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य सरकारों ने गुजरात सरकार को अपने विवाद रहित बकाया हिस्से का भुगतान करने की सहमति दी थी।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की 28.10.99 को हुई बैठक में इस मामले पर पुनः विचार–विमर्श किया गया था जिसमें मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार ने अपने विवाद रहित हिस्से की शेष राशि को शीघ्र जारी करने के लिए सभी प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है।

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, सरदार सरोवर परियोजना सारे देश की योजना है। प्रधान मंत्री जब इलैक्शन के दिनों में गुजरात आए थे तो उन्होंने सरदार सरोवर परियोजना को जल्दी पूरा करने के बारे में आश्वासन दिया था। इस योजना से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बिजली और कई गांवों तथा शहरों को पीने का पानी मिलेगा। आज गुजरात में सूखा पड़ा है। कई गांवों और शहरों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। माननीय प्रधान मंत्री ने भुगतान देने वाले राज्यों को कब खत लिखा था? यदि हां तो भागीदार राज्यों ने इसका भुगतान करने के बारे में क्या जवाब दिया है? जवाब में बताया गया है कि इस बारे में सैक्रेट्री लेवल पर भी मीटिंग हुई थी। वह मीटिंग होने के बाद क्या तय हुआ? गुजरात को जो रकम मिलनी चाहिए, वह कब मिलेगी?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष जी, इस मामले में केन्द्रीय मंत्रालय प्रयत्नशील रहा है कि इसका पेमेंट गुजरात सरकार को हो। इस बारे में हाल ही में मीटिंग हुई। उसमे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने कहा कि वह इस वित्तीय वर्ष के अंत में अनडिस्प्यूटिड राशि का पेमेंट कर देंगे। राजस्थान में कुछ वित्तीय संकट है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी पेमेंट करेंगे। शायद उसमें थोड़ा डिले हो।

श्री दिन्शा पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड ने भी तय किया था कि पहले जो रकम देने की है, वह एडवांस में देनी है। जब सभी राज्यों ने इस बारे में बात उठाई तो 1983 में एक मीटिंग की गई जिसमे यह तय किया गया था कि क्वार्टरली एडवांस दिया जायेगा मगर आज तक जो काम हुआ है, उसकी रकम भी नहीं मिलती है। केन्द्र सरकार जिन राज्यों को ग्रांट देती है, क्या उसमें से रकम काटकर गुजरात सरकार को कम दी जायेगी या नहीं। मैंने यह भी पूछा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में खत लिखा है या नहीं और यदि लिखा है तो कब लिखा और क्या राज्यों की तरफ से उसका क्या उत्तर आया या नहीं?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में 6 दिसम्बर को उसकी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें इस बात पर रिव्यु होगा कि कौन–कौन से राज्य कब तक रकम देना चाहते हैं।

श्री दिन्शा पटेल : एडवांस देते नहीं हैं क्योंकि 1983 में यह तय किया गया था कि वे एडवांस में देंगे।

डॉ. सी. पी. ठाकुर : कुछ राज्य सरकारें दे रही हैं। राजस्थान इस मामले में थोड़ा पीछे है।

श्री दिन्शा पटेल : एडवांस कहां देते हैं? वे देते ही नहीं हैं। काम हुआ है लेकिन उसका पैसा नहीं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे यह रकम कब देने वाले हैं? एक महीने के अंदर देने की बात हुई थी, वे दे नहीं सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका रिप्लाई मिलना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, माननीय सदस्य को अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

डॉ. सी. पी. ठाकुर : मैंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : हमारा पैसा वे देते नहीं है तो आप दे दीजिये। 1300 करोड़ रुपया बकाया है।...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात आये थे, उन्होंने उस समय कहा था कि हम जल्दी कर देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के माननीय सदस्यों की चिन्ता समझता हूं। हम चाहते हैं कि जिन प्रदेशों पर रकम बकाया है, वे उसका तुरंत भुगतान करें। ऐसा नहीं कि राज्यों ने कुछ दिया नहीं। यह सही है कि पूरा नहीं दिया है लेकिन इसके लिये प्रयत्न जारी है। वह राज्य भी भारत का हिस्सा हैं और जब उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ती है तो गुजरात वालों को उसका ध्यान रखना चाहिये।

श्री दिन्शा पटेल : जो योजना है उसे जल्दी से कम्पलीट करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सही है।

श्री पी. एस. गढ़वी : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा प्रोजैक्ट पूरे देश के लिये एक इम्पार्टैंट प्रोजैक्ट है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कच्छ है जहां पिछले 50 साल में 32 बार सूखा पड़ चुका है। अब भी वहां पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खेती के लिये पानी नहीं है। साथ में उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में पानी की समस्या है। इसलिये हम चाहते हैं कि नर्मदा प्रोजैक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो। जिन राज्यों की जिम्मेदारी है, वे अपनी जिम्मेदारी समझकर काम जल्दी करें। इस डिस्प्यूट को कौन सौल्व करेगा तथा कितने टाइम बाउंड में प्राब्लम को सॉल्व किया जायेगा? जो बकाया रकम है, उसमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वह जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जायेगा, उसके लिये हम उनके आभारी हैं। नर्मदा नियोजित कार्यक्रम से जलभराव के कारण मेरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को माइग्रेट होना पड़ा है

और एक लाख से अधिक लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या को कब तक सॉल्व किया जायेगा और इसके लिये क्या टाइम बाउंड कार्यक्रम रहेगा?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि कुछ राज्य पेमेंट कर रहे हैं लेकिन वित्तीय कठिनाई सब जगह है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि यह कब तक होगा, उसके लिये मुझे यह कहना है कि यदि सब तरह के आन्दोलन बंद हो जायेंगे तो यह सन् 2000 तक या 4–5 साल में पूरा होना चाहिये लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस के चलते इसमें डिले हुआ है। यदि सभी राज्य चाहेंगे तो 4–5 साल में पूरा हो जायेगा। काम प्रगति पर है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत) सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर परियोजना से चार राज्यों की आवश्यकता पूरी होती है। इस परियोजना का लाभ उठाने वाला एक राज्य राजस्थान है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद संचोर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर में पानी आएगा। इस परियोजना के लिए उनकी 200 करोड़ की भागीदारिता में से राजस्थान सरकार ने केवल बहुत थोड़ी सी राशि, 50 करोड़ रुपए दी है। राजस्थान सरकार को इसका बाकी हिस्सा भी देना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उन्हें देना चाहिए।

बाड़मेर और जैसलमेर सूखाग्रस्त जिले हैं। महोदय, इस वर्ष बाड़मेर में 1950 गांवों में अकाल पड़ा। पीने का पानी नहीं था और गांवों के अधिकांश लोग गुजरात और अन्य स्थानों में चले गए।

इसलिए राजस्थान के लोगों विशेषकर बाड़मेर के लोगों, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, के जीवन के लिए इस परियोजना का पूरा होना बहुत जरूरी है।

महोदय, पिछली बार भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि पश्चिमी राजस्थान को एक पैकेज दिया जाएगा। माननीय विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह भी बाड़मेर के रहने वाले हैं। उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल सोनाराम चौधरी कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : महोदय, इस परियोजना को पूरा करना बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अगर राजस्थान सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पाती है तो क्या भारत सरकार इसका वित्त पोषण करेगी? क्या वे कुछ अतिरिक्त निधि प्रदान कर सकेंगे?

दूसरा, वह संभावित वर्ष और महीना कौन सा है जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी जिससे इस क्षेत्र के लोगों को इसका पानी उपलब्ध हो पाएगा और उनकी प्यास बुझ पाएगी।

डॉ. सी. पी. ठाकुर : उनके पहले प्रश्न के संबंध में भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए निधि प्रदान की थी। विश्व बैंक द्वारा निधि दिए जाने के बाद भारत सरकार ने भी इसे निधि प्रदान की थी।

इस परियोजना का पूरा होना विवादों पर निर्भर करता है। अगर कोई विवाद नहीं होता, कोई रुकावट नहीं आती तो यह परियोजना जल्दी पूरी हो सकती है। इसे पूरा होने में दो से तीन साल लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 44 पर चर्चा करते हैं–श्री अजय चक्रवर्ती।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : कोई विवाद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन वापस ले लिया है। आज कोई विवाद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल सोनाराम चौधरी, कृपया बैठ जाइए। हमने दूसरा प्रश्न पूछ लिया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मेरा अनुरोध है कि मुझे भी नर्मदा के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब हमने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय आपको इतनी जल्दी दूसरा प्रश्न नहीं लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं भी गुजरात का रहने वाला हूं। आपको गुजरात के संसद सदस्यों को गुजरात से संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं गुजरात के सभी सदस्यों को एक ही प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

इस्पात वस्तुओं के आयात मूल्य में कमी

+

*44. **श्री अजय चक्रवर्ती** :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ इस्पात वस्तुओं के न्यूनतम आयात मूल्यों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस्पात वस्तुओं के न्यूनतम आयात मूल्य में कमी करने के कदम का स्वदेशी इस्पात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का स्वदेशी इस्पात उत्पादकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने दिसम्बर, 1998 में कतिपय इस्पात मदों का न्यूनतम आयात मूल्य अधिसूचित किया है। इस प्रकार निर्धारित मूल्य, मैटल बुलेटिन में बताए गए यूरोपीय संघ और जापान से इन मदों के औसत निर्यात मूल्य, पर आधारित थे। 01 नवम्बर, 1999 को इन मूल्यों को उपर्युक्त देशों से निर्यात मूल्यों के आधार पर संशोधित किया गया। इस्पात के पुराने और संशोधित मूल्य निम्नानुसार हैं:–

प्रमुख इस्पात मदों के मूल्य

क्रम संख्या	आई टी सी (एच एस) कोड	विवरण	मूल्य प्रति मी. टन (अमरीकी डॉलर) दिसम्बर, 98	मूल्य प्रति मी. टन (अमरीकी डॉलर) नवम्बर, 99
1.	72.08	एच आर क्वायलें	302	254
2.	72.08	एच आर चादरें	317	269
3.	72.09	सी आर क्वायलें/चादरें	392	351
4.	72.10	टिन प्लेट	720	620
5.	72.25/72.26	इलैक्ट्रिकल चादरें (सी आर एन ओ)	763	657
6.	72.08/72.11	प्लेट	409	370
7.	72.27.90	मिश्र इस्पात बार और छड़ें (क्वायलो में तप्त बेल्लित)	740	580

दोयम/दोषपूर्ण इस्पात मदों के मूल्य

क्रम संख्या	आई टी सी (एच एस) कोड	मद विवरण	मूल्य प्रति मी. टन (अमरीकी डॉलर) दिसम्बर,98	मूल्य प्रति मी. टन (अमरीकी डॉलर) नवम्बर,99
1	2	3	4	5
1.	72.08	एच आर क्वायले	232	190.5
2.	72.08	एच आर चादरें	243	201.75

1	2	3	4	5
3.	72.09	सी आर क्वायलें/चादरें	299	263
4.	72.10	टिन प्लेट अपशिष्ट अपशिष्ट/टिन प्लेट मिसप्रिंट	545	465
5.	72.25/72.26	इलैक्ट्रिकल चादरें (सी आर एन ओ)	577	493
6.	72.08/72.11	प्लेट	311	278
7.	72.27.90	मिश्र इस्पात बार और छड़ें (क्वायलो में तत्प बेल्लित)	560	435

(ग) और (घ) न्यूनतम आयात मूल्यों को इन मदों के गैर–पाटन स्त्रेंतों अर्थात् यूरोपीय संघ और जापान से औसत निर्यात मूल्यों के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार घरेलू इस्पात उत्पादकों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अस्पष्ट व अनिश्चित है, उत्तर निश्चित, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर पूर्णतः अस्पष्ट है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि कुछ इस्पात मदों के आयात मूल्यों में कमी के संबंध में इस्पात मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद है। अन्ततः प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद यह किया गया और और इससे प्रमुख घरेलू इस्पात कंपनियों पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जो पिछले कुछ वर्षों से पहले ही खराब स्थिति में है।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या इस निर्णय को लेने से पूर्व सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को बचाने के लिए कोई प्रमुख कदम उठाया है, जो विगत कुछ वर्षों से खराब स्थिति में है? कृपया इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में बताएं।

श्री दिलीप राय : महोदय, हमने इस प्रश्न का निश्चित उत्तर दिया है। यह घरेलू इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए किया गया है। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं।

उदारीकरण के बाद इस्पात उद्योग की वृद्धि दर बहुत ऊंची थी। वर्ष 1994–95 के दौरान यह 17 प्रतिशत थी और वर्ष 1995–96 के दौरान 20 प्रतिशत थी, किंतु फिर इसमें गिरावट शुरू हो गई। वर्ष 1996–97 के दौरान यह 6 प्रतिशत थी और वर्ष 1997–98 के दौरान इसमें गिरावट आकर 3 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 1998–99 के दौरान यह न्यूनतम अर्थात 1.9 प्रतिशत थी। उस वर्ष सरकारी और निजी क्षेत्रों के सभी इस्पात उद्योगों को नुकसान हुआ, अतः इस निर्णय को लेने का मुख्य कारण यह था।

न्यूनतम निर्धारित मूल्य के लागू होने से इस्पात उद्योग को सहायता मिली। वस्तुतः सस्ते आयात के कारण हमने छूट दी थी। घरेलू उत्पादों को लगभग 3000 रुपये प्रति टन की छूट दी गई थी। न्यूनतम निर्धारित मूल्य नियत करने के बाद भी एच आर क्वाइल उत्पादों को छूट कम करके केवल लगभग 650 रुपये से 1000 रुपये प्रतिटन का लाभ हुआ।

चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में हमारी क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई। हमारे तैयार माल में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, निर्यात में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस्पात की खपत में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसके अलावा कुछ अन्य इस्पात विनिर्माता उद्योगों ने हमसे अनुरोध किया कि घरेलू उत्पादकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ सामंजस्य करने के लिए यह प्रणाली कुछ समय तक जारी रहनी चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ सम्राज्यवादी देशों के इशारे पर भारत सरकार ने हमारे देश को पाश्चात्य देशों में बिक्री के लिए प्रतिबंधित द्वितीय श्रेणी और खराब इस्पात को सस्ते दामों पर बेचने का स्थान बनाया है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री दिलीप राय : इसी कारण हमने पाटनरोधी शुल्क लगाया है। हम ऐसी वस्तुओं को देश में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे उत्पादों को देश में लाने की अनुमति नहीं देंगे। जिनका निर्माण वे हमारे देश में लाने के लिए कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : जब पी. वी. नरसिंहराव की सरकार ने उदारीकरण और लाइसेंस मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस्पात मंत्रालय ऐसा करने वाला पहला मंत्रालय था। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है इसका तुरंत प्रभाव पडा था और आरंभ के तीन वर्षों में इस्पात मंत्रालय ने लाभ अर्जित किया, अब प्रश्न है: इस लाभ में कमी क्यों आई? कारण यह है कि वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय विदेशी उत्पादकों को समस्तर देना चाहते थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस्पात मंत्रालय के साथ काफी अन्याय किया। बिजली की दरें बढ़ रही हैं। रेल भाड़े में वृद्धि हो रही है और श्रम लागत बढ़ रही है, इसके विपरीत विदेशों से कुछ

सी आर क्वाइल और एच आर क्वाइल को देश में लाने की अनमुति देने के लिए सीमाशुल्क में दिनों–दिन कमी की जा रही है। परिणाम स्वरूप हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान मैं विशेषरूप से कहना चाहता कि मेरे कार्यकाल के दौरान इस्पात उद्योग ने 1,113 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि अब लाभ मुश्किल से 60 करोड़ रुपये या 70 करोड़ रुपये है। इस्पात मंत्रालय के लाभ में इस कमी के लिए कोई मंत्री और सरकार दोषी नहीं है अपितु इसके लिए वित्त मंत्रलय और वाणिज्य मंत्रालय की नीति दोषी हैं। उन्हें वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या वे इस सभा को आश्वासन देंगे कि इन मामलों को प्रधान मंत्री, जो इस उद्योग के प्रति सहानुभूति रखते हैं और जिन्होंने इस बारे में दो या तीन बार हस्तक्षेप किया है, के माध्यम से वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ जोरदार ढ़ंग से उठाएंगे और किसी समाधान तक पहुंचेंगे ताकि यह उद्योग जिसमें इस्पात उत्पादन करने की व्यापक क्षमता है, न केवल पाश्चात्य देशों अपितु पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए देशों के इस्पात को सस्ती दर पर बेचने का स्थान न बने। मेरा कहना है कि इस उद्योग पर नियंत्रण के लिए कुछ करना होगा जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ उठाने और एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाने के लिए प्रयास करें ताकि हर समय इस्पात मंत्रालय पर मार न पड़े।

श्री दिलीप राय : हमने इस मामले को पहले ही वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाना शुरू कर दिया है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मेरा प्रश्न बहुत सरल है कि इस्पात के न्यूनतम मूल्यों में कमी नवम्बर में ही क्यों की गई और इसका उत्तर यह दिया गया है कि इससे घरेलू इस्पात उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। आपके माध्यम से मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या देश के इस्पात उत्पादकों ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है कि विदेशी इस्पात के मूल्य में कमी से उन पर प्रभाव पड़ा है। यदि ऐसे अभ्यावेदन किए गए हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री दिलीप राय : मैंने पहले प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर आयात शुलक कम करने से इस देश के इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुतः न्यूनतम निर्धारित मूल्य से इस्पात उद्योग को सहायता मिली है।

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

आपके उत्तर के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को पहले ही लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। आप पहले ही बता चुके हैं कि निर्यात में वृद्धि हुई है और बिक्री में भी वृद्धि हो रही है, यह सत्य है कि बिक्री में वृद्धि हो रही है। किंतु आप छूट की अनुमति दे रहे हैं। इसीलिए वर्तमान में 1200 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। यदि आप 1500 करोड़ रुपये के नुकसान में से 1200 करोड़ रुपये की छूट को कम कर दें तो सेल को केवल 300 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। किंतु आपकी सलाह, आपकी सरकार के परिपत्र के कारण सेल को अधिक नुकसान हो रहा है।

श्री संतोष मोहन देव द्वारा कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। कांग्रेस के शासन के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 6000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। मैंने ग्यारहवीं लोक सभा में भी कहा था कि इस संबंध में सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट लोक सभा पटल पर रख दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है? आप पहले अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सुनील खां : यह मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस्पात संयंत्र के लिए छूट प्रणाली जारी क्यों रख रहे हैं?

श्री दिलीप राय : मैंने पहले ही कहा है कि आयात शुल्क कम करने से पूर्व यह उद्योग लगभग 3000 रुपये प्रति टन दिया करता था, न्यूनतम निर्धारित मूल्य नियत करने के बाद एच आर क्वाइल उत्पादों को छूट कम कर 650 रुपये से 1000 रूपये तक का लाभ मिला है।

श्री सुनील खां : यह उत्तर नहीं हुआ। यह पूर्णतः अस्पष्ट है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए लिखित उत्तर और मौखिक उत्तर में विरोधाभास है, लिखित उत्तर में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि न्यूनतम मूल्यों में कमी की गई है। यदि आयात के लिए न्यूनतम मूल्य कम किए गए हैं तो इस कदम से स्थानीय उद्योग पर स्वतः ही प्रभाव पड़ेगा किंतु मौखिक उत्तर में मंत्री जी से यह सुनकर हैरानी होती है कि आयात मूल्य में कमी से स्थानीय उद्योग प्रभावित नहीं होगा। महोदय, यदि मंत्री जी इस विरोधाभास को दूर नहीं कर सकते हैं तो क्या आप उसे दूर करेंगे?

श्री दिलीप राय : 1998 में हमने कुछ इस्पात मदों के न्यूनतम निर्धारित मूल्य नियत किए । यह 'लंदन मैटल बुलेटिन" की रिपोर्ट और उन तीन महीनों के दौरान प्रचालित औसत लागत के आधार पर किया गया था। इस बीच यूरोपीय संघ और जापान जैसे निर्यातक देशों में निर्यात मूल्य में गिरावट आई। इस गिरावट का मुकाबला करने के लिए हमने आयात (सी आई एफ) मूल्य में कमी की।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। मैं अपने प्रश्न पर जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनके उत्तर से मैं भ्रम में पड़ गया हूं।

समस्या यह है। यदि न्यूनतम आयात मूल्य को कम किया जाता है तो स्थानीय उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है। अतः स्थानीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे बचा नहीं जा सकता। मंत्री महोदय इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि स्थानीय उद्योग को सहायता पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है।

श्री दिलीप राय : इस न्यूनतम निर्धारित मूल्य के लागू किए जाने से पहले देश में काफी आयातित सामान आता था। अतः हमने यूक्रेन, काजकस्तान, रूस, इंन्डोनेशिया और कोरिया जैसे देशों जो अपने इस्पात का माल हमारे देश में लगा रहे थे, से होने वाले आयात को रोकने का लिए, न्यूनतम निर्धारित मूल्य नियत कर दिया था। अतः, कीमतें बढ़ गई। बाद में, यूरोप संघ और जापान में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य गिर गए । अतः इन मूल्यों के साथ समानता लाने के लिए, एक बार फिर हमें इसकी कीमतें कम करनी पड़ी क्योंकि उपयोगकर्त्ता उद्योग भी यह चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ समानता लाने के लिए कीमतें कम करनी चाहिए. ..*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : यह उनके मंत्रालय में हैं। इससे घरेलू उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यहां एक घोटाला काफी समय से लम्बित, चला आ रहा है। इस पर विश्वास प्रस्ताव के एक भाग के रूप में चर्चा की गई थी और मंत्री महोदय उपयुक्त तरीके से इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। अतः आप इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : मैं इस्पात के लिए निर्यात संबंधी नीति की सिफारिश करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष हुआ करता था, हमने वर्ष 1997 में अपनी रिपोर्ट दी थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं?

श्री दिलीप राय : महोदय, मैं आपको बताऊंगा। यह प्रश्न कल राज्य–सभा में उठाया गया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री दिलीप राय : कल राज्य सभा में एक विशेष प्रश्न उठाया गया था। इस्पात के आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय ही मुख्य मंत्रालय है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं।

श्री दिलीप राय : महोदय, मैं इस संबंध में बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री दिलीप राय : वाणिज्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है..... *(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। चूंकि मैं विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष था...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे। प्रश्न संख्या 45, डा. अशोक पटेल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी है। प्रश्न संख्या 45, डा. अशोक पटेल।

...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस्पात के लिए निर्यात नीति के संबंध में विशेषज्ञ समिति, जिसका मैं अध्यक्ष था, की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है? यदि हां, क्या कार्यवाही की गई है और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है? उस समय मुझे बताया गया था कि पूर्वी एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया में मन्दी के कारण, तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। अतः कुछ किया जाना चाहिए और उस रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए. ..*(व्यवधान)*

श्री दिलीप राय : मैंने अभी उस पर विचार नहीं किया है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या, 45 डा. अशोक पटेल।

[हिन्दी]

भारत-अमरीका प्रत्यर्पण संधि

+

*45. **डा. अशोक पटेल** :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच प्रत्यर्पण संधि के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संधि के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां। भारत गणराज्य और संयुक्त अमरीका के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर 25 जून, 1997 को हुए थे।

(ख) संधि की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) यह संधि दोनों राज्यों के बीच यह मानते हुए कि स्वापक आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार सहित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय करना आवश्यक है, अपराध के दमन में और प्रभावी सहयोग प्रदान करेगी।

(ii) इस संधि में इस बात की चिन्ता किए बिना कि अपराध संधि के लागू होने से पहले किया गया है अथवा बाद में, प्रत्यावर्तन की व्यवस्था है।

(iii) संधि के अनुच्छेद–दो के अंतर्गत ऐसा कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा यदि वह अपराध दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि से अधिक की कैद अथवा इससे भी अधिक कड़ी सजा सहित स्वतंत्रता से वंचित रखने का दण्डनीय अपराध हो। ऐसा अपराध भी प्रत्यर्पणीय अपराध होगा यदि उसमें किसी प्रत्यर्पणनीय अपराध के सिद्ध हो जाने से पूर्व अथवा बाद में किया गया कोई प्रयास अथवा अपराध को करने, सहायता देने का कोई षड़यंत्र अथवा उकसाना, परामर्श देना अथवा अपराध का कमीशन प्राप्त करना अथवा उसमें सहायक होना शामिल है।

(iv) संधि के अनुच्छेद–तीन के अंतर्गत इस आधार पर प्रत्यर्पण से इन्कार नहीं किया जाएगा कि वांछित व्यक्ति अनुरोध/प्राप्तकर्ता राज्य का राष्ट्रिक है।

(v) इस सन्धि में ऐसे अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, से सम्बंधित आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता का प्रावधान है

(ग) यह प्रत्यर्पण संधि 21 जुलाई, 1999 से प्रवृत्त हो गई थी।

डा. अशोक पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमरीका के अलावा और किन–किन देशों से आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संधि की गई है तथा किन–किन देशों में प्रत्यर्पण संधि का प्रस्ताव है?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय स्पीकर साहब, 11 देशों से हमारी इस प्रकार की संधि है जिनमें से दो में अभी एंट्री इनटू फोर्स नहीं हुआ है। इसके अलावा तीन अन्य देशों से एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी इनीशिएट हो चुकी है और 25 अन्य देशों के साथ इस ट्रीटी को अंतिम रूप देने पर जांच चल रही है। इसके अलावा यदि आप चाहें, तो मैं उन देशों के नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें पढ़ना आवश्यक नहीं है।

डॉ. अशोक पटेल : क्या आंतकवाद संबंधी प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो सरकार का आतंकवाद से निपटने के लिए क्या और कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह जो एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी है यह मात्र आतंकवादियों से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें अन्य अपराध भी शामिल होते हैं। इस बारे में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है कि सरकार आंतकवाद से निपटने के लिए क्या–क्या कदम उठा रही है। वैसे यह प्रश्न अपने आप में मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कितने मामले ऐसे हैं जिनमें आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्यर्पण संधि के बावजूद आतंकवादियों को भारत नहीं लौटाया गया?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैं दे सकता हूं। जहां तक भारत और संयुक्त राज्य अमरीका का प्रश्न है, भारत ने अमरीका से जो एक्स्ट्राडीशन रिक्वैस्ट किए थे, उनमें से दो मामले पेंडिंग है और तीन में; जिनको भारत चाहता था, एक्स्ट्राडाइट हो चुके हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से 17 मामलों में निवेदन किए थे उनसे से तीन निवेदनों के अनुसार लोगों को अमरीका भेज दिया गया है, एक कोर्ट द्वारा रिजैक्ट हो गया है, बाकी पर कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

श्री आर. एल. भाटिया : महोदय, जब प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए तो हमारे दिमाग में कुछ अपराधियों के नाम थे जो कि उस देश में रह रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वे आर्थिक अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं अथवा आतंकवादी हैं जिनके लिए संयुक्त राज्य अमरीका एक सुरक्षित स्थान है?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं प्रत्यर्पण का अनुरोध आर्थिक अपराधों तथा आंतकवाद से सम्बन्धित अपराधों के आधार पर किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य तथा शेष सभा की बात से सहमत हो सकता हूं कि सरकार

के पास प्रत्यर्पण के मामले लम्बित हैं वास्तव में संबंधित लोगों के नाम लिए बिना उनमें से तीन मामले हत्या के हैं, एक आपराधिक षडयंत्र और एक बैंक में धोखाधड़ी का है। मुझे उम्मीद है मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री आर. एल. भाटिया : क्या पंजाब के आतंकवादी जिन्होंने इतनी समस्याएं उत्पन्न की थी, अब संयुक्त राष्ट्र अमरीका में रह रहे हैं? उनके लिए संयुक्त राष्ट्र अमरीका एक सुरक्षित स्थान है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या उनमें कोई पंजाब का आंतकवादी है?

श्री जसवंत सिंह : यदि आप चाहें, मैं आपको अभी उनके नाम बता सकता हूं। आरोपियों के नाम हैं आर. एस. गिल और सुखविन्दर सिंह। भारत ने 1987 में उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी। स्वर्गीय जनरल वैध तथा स्वर्गीय ललित माकन की हत्या के संबंध में वे लोग वांछित हैं। यह मामला अभी भी संयुक्त राज्य अमरीका के विचाराधीन है। नवम्बर, 1994 में भारत ने हत्या के मामले के लिए कुलबीर सिह के प्रत्यपर्ण की मांग की थी। यह अनुरोध अभी भी लंबित है।

दया सिंह लाहोरिया ओर उनकी पत्नी कँवलजीत जो कि सुमन सूद के रूप में भी जानी जाती है, हत्या, अपहरण और अपराधिक षडयंत्र के मामले में वांछित है–संबंधित मामलों के बारे में आप जानते हैं–तथा मनुभाई बड़ोदिया, जो कि आपराधिक षड़यंत्र तथा बैंक में धोखाधड़ी के मामले में वांछित हैं, को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। इन अनुरोधों पर कार्यवाही की गई है।

श्री राशिद अलवी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में किसी विदेशी नागरिक को किसी अवांछित गतिविधि के लिए गिरफ्तार किया गया है, और यदि हां, तो वह किस देश से संबंध रखते हैं?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं क्या किसी विदेशी राष्ट्रिक को भारत में बन्दी बनाया गया है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं समझ सकता हूं कि माननीय सदस्य यह जानकारी लेना चाहते हैं।

इसके लिए मुझे पृथक सूचना की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रश्न प्रत्यर्पण सन्धि से संबंधित है।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी–अभी माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न से सम्बन्धित एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। हम सभी सहमत हैं कि इस प्रत्यर्पण संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने में हमारी सहायता करेगी। अब यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में अपराध करता है और अमरीका में शरण लेता है तो इसके पश्चात हम प्रत्यर्पण के लिए कह सकते हैं अथवा वह हमसे प्रत्यर्पण के लिए कह सकते हैं। मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति, न तो वह हमारा नागरिक है और न ही उनके देश का नागरिक है, हमारे देश में अपराध करता है और अमरीका चला जाता है और वहां की शरण लेता है तो क्या हम प्रत्यर्पण के लिए कह सकते हैं? अथवा क्या यह दोनों समझौता करने वाले देशों के बीच में ही है और हम किसी अन्य देश के नागरिक के प्रत्यर्पण के लिए नहीं कह सकते हैं? मैं चाहता हूं इसे स्पष्ट किया जाए।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने यह बात समझ ली है। कृपया मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए। यह प्रत्यर्पण सन्धि वास्तव में राष्ट्रों के बीच वहां के रहने वालों के प्रत्यर्पण के लिए है इस संधि के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्पण इस आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकता कि पकड़ा गया व्यक्ति निवेदन करने वाले देश का रहने वाला है। आपने प्रश्न पूछा है कि क्या तीसरे देश के रहने वालों को इसमें सम्मिलित किया है यदि वे भारत में अपराध करने के पश्चात अमरीका में शरण ले लेता है। क्या इस संधि के अन्तर्गत कोई ऐसा मामला आया है। जब भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका से प्रत्यर्पण के लिए कहा है जबकि वे तीसरे देश के रहने वाले रहे हों?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में 1993 में बम विस्फोट हुए थे जिनमें ढाई सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। उन्होंने सदन में मामला उठाया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार उसके फरार लोग दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों को मुम्बई में लाने के लिए क्या कोशिश कर रही है? दुबई के साथ तो आपकी ट्रीटी हुई है। क्या क्वात्रोची को लाने वाले हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : दूसरा भाग इस से उत्पन्न नहीं होता है लेकिन मैं पहले भाग का उत्तर देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने युनाइटेड अरब अमीरात के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें ऐसे ही प्रावधान हैं जो, अभी संयुक्त राज्य अमरीका के साथ चर्चा चल रही है, उसमें भी है। जैसे युनाइटेड अरब अमीरात के साथ ऐंट्री इनटू फोर्स हो जाती है, ऐक्सट्राडिशन की प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर भी जरूर लागू की जाएगी।

श्री मणि शंकर अय्यर : श्रीमती कृष्णा बोस को दिये गए माननीय मंत्री जी के जवाब के परिपेक्ष्य में क्या मैं उनसे जान सकता हूं क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों और जे के एल एफ के साथ सम्बंद्ध अन्य व्यक्तियों जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका में रह रहे हैं और जो डींगे मार रहे हैं कि वे विशेषकर जम्मू और

कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं की सूची पहले ही तैयार करनी शुरू कर दी है। क्या भारत सरकार ने विशेषकर पंजाब आतंकवादियों के सम्बंध में, जिन्होंने या तो संयुक्त राज्य अमरीका में शरण ली हुई है अथवा जो अमरीका के नागरिक हैं लेकिन भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं प्रत्यर्पण के अनुरोध की सूची जिसे अभी तैयार किया जाना है, तैयार करनी शुरू कर दी है? क्या ये सूची तैयार की जा रही है और यदि हां, तो हम कब तक आशा करें कि अमरीका को भारत सरकार ये अनुरोध प्रेषित करेगी?

श्री जसवन्त सिंह : दूसरे भाग के बारे में उन लोगों के बारे में जिन्होंने पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया और अब अमरीका में शरण ले ली है, मैंने उनके बारे में स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब मैं पहले भाग का जवाब दूंगा क्या सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर अथवा अन्य जगह से आने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की है जो आतंकवादी गतिविधियों में लीन है। जो आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बढ़–चढकर बोल रहे हैं। प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने भारत की भूमि पर अपराध किया है और कोई मामला लम्बित है तो प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। अमरीका में रह रहे पाकिस्तानियों अथवा जे के एल एफ के कार्मिकों की सूची वास्तव में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी सूची तैयार की जा रही है अथवा तैयार की जाएगी जिन्होंने भारत में अपराध किया है। मैं तकनीकी बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। यह प्रश्न गृह मंत्रालय को किया जाना चाहिए यदि अपराध किया गया है और यदि कोई मामला लम्बित पड़ा है और यदि उसने भारत छोड़ दिया है और अमरीका में शरण ले ली है तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मणि शंकर अय्यर : इस सन्धि के अन्तर्गत क्या अमरीका की सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को भारत की भूमि के रूप में स्वीकार करती है?

श्री जसवन्त सिंह : इस सन्धि के अन्तर्गत भारत को भारत के संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार ही व्याख्यापित किया गया है। यह प्रश्न नहीं है कि भारत की व्याख्या कौन करेगा। अमरीका के पास कोई विकल्प नहीं है। वह भारत की व्याख्या नहीं करेगा। जो हम व्याख्या करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : उस मामले में, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपकी सूची में पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादियों को शामिल किया गया है। जो अमरीका में रह रहे हैं।

फलों और सब्जियों के लिए शीतागार

***46. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए चालू वर्ष के बजट में शीतागारों के निर्माण के लिए प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु के किन–किन स्थानों पर ऐसे शीतागारों के निर्माण किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड फसलों की कटाई उपरांत बुनियादी ढांचा संबंधी समेकित प्रबंध परियोजना नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत पूर्व–शीतन एकक/शीत गृह तथा शीत भन्डागारों सहित कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए उदार ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इस स्कीम के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी एक स्कीम है जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 16.5 करोड़ रुपये के प्रावधान से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के घटकों में एक घटक बागवानी उत्पादों एवं अन्य मदों के लिए शीत श्रृंखला सुविधाओं एवं शीत भंडागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी क्षेत्र में शीत भंडागारों की स्थापना के लिए चालू वर्ष में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शीत भंडागारों एवं भंडागारों के विकास पर अधिक बल देने के लिए सरकार ने हाल ही में बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडागारों एवं भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए 45 करोड़ रुपये के आबंटन से पूंजी निवेश राजसहायता नामक एक स्कीम को स्वीकृति दी है। इस स्कीम को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड क्रियान्वित करेगा। इन स्कीमों के तहत दी जाने वाली सहायता परियोजना–आधारित होगी, और इसलिए राज्यवार आबंटन करने की आवश्यकता नहीं है। पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम की शुरूआत के बाद राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की चल रही स्कीमों से शीत भंडागारों वाले घटक को अलग कर दिया जाएगा।

(ग) विवरण में दी गई स्कीमों में सरकार द्वारा शीत भंडागारों के निर्माण की परिकल्पना नहीं है। तमिलनाडु में शीत भंडागारों के लिए स्थानों का चयन प्रवर्तकों की इच्छा पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि तमिलनाडु में शीत भंडागारों

के लिए स्थानों का चयन प्रवर्तकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। मैं जानना चाहता हूं प्रर्वतकों का अशंदान क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इसमें 25 परसेंट होगा और गवर्नमेंट की सब्सिडी का एमाउंट 25 परसेंट होगा। 50 परसेंट वे कॉमर्शियल बैंक में लोन ले सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : मेरे इस प्रश्न की मूल सूचना में मैंने तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुदरै के निकट नामतः परियाकुलम में शीत भंडागारों के निर्माण के बारे में विशेष रूप से पूछा था। परियाकुलम कम्बाम और थानी जैसे स्थानों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में आम और अंगूर की पैदावार नष्ट हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उगाए गए फलों को बचाने के लिए शीत भंडागारों के निर्माण के बारे में विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह कैपीटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है और स्टेटवाइज इसका कोई अलग से एलोकेशन नहीं है, कोटा नहीं है। यह प्रमोटर की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन जो प्रोडेक्शन सैंटर्स हैं, वहां पर स्वाभाविक तौर पर लोग कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश करना चाहेंगे और खासकर जो मेजर कंज्यूमर सैंटर्स हैं, वहां भी लोग एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। उसमें यह सहायता दी जायेगी। यह प्रमोटर्स की एप्रोच पर निर्भर करता है कि वे कामर्शियल बैंक से एप्रोच करें और इस स्कीम का फायदा उठायें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत भुवन चन्द खण्डूरी) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को शायद जानकारी होगी कि भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर प्रमोटर या स्वयं लोगों के पास अपना धन उपलब्ध नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज में यह समस्या है। भाग क में कहा गया है कि निर्माण/विस्तार आधुनिकीकरण शीत भंडारों का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करेगा और 'ग' में कहा गया है कि सरकार द्वारा यह परिकल्पना नहीं की जाती है कि ये स्कीम में पैसा लगायें। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर उद्योगपति या दूसरे पैसे वाले लोग नहीं हैं, जो बैंक से लोन ले सके और अपना 25 परसेंट धन लगा सकें, जैसा अभी आपने कहा और फिर इनका कंस्ट्रक्शन कर सकें। मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार का जो उत्पादन है, वह सडक पर फेंक दिया जाता है, क्योंकि न तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है और न उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का अरेंजमेंट है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में एक ही तरीके से नीति बनाएंगे तो वह सफल नहीं होगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार के इलाके, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, जहां पर उद्योगपति या दूसरे लोग उपलब्ध नहीं हैं, क्या उनके लिए आप अलग से विशेष नीति बनाएंगे और सरकार के द्वारा यह काम लेंगे।

श्री नीतीश कुमार : यह एक नई स्कीम है, जो इसी साल लागू हो रही है। इसके पहले कई जगहों से इस तरह की स्कीम चलती थी। नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड कुछ चलाती थी, उनका इंटीग्रेटिड प्रोजैक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्टीकल्चर क्राप्स थी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम फॉर डवलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंतर्गत कुछ कोल्ड स्टोरेज के लिए सुविधा देती थी, उसका एक कम्पोनेट था। एन. सी. डी. सी. डायरैक्टली को–आपरेटिव सैक्टर में कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस करती थी। ये अलग–अलग स्कीम थीं। इस साल एक नई स्कीम लागू की जा रही है और इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ इंडीविजुअल्स ही नहीं है, इसमें कोओपरेटिव्ज, कम्पनीज, कारपोरेशंस, पार्टनरशिप एण्ड प्रोपरायटी फर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, बोर्ड्स, एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशंस, ग्रोअर्स एसोसिएशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल है, इसमें एक वाइड स्कोप है, जिससे लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. सी. जोस, कृपया बिल्कुल स्पष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, आप हमेशा अन्तिम समय में मुझे बुलाते हैं।

महोदय, केरल फूल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। मेरे राज्य में एनथूरियम और ऑरकिड बहुत व्यापक रूप में उगाए जाते हैं। निडुम्बेसरी में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन खुल जाने से वहां से निर्यात की भी काफी गुंजाइश है।

रेल सुविधाओं के प्रति मंत्रीजी हम पर बहुत उदार थे। वहां अत्यन्त छोटे फूल उत्पादक हैं। बागवानी बोर्ड राज्य में बहुत अधिक काम नहीं कर रहा है। मेरा प्रश्न है क्या वह बागवानी बोर्ड में अपने खर्च पर गांवों में छोटे शीत भंडागार खोलने को कहेंगे ताकि ये छोटे उत्पादक उन शीत भंडागारों का उपयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री ए. सी. जोस : मुख्य बात यह है कि निजी प्रवर्तक वहां नहीं आ सकते। अतः बागवानी बोर्ड को ही वहां कार्य आरंभ करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार : बागवानी बोर्ड के पास पहले एक योजना थी। एन सी डी सी सरकारी क्षेत्र में इसे बढ़ावा दिया करती थी। अब सब कुछ एक योजना में समाहित कर दिया गया है।

श्री ए. सी. जोस : यह केरल में व्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अनुपूरक प्रश्न पूछा है। आप मंत्री महोदय को रोक क्यों रहे हैं?

श्री ए. सी. जोस : क्योंकि गोल–मोल जवाब दिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : यह बागवानी बोर्ड से संबधित नहीं है। सरकार ने सभी ऐसी योजनाओं को समन्वित करने का निर्णय किया है। अब यह पूंजी निवेश राजसहायता योजना लेकर आगे आई है। लक्ष्य 12 लाख का भंडारण करने के लिए नई क्षमता का सृजन करने का है। हम 8 लाख टन क्षमता के भंडागारों की पुर्नस्थापना और आधुनिकीकरण तथा प्याज के भण्डारण हेतु 4.5 लाख की अतिरिक्त क्षमता वाले भण्डागारों का निर्माण भी करेंगे। इस योजना में विशेष रूप से इसका उल्लेख है कोई भी इस योजना से सहायता ले सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आपको कल बोलने का मौका मिलेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत और पाक के बीच तनाव कम करना

*42. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के नए मुख्य कार्यकारी ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने भारत के साथ हल किए जाने वाले द्विपक्षीय मुद्दों की सूची में कश्मीर मुद्दे को सर्वोपरि रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(च) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह से भारत के प्रति पाकिस्तान के आक्रामक रुख अथवा शत्रुतापूर्ण नीतियों और दुष्प्रचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जम्मू–कश्मीर राज्य और भारत के अन्य भागों में पाकिस्तान समर्थित सीमापार का आतंकवाद जारी है। पाकिस्तानी सेनाएं जम्मू–कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार गोलाबारी कर रही हैं। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाओ को पीछे हटाने का भी कोई संकेत नहीं दिया है जहां उन्हें कारगिल सेक्टर में सशस्त्र घुसपैठ और आक्रमण के दौरान बड़ी संख्या में तैनात किया गया था।

जनरल परवेज मुर्शरफ सहित अन्य पाकिस्तानी प्रवक्ताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों से यह संकेत मिला है कि जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का प्रादेशिक दावे का कथन बरकरार है। जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है। इस राज्य का एक भाग पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में है।

भारत पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अंतर्गत सभी अनसुलझे मसलों का समाधान निकालने के लिए कृतसंकल्प है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को छोड़कर इन करारों के अनुपालन के प्रति अपनी भावना का प्रदर्शन करेगा।

अन्तरिक्ष परियोजनायें

*47. **श्री सी. श्रीनिवासन :**

श्री बी. एम. सुधीरन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चन्द्रमा पर जाने का मिशन शुरू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु कोई प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण के अतिरिक्त और कौन–कौन से अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चन्द्रमा पर जाने के मिशन को शुरू करने को व्यवहार्यता और इसके वैज्ञानिक पहलुओं की जांच के लिए प्रारंभिक अध्ययनों की शुरूआत की है। ये अध्ययन मुख्य रूप में संभावित वैज्ञानिक उद्देश्यों की जांच, अन्तरिक्षयान को शामिल करते हुए मिशन की रूपरेखा निश्चित करने और चन्द्रमा की कक्षा में ऐसे अन्तरिक्षयान को प्रमोचित करने के लिए भारतीय प्रमोचक राकेटों के उपयोग की संभावना से संबंधित है।

(ग) उपग्रह प्रमोचन के अलावा, भारतीय वैज्ञानिक खगोलिकी और खगोल–भौतिकी के क्षेत्र में वेधशालाओं, ग्रहीय वायुमंडल और वायविकी, पृथ्वी–विज्ञान और सौर अध्ययन तथा सैद्धांतिक भौतिकी सहित भू–आधारित सुविधाओं का उपयोग करते हुए अन्तरिक्ष अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाओं में संलग्न हैं। परिज्ञापी राकेटों और मध्यमंडल–समतापमंडल–क्षोभ मंडल जैसी अन्य प्रमुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए अध्ययन किए जा रहे हैं। भूमंडल–जैवमंडल–कार्यक्रम, हिन्द महासागर परीक्षण (इण्डोएक्स) और सौर भौमिक ऊर्जा कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियानों में योगदान के लिए भी अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को हुई हानि

***48. श्री प्रभुनाथ सिंह :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1999 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'हाऊ ए पी. एस. यू. नोसडाइव्ड फ्रॉम रूपीज 1,300 करोर प्राफिट टू रूपीज 1,573 करोर लॉसेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी को कितनी–कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार वास्तविकता से कुछ हटकर है। दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के पश्चात सेल ने केवल 14.62 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात की अतिरिक्त क्षमता सृजित की है। इसके अतिरिक्त राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 9027 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 388.8 लाख टन (370 लाख टन नहीं) के लिए प्रक्षेपित मांग वर्ष 2001–02 के लिए भी है। यद्यपि यह कहना सही है कि सेल को 1999–2000 की प्रथम तिमाही में 610.00 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल की प्रत्येक सहायक कंपनी में हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कर पश्चात लाभ/हानि (–)		
	इस्को	वी आई एस एल*	एम ई एल
1996–97	(–) 213	(–) 102	(–) 1.6
1997–98	(–) 395	(–) 84	(–) 1.5
1998–99	(–) 357	*	(–) 11.1

*01.04.1998 से सेल में विलयित

(ग) सरकार, सेल के साथ लगातार बातचीत कर रही है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में वृद्धि करने को ध्यान में रखते हुए इसके निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा कर रही है। तदनुसार सेल ने कंपनी में समग्र रूप से परिवर्तन करने के लिए तथा इसकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना योजना तैयार की है। योजना में उल्लिखित उपायों में अन्य बातो के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. आदान, लागतों में कमी करके, कच्चे माल और अन्य आदानों की खपत में कमी करके तथा प्रचालन दक्षताओं में वृद्धि करके प्रचालन लागत में कमी करना।
2. प्रौद्योगिक–आर्थिक प्राचलों जैसें ईंधन और विद्युत की खपत में सुधार करना।
3. सेवाओं/सुविधाओं के लिए वर्धित प्राप्ति।
4. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के जरिए श्रम–शक्ति को युक्तिसंगत करना।
5. परिसम्पत्ति पुनर्संरचना।
6. बेकार परिसम्पत्तियों का निपटान, और
7. वित्तीय पुनर्संरचना।

सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध मे रूपरेखा तैयार करना

*49. **श्री भीम दाहाल : क्या सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) आर्थिक कार्यकलापों और इलेक्ट्रॉनिकी शासन को प्रेरित करने के लिए पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं उन्हें देखते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 15.10.1999 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया है। वह मंत्रालय इंटरनेट, ई–वाणिज्य, आईटी शिक्षा और आईटी आधारित शिक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी प्रयासों को सुविधा प्रदान करेगा। इस संबंध में भारत सरकार कार्य आबंटन नियमावली विवरण के रूप में संलग्न है।

सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना के बारे में 108 सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में दूरसंचार, वित्त, बैंकिंग, राजस्व, वाणिज्य, इलैक्ट्रॉनिकी, मानव संसाधन विकास, प्रतिरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों के व्यापक क्षेत्र के बारे में उपाय और नीतियां सुझाई गई हैं ताकि भारत अगले दस वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर सके। वर्ष 2008 तक सॉफ्टवेयर के निर्यात का लक्ष्य 50 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है। इस कार्यदल ने वर्ष 2008 तक भारत में "सभी को सूचना प्रौद्योगिकी" का लक्ष्य रखने की सिफारिश की है। कार्यदल की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में हार्डवेयर उद्योग के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण तथा शिक्षा से संबंधित मुद्दों और नीतियों के बारे में बताया गया है।

सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने बजट का 2 से 3% भाग सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर व्यय करने की अपेक्षा की गई है। कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसधान एवं विकास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

भारत में कई राज्यों ने व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजनाएं तैयार कर ली हैं और ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां बनाई हैं जिनसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।

देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या इस समय प्रति 1000 व्यक्तियों पर 3 से कुछ अधिक है। वर्ष 2008 तक वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर 20 करने का लक्ष्य है। देश में कम्प्यूटरों की मांग को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटरों पर मूल्यह्रास को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

सरकार ने 'इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता' (आईएसपी) नीति का कार्यान्वयन किया है। इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इंटरनेट और ई–वाणिज्य पर लेनदेन को वैधानिक रूप देने के लिए, संसद के चालू सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 पेश करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार का कानूनी ढांचा देश में ई–वाणिज्य कार्यकलापों को आसान बनाएगा और इस कार्यकलाप में तेजी आएगी।

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विशेष रूप से लघु एवं मंझोले उद्यमकर्ताओं के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) तथा उद्योग के सहयोग में एक उद्यम पूँजी निधि का गठन किया है। इस निधि से सम्पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी जगत लाभान्वित होगा।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले।
2. ज्ञान आधारित उद्यमों का संवर्द्धन।
3. इलेक्ट्रॉनिकी का विकास तथा इसके विभिनन प्रयोगकर्ताओं के साथ समन्वय।
4. मंत्रालय के नियंत्रण में कार्मिक से संबंधित सभी मामले।
5. इलेक्ट्रॉनिकी संसाधन उपस्करों (कम्प्यूटर) से संबंधित आवश्यकताओं का समन्वय।
6. सिलिकन सुविधा से संबंधित सभी मामले।
7. कम्प्यूटर पर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी तथा संसाधन से संबंधित सभी मामले, जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, प्रक्रियाओं का मानकीकरण शामिल है तथा आईएफपी, आईबीआई, आईसीसी जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बद्ध मामले।
8. इंटरनेट का संवर्द्धन।
9. ई–कामर्स का संवर्द्धन।
10. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्द्धन।

11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र।

12. इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद।

[हिन्दी]

शुल्क मुक्त दुग्ध पाउडर का आयात

*50. **श्री मोहन रावले :**

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दस हजार टन मलाई उतरे दुग्ध पाउडर के शुल्क आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में दुग्ध उत्पादन के लिए राजसहायता दिए जाने के कारण आयातित दुग्ध पाउडर सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है और इससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दुग्ध पाउडर का आयात बंद करने अथवा आयातित दुग्ध पाउडर पर और अधिक कर लगाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) इस समय स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की शुल्क दर शून्य पर बंधी हुई है। इसलिए स्किम्ड दुग्ध चूर्ण के आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता, चाहें आयात की मात्रा कितनी ही क्यों न हो।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) सरकार इस मद पर बंधी हुई शुल्क दर बढ़ाने के लिए संबंधित व्यापारिक भागीदारों के साथ पहले ही बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

बाढ़ की भविष्यवाणी

*51. **श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल** संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल बोर्ड आयोग ने वर्ष 1998–99 के दौरान बाढ़ संबंधी भविष्यवाणी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों को इन बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा करने में कहां तक मदद मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1998 और 1999 के मानसून के दौरान क्रमशः 7943 और 6511 बाढ़ पूर्वानुमान सूचनाएं जारी कीं। इससे राज्य सरकारों को नियोजित ढंग से जान व माल के बचाव में समय से कार्रवाई करने में सहायता मिली। आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रदान की गई बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं पर संतोष प्रकट किया और उन्होंने अनुरोध किया है कि ये सेवाएं जारी रखी जाएं। राज्य सरकारों ने बाढ़ पूर्वानुमान सूचनाएं मिलने के फलस्वरूप बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई सहायता के बारे में कोई परिणात्मक आकलन करने संबंधी सूचना नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आयोग

*52. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा अवशमन संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के संबंध में एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। आपदा अवशमन संस्थान, अहमदाबाद ने राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा एवं आपात आयोग के गठन का सुझाव दिया है जिसके कार्य, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए राहत, पुर्नवास, सहायता एवं अवशमन प्रशासन एवं संरचनाओं में आमूल परिवर्तन करना होंगे।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

*53. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के धीमी गति से हो रहे कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यान्वयन की तीव्र गति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कोई विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शोरी) : (क) जी हां,

(ख) कार्य की धीमी गति के कुछ मुख्य कारण हैं कुछ सांसदों द्वारा कार्यों की अनुशंसाओं में विलंब, अनुशंसाओं में बार–बार परिवर्तन, कलेक्टरों द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यों पर प्रक्रिया किया जाना इत्यादि। जब भी आर्दश आचार संहिता लागू होती है, निधियां जारी नहीं की जा सकती।

(ग) दिशा निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा जिला, क्षेत्र स्तर के साथ ही मुख्यालयों में योजना के प्रबोधन हेतु यथेष्ट प्रावधान हैं। वर्तमान में योजना के प्रबोधन हेतु जिला स्तरों पर विशेष प्रकोष्ठों के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) हाल ही में सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत कार्य की गति को तीव्र करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे जिला कलेक्टरों को सांसदों द्वारा उनकी वार्षिक पात्रता की सीमा के अनुसार अनुशंसित कार्यों पर प्रक्रिया करने और संस्वीकृति देने का सुझाव, सांसदों से चरणबद्ध तरीके से अनुशंसाएं समय रहते देने, पहले से स्वीकृत कार्यों को रदद् न करने का अनुरोध तथा सभी राज्य सरकारों से योजना के अंतर्गत कार्यों को शीघ्र करने तथा उनके प्रबोधन का अनुरोध।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खाद्य पदार्थों की कमी

***54 श्री जी. गंगा रेड्डी :**

श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य में हजारों तूफान पीड़ित लोग भूख से मर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत पहुंचाने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लोगों के पास अब भी खाद्य पदार्थों की कमी है और वहां महामारी फैलने का खतरा है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार व राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी कदम उठाए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

***55. श्री राजो सिंह :**

श्री रामदास आठवले :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र हाल के वर्षों में भूमिगत जल का स्तर घटने के कारण पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

जल संसाधन मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) वर्ष 1980 से 1999 तक के भूजल स्तरों के दीर्घकालीन विश्लेषण से पता

चलता है कि कुछ राज्यों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है जिससे पेय जल की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है। विभिन्न राज्यों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट वाले जिलों का ब्यौरा **संलग्न विवरण** में दिया गया है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भूजल स्तर में गिरावट से पेय जल की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते निम्नलिखित उपाए किए हैं:–

(i) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल तैयार किया गया है और इसे भूजल पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देने के वास्ते महाराष्ट्र और बिहार सहित सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

(ii) एक माडल बिल तैयार किया गया है और इसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास का विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए परिचालित किया गया है।

(iii) भूजल विकास के विनियमन, नियंत्रण और प्रबन्धन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन करना।

(iv) पेय जल आपूर्ति विभाग के त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत दी जाने वाले सुरक्षित पेय जल सुविधाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(v) शहरी विकास मंत्रालय के त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में पेय जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(vi) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राज्य सरकारों के सहयोग से 25.00 करोड़ रुपये की लागत से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की है।

(vii) कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे स्वस्थाने जल संरक्षण और पुनर्भरण, उपायों में–वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम, नदी–घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों (एफ. पी. आर.) के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, झूम (शिफ्टिंग) खेती के क्षेत्रों में जल विभाजक प्रबन्धन करना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत जलविभाजक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इस जलविभाजक विकास कार्यक्रमों से भूजल स्तर में वृद्धि होती है।

विवरण

भूजल स्तर में चार मीटर से अधिक की गिरावट से संबंधित स्थानों (पॉकेट) वाले राज्यों/जिलों के नाम

राज्य	जिला
आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, चित्तूर
महाराष्ट्र	अकोला, नागपुर, जलगांव, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, सांगली, सतारा, बुलधाना, अमरावती
पंजाब	अमृतसर, जालन्धर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़
हरियाणा	कुरूक्षेत्र, कैथल, महेन्द्रगढ़, जिन्द
उत्तर प्रदेश	गोंडा, फर्रूखाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, नैनीताल
बिहार	पूर्वी सिंहभूम, रांची, समस्तीपुर, छपरा, दरभंगा
पश्चिम बंगाल	पुरलिया, मिदनापुर
उड़ीसा	कोरापुट, मयूरभंज
राजस्थान	नागौर, बीकानेर, जयपुर
मध्यप्रदेश	उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, धार, सागर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, गुना, नरसिंहपुर
कर्नाटक	बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर, मैसूर, गुलबर्गा,
तमिलनाडु,	सलेम, दक्षिण आरकोट, कोयम्बटूर, मदुरै, तंजावुर,घादुकोटई, कामराजार, थिरुनागनार, उत्तरी कन्नड़

[अनुवाद]

भर्ती करने वाली एजेन्सियां

*56. **श्री पी. सी. थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य–वार कुल कितनी लाइसेंसशुदा एजेंसियां हैं जो बेरोजगार युवकों की भर्ती करके विदेशों में भेजने के कार्य में लगी हैं;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों से धन ऐंठने के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की भर्ती करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विदेशों में नौकरियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती करने में लगी ऐसी एजेंसियों पर रोक लगाने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) अभी तक जिन 3150 एजेन्सियों को विदेशी नियोक्ताओं के यहां नियोजन के लिए भारतीय कर्मकारों की भर्ती करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनमें से फिलहाल केवल 1139 एजेन्सियों के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं। इन एजेंसियों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

क्रम संख्या	राज्य का नाम	एजेन्सियों की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	35
2.	चण्डीगढ़	17
3.	दिल्ली	198
4.	गोवा	14
5.	गुजरात	06
6.	हरियाणा	03
7.	हिमाचल प्रदेश	02
8.	कर्नाटक	18
9.	केरल	131
10.	मध्य प्रदेश	01
11.	उड़ीसा	01
12.	पंजाब	29
13.	राजस्थान	14
14.	तमिलनाडु	135
15.	उत्तर प्रदेश	04
16.	पश्चिम बंगाल	03
17.	महाराष्ट्र	528
	योग	1139

(ख) और (ग) जनवरी, 1999 से 52 पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रवासी कामगारों और इच्छुक अप्रवासियों दोनों से ये शिकायतें प्राप्त हुई।

अप्रवासी कामगारों से प्राप्त शिकायतों में विदेशी नियोक्ताओं के द्वारा मजदूरी के भुगतान में विलम्ब/भुगतान नहीं किए जाने, आरम्भ में जिस मजदूरी के लिए करार किया गया था उससे कम मजदूरी का भुगतान, आवास तथा भोजन की पर्याप्त सुविधाओं की अनुपलब्धता, सरकार के द्वारा निर्धारित दर से अधिक सेवा प्रभारों की वसूली आदि। ऐसी शिकायतें प्राप्त होते ही संबधित भारतीय मिशनों से विदेशों नियोक्ताओं के साथ मामला उठाने का अनुरोध किया गया था तथा बहुत से मामलों में शिकायतें दूर की गयी थीं। साथ–साथ भर्ती एजेन्टों से कर्मकारों की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने प्रायोजकों से सम्पर्क बनाने के निदेश दिए गए थे।

इच्छुक उत्प्रवासियों की अधिकतर शिकायतें पंजीकृत एजेन्टों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने तथा सेवा शुल्क की वसूली के बावजूद कामगारों को रोजगार हेतु विदेश न भेजने से संबंद्ध थीं। ऐसे मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे। शिकायतकर्ता तथा पंजीकृत भर्ती एजेन्टों –दोनों को उत्प्रवास महासंरक्षी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। अधिकतर मामलों में शिकायतों को निपटा दिया गया था। उत्प्रवास महासंरक्षी के निर्देशों को न मानने वाले पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के मामले में उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त/निलम्बित करने की कार्रवाई की गई थी। 1999 के दौरान छह भर्ती एजेन्टों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित किया गया।

(घ) सभी राज्य सरकारों को इस बात के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे सीधे पुलिस थानों को अनुमोदित करें कि समुद्रपार नियोजन के लिए कर्मकारों की भर्ती करने में लिप्त गैर पंजीकृत एजेन्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाएं।

पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के मामले, यह निश्चित हो जाने पर कि उन्होंने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, पंजीकरण प्रमाणपत्रों के निलम्बन/निरस्त किये जाने की कार्रवाई की जाती है।

विदेशी जेलों मे कैद भारतीय

***57. श्री टी. गोविन्दन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश–वार विदेशी जेलों में कैद कितने भारतीय सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे अपनी किसी गलती के बिना ही जेलों में बन्द हैं, सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशी जेलों की सजा पूरी हो जाने के बाद अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय कैदियों की संख्या इस प्रकार है:

संयुक्त अरब अमीरात	228
जोर्डन	10
बंगलादेश	24
मलेशिया	303

जो भारतीय अपनी सजा की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी जेल में हैं, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हैं:

- गैर कानूनी अप्रवासी, स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में,
- ऐसे व्यक्ति जिनका छोड़ा जाना प्रभावित व्यक्तियों के रक्त धन के भुगतान से संबधित है;
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्थायी सरकार से डिक्री जारी होने के बाद ही छोड़ा जाना है।

(ख) ऐसे मामलों में संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र का कोंसली अधिकारी बन्दी व्यक्ति से मिलता है, न छोड़े जान के कारणों का पता लगता है और यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था, परिवार/ रिश्तेदारों/मित्रों आदि के माध्यम से विमान टिकटों की व्यवस्था जैसी उचित सहायता करता है। जहां आवश्यक हो वहां मिशन रक्त धन के भुगतान के लिए परिवार के साथ अथवा रक्त धन के दण्ड से माफी के लिए अथवा छुड़ाए जाने के लिए डिक्री/दस्तावेज जारी करने के लिए मेजबान सरकार के साथ मामले को उठाता है।

भारत में आई. एस. आई. की गतिविधियाँ

*58. **श्री अशोक प्रधान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. द्वारा देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और देश के विभिन्न भागों में गड़बड़ी फैलाने के संबंध में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना विरोध प्रकट किया है अथवा पाकिस्तान से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तानी समर्थन और भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के पाकिस्तान के प्रयासो को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में उचित तरीके से और प्रभावी ढंग से लाई है। इन चिन्ताओं को सभी स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीतों के दौरान पाकिस्तान को भी बता दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को मिल रहे सरकारी समर्थन के बारे में तथ्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष भी लाया गया है और हमने इन्हें विश्व के नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत में भी उठाया है। अब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय खुले तौर पर भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तानी सरकार के समर्थन को स्वीकार करता है। सरकार भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है।

रोजगार के अवसर

*59. **श्री हरिभाई चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं;

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे; और

(ग) देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) देश में बेरोजगारी की स्थिति का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा पांच वर्ष में एक बार श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ऐसा पिछला अंतिम सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि सामान्य प्रमुख स्तर के आधार पर (स्तर का निर्धारण पिछले 365 दिनों के दौरान प्रमुख गतिविधियों पर आधारित होता है) 1987-88 से 1993-94 के दौरान औसतन 2.37 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की दर से 7.3 मिलियन के लगभग प्रतिवर्ष रोजगार के अवसरों में औसतन वृद्धि को दर्शाते हुए, रोजगार में वृद्धि 43.91 मिलियन थी। योजना आयोग द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार नौवीं योजना के दौरान सामान्य स्तर के अनुरूप 15 वर्ष एवं उससे अधिक के आयु समूह के लिए 2.44 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है।

नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संक्रेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। नौवीं योजना में उच्च बेरोजगारी एवं श्रमिकों के उत्तरोत्तर नैमितिकरण को देखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना आरंभ की गई। 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन प्रतिवर्ष (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन तथा रोजगार में वृद्धि का अवलोकन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. मोन्टेक

सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक श्रम बल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

परमाणु नीति की समीक्षा

*60. **प्रो. रासासिंह रावत :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के सैनिक शासकों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए परमाणु नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में घोषित नई परमाणु नीति के संबंध में विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार की नाभिकीय नीति के मुख्य तत्वों का खुलासा दिसम्बर, 1998 में संसद के समक्ष प्रधान मंत्री के वक्तव्य सहित पिछले वक्तव्यों में किया है। इस क्षेत्र में हाल ही की घटनाओं के बावजूद ये तत्व वैध बने हुए हैं।

(घ) व्यापक परीक्षण प्रातेबंध संधि के बारे में भारत की स्थिति प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में और दिसम्बर, 1998 में संसद में स्पष्ट की थी। सितम्बर, 1999 में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे पुनः दोहराया है। सरकार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित अनेक मुद्दों पर हमारे प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत चल रही है। सरकार इन बातचीतों को सफल निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए सदा तत्पर रहती है। वास्तव में इसके लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि हम अपने यहां व्यापक सम्भव सर्वसम्मति का निर्माण करने की दिशा में काम करते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अन्य देश इस संधि का बिना शर्त अनुपालन करेंगे।

सिंचित भूमि

411. **श्री अधीर चौधरी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अभी भी 70% से अधिक कृषि भूमि असिंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में सिंचित भूमि का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ङ) अन्तर्देशीय नदी जल विवाद के कारण किस सीमा तक सिंचाई क्षमता अनुप्रयुक्त है; और

(च) क्या सरकार ने इन राज्यों में सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 1995–96 के अंत तक देश में निवल बुआई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत लगभग 37.6% (अनन्तिम) है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सिंचित भूमि का राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार अन्तर्देशीय नदी जल विवाद के कारण देश में लगभग 2609 हजार हे. सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है।

(च) सिंचाई में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा विभिन्न नीति और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए/प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) का संशोधन, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का हंस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, जल प्रबंधन प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल एवं मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा देना, नवीनतम प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सहित विभिन्न प्राणालियों द्वारा जल संरक्षण पर बल देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997--2002) में सभी चल रही परियोजनाओं विशेषतः उन परियोजनाओं जिन्हें पांचवीं योजना अथवा पांचवी योजना के पहले प्रारंभ किया गया था, को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करना सिंचाई विकास की एक नीति है ताकि उन पर पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त किया जा सके। इस नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसी चुनिन्दा चल रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसे नौंवी योजना में भी जारी किया

जा रहा है, को शीघ्र पूरा करके सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत संशोधित वित्तीय पद्धति केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में (सीएलए) सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्र : राज्य) के आधार पर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष श्रेणी के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम तथा साथ ही साथ उड़ीसा के सूखा ग्रस्त के. बी. के. जिलों के लिए 3:1 के अनुपात में होगी। चालू वित्तीय वर्ष से विशेष श्रेणी के राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों (नई एवं चालू दोनों) को भी 3:1 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।

विवरण

राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र (एनआईए), निवल बुआई क्षेत्र (एनएसए) तथा निवल बुआई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य	निवल बुआई क्षेत्र (एनएसए)	निवल सिंचित क्षेत्र (एनआईए)	निवल बुआई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10637	4123	38.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	185	36	19.46
3.	असम	2780	572	20.57
4.	बिहार	7321	3680	50.27
5.	गोवा	139	23	16.55
6.	गुजरात	9609	3002	31.24
7.	हरियाणा	3586	2761	76.99
8.	हिमाचल प्रदेश	568	101	17.78
9.	जम्मू एवं कश्मीर	734	386	52.59
10.	कर्नाटक	10420	2302	22.09
11.	केरल	2265	342	15.10
12.	मध्य प्रदेश	19752	5928	30.01
13.	महाराष्ट्र	17911	2567	14.33
14.	मणिपुर	140	65	46.43
15.	मेघालय	206	45	21.84
16.	मिजोरम	109	109	6.42
17.	नागालैंड	211	62	29.38

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	6210	2090	33.65
19.	पंजाब	4139	3847	92.94
20.	राजस्थान	16575	5232	31.56
21.	सिक्किम	95	16	16.94
22.	तमिलनाडु	5342	2625	49.14
23.	त्रिपुरा	277	35	12.64
24.	उत्तर प्रदेश	17399	11675	67.10
25.	पश्चिम बंगाल	5462	1911	34.99
	कुल राज्य	142072	53433	37.61
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	143	75	52.45
	कुल योग	142215	53508	37.62

टिप्पणी : आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995–96 (नवीनतम) में प्रकाशित भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार हैं तथा अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योग

412. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विभिन्न लाभों/रियायतों और ऋणों के हकदार कृषि और ग्रामीण उद्योगों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभानुभोगियों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के. बी. आई. सी) ने व्यवहार्य कृषि तथा ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं जैसे –मधुमक्खी–पालन, घानी तेल, गुड़ एवं खांड़सारी, अनाजों तथा तेलों का प्रसंस्करण, पामगुड़, फल प्रसंस्करण आदि के लिए सुविधाएं/रियायतें प्रदान की हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संसाधित खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए प्लान स्कीमों को कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा प्राइवेट उद्योगों को सुलभ ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती हैं। सहायता की मात्रा स्कीमवार परिवर्तित होती है। ये स्कीमें परियोजना उन्मुख हैं तथा संघ राज्य क्षेत्र/राज्य विशेष के लिए नहीं है।

(ग) खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के अन्तर्गत 41 लाभार्थी (20 अनाजों तथा तेलों के प्रसंस्करण के लिए, 15 फल प्रसंस्करण के लिए तथा 6 फाइबर के लिए) हैं। लाभार्थियों को ऋण बैंकों द्वारा सीधे मंजूर किए जाते हैं। फिर भी, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1998–99 के लिए ब्याज सहायिकी पात्रता स्कीम के अंतर्गत ब्याज सहायिकी के रूप में रुपये 3.95 लाख प्रदान किया है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत 31 लाभार्थी हैं तथा 01.04.1999 से 30.9.1999 तक रुपये 35.16 लाख संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) जहां तक खादी ग्रामोद्योग आयोग का संबंध है, कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत कोई आवेदन लंबित नहीं हैं, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कृषि तथा संबंध कार्यकलापों को 01.04.1999 से शामिल किया गया है और 30.9.1999 को 27 आवेदन लंबित हैं।

ठेके के श्रमिकों का नियमितीकरण

413. श्री रामदास आठवले :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ठेके के श्रमिकों को किसी संस्था में वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के बाद नियमित सेवा में समाहित होने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(घ) सरकारी संस्थानों और सामुदायिक पॉलिटेक्निकों में ठेके के श्रमिकों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ङ) इन ठेके के श्रमिकों को कब तक नियमित सेवा में बहाल कर दिया जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों ने सचिव, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश व अन्य (जे टी 1999 (2) एस सी 439) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें न्यायालय ने नोट किया था कि बोर्ड और साथ ही उसके द्वारा लगाया गया ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अन्तर्गत क्रमशः "प्रधान नियोक्ता" और "ठेकेदार" के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था और न ही लाइसेंस दिया गया था। न्यायालय ने यह भी नोट किया था कि ठेकेदार केवल नाम के लिए था और उसने बोर्ड के लिए खुले बाजार से श्रमिक लिए थे। वह उस कार्य के लिए बोर्ड के एक दलाल या एक एजेंट के समान ही था। अतः न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि तथाकथित ठेका प्रणाली मात्र एक छलावा और दिखावा तथा एक लगभग पारदर्शी आवरण में प्रच्छन्न था जिसे सरलता से देखा जा सकता था। इसमें एक ओर बोर्ड और दूसरी ओर कर्मचारियों के बीच वास्तविक ठेकागत संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ते थे।

2. उक्त निर्णय एक अलग प्रकार का है क्योकि यह कुछ विशेष तथ्यों पर आधारित है। अतः इस सिद्धांत को स्वतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह ठेका कामगारों को प्रधान नियोक्ता के प्रतिष्ठान में नियमित होने का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है अगर उसने 240 दिनों या अधिक दिनों तक कार्य किया हो। केन्द्रीय सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों आदि में कार्यरत ऐसे ठेका कामगारों की संख्या संबंधी आंकडे नहीं रखती।

खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

414. श्री महबूब जहेदी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष निर्धारित खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य संबंधी आयोग की सिफारिश के अनुसार रखा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रशासनिक कारणों से वस्तुओं के मूल्यों को समरूप बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत तथा सरकार द्वारा घोषित वर्ष 1999–2000 मौसम के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में एकसमान होते हैं चूंकि यह महसूस किया गया कि केवल एकसमान समर्थन मूल्य ही संसाधनों के कुशल उपयोग की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यह लाभ की सीमा अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत कम लागत क्षेत्र में अधिक निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करके तथा उच्च लागत क्षेत्र में उत्पादन को हतोत्साहित करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकसमान मूल्य, तुलनात्मक लाभ के आधार पर फसल विशेषज्ञता तथा राष्ट्र के भू एवं अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

विवरण

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत तथा सरकार द्वारा घोषित वर्ष 1999–2000 मौसम के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिंस	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत	सरकर द्वारा घोषित
1	2	3
धान–सामान्य	465	490
धान–श्रेणी "क"	495	520
ज्वार	410	415
बाजरा	410	415
मक्का	410	415

1	2	3
रागी	410	415
तूअर (अरहर)	1100	1105
मूँग	1100	1105
उड़द	1100	1105
छिलके वाली मूंगफली	1150	1155
सोयाबीन (काला)	750	755
सोयाबीन (पीला)	840	845
सूरजमुखी के बीज	1150	1155
कपास(एफ 414/एच 777/जे-34)	1550	1575
कपास (एच-4)	1750	1775
तंबाकू (रु. प्रति कि.ग्रा.)		
(एफ 2 श्रेणी काली मिट्टी)	25.00	25.00
(एल 2 हल्की मिट्टी)	27.00	27.00
रामतिल	910	915
तिल	1200	1205

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

415. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से निष्पादित की जा रही सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके प्रारंभ होने की तारीख क्या है तथा उनके पूरा होने की संभावित तारीख क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार पूरी की जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इनको समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता से 143.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना अर्थात शाह नहर सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसकी चरम सिंचाई क्षमता 24.76 हजार हेक्टेयर है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था और इसे सन् 2004 तक पूरा होना था। मार्च, 1999 तक इस परियोजना पर 25.17 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए परिव्यय के रूप में 12.90 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गए है।

[अनुवाद]

ई. एस. आई. अस्पताल (डिस्पेंसरी)

416. **श्री सी. कुप्पुसामी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभान्वित औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या में कितने-प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) तमिलनाडु में आज की तिथि के अनुसार जिलावार ई. एस. आई. की कितनी अस्पतालें और डिस्पेंसरियां हैं और वर्ष 1999 के दौरान ऐसे कितने अस्पताल और डिस्पेंसरियां खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या तमिलनाडु में कुछ अस्पतालों/डिस्पेंसरियों को प्रोन्नत करने या आधुनिकीकृत किये जाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 31.3.99 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 10,52,850 कर्मचारियों को शामिल किया गया था जिससे व्याप्ति में 28.6% की वृद्धि हुई।

(ख) तमिलनाडु में कर्मचारी राज्य बीमा में आठ अस्पताल हैं अर्थात् अय्यानावरम, कोयम्बटूर, के. के. नगर, मदुरै, बेल्लौर, सिवाकाशी, सलेम और होसूर प्रत्येक में एक-एक। कर्मचारी राज्य बीमा औषाधालयों का स्थान वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1999 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य में 14 नए अस्पताल स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक कार्य योजना तैयार की है और उसे कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों के लिए अग्रेषित कर दिया है। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपस्कर व्यवस्था का प्रावधान, औषधालयों में बुनियादी उपस्करों की उपलब्धता, क्षेत्रीय अभिघात केन्द्रों की स्थापना करना, उच्च कोटि की सेवाओं, ब्लड बैंक, कैंसर इलाज केन्द्रों की स्थापना करना, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का

विकास आदि शामिल हैं। निगम ने अल्ट्रासोनोग्राफी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑटो एनलाइजर, कारर्डिएक मॉनीटर, दन्त ईकाई आदि के उपस्कर उपलब्ध करवाकर कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सुविधाओं का स्तर उठाने/आधुनीकृत करने के लिए तमिलनाडु सरकार के लिए 1,00,75,000/–रुपए की धनराशि की पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है।

विवरण

तमिलनाडु क्षेत्र में क.रा.बी. औषधालय की सूची

क्र.सं.	औषधालय का नाम	
1	2	
1.	क. रा. बी. औषधालय	तोंदियारपेट–।
2.	–वही–	तोंदियारपेट–॥
3.	–वही–	पेराम्बूर–।
4.	–वही–	पेराम्बूर–॥
5.	–वही–	पेराम्बूर–॥।
6.	–वही–	सेमबियम
7.	–वही–	कोनदीथोप–।
8.	–वही–	कोनदीथोप–॥
9.	–वही–	चुंलैई
10.	–वही–	माउंट रोड
11.	–वही–	इडमोर
12.	–वही–	त्रिपलीकेन
13.	–वही–	विल्लीवक्कम
14.	–वही–	हार्बर
15.	–वही–	अदयार
16.	–वही–	मायलेपोर
17.	–वही–	कोरात्तुर
18.	–वही–	तिरूवेथियूर–॥।
19.	–वही–	कोदाम्बक्कम
20.	–वही–	नन्दाम्बक्कम
21.	–वही–	तिरूवेथियूर–।
22.	–वही–	तिरूवेथियूर–॥
23	–वही–	अवादी
24.	–वही–	अंबाथुर–।
25.	–वही–	अंबाथुर–॥
26.	–वही–	रेड हिल्स
27.	–वही–	पेल्लावरम
28.	–वही–	ताम्बरम
29.	–वही–	सायदापेट–।
30.	–वही–	सायदापेट–॥
31	–वही–	तिरूवेल्लोर
32.	–वही–	मिन्झुर
33.	–वही–	कोदुगेयर
34.	–वही–	गुम्मीदीपीकुदी
35.	–वही–	पूनामाली
36.	–वही–	किलपक–।
37.	–वही–	किलपक–॥
38.	–वही–	मनाली
39.	–वही–	एम.एम.नगर
40.	–वही–	नैल्लीकुप्पम
41.	–वही–	वैदालूर
42.	–वही–	पैरनाम्बत्तू
43.	–वही–	अरकोनम
44.	–वही–	वेंल्लोर
45.	–वही–	वानियाम्बदी
46.	–वही–	अम्बूर
47.	–वही–	गुदियाथम
48.	–वही–	रानीपेट
49.	–वही–	मेलविश्रम
50.	–वही–	अरनी
51.	–वही–	मेत्तूर डैम अपर
52.	–वही–	मेत्तूर डैम लोअर
53.	–वही–	अत्तूर
54.	–वही–	सेलम
55.	–वही–	कुमारपल्लवम
56.	–वही–	कोनूर
57.	–वही–	सकादी
58.	–वही–	सलेम–॥
59.	–वही–	तिरूचेनगेडा

1	2	
60.	–वही–	पेल्लीपालयम
61.	–वही–	अम्मापेट
62.	–वही–	तलामपिल्लैई
63.	–वही–	होसुर
64.	–वही–	कृष्णागिरी
65.	–वही–	धर्मापुरी
66.	–वही–	रामर्जानगर
67.	–वही–	मनापरेई
68.	–वही–	पुथूर
69.	–वही–	थिरूवेरूम्बूर
70.	–वही–	करूर
71.	–वही–	बिरालीमलायी
72.	–वही–	मल्लेकोविलूर
73.	–वही–	कुम्बाकोनम
74.	–वही–	तन्जौर
75.	–वही–	नागापटिनम
76.	–वही–	मनालमेडू
77.	–वही–	माअलादुथरैई
78.	–वही–	सिगानैल्लूर
79.	–वही–	उपलिपल्लयम
80.	–वही–	ओंदिपुथुर
81.	–वही–	सोवरीपल्लयम
82.	–वही–	तिरूप्पूर–I
83.	–वही–	उदुमलपेट
84.	–वही–	तुदियावेल्लूर
85.	–वही–	आर. एस. पुरम
86.	–वही–	पुलियुर
87.	–वही–	पुदुकोट्टई
88.	–वही–	वेल्लोर
89.	–वही–	चैन्नई भपलयम
90.	–वही–	करामदेई
91.	–वही–	गनपथी
92.	–वही–	पेदापमट्टी

1	2	
93.	–वही–	पेरानाइचकनपलयम
94.	–वही–	मेत्तूपलयम–II
95.	–वही–	मेत्तूपलयम–II
96.	–वही–	राजास्ट्रीट
97.	–वही–	पोदानूर
98.	–वही–	काटूर
99.	–वही–	मदाथुकलम
100.	–वही–	पलादम
101.	–वही–	मथुकरेई
102.	–वही–	तिरूगुर
103.	–वही–	कुनैइमुथुर
104.	–वही–	सोमसनूर
105.	–वही–	पीलामेदू
106.	–वही–	ओटाकलमंडापम
107.	–वही–	तिरूपुर–II
108.	–वही–	सुलुर
109.	–वही–	पोलाच्छी
110.	–वही–	नारानापुरम
111.	–वही–	रामनाथपुरम
112.	–वही–	पापनेइचेनपलयम
113.	–वही–	इरोड
114.	–वही–	धरापुरम
115.	–वही–	तिरूनगर
116.	–वही–	पालंगनथम
117.	–वही–	पोनागरम
118.	–वही–	तालाकुलम
119.	–वही–	मुनीचिल्लई
120.	–वही–	पारावैई
121.	–वही–	मानीनगरम
122.	–वही–	थेनी
123.	–वही–	मेलूर
124.	–वही–	तिरूमंगलम
125.	–वही–	दिनदीगुल

1	2	
126.	–वही–	रेगुमपुर
127.	–वही–	नेकरपट्टई
128.	–वही–	पालानी
129.	–वही–	कुलाथुर
130.	–वही–	सिवाकाशी
131.	–वही–	थाउलपाटी
132.	–वही–	राजापलयम
133.	–वही–	थिरूथंगल
134.	–वही–	श्रीविल्लीपुथुर
135.	–वही–	सातूर
136.	–वही–	विरूधुनगर
137.	–वही–	राजाकनबीरम
138.	–वही–	तिरूपुवनम
139.	–वही–	तूतीकोरिन
140.	–वही–	कोइलपट्टी
141.	–वही–	अंरूमुगानेरी
142.	–वही–	इताऊपुरम
143.	–वही–	विकाइमासिंगपुरम
144.	–वही–	शेनूथा
145.	–वही–	थालयाउथू
146.	–वही–	पिटैई
147.	–वही–	तिरूनेलवैली
148.	–वही–	अम्बासामुदरम
149.	–वही–	शंकरनकोइल
150.	–वही–	नागरकोईल
151.	–वही–	अरालवोवमोझई
152.	–वही–	कोथाकन्नडोलम
153.	–वही– उपयोगी औषधालय	रानीपेट
154	–वही–	डालमियापुरम
155.	–वही–	आयनावरम (टैंक रोड़)
156.	–वही–	सिगानेल्लूर
157.	–वही– चल औषधालय	उदुमलपेट (धाल रोड़)
158.	–वही–	सलेम करकरा
159.	–वही–	तिरिची
160.	–वही–	तिरूनेलवैल्ली

बाढ़ नियंत्रण

417. श्री जयंत रंगपी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का असम राज्य सरकार की ओर से बाढ़ नियंत्रण और धनसिरी नदी से राज्य में होने वाले भूमि–कटाव को रोकने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): **(क)** जी, हां।

(ख) संघ सरकार ने असम के कर्बी–अंगलोंग जिलों में असम–नागालैंड सीमा पर 6.37 करोड़ रूपए की लागत से धनसिरी नदी; चरण–I एवं II के कटाव से विभिन्न पहुँचों को बचाने के वास्ते दो स्कीमें अनुमोदित की हैं। असम सरकार द्वारा इन स्कीमों का क्रियान्वयन योजना आयोग द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आबंटित निधियों से किया जाना है।

विद्युत उत्पादन

418. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि परमाणु विद्युत परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के कारण 2000 के अंत तक 7880 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु परमाणु विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या–क्या नए कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) परमाणु विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित किए जाने के मामले में कोई ढील नहीं बरती गई है। भारत सरकार अपने परमाणु विद्युत कार्यक्रम को, परमाणु विद्युत का विकास और उसका उपयोग दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में एक अपरिहार्य विकल्प के रूप में करने को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाता रहा है।

यह कार्यक्रम एक लम्बी समयावधि के लिए और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप की गई एक परिकल्पना के आधार पर तैयार किया गया है। तदानुसार, 1984 में परमाणु विद्युत कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई थी जिसके अंतर्गत सन् 2000 ईसवी तक कुल 10,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, बाद में इस कार्यक्रम को यह बात ध्यान में रखते हुए घटाना पड़ा कि इस कार्यक्रम के वित्त–पोषण में संसाधनों संबंधी अड़चनें सामने आ रही थीं। परमाणु विद्युत कार्यक्रम की रूपरेखा में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15,125 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित किया गया था। तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से केवल 4261 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित परिव्यय में से, संपूर्ण आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए सरकार से अनुमोदित बजटीय सहायता केवल 761 करोड़ रुपए थी और शेष राशि आंतरिक और बाह् बजटीय स्रोतों (आई एफ बी आर) से जुटानी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में परिकल्पित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सके।

(ख) परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सरकार द्वारा दी गई अधिक बजटीय सहायता। नवीं योजना के लिए, कुल अनुमोदित परिव्यय 5187.43 करोड़ रुपए है जबकि इसकी तुलना में आठवीं योजना का परिव्यय 4261 करोड़ रुपए था, (ii) डिजायनों को मानकीकृत करना, माड्यूलर निर्माण तथा परियोजना के मानीटरन और क्रियान्वयन के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाना, (iii) अभियांत्रिकी प्रापण और निर्माण (ईपीसी) पैकेजों का कार्यक्षेत्र बढ़ाना, (iv) नियामक प्राधिकारियों से काफी पहले ही स्वीकृति प्राप्त करना, (v) बेहतर प्रबंन्धन तकनीकें अपनाना आदि।

इन्सैट 3-बी पर ट्रांसपोंडर

419. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इन्सैट 3–बी उपग्रह का एक ट्रांसपोंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश (आं. प्र.) के मुख्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार की जनता से संबंधित सूचना के प्रकीर्णन के अलावा दूरवर्ती शिक्षा, भागीदार संगठनों के प्रशिक्षण जैसे सामाजिक रूप से संबद्ध कार्यक्रमों के लिए उच्च बैण्ड चौड़ाई के संचार हेतु इन्सैट 3–बी उपग्रह पर एक विस्तृत–सी बैण्ड प्रेषानुकर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) एक विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद और अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच बातचीत शुरु की गई है।

(घ) इन्सैट 3–बी का प्रमोचन 2000 की प्रथम तिमाही के लिए निर्धारित है। इसके प्रचालनीकरण के बाद आवेदकों को प्रेषानुकर आबंटित किए जायेंगे।

नयी कृषि बीमा योजना

420. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से जानी वाली प्रस्तावित नयी कृषि बीमा योजना में कई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का इस योजना पर कब तक अंतिम निर्णय ले लेने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया है:–

(1) भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच खर्च वहन करने का वर्तमान पैटर्न 2:1 जारी रखा जाए।

(2) "समेकित निधि" (कारपस फन्ड) का सृजन न्यायोचित नहीं है अतः इसे छोड़ दिया जाए।

(3) साधारण बीमा निगम का प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए।

(4) फसल कटाई परीक्षणों तथा अन्य आपात व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार 2:1 आधार पर वहन करें।

(5) छोटे और सीमान्त किसानों के लिए राजसहायता प्रीमियम के लाभ की अन्तिम व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

(ग) स्कीम की समीक्षा के समय आन्ध्र प्रदेश सरकार के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

अनन्नास उत्पादन

421. श्री बाजू बन रियान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितना अनन्नास उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार अनन्नास का उत्पादन बढाने हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान देश में अनन्नास के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य	उत्पादन (हजार मीटरी टन)
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	29.40
2.	असम	217.27
3.	केरल	46.71
4.	मणिपुर	66.00
5.	मेघालय	90.00
6.	पश्चिम बंगाल	246.78
7.	अन्य	250.57
	कुल	946.73

(ख) और (ग) सरकार शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रीय फलों से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपायों जैसे गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति, पुराने फलोद्यानों के जीर्णोद्धार, किसानों के प्रशिक्षण तथा क्षेत्र विस्तार के माध्यम से अनन्नास सहित फल फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

422. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में नए "कृषि विज्ञान केन्द्र" खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) परिषद उन जिलों में जहां कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है (संलग्न विवरण–।) कृषि विज्ञान केन्द्र का अतिरिक्त कार्य संभालने हेतु 53 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

इसके अलावा परिषद ने नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 25 जिलों की पहचान की है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है।

विवरण-।

कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) का अतिरिक्त कार्य लेने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (जे.आर.एस.) को सुदृढ़ करने हेतु पहचाने गए जिले।

चरण–1

क्रम सं.	राज्य	पहचाने गए जिलों की संख्या	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	जिले

1	2	3	4	5
2.	असम	2	ए.ए.यू., जोरहट	2. नवगांव (शिल्लोंगनी) 3. करबी अंगलौंग (दिफू)
3.	बिहार	2	आर.ए.यू., पूसा बी.ए.यू., रांची	4. रोहतास (विक्रमगंज) 5. संथाल परगना (डुमका)
4.	हिमाचल प्रदेश	1	एच.पी.के.वी.वी. पालमपुर	6. लाहौल और स्पिति (कुमकुमसेरी)
5.	कर्नाटक	4	यू. ए. एस., बंगलौर यू.ए.एस., धारवाड़	7. शिमोगा 8. टुम्कुर 9. मांडया 10 गुलबर्गा
6.	केरल	1	के.ए.यू., त्रिचूर	11. कोट्टायम
7.	मध्य प्रदेश	2	जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	12. मुरैना 13. होशंगाबाद
8.	महाराष्ट्र	3	पी.के.वी., अकोला के.के.वी, डपोली	14. यवतमाल 15. चन्द्रपुर (सिंदेवाही) 16 रायगढ़ रोहा (कारजात)
9.	उड़ीसा	1	ओ.यू.ए.टी., भुवनेश्वर	17. भद्रक
10.	तमिलनाडु	1	टी.एन.ए.यू., कोयम्बटूर	18. कन्याकुमारी
11.	उत्तर प्रदेश	1	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर	19. नैनीताल (मडोरा)
12.	पश्चिम बंगाल	1	बी.सी.के.वी.वी., मोहनपुर	20. कूचबिहार

कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) का अतिरिक्त कार्य लेने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (जे.आर.एस.) को सुदृढ़ करने हेतु पहचाने गए जिले

चरण–II

क्रम सं.	राज्य	पहचाने गए जिलों की संख्या	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	जिले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	ए.एन.जी.आर.ए.यू., हैदराबाद	1. प्रकाशम 2. आदिलाबाद
2.	असम	4	ए.ए.यू., जोरहाट	3. लखीमपुर 4. करीमगंज 5. कामरूप 6. तिनसुकिया
3.	बिहार	1	आर.ए.यू.,पूसा	7. भागलपुर (सबौर)
4.	गुजरात	3	जी.ए.यू.	8. सूरत (व्यारा) 9. राजकोट (तारघढ़िया) 10. जूनागढ़
5.	हिमाचल प्रदेश	2	एच.पी.के.वी.वी., पालमपुर वाई.एस.पी.एच एण्ड पी.	11. बिलासपुर 12. कुंडाघाट (सोलन)
6.	जम्मू एवं कशमीर	1	एस.के.यू. एण्ड ए. टी.	13. कारगिल

1	2	3	4	5
7.	कर्नाटक	4	यू.ए.एस., बंगलौर	14. बंगलौर (आर)
				15. चित्रदुर्ग (हेस्सरघट्टा)
			यू.ए.एस., धारवाड़	16. उत्तर कंडा (सिरसी)
				17. बीजापुर
8.	केरल	1	सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड़	18. एल्लेपी
9.	मध्य प्रदेश	2.	जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	19. पश्चिमी निमाड (खरगांव)
				20. सागर
10.	महाराष्ट्र	1	एम.ए.यू., परभणी	21. उस्मानाबाद (तुलजापुर)
11.	उड़ीसा	1	ओ.यू.ए.टी., भुवनेश्वर	22. नवरंगपुर
12.	पंजाब	1	पी.ए.यू., लुधियाना	23. रोपड़
13.	राजस्थान	1	आर.ए.यू., बीकानेर	24. श्री गंगानगर
14.	तमिलनाडु	2.	टी.एन.ए.यू., कोयम्बटूर	25. पुड्डुकोटई
				26. रामानद
15.	उत्तर प्रदेश	7	सी.एस.ए.यू.ए. एण्ड टी, कानपुर	27. मैनपुरी
				28. मेहोबा (बेलताल)
				29. कानपुर–देहात (दलीपनगर)
			एन.डी.यू. ए एण्ड टी, फैजाबाद	30. गोरखपुर
				31. फैजाबाद (मसौढ़ा)
				32. महाराजगंज
				33 सौनभ्रदा (तिषुही)

विवरण-II

नये कृषि विज्ञान (के.वी.के.) की स्थापना

क. सहभागित मोड के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों (के. वी. के.) की स्थापना :

हरियाणा

1. सिरसा
2. भिवानी
3. महेन्द्रगढ़
4. रोहतक
5. पंचकुला
6. झज्जर
7. फतेहाबाद

जम्मू एवं कश्मीर

8. बडगांव
9. श्रीनगर
10. राजौरी
11. उधमपुर
12. डोडा

ख. स्थापित किए गए नये कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.)

उत्तर प्रदेश

13. बागपत
14. बुलंदशहर
15. गाजीपुर
16. प्रतापगढ़
17. उन्नाव

तमिलनाडु

18. पैरम्बुलुर

मध्यप्रदेश

19. बैतुल
20. धार
21. पन्ना
22. सिहोर

असम

23. बारपेटा

दादरा एवं नगर हवेली

24. सिल्वासा

हिमाचल प्रदेश

25. कांगड़ा

[हिन्दी]

घोगरा का मार्ग परिवर्तन

423. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में घोगरा के मार्ग परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का परियोजना पूरा करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई, राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण, आयोजन और निष्पादन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके अपने संसाधनों में से किया जाता है। अतः केन्द्र को इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य द्वारा मध्यप्रदेश के बिलासपुर जिले में घोगरा डाईवर्सन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया है या नहीं।

[अनुवाद]

स्थाई आश्रय स्थल

424. श्री मोइनुल हसन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की चक्रवात-प्रवण राज्यों में समुद्रतटीय क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी पर स्थाई आश्रय स्थलों का निर्माण करने की योजना है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं और इनमें अभी तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदा के समय राहत, मरम्मत एवं पुनर्वास कार्यों की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की है। इसमें उपयुक्त स्थान पर स्थायी चक्रवात आवास बनाना भी शामिल है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थायी चक्रवात आवास बनाने की भारत सरकार की इस समय कोई योजना नहीं है।

कम्पोस्ट का उत्पादन

425. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इदर गौशाला, अहमदाबाद में एन.ए.डी.ई.पी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कम्पोस्ट बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उर्वरकों के लिए इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार पौध पोषक तत्वों के प्रतिपूरक के रूप में जैव (कार्बनिक) खादों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। कम्पोस्टिंग के विभिन्न तरीके हैं जिनमें "नैडेप" एक है। वनस्पतिक खाद के योग्य सामग्री की उपलब्धता तथा कृषकों की पसंद के अनुसार स्थानीय आधार पर सभी तकनीकें प्रयोग की जाती हैं। क्योंकि जैव (कार्बनिक) खाद भारी होते हैं और इसमें पोषक तत्व कम होते हैं इस लिए रसायनिक उर्वरकों की तुलना में केवल जैव (कार्बनिक) खादों के प्रयोग को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अतः जैविक खाद व रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कंपनियां

426. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 में भारत को सूचना प्रौद्योगिकी 'डिजाइन हाऊस' बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की संख्या दिन-प्रतिदिन वित्तीय कंपनियों की तरह बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों की बढ़ती संख्या को रोकने अथवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु क्य उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को खोलने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सॉफ्टवेयर निर्यात तथा संबद्ध सेवाओं में संलग्न कम्पनियों की संख्या तथा आकार दोनों ही दृष्टियों से बढ़ोतरी हुई है।

(घ) और (ङ) आर्थिक कार्यकलापों और इलेक्ट्रोनिक शासन को प्रेरित करने के लिए पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए भारत सरकार देश में घरेलू उत्पादन तथा निर्यात दोनों के लिए ही सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को प्रोत्साहन देती है। लेकिन, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 15 अक्टूबर, 1999 को परिपत्र सं. 3 (1999–2000) जारी किया है जिसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी भी असूचीबद्ध कम्पनी द्वारा यदि पब्लिक इश्यू/ऑफर जारी किया जाता है, तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय/कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले वितरण योग्य लाभ के ट्रैक रिकार्ड के मानकों को पूरा करना होगा।

अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा

427. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं का ब्यौरा क्या है; और उनकी मात्रा के उद्देश्य क्या थे;

(ख) प्रत्येक यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या मंत्रालय ने उनमें से प्रत्येक को उनकी यात्रा के लिए मंजूरी दी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा

428. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी टी बी टी पर हस्ताक्षर करने से संबंधित कोई पूर्व शर्त राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के लिए आवश्यक कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मुद्दे पर सरकार का अद्यतन रुख क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) अमरीकी सरकार ने बताया है कि राष्ट्रपति क्लिंटन 2000 के आरंभ में भारत की यात्रा करने के इच्छुक हैं। अमरीकी सरकार ने यह भी बताया है कि उनकी इस यात्रा के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है।

(ग) भारत सरकार इस प्रस्तावित यात्रा को अंतिम रूप दिए जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है।

पिछड़े जिले

429. श्री कृष्णमराजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पिछड़े जिलों की पहचान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न जिलों विशेषकर आंध्र प्रदेश के इन पिछड़े जिलों के विकास के लिए कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ङ) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन, मूलतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने स्वयं किसी जिले की पिछड़े जिले के रूप में पहचान नहीं की है। केन्द्र सरकार, सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु उपयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उपयुक्त महत्व देते हुए आन्ध्रप्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अलावा, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आन्ध्रप्रदेश सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता भी आबंटित की जाती है।

पासपोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण

430. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी किए जाने की प्रक्रिया में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किन्हीं सुझावों की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी नहीं, 1993 से पासपोर्ट शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) से (च) आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने में सुधार लाने की प्रक्रिया सतत् और निरंतर चलती रहती है। सरकार को सुझाव प्राप्त होते रहते हैं और पासपोर्ट प्रक्रिया को सुचारू तथा सरल बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपाय करती रही हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में जो परिवर्तन किए गए हैं उनमें पिछले प्रवास के सभी स्थानों की पुलिस जांच की अपेक्षा को दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष करना शामिल है। निम्नलिखित की पुलिस जांच बाद में करने के आधार पर अब पूर्ण वैधता पासपोर्ट जारी किया जा सकता है–15 वर्ष की आयु तक के अवयस्क, उन आवेदकों के पासपोर्ट फिर से जारी करने के मामले और डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना जिनके पते में कोई परिवर्तन नहीं है, वे सभी मामले जिनके साथ प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापन प्रमाण–पत्र उपलब्ध हैं, और केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सशस्त्र सेनाओं के सभी कर्मचारी तथा उनके पति/पत्नी जिनके पास विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध है।

नाइट्रोजनयुक्त सभी पोटैशिक और फास्फोरिक उर्वरकों पर सहायता

431. श्री बाजू बन रियान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विनियंत्रित पोटैशिक और फॉस्फोरिक उर्वरकों की कीमतें बहुत अधिक होने के कारण किसानों को विवश होकर नियंत्रित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार छोटे और सीमान्त किसानों के लिए नाइट्रोजनयुक्त सभी पोटैशिक और फास्फोरिक (एन.पी.के.) उर्वरकों पर राज सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों के लिए एन. पी. के. उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) यूरिया, जो प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है, एवं फॉस्फेटिक एवं पोटाशयुक्त उर्वरक छोटे तथा सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध है। किसानों को इनकी बिक्री समुचित दरों पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार पी. तथा के. उर्वरकों की बिक्री पर रियायत संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। पी. तथा के. उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश तथा एन. पी. के. मिश्रणों के मूल्यों में भी 1.4.97 से वृद्धि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप हाल ही के वर्षों में पी. तथा के. उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है। जिससे एन. पी. के. अनुपात में सुधार आया है और यह 1996–97 के 10.0:2.9:1 से 1998–99 में 8.5:3.1:1 हो गया है।

लोक आयुक्त

432. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन राज्यों और संघ क्षेत्रों में लोकायुक्त काम कर रहे हैं और कहां–कहां लोकायुक्त की व्यवस्था नहीं है अथवा निलम्बित कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार केन्द्र में लोकपाल–कार्यालय की स्थापना को उच्च प्राथमिकता देती है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित लोकपाल की वास्तविक शक्तियां और कार्य क्या होंगे;

(घ) क्या प्रधान मंत्री और न्यायपालिका को भी उसकी शक्तियों के अंतर्गत लाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) लोक–आयुक्तों की नियुक्ति करना संबंधित राज्य–सरकार का सरोकार होता है। यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) से (ङ) यह उल्लेखनीय है कि लोकपाल विधेयक, 1998, प्रधान मंत्री द्वारा 03.08.1998 को लोक–सभा में पेश किया गया था। उसके बाद, इसकी जांच–पड़ताल किए जाने और उसके बारे में रिपोर्ट दिए जाने हेतु इसे गृह–मंत्रालय की विभाग–सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। गृह–मंत्रालय की विभाग–सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति ने 25.02.1999 को लोकपाल विधेयक, 1998 के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत कर दी थी। इससे पहले कि सरकार, लोकपाल विधेयक, 1998 के बारे में उपर्युक्त स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय ले पाती, 26.04.1999 को लोक–सभा के भंग हो जाने के परिणाम स्वरूप उपर्युक्त विधेयक व्यपगत हो गया। 25.10.1999 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में लोकपाल से संबंधित विधान अधिनियमित किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई पहले से ही आरंभ कर दी गई है।

गुमशुदा मछुआरे

433. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में हाल में आए चक्रवात में गायब हुए मछुआरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में चक्रवात आने के पहले इन मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के प्रयास किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि उसके मात्स्यिकी एवं पशु संसाधन विकास विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार 1506 मछुआरे लापता हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में चक्रवात के आने के पहले इन मछुआरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किये गये थे।

[हिन्दी]

बेरोजगारी का आकलन

434. श्री थावरचन्द गेहलोत :

प्रो. रासासिंह रावत :

डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री रामशकल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक रूप से कितने प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक देश में राज्यवार कितने लोग शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बेरोजगारों में शिक्षितों का अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ये आंकड़े नवीनतम वर्ष 1993-94 से संबंधित हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण परिणाम राज्यवार उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी हां, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन देश भर में रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित पंचवार्षिक सर्वेक्षण व्यापक रूप से करता है। ऐसा प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 1972-73 में किया गया था। नवीनतम सर्वेक्षण, जिसके परिणाम राज्यवार उपलब्ध हैं, वर्ष 1993-94 से संबंधित है।

(घ) और (ङ) नौंवी योजना का लक्ष्य बेरोजगारी की दर जो 8वी पंचवर्षीय योजना में 1.87 प्रतिशत थी, से कम करके नौंवी योजना में 1.66 प्रतिशत लाना है तथा 10वीं योजना के अन्त तक इसे नगण्य स्तर तक लाना है।

(च) रोजगार सृजन का लक्ष्य एक योजना अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है ना कि वर्षवार। नौंवी योजना के दौरान रोजगार में 2.44 प्रतिशत की प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होना आंका गया है।

(छ) नेहरू रोजगार योजना के अधीन, वर्ष 1995-96 1996-97 तथा 1997-98 हेतु वास्तविक उपलब्धियां, योजना, जिसके लिए तीन वर्षों की तुलनीय सूचना उपलब्ध है, संलग्न विवरण-II पर है। दिसम्बर, 1997 से, योजना को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 में बेरोजगार-व्यक्तियों की संख्या तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों के बीच में शिक्षितों का अनुपात

राज्य	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (000)		बेरोजगारों के बीच में शिक्षितों का प्रतिशत	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	196	259	62.1	79.3
2. अरुणाचल प्रदेश	4	1	41.1	70.6
3. असम	502	87	59.2	81.2
4. बिहार	511	260	61.1	68.5

1	2	3	4	5
5. गोवा	33	23	50.5	53.9
6. गुजरात	134	190	57.1	42.5
7. हरियाणा	97	45	81.1	74.5
8. हिमाचल प्रदेश	110	5	86.7	78.4
9. जम्मू और कश्मीर	27	48	53.8	66.6
10. कर्नाटक	157	226	82.5	71.3
11. केरल	747	392	64.5	61.6
12. मध्य प्रदेश	132	298	71.6	66.2
13. महाराष्ट्र	287	567	57.8	57.7
14. मणिपुर	8	9	88.6	96.4
15. मेघालय	2	2	22.4	78.0
16. मिजोरम	2	1	89.7	70.4
17. नागालैण्ड	5	5	38.8	85.9
18. उड़ीसा	260	121	44.4	66.6
19. पंजाब	82	81	68.3	80.5
20. राजस्थान	48	61	78.5	54.5
21. सिक्किम	2	0	70.6	84.2
22. तमिलनाडु	405	481	65.8	57.1
23. त्रिपुरा	22	14	82.7	80.0
24. उत्तर प्रदेश	410	301	59.3	59.3
25. पश्चिम बंगाल	517	711	48.1	63.8
समस्त भारत	4712	4283	60.9	63.4

विवरण–II

नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) के अधीन वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एसयूएमई के अधीन सहायता प्राप्त लाभ–भोगियों की संख्या			एसयूडब्ल्यूई के अधीन श्रम दिवसों की संख्या (लाख में)			एसएचएएसयू के अधीन उन्नत आवास इकाईयों की संख्या		
	95–96	96–97	97–98	95–96	96–97	97–98	95–96	96–97	97–98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	5701	18315	59709	1.95	1.59	12.43	3199	78658	5685
अरूणाचल प्रदेश		813		0.53	1.47				
असम				1.36	0.85	0.57			5801
बिहार	14026	428					9588		
गोवा	10		1023	0.73		0.71			
गुजरात	1777	1512	1155	0.78	0.38	0.30			
हरियाणा	1725	1644	1336	0.09					3852
हिमाचल प्रदेश	1334	108	942	0.53				637	
जम्मू और कश्मीर	1489	2386	720	1.01	1.80			2198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक		4358			0.70				
केरल	1282	..	4966	0.49		0.46			
मध्य प्रदेश	16019	16581	15281		0.30	2.76			3
महाराष्ट्र	10649	13441	136636	20.02		73.54			31944
मणिपुर									200
मेघालय	146	1415			0.11			203	
मिजोरम	40		130			0.30	888	875	1250
नागालैण्ड									
उड़ीसा	6223	3408	6921	3.91	1.50	2.02	329	363	5342
पंजाब	2133	3931	1284	3.08		0.35	4133	144	652
राजस्थान	9415	12140	5195	1.93	1.15	1.20			
सिक्किम	310	406	111		0.78	0.50			
तमिलनाडु	9857	26618	165	2.19	2.52				
त्रिपुरा	22	719	1676	0.12		0.41	431	313	1726
उत्तर प्रदेश	24893	24833	14426	9.69	7.72	5.75	1186	8788	
पश्चिम बंगाल	17567		9725	5.95	1.99	6.74			2900
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	102	328	19		0.02	0.03			
चण्डीगढ़	135	64		0.10		0.11			
दादरा एवं नागर हवेली	37	40			0.01		45		
दमन और दीव	213	245	330	0.25		3.61			
दिल्ली		518	192	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
पांडिचेरी	211	616	266			0.09		..	..
जोड़	125316	134267	262208	54.71	22.89	111.88	22763	92179	59355

एसयूएमई–शहरी व्यष्टि उद्यम स्कीम

एसयूडब्ल्यूई–शहरी मजदूर रोजगार स्कीम

एसएचएएसएचयू–आवास तथा आश्रय उन्नयन स्कीम

एन.ए. –उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

गरीबी रेखा

435. डा. वी. सरोजा :

श्री रामशकल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या मुद्रास्फीति की दर तथा आर्थिक प्रगति के मद्देनजर इस मानदंड की समीक्षा किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) क्या गरीबी रेखा हेतु निर्धारित मानदंड पर्याप्त है अथवा इसकी समीक्षा की जाने की आवश्यकता है;

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के राज्यवार औसत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किए जाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(च) देश में गरीबी उन्मूलन हेतु अथवा इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) योजना आयोग द्वारा अपनाई गई गरीबी की रेखा वर्ष 1973–74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56.54 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलारी आवश्यकता के मानक पर आधारित वस्तु बास्केट और सेवाओं के समनुरूप है। इन गरीबी रेखाओं की मूल रूप से न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग संबंधी कार्य दल द्वारा वर्ष 1979 में सिफारिश की गई थी। तदन्तर, वर्ष 1993 में गरीबी के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल ने राज्य–विशिष्ट कीमत सूचकांकों और अंतर्राज्यीय कीमत विभेदकों का उपयोग करते हुए इन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं की राज्य–विशिष्ट गरीबी की रेखाओं में विच्छेदन की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के राज्य विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कामगारों के राज्य विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक के माध्यम से मापी गई मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी रेखाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है, और इसलिए मुद्रा–स्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। बहरहाल, गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जा रहे मानदंड में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह देश के प्रमुख विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित है।

(घ) वर्ष 1993–94 के लिए उपलब्ध गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के नवीनतम राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा और साथ ही सरकार की सहायता से प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(च) देश में गरीबी का उन्मूलन करने तथा इसे कम करने के लिए तीन–तरफा कार्रवाई जारी है। ये है (i) आर्थिक विकास में तेजी लाना, (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज में कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठाने आदि के माध्यम से मानव तथा सामाजिक विकास, और (iii) रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबी के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

विवरण

राज्यों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या और उसका प्रतिशत 1993–94

क्रम संख्या		ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों का सं. (लाख में)	व्यक्तियों का % (लाख में)	व्यक्तियों का सं. (लाख में)	व्यक्तियों का % (लाख में)	व्यक्तियों का सं. (लाख में)	व्यक्तियों का % (लाख में)
1		2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.97	22.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35

1		2	3	4	5	6	7
3.	असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.86
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6.	गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.46	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू व कश्मीर	19.05	30.34	1.86	9.18	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.46	40.14	156.46	33.16
11.	केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.33	48.38	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.86
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.60	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.11	11.77
20.	राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.03	7.73	1.84	41.43
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अंडमान और निकोबार	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27.	चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादरा और नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन और दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80

1		2	3	4	5	6	7
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्षद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पांडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
	अखिल भारत	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	35.97

1. असम का गरीबी अनुपात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी व अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात को दमन व दीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चण्डीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों गरीबी अनुपातों के लिए लिया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोवा के व्यय विवरण को गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एव दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात को जम्मू व कश्मीर के लिये प्रयुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में अकाल

436. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**

प्रो. रासा सिंह रावत :

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में व्याप्त भीषण अकाल की स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान को अकाल के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वर्षवार कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने अकाल संबंधी परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग करते हुए केन्द्र सरकार के पास कोई कार्य योजना भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी, प्राकृतिक आपदा के समय आपदा राहत कोष के तहत आबंटन से राहत और पुनर्वास कार्य करने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की है। वर्ष 1999–2000 के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को 207.00 करोड़ रु. की धनराशि निमुक्त की गई है, जिसमें 155.25 करोड़ रुपये केन्द्र का हिस्सा है। केन्द्र के हिस्से की तीन त्रैमासिक किस्तें राज्य सरकार को निर्मुक्त की जा चुकी हैं।

(ग) आपदा राहत कोष के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वर्ष 1995–96 में बाढ़/सूखे के समय 21.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1998–99 में सूखे के लिए 21.98 करोड़ रुपये राज्य सरकार को मुहैया कराये गये थे।

(घ) और (ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान, राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 1144.40 करोड़ रुपये की सहायता के लिए ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सभी दूतावासों और उच्चायोगों को वी. सेट से जोड़ना

437. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को प्रमुख मंत्रालय से वी. सेट अथवा किसी अन्य अद्यतन संचार तंत्र से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि निश्चित की गई है;

(घ) क्या परियोजना को पूरा करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) हालांकि इस समय दिल्ली में विदेश मंत्रालय के साथ विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों और केन्द्रों को वी. सेट के जरिये जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी ये मिशन और केन्द्र परस्पर एक–दूसरे के साथ विभिन्न संचार सम्पर्कों टेलेक्स, टेलीफोन, फैक्स और अधिकतर मामलों में इलेक्ट्रानिक मेल से पहले से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मंत्रालय को आपतकालीन परिस्थितियों में चुनिन्दा मिशनों के साथ बेतार नेटवक्र से जोड़ा जाता है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सामान्य संचार चैनल काम नहीं करते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में सूखा

438. डा. एस. वेणुगोपाल :

श्री के. येरननायडू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1999–2000 के लिए आन्ध्र प्रदेश को आपदा राहत कोष के तहत 143.59 करोड़ रुपये के आबंटन में से 107.69 करोड़ रु. का पूरा केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है। आपदा राहत कोष के अतिरिक्त विरल किस्म की आपदाओं के समय राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता देने पर विचार किया जाता है।

सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 720.36 रुपये की सहायता हेतु राज्य सरकार का अनुरोध निर्धारित प्रक्रियानुसार विचाराधीन है। इसे राष्ट्रीय आपदा राहत समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाएगा। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति के अनुमोदनानुसार राज्य सरकार को सहायता जारी की जाएगी।

उड़ीसा में चक्रवात

439. श्री राजैया मल्याला :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में विनाशकारी भीषण चक्रवात से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राहत और पुर्नवास उपायों के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार को इन राज्यों के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहे चक्रवात के बारे में पहले से चेतावनी दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा लोगों को चेतावनी देने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा इस हानि से बचने के लिए क्या आपातकालीन उपाय किये गये?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 29.10.1999 के तीव्र चक्रवात से दोंनों राज्यो में हुए नुकसान का विवरण निम्नवत है:–

उड़ीसा

मृत व्यक्ति	9885
पशुधन की हानि	4.44 लाख
प्रभावित जनसंख्या	125.69 लाख
प्रभावित गांव	14190
प्रभावित प्रखण्ड/शहरी स्थानीय निकाय	97/28
प्रभावित बोया गया क्षेत्र	18.43 लाख है.
क्षतिग्रस्त मकान	18.29 लाख

पश्चिम बंगाल

प्रभावित जिलो की संख्या	4
प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	36
प्रभावित क्षेत्र	2.02 लाख है.
प्रभावित कृषक परिवारों की संख्या	16,000
क्षतिग्रस्त ग्रामीण मकान	17,000

(ख) राज्य सरकार से ब्यौरेवार ज्ञापन प्राप्त न होने के कारण महाचक्रवात की स्थिति में उड़ीसा राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये (राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 200 करोड़ रुपये तदर्थ सहायता के रूप में तथा 200 करोड़ रुपये

अग्रिम योजना सहायता के रूप में) की वित्तीय सहायता दी गई है, जो वर्ष 1999–2000 के राज्य को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 42.50 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति के अलावा है। महाचक्रवात की स्थिति में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कोई सहायता नहीं मांगी गई है। फिर भी आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की तीन त्रैमासिक किस्तें, जो 33.39 करोड़ रुपये बनती है, राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को चेतावनी दी थी कि चक्रवात, जो भारतीय तट से 1200 कि. मी. से अधिक की दूरी पर बंगाल की खाड़ी पर है, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटों पर संभावित खतरा पहुंचाएगा।

(ङ) 26 अक्तूबर, 1999 को उड़ीसा सरकार ने प्रभावित जिलों के कलक्टरों को सतर्क कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा किसी भी घटना से निपटने के लिए प्रारंभिक उपाय करने के अनुदेश दिए गए थे, जिनमें 10 किलोमीटर तक संवेद्य तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाना शामिल था। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने प्रतिघंटे विशेष चक्रवात बुलेटिन जारी किए थे। इन संदेशों द्वारा बालासौर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाडा और पुरी के तटवर्ती जिलों से लगभग 1.5 लाख लोगों को हटाया गया।

पश्चिम बंगाल में, राज्य सरकार ने निचले क्षेत्र से लोगों को हटाने के लिए जिला प्राधिकारियों को बार–बार निदेश दिए। एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। आपदा प्रबन्ध दल की प्रतिदिन बैठक हुई और उसने कार्यों के बारे में निर्देश दिए।

कॉयर उत्पादों का न्यूनतम निर्यात मूल्य

440. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार और केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सांसदों से कॉयर उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाने संबंधी आदेश को रद्द करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। सरकार ने केरल सरकार के उद्योग एवं समाज कल्याण मंत्री तथा कुछ केरल के संसद सदस्यों की ओर से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

(ख) उन्होंने 1997 में कोयर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किये गये कोयर एवं कोयर उत्पादों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम. ई. पी.) बनाए रखने का अनुरोध किया है।

(ग) वस्त्र मंत्रालय द्वारा कोयर बोर्ड के 1997 से न्यूनतम निर्यात मूल्य को बढ़ाये जाने वाले (एम.ई.पी.) परिशोधित प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त नहीं हुई।

नये क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के मानदंड

441. **श्री रामशकल :**

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री दिन्शा पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में राज्य–वार कितने पासपोर्ट कार्यालय खोले गए;

(ख) देश में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) देश में वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्यों में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक पहचान किए गए कौन–कौन से स्थान हैं; और

(च) इन कार्यालयों को कब तक प्रत्येक राज्य में स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में खोले गए पासपोर्ट कार्यालयों की राज्य–वार संख्या नीचे दी गयी है:

पासपोर्ट कार्यालय	राज्य	खोले जाने का वर्ष
गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	1997
विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	1997
ठाणे	महाराष्ट्र	1997
पुणे	महाराष्ट्र	1998
श्रीनगर (पुनः खोला गया)	जम्मू और कश्मीर	1997

(ख) नये पासपोर्ट कार्यालय वर्तमान कार्यालयों की अवस्थिति, किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा नये पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के लिए किसी क्षेत्र से प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 आवेदन प्राप्त होने की विदेश मंत्रालय की स्थायी

समिति की अनुशंसा जैसे मानदंडों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं।

(ग) पासपोर्ट कार्यालयों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। अठारह पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पहले ही कर दिया गया है। बचे हुए दस पासपोर्ट कार्यालयों को क्रमिक रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या में अभी विस्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन मे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है।

(घ) से (च) पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से क्रमशः उत्तरी बंगाल और शिमला में नये पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूंकि इन क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों की संख्या 50,000 से कम है तथा कर्मचारियों की भी कमी है, इन प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

अकुशल भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर प्रतिबंध

442. श्री के. मुरलीधरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों विशेषकर कुवैत और सऊदी अरब ने अकुशल भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाड़ी देशों में पहले से कार्यरत श्रमिकों को भारत वापस भेजा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में दखल दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) भारत से अकुशल कामगारों की भर्ती पर जबकि कोई पूर्णरूपेण रोक नहीं लगाई गई है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों ने इस संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के लगाए जाने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में सामान्य गिरावट, जनसांख्यिकीय असंतुलन को दुरुस्त करने पर इन देशों द्वारा दिया जा रहा बल, वहां उपलब्ध अतिरिक्त श्रम का प्रयोग किया जाना और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता शामिल है। ऐसे प्रतिबंधों से निस्संदेह भारत से इन देशों में उत्प्रवास करने वाले अकुशल कामगारों की संख्या में गिरावट आएगी।

(ग) और (घ) कामगार एक विशिष्ट अवधि के लिए ठेकागत रोजगार में लगाए जाते हैं। इस प्रकार वे कार्य पूरा होने पर देश में लौट आते हैं। हाल में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कामगारों को वापस नहीं भेजा जा रहा है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त संदर्भित प्रतिबंध केवल भारतीय कामगारों पर ही लागू नहीं है। तथापि, भारतीय मिशन इस मुद्दे पर स्थानीय प्राधिकारियों से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

बाढ़ नियंत्रण

443. श्री बसुदेव आचार्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार और असम में विभिन्न नदियों द्वारा हुये भूमि कटाव को रोकने और बाढ़ नियंत्रण के लिये कई योजनायें लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करके बाढ़ नियंत्रण के लिये प्रभावी उपाय करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में आने वाले देश के वृहद बाढ़ प्रवण क्षेत्रों मे बाढ़ प्रबंधन के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन मास्टर योजनाओं में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण घटक वाली वृहद बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी अभिज्ञात की गई हैं जिसमें इन मास्टर योजनाओं को योजना आयोग द्वारा दी गई योजना निधियों से राज्यों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बेसिन राज्यों की सरकारों को भेजा गया है।

किसानों को राजसहायता

444. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका और दूसरे विकसित देशों की तुलना में देश के किसानों को कुल कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या हमारे किसानों को दी जा रही राजसहायता को धीरे-धीरे कम कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य विकसित/विकासशील देशों के समान राजसहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

डकरानाला पम्प परियोजना

445. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नहर परियोजना चरण–II (डकरानाला) केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा परियोजना का कार्य किस तारीख से आरंभ हुआ है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2000–2001 के लिए बिहार के वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार मार्च, 1999 तक इस परियोजना पर 5.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। यह परियोजना VIIवीं योजना अवधि से प्रारंभ की गई थी।

(ग) इस परियोजना के IXवीं योजना से आगे जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारत की सीमा को गलत दर्शाया गया

446. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत के मानचित्र को पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इंटरनेशनल ने लगभग एक दर्जन दस्तावेजों में अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को, चीन और जम्मू कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में स्थित दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बावजूद इसके कि जून 1999 में ही डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इंटरनेशनल द्वारा भारत की सीमाओं के गलत चित्रण की बात प्रधान मंत्री की जानकारी में ला दी गई थी, तो भी डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. के हाल के दो प्रकाशनों **बेयर्स इन द वाइल्ड**, जुलाई 1999 और **लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट**, अगस्त 1999–द्वारा विश्व के 200 पारिस्थितिक क्षेत्रों के मानचित्रों में भारत की सीमाओं का गलत चित्रण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इंटरनेशनल से बात करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इंटरनेशनल के प्रकाशनों में भारत की बाहरी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को गलत ढंग से चित्रित करने की सरकार को जानकारी है। सरकार ने ग्लोबल 2000–इको रीजनल गैप्स को गलत ढंग से छापने के संबंध में यह मामला डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इन्टरनेशनल के समक्ष उठाया है जिसने भारत की बाहरी सीमाओं को सही ढंग से चित्रित करने के साथ मानचित्रों कर संशोधित पाठ छापने का आश्वासन दिया है। सरकार को संशोधित मानचित्रों के पाठ प्राप्त हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

जब **'वीयर्स इन द वर्ल्ड'** एण्ड **लिविंग प्लैनेट** के प्रकाशन से संबंधित मामला सरकार के ध्यान में लाया गया तब डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इन्टरनेशनल को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि भारत में उनके क्षेत्रीय कार्यालय को खोलने के लिए डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इन्टरनेशनल को दी गई अनुमति को वापस क्यों न ले लिया जाए। उनके उत्तर का अवलोकन करने के पश्चात, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया, सरकार ने डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. इन्टरनेशनल को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने संबंधी दी गई अनुमति को सितम्बर 1999 में वापस ले लिया गया।

कृषि क्षेत्र में निवेश

447. श्री अनंत गंगाराम गीते :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश लगातार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर कृषि में सकल पूंजी निर्माण के रूप में कृषि में हो रहें निवेश में बढ़ोत्तरी का रूख दिखायी देता है यथा:

वर्ष	कुल (रुपये करोड़ में)
1993–94	15845
1994–95	19993
1995–96	23942
1996–97	26296
1997–98*	29700

*तात्कालिक आंकलन

(ग) और (घ) भारत सरकार कृषि में होने वाले निवेश में बढ़ोतरी लाने के लिये अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित स्कीमें चला रही है यथा:

(i) चुनिन्दा बड़ी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिये राज्यों को ऋण के रूप में दिये जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु 1996–97 में शुरू किया गया त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एक्सीलेरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम)

(ii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अन्तर्गत 1995–96 में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर. आई. डी. एफ.)

(iii) विस्तृत वर्षा सिंचित क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास के लिए 1990–91 से शुरू की गई राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)

इस्को का आधुनिकीकरण

448. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "इस्को" के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) इस्को एक रुग्ण कम्पनी है और जून, 1994 से बी.आई.एफ.आर. के सन्दर्भाधान है। रूस की मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी.पी.ई.) के साथ संयुक्त उद्यम में इस्को के पुनरुद्धार के लिए सेल से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संचित हानि को बट्टे खाते डालना, रुपया ऋण निधि का उपयोग करना शामिल है। संशोधित प्रस्ताव में 798 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है।

तथापि, इस्को के पुनरुद्धार अथवा उसके आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना इस सम्बन्ध में बी.आई.एफ.आर. के आदेशों के अनुरूप होगी।

आतिशबाजी उद्योग में नियोजित बाल श्रमिक

449. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चिल्ड्रन राइस एट 3 ए. एम. टू मेक क्रेकर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में बताए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम, 1996 को न तो केन्द्र सरकार द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा सख्ती से लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा देश में विभिन्न बाल श्रम नियमों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार में दी गई सूचना को नोट कर लिया है। समाचार के अनुसार चाइल्ड रिलीफ एंड यू (सी आर वाई) और तीन अन्य गैर–सरकारी संगठनों ने शिवाकाशी में आतिशबाजी उद्योग में कार्यरत बच्चों के बारे में अध्ययन कराया है। यह सूचना दी गई है कि बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में किए गए उपबंधों के बावजूद 1,25,000 बच्चों का अभी भी शोषण किया जा रहा है। ये बच्चे दमा, तपेदिक, यूट्रिन डैमेज होने का जोखिम उठाकर कार्य कर रहे हैं और उनका जीवनकाल भी छोटा हो रहा है। यह भी सूचना है कि बच्चों को काम पर बनाए रखने के लिए कारखानों ने ऐसे आपातकालीन निकास द्वार बना रखे हैं जिनसे निरीक्षण के दौरान बच्चों को बाहर किया जा सके।

(ग) और (घ) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की शर्तें अधिनियम के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। सभी राज्य/संघ शासित सरकारों के कानूनों के बाल श्रम से संबंधित उपबंधों को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र हैं। केन्द्रीय सरकार आवधिक विवरणियों के माध्यम से उपबंधों के क्रियान्वयन का प्रबोधन करती है। बच्चों का नियोजन कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 67 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है। जहां तक अधिनियम के उपबंध के प्रवर्तन का संबंध है, तमिलनाडु

राज्य सरकार ने 10 क्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति की है जो नियमित निरीक्षण करते रहे हैं। 1999 के दौरान 1340 नियमित निरीक्षण, 231 विशेष निरीक्षण, 21 रात्रिकालीन निरीक्षण, 39 चेक निरीक्षण, 27 स्कवैड निरीक्षण और 52 अवकाश निरीक्षण किए गए हैं। राज्य सरकार ने शिवाकाशी में कारखाना निरीक्षणालय की कड़ी सतसर्कता और प्रवर्तन की भी सूचना दी है।

[हिन्दी]

रबी की फसल का खरीद मूल्य

450. **डॉ. जसवंत सिह यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रबी फसलों के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसमें कब तक वृद्धि की जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) वर्ष 2000–01 में विपणन की जाने वाली वर्ष 1999–2000 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति इस समय सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों हेतु कल्याण योजनाएं

451. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषतः राजस्थान में सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि श्रमिकों को इन योजनाओं का कितना लाभ मिला है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान योजना–वार इस कार्य के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के द्वारा राजस्थान और अन्य राज्यों में मुख्यतः कृषि श्रमिकों हेतु कोई अनुमोदित योजना नहीं है। फिर भी, देश में कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण हेतु कुछ प्रमुख योजनायें शुरू की गई हैं जैसे :– एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), स्वयं रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (टी आर वाई एस ई एम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बालकों का विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए); आदि 1 अप्रैल, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी जी एस वाई) नामक एक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है जैसे कि गरीबों का स्वयं सहायता समूह, निर्माण, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना और विपणन में व्यवस्थान। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लागू होने से, आई आर डी पी, ट्राइसेम, डी डब्ल्यू सी आर ए जैसे पहले के कार्यक्रम अब परिचालन में नहीं हैं।

गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय दायरे का विवरण संलग्न है:

विवरण

लाख रुपयों में

		योजना का नाम				
समस्त भारत	वर्ष	आई आर डी पी	ई ए एस	जे आर वाई	ट्राइसेम	डी डब्ल्यू सी आर ए
	1996–97	109721.16	242379.34	223679.48	9025.00	7500.00
	1997–98	113351.23	246047.50	249921.18	9025.00	7500.00
	1998–99	145627.78	248514.77	259702.50	4500.00	15586.20

इस अवधि के दौरान राजस्थान के लिए आबंटित निधियां निम्नलिखित हैं।

लाख रुपयों में

		योजना का नाम				
राजस्थान	वर्ष	आई आर डी पी	ई ए एस	जे आर वाई	ट्राइसेम	डी डब्ल्यू सी आर ए
	1996–97	4388.01	12987.50	9146.40	360.52	309.50
	1997–98	4533.18	11581.25	10219.44	360.52	309.50
	1998–99	4434.88	11168.75	8388.86	136.46	475.28

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

452. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, दोनों में स्थापित किये गये/स्थापित किये जाने वाले नए इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण की निगरानी के लिए किसी पैनल का गठन किया है,

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) उदारीकरण के पश्चात् स्थापित किए गए/स्थापित करने के लिए प्रस्तावित नए इस्पात संयंत्रों का विवरण संलग्न है। ये समी संयंत्र (जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड, साउदर्न आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जोकि संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र में है, को छोड़कर) निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थापित/स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा

क्रम सं.	कंपनी का नाम	संयंत्र का स्थान	क्षमता (लाख टन) विक्रेय इस्पात
1.	नोवा उद्योग लिमिटेड	नैनीताल, उत्तर प्रदेश	2.40
2.	इंडियन सीमलेस स्टील एण्ड एलॉयज लिमिटेड	पूणे, महाराष्ट्र	1.80
3.	लॉयड्स स्टील इंड. लिमिटेड	वर्धा, महाराष्ट्र	6.00
4.	एस्सर स्टील लिमिटेड	हजीरा, गुजरात	20.00
5.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	रायगढ़, म.प्र.	4.00
6.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	चम्पा, बिलासपुर, म.प्र.	1.20
7.	मुकुन्द लिमिटेड	रायपुर, कर्नाटक	3.40
8.	सदर्न आई. एंड एस कं. लि.	सेलम, तमिलनाडु	3.00
9.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रायगड़ा, महाराष्ट्र	30.00
10.	जिन्दल विजयनगर स्टील लि.	बेल्लारी, कर्नाटक	15.70
11.	राजेन्द्र स्टील लि.	रायपुर, उ. प्र.	5.00
12.	मालविका स्टील लिमिटेड	जगदीशपुर, उ.प्र.	8.50
13.	एस. जे. के. स्टील कारपोरेशन लि.	अनंतपुर, आ. प्र.	4.00
14.	कुमार मेटलर्जिकल कारपोरेशन लि.	नालगोंड़ा, आ. प्र.	1.25
15.	बेल्लारी स्टील एंड एलोयज लि.	बेल्लारी, कर्नाटक	4.10
16.	उषा इस्पात लिमिटेड	सतार्दा, महाराष्ट्र	6.00
17.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	दुबरी, उड़ीसा	6.20
18.	नोवा स्टील्स (आई.) लि.	बिलासपुर, म.प्र.	2.00

[हिन्दी]

राष्ट्राध्यक्षों का दौरा

453. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे देश का दौरा करने वाले विदेशी राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अविध के दौरान उनमें से प्रत्येक के साथ कितने करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गोवा के लिए विकास परियोजनाएं

454. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने अभी हाल ही में गोवा के लिए कुछ विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कहां–कहां स्थित हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजनाओं में प्रस्तुत की गई स्कीमों/परियोजनाओं को, योजना आयोग में वार्षिक योजना परिचर्चाओं के दौरान, राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाता है। सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए भी निवेश दृष्टि से योजना आयोग का अनुमोदन अपेक्षित है। गोवा के लिए किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना अथवा सिंचाई परियोजना का योजना आयोग द्वारा हाल में, स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

दालों का उत्पादन

455. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दालों का उत्पादन राज्यवार कितना हुआ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों को दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन मुहैया कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न घटकों यानि, उन्नत बीजों के उत्पादन एवं वितरण, राइजोबियम कृषि एवं फॉस्फेट विलेयक जीवाणु उपयोग, समेकित कृमि प्रबन्ध, उन्नत फार्म उपकरण एवं सिंचाई के लिए छिड़काव यन्त्रों के उपयोग के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, दलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु किसानों को उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक प्रदर्शनी एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

(घ) डॉ. आर. एस. परोड़ा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दलहन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है तथा समिति देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है। नवीं योजना के दौरान अनुसंधान एवं उन्नत प्रौद्योगिकी तथा उच्च गुणवत्ता वाले आदानों की उपलब्धता के माध्यम से दलहन के क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्धि करने पर मुख्य जोर दिया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन का राज्यवार उत्पादन

क्रम सं.	राज्य	उत्पादन (लाख टन में)		
		1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.30	5.75	8.79
2.	असम	0.68	0.64	0.77
3.	बिहार	7.45	6.46	6.77
4.	गुजरात	6.64	6.13	7.10

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	3.45	3.75	3.58
6.	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.12	0.15
7.	जम्मू और कश्मीर	0.17	0.17	0.28
8.	कर्नाटक	7.22	4.81	6.50
9.	केरल	0.15	0.15	0.27
10.	मध्य प्रदेश	35.44	32.54	36.70
11.	महाराष्ट्र	20.37	12.44	22.31
12.	नागालैण्ड	0.14	0.13	–
13.	उड़ीसा	2.26	2.83	2.57
14.	पंजाब	0.80	0.60	0.58
15.	राजस्थान	18.45	26.35	24.32
16.	तमिलनाडु	2.33	2.71	4.72
17.	उत्तर प्रदेश	26.25	23.18	31.10
18.	पश्चिम बंगाल	1.71	1.50	1.93
19.	अन्य राज्य	0.44	0.44	0.56
	कुल	142.44	130.70	158.99

बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

456. **श्री लक्ष्मण सिंह : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम की देश में और अधिक बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) बीज नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई दिल्ली तथा सिकन्दराबाद स्थित बीज जांच प्रयोगशालाएं पर्याप्त हैं।

मवेशी अनुसंधान और विकास केन्द्र

457. **श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना मवेशी पालन/प्रजनन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित मवेशी अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन–किन क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के पिछड़े जिलों में खासकर तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में मवेशी पालन उद्योग के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नौवीं योजना में बिहार, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में मवेशियों की विभिन्न नस्लों के सर्वेक्षण एवं लक्षण वर्णन के लिए एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू कर रहा है। तमिलनाडु के प्रजनन क्षेत्रों में अबलाचेरी पशुओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा तमिलनाडु में कंगायम नस्ल तथा राजस्थान में नागोरी तथा राठी नस्लों के संरक्षण का कार्य शुरू किया जाना है।

खेल का समान बनाने वाले उद्योग

458. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जालंधर (पंजाब) स्थित खेल का सामान बनाने वाले उद्योग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जालंधर स्थित खेल का सामान बनाने वाले उद्योग द्वारा आने वाली मुख्य समस्याएं–उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की कमी, पुरानी हो चुकी प्रौद्योगिकी तथा विपणन हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रौद्योगिकी विकास तथा

आधुनिकीकरण निधि (टी.डी.एम.एफ.) के अंतर्गत उदार ऋण, डिजाइन सहायता तथा क्रेता–विक्रेता मिलन के द्वारा विपणन सहायता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने सहित कच्चे माल की गुणवत्ता सुधारने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के साथ कलस्टर आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना शामिल है।

कर्नाटक में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में रिक्त पद

459. श्री एच. जी. रामुलू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) इन कार्यालयों में रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को तत्काल भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इन पदों को भरते समय समान वरीयता देने का है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसके द्वारा, केन्द्र–सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या से संबंधित श्रेणी–वार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। यद्यपि, केन्द्र सरकार की विभिन्न स्थापनाओं में सिविल कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, तथापि ये आँकड़े राज्य–वार एकत्र अथवा संकलित नहीं किए जाते।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये पद योग्यता (मेरिट) के आधार पर भरे जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

460. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रमीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997–98 और 1998–99, 1999–2000 के दौरान देश में विशेषकर बैतूल और हरदा जिलों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत उनमें से कितने लोगों का ऋण स्वीकृत किया गया तथा कितने लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या ऋण को स्वीकृत करने के पश्चात् यह निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस विलंब के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) देश में तथा मध्य प्रदेश में बैतूल और हरदा जिलों में, वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (बैंकों द्वारा संस्वीकृत तथा संवितरित ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उन सभी व्यक्तियों को समय से ऋण प्रदान किये गये थे जिन्होंने संस्वीकृतियों के पश्चात् औपचारिकताओं को पूरा किया था।

(घ) उक्त "ग" के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश में तथा मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिलों में, वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या (बैकों द्वारा संस्वीकृत तथा संवितरित ऋण)

अखिल भारत

(भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार)

क्रम सं.	वर्ष	योजना लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा संस्वीकृत (संख्या)	बैंको द्वारा संवितरित (संख्या)
1.	1997–98	2,20,000	2,63,361	2,08,876
2.	1998–99	2,20,000	2,62,091	1,46,525*
3.	1999–2000 (30.9.99 समापन)	2,20,000	43,036	19,839

मध्य प्रदेश

(राज्य सरकार द्वारा बताए गए)

क्रम सं.	वर्ष	राज्य/ जिला	लक्ष्य (सं.)	बैंको द्वारा सै स्वीकृत (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित (संख्या)
1.	1997–98	बैतूल	428	431	368
		हरदा	–	जिला नहीं बना था	–
2.	1998–99	बैतूल	430	443	372*
		हरदा	–	जिला नहीं बना था	–
3.	1999–2000 (अक्तूबर, 99 तक)	बैतूल	430	136	शून्य
		हरदा	174	62	4

संवितरण 31.12.1999 तक जारी है।

[अनुवाद]

कच्चे इस्पात का उत्पादन

461. श्री ए. सी. जोस : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1999 तक कच्चे इस्पात के उत्पादन और क्षमता उपयोग का संयंत्रवार अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 1999–2000 (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान अनुमानित संचयी अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन तथा क्षमता उपयोगिता का संयंत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(हजार टन)

	वास्तविक उत्पादन	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत
1	2	3
मुख्य उत्पादक		
(क) तेल		
वी.एस.पी.	2138	93
डी.एस.पी	805	76
आर.एस.पी.	658	59
बी.एस.एल.	1890	74
इस्को	165	94
ए. एस. पी.	72	53
वी. आई.एस.एल.	48	87
टिस्को	1961	115
वी.एस.पी.	1415	90
मुख्य उत्पादक	9152	87
गौण उत्पादक	4445	51
सकल योग	13597	75

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी इस्पात संयंत्र में किसी नई आधुनिकीकरण योजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।

वाई 2-के का अनुपालन

462. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विभागों और संगठनों में समय पर वाई 2–के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अगली सहस्त्राब्दि के दौरान ऐसी कोई जटिलतायें उत्पन्न न हों?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने विभिन्न संगठनों तथा विभागों और विशेषरूप से ग्यारह मिशन विवेचित क्षेत्रों अर्थात वित्त तथा बैंकिंग, बीमा, नागर विमानन, रेलवे, विद्युत, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बन्दरगाह, रक्षा, पेट्रोलियम तथा दूरसंचार में वाई 2–के समस्या के लिए तैयारी करने का सुनिश्चय करने के कदम उठाए हैं। अब मुख्य ध्यान परीक्षण, तृतीय पार्टी ऑडिट तथा आकस्मिक योजना पर दिया जा रहा है। संक्रमण समय के दौरान आने वाली अप्रत्याशित समस्याओं का समाधान करने के लिए नियंत्रण केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन मामलों की विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के लिए धनराशि

463. श्री अधीर चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि नियत कर दी गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1999 को अनुमोदित किया गया था।

(ख) पश्चिम बंगाल के लिए नौवीं योजना परिव्यय वर्ष 1996–97 की कीमतों पर 16,900 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण उद्योग

464. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग सुविधाओं के लिए एकीकृत आधारभूत विकास योजना ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने में मदद करती है। इस योजना में पिछड़े जिले/ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जो ग्रोथ सेंटर्स स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किये गये। एकीकृत आधारभूत विकास योजना का उद्देश्य विकसित क्षेत्र, ऊर्जा संवितरण नेटवर्क, जल, दूरसंचार, जल निकास तथा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़कें, बैंक, कच्चे माल, भंडारण तथा विपणन केन्द्र, सामान्य सेवा सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी सहायक सेवाएं जैसी आधारभूत सुविधांए सृजित एवं विकसित करना है। योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार से ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान का चयन करने, परियोजना प्रस्ताव को लगाने तथा सिडबी से परियोजना के मूल्य का निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है। एक एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र को स्थापित करने के लिए अनुमानित लागत पांच करोड़ रु. (भूमि की लागत को छोड़कर) है जो कि भारत सरकार तथा सिडबी के बीच 2 : 3 के अनुपात में भागीदारी की जाती है। केन्द्र सरकार का अंश अनुदान के रूप में तथा सिडबी का अंश ऋण के रूप में है। 5 करोड़ रु. से अधिक के व्यय का वहन संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश/कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के द्वारा किया जाता है।

(ग) 1999–2000 के दौरान एकीकृत आधारभूत विकास योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए सरकार ने 15 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए केन्द्रीय अस्पताल

465. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में औद्योगिक श्रमिकों के लाभार्थ श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत एक नया केन्द्रीय अस्पताल खोलने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय किसी भी कल्याण निधि के अंतर्गत कोई नया केन्द्रीय अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

लोक जमा योजना

466. श्री सुरेश राम राव जाधव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान लोक जमा योजना के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास आम जनता द्वा किए जाने वाले निवेश में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के पहले 9 माह के दौरान और वर्ष 1998–99 के दौरान तदनुरूपी अवधि में लोक जमा योजना के अंतर्गत कुल कितनी निवेश राशि प्राप्त की गई;

(ग) लोगों द्वारा की जाने वाली निवेश राशि में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी से सितम्बर, 99 तक तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत कुल क्रमशः 412.94 करोड़ रुपए और 449.03 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

(ग) सार्वजनिक निवेश में गिरावट के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सेल की लाभप्रदता में कमी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा इसके क्रेडिट रेटिंग को कम करना तथा इस्पात उद्योग में बाजार की मंदी की स्थिति शामिल है।

(घ) सरकार, सेल के साथ लगातार बातचीत कर रही है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में वृद्धि करने को ध्यान में रखते हुए इसके निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा कर रही है। तदनुसार सेल ने कंपनी में समग्र रूप से परिवर्तन करने के लिए तथा इसकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना योजना तैयार की है। योजना में उल्लिखित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आदान लागतों में कमी करके, कच्चे माल और अन्य आदानों की खपत में कमी करके तथा प्रचालन दक्षताओं में वृद्धि करके प्रचालन लागत मे कमी करना।
2. प्रौद्योगिकी-आर्थिक प्राचलों जैसे ईंधन और विद्युत की खपत में सुधार करना।
3. सेवाओं/सुविधाओं के लिए वर्धित प्राप्ति।
4. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के जरिए श्रम-शक्ति को युक्तिसंगत करना।
5. परिसम्पति पुनर्संरचना।
6. बेकार परिसम्पतियों का निपटान, और
7. वित्तीय पुनर्संरचना।

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता

467. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपति जी की हाल की यात्रा के दौरान ऑस्ट्रिया और भारत सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रपति की ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच दोहरे काराधान के परिहार से सम्बद्ध करार तथा द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार 8 नवम्बर, 1999 को सम्पन्न हुए। दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार इससे पूर्व 1963 में सम्पन्न हुए दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध अभिसमय का स्थान लेगा। द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण से सम्बद्ध करार निवेश को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है और उनके लिए राष्ट्रीय व्यवहार समाविष्ट करता है।

सक्शन ड्रेजरस

468. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जापान से 250 घन मी. कम हॉपर क्षमता वाले दो छोटे ट्रेलिंग सक्शन ट्रेजरर्स की खरीद के बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जो मत्स्यन बंदरगाहों में ड्रजींग के मुद्दे को संभालने हेतु एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट पर लगाए जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य में ट्रेलींग सक्शन ड्रेजरस लगाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त मत्स्य बंदरगाह एवं मछली उतारने के केन्द्रों के रख-रखाव ड्रेजिंग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जापानी सहायतानुदान योजना के अंतर्गत 200 घन मीटर की क्षमता वाला एक ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर प्राप्त किया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के अनुरोध पर ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर, टी एस डी सिन्धुराज, को रख-रखाव ड्रेजिंग के लिए आंध्र प्रदेश में भवनपडु मत्स्य बंदरगाह पर लगा दिया गया है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

469. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या योजनागत वृद्धि दर में कमी किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कितनी कमी की जायेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, वर्ष 1998–99 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत तथा 1997–98 (शीघ्र अनुमान) में 5 प्रतिशत की वृद्धि रही है, जबकि नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य है।

(ख) जी नहीं, नौंवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में निर्धारित की गई प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की योजनागत वृद्धि दर में कमी किए जाने के संबंध में योजना आयोग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी संगोष्ठी

470. श्री बाजू बन रियान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर 1998 में राष्ट्रीय बागवानी संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संगोष्ठी के दौरान क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन 20–21 नवम्बर, 1998 को आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों तथा बागवानी विकास में संलग्न राष्ट्रीय स्तर के संगठनों जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, अपेड़ा, एन. एच. आर. डी. एफ. तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन में बागवानी उत्पादन को दुगुना करने के लिए अनुसंधान की तैयारी की स्थिति, प्याज तथा आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली फसलों के विपणन की लघु अवधि तथा दीर्घावधि नीतियों, बागवानी निर्यात को बढ़ाने की नीतियों, बागवानी निर्यात को बढ़ाने की नीतियों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया और बागवानी क्षेत्र से संबधित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

(ग) सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर बागवानी विकास में समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न स्कीमों में संशोधन किया गया । दो नई स्कीमें–पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास तथा बागवानी में मानव संसाधन विकास भी शुरू की गई है। इस पहल के परिणामस्वरूप वर्ष 1998–99 के दौरान प्याज की रिकार्ड फसल हुई। इसी प्रकार 1998–99 के दौरान आलू का उल्लेखनीय उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने जो बागवानी उत्पादों के फसलोपरान्त प्रबन्ध हेतु कार्यरत् है, फसलोपरान्त प्रबन्ध, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं अन्तरण तथा बागवानी विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए भी स्कीमें शुरू की हैं।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में रिक्त पद

271. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में श्रम उच्चायुक्त और न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब तक भर दिये जायेंगे;

(ग) क्या इन न्यायालयों और न्यायधिकरणों के फैसलों को प्रबन्धनों द्वारा लागू नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार एक निश्चित अवधि में आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में श्रम आयुक्त का ऐसा कोई पद नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों: आसनसोल, बंगलौर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद और भुवनेश्वर में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों से सेवारत/अवकाशप्राप्त न्यायिक अधिकारियों के पेनल आमंत्रित करके पीठासीन अधिकारियों के पद भरे जाते हैं और मंत्रिमंडलीय नियुक्ति

समिति (ए सी सी) का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद ही उनका चयन किया जाता है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17–क के अनुसार, श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण का पंचाट इसे प्रकाशित किए जाने की तारीख से 30 दिन के समाप्त हो जाने के बाद के प्रवर्तन में आएगा। यदि प्रबंधन ने न्यायालय से पंचाट के प्रचालन के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया है तो सांविधिक समय सीमा के समाप्त हो जाने के बाद प्रबंधन द्वारा श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित न किए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत यथा निर्धारित अभियोजना की कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन द्वारा पंचाट का पालन न करने पर केन्द्रीय औद्योगिक संबंध क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन कार्यवाहियां शुरु करके पंचाट को कार्यान्वित न करने से हतोत्साहित किया जाता है। इन अधिकारियों को पहले ही ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे प्रबंधन द्वारा पंचाटों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दें।

[अनुवाद]

कृषि रसायनों का हानिकारक प्रभाव

472. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के मद्देनजर नेशनल कमीशन आन आर्गेनिक फार्मिंग' स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित है;

(ग) क्या पश्चिमी देशों में जैव उत्पादों की मांग को पूरा करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) सरकार के पास राष्ट्रीय जैव (कार्बनिक) कृषि आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में युद्ध बंदी

473. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान की हिरासत में बंदी बनाए गए भारतीय रक्षा कार्मिकों के नाम और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने फरवरी 1999 में अपनी हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस मुद्दे को पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ भी उठाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें पाकिस्तान की जेल से रिहा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 54 भारतीय युद्धबंदी पाकिस्तान की हिरासत में बताए गए हैं। इन युद्धबंदियों के नाम विवरण के रूप में संलग्न सूची में दिए गए हैं। पाकिस्तान निरन्तर कहता आ रहा है कि कोई भी भारतीय युद्धबंदी उसकी हिरासत में नहीं है।

सरकार शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों का समाधान सीधी, द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से करने के प्रति वचनबद्ध है। अतः युद्धबंदियों का मसला केवल द्विपक्षीय तरीके से उठाया गया है।

20–21 फरवरी, 1999 को अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने युद्ध–बन्दियों का मसला पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ उठाया था और दोनों पक्षों ने गुमशुदा युद्धबन्दी सहित मानवीय मसलों पर विचार करने के लिए एक दो सदस्यीय मंत्रि–स्तरीय समिति नियुक्त की थी।

यह मसला 5–6 मार्च, 1999 को पाकिस्तान के साथ हुई सरकारी स्तर की बातचीत के दौरान भी उठाया गया था। पाकिस्तानी पक्ष ने कहा था कि उनकी हिरासत में कोई भारतीय युद्धबन्दी नहीं है, लेकिन वे इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए सहमत हुए थे।

सरकार इस मामले को पाकिस्तान के साथ उद्देश्यपूर्ण तरीके से उठाती रहेगी।

विवरण

पाकिस्तान की हिरासत में बताए गए लापता भारतीय युद्धबन्दियों की सूची

1. मेजर एस पीएस वारियच
2. मेजर कंवलजीत सिंह

3. मेजर जयकिरण सिंह मलिक
4. कैप्टन कल्याण सिंह राठोड़
5. कैप्टन गिरिराज सिंह
6. सैकिण्ड लेफ्टिनेंट सुधीर मोहन सबरवाल
7. कैप्टन कमल बख्शी
8. सैकिण्ड लेफ्टिनेंट परसराम शर्मा
9. मेजर एस सी गुलारी
10. मेजर ए. के. घोष
11. मेजर ए. के सूरी
12. स्क्वाड्रन लीडर मोहिन्दर कुमार जैन
13. फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुधीर कुमार गोस्वामी
14. लेफ्टिनेंट कमांडर अशोक रॉय
15. फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरविन्दर सिंह
16. फ्लाइंग आफिसर सुधीर त्यागी
17. फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसन्त ताम्बे
18. फ्लाइट लेफ्टिनेंट इलयू मोसिस सैसून
19. फ्लाइट लेफ्टिनेंट राम मेघाराम अडवाणी
20. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नागस्वामी शंकर
21. फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेश चन्द्र संदल
22. फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुशलपाल सिंह नन्दा
23. विंग कमांडर एच. एस. गिल
24. फ्लाइट लेफ्टिनेंट तन्मय सिह दनदास
25. कैप्टन रवीन्द कोडा
26. स्क्वाड्रन लीडर जाल मिनिक्षा मिस्त्री
27. फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमेश गुलाबराव कदम
28. फ्लाइट आफिसर कृष्ण लकीमाज मलकानी
29. फ्लाइट लेफ्टिनेंट बबूल गुहा
30. लांस नायक हजूरा सिंह
31. स्क्वाड्रन लीडर जतीन्द्र दास कुमार
32. फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरूदेव सिंह राय
33. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अशोक बलवंत धावले
34. फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीकांत चन्द्रकांत महाजन
35. फ्लाइंग आफिसर कोट्टींजथ पुथियावेत्तिल मुरलीधरन
36. कैप्टन वशिष्ट नाथ
37. लांस नायक जगदीश राज
38. सिपाही मदन मोहन
39. सिपाही पाल सिंह
40. सिपाही दलेर सिंह
41. लेफ्टिनेंट विजय कुमार आजाद
42. सुजान सिंह
43. गुन्नेर श्याम सिंह
44. सिपाही ज्ञान सिंह
45. सिपाही जागीर सिंह
46. सूबेदार कालिदास
47. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनोहर पुरोहित
48. पाइलट आफिसर तेजिन्दर सिंह सेठी
49. लांस नायक बलबीर सिंह
50. स्क्वाड्रन लीडर देवप्रसाद चटर्जी
51. लांस हवलदार कृष्ण लाल शर्मा
52. सूबेदार आसा सिंह
53. कैप्टन ओ.पी. दलाल
54. एस बी एस चौहान

ई सी आई एल

474. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने दिल्ली में ई.सी. टेलिविजन की बिक्री और सेवायें बंद कर दी हैं और वह हैदराबाद चली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ई सी आई एल ने दिल्ली में अपने ग्राहकों को बिक्री के बाद की सेवा प्रदान करने के लिए कोई प्रबंध किया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अनुरूप बिक्री की सेवा के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई सी आई एल), जोकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, को इस वजह से दिल्ली और अन्य स्थानों पर अपने ई.सी. टेलीविजन सेटों के विनिर्माण और उनकी बिक्री का काम बन्द करना पड़ा क्योकि अपने व्यापार की इस लाइन में उसे निरन्तर भारी नुकसान हो रहा था।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

475. **श्री कृष्णमराजू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कार्य–योजना तैयार की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए कब तक धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) सरकार स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग विभिन्न योजना स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है जिनके तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष। उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभाग की इन स्कीमों के तहत लगभग 4.51 करोड़ रु. की सहायता प्रदान करके आंध्र प्रदेश में अब तक 21 परियाजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

पासपोर्ट आवेदन-पत्र का सरलीकरण

476. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट आवेदन पत्र काफी लंबा और जटिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या पासपोर्ट आवेदन–पत्र को सरल बनाने का कोई प्रयास किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पासपोर्ट आवेदन पत्र को पूरी तरह सरल बनाने के लिए किसी एजेंसी से परामर्श किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस आवेदन पत्र के कब तक सरल बना दिए जाने के संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) आवेदक की पहचान तथा वैयक्तिक विवरण को पूर्णतः स्थापित करने के लिए पासपोर्ट आवेदन–पत्र, पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी और संबंधित सुरक्षा अभिकरणों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद का खतरा

477. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्वरूपों के आतंकवाद से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिन्ह) : भारत ने आतंकवाद की समस्या का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय पहल पर संयुक्त राष्ट्र महा सभा के उनचासवें अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों पर घोषणा पारित हुई थी। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव भी रखा है। वर्तमान अधिवेशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा सितम्बर 2000 में भारत के अभिसमय मसौदे पर विचार शुरू करने पर सहमत हो गई है। हाल ही में डर्बन में राष्ट्रमंडल के राज्याध्यक्षों की सम्पन्न

हुई बैठक में आतंकवाद के कृत्यों की कड़ी भर्त्सना की गई थी और आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अपने दृढ संकल्प को दोहराया था।

भारत ने हाल ही में आतंकवादी बमबारियों के दमन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1997, खोज के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक विस्फोटकों के चिह्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय और 1998 का समुद्रीय नौसंचालन की सुरक्षा के लिए गैर–कानूनी कार्यवाहियों के दमन से संबंधित अभिसमय और महाद्वीपीय क्षेत्र में स्थित स्थायी प्लेटफार्मों की सुरक्षा के लिए गैरकानूनी कार्यवाहियों के दमन से संबंधित नयाचार स्वीकार किया है। इस प्रकार अब भारत आतंकवाद के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र के 10 प्रमुख अभिसमयों का पक्षकार है। भारत आतंकवाद से संबद्ध सार्क अभिसमय 1997 और स्वापक भेषजों और मनः प्रभावी पदार्थों पर सार्क अभिसमय, 1990 का भी पक्षकार है।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

478. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की दूसरी इकाई चालू हो गई है; और

(ख) इस संयंत्र पर इसकी संस्थापना से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क)जी, नहीं। तथापि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के दूसरे यूनिट ने 24–9–1999 को क्रांतिकता प्राप्त कर ली है।

(ख) कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र (कैगा यूनिट 1 तथा 2) पर अक्टूबर 1999 के अंत तक व्यय की गई कुल धनराशि 2,533 करोड़ रुपए है।

प्राकृतिक आपदा

479. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री अजय चक्रवर्ती :

डा. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

श्री भीम दाहाल :

डा. मन्दा जगन्नाथ :

श्री अधीर चौधरी :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री नरेश पुगलिया :

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी

श्री रामसागर रावत :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

कर्नल (सेवानिर्वत) डा. धनीराम शांडिल्य :

श्री अमर रायप्रधान :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री एस. सी. जोस :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में अभी हाल ही में आए चक्रवाती तूफान के कारण जीवन, सम्पति, खडी फसलें नष्ट हुई हैं और मृदा और पारिस्थितिकीय नुकसान होने से मृदा उत्पादकता प्रभावित हुई है;

(ख) क्या नुकसान का आकलन करने हेतु केन्द्रीय दल उड़ीसा भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत देने और पुर्नवास के लिए विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत कितनी वितीय सहायता मंजूर की गई है और वितरित की गई है;

(ङ) उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(च) क्या उड़ीसा सरकार ने सम्पूर्ण राशि को ऋण या अग्रिम न मानकर अनुदान मानने की मांग की है;

(छ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) चक्रवात प्रभावित राज्यों को विभिन्न देशों ने कितनी सहायता प्रदान की है;

(झ) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ट) क्या केन्द्र सरकार ने इस कार्य हेतु कोई आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नुकसान का ब्यौरा निम्नवत है :–

	17–18 अक्तूबर,99 का चक्रवात	29.10.99 का महाचक्रवात
मृतकों की संख्या	205	9885
मृत पशुधन	0.11 लाख	4.45 लाख
प्रभावित जनसंख्या	37.47 लाख	125.69 लाख
प्रभावित गांव	5181	14190
प्रभावित खण्ड/शहरी स्थानीय निकाय	44/23	97/28
प्रभावित फसल क्षेत्र	1.58 लाख हैक्टे.	18.43 लाख है.
क्षतिग्रस्त मकान	3.31 लाख	18.29 लाख

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के विचारार्थ स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, नुकसान आदि दर्शाने वाला एक विस्तृत ज्ञापन भेजा जाना अपेक्षित होता है। दिनांक 17–18 अक्तूबर, 1999 के चक्रवात के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन अभी विचाराधीन है। दिनांक 29 अक्टूबर, 1999 के महाचक्रवात के संबंध में राज्य सरकार से अब तक कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ड) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 17–18 अक्तूबर, 1999 के चक्रवात के संबंध मे उक्त राज्य को 250 करोड़ रुपये की राज्य अग्रिम योजना सहायता और महाचक्रवात आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 200 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता एवं राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास उपायों हेतु 200 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता जारी कर दी है।

(च) और (छ) जहां तक 29, अक्तूबर, 1999 के महाचक्रवात का प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए 2500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी और इस समस्त राशि को अनुदान मानने का अनुरोध किया था, न कि ऋण व अग्रिम। केन्द्रीय सरकार ने महाचक्रवात के लिए उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 200 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता और अग्रिम योजना सहायता के तौर पर 200 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं।

(ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(झ) और (ञ) जी, नहीं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रथमतः राज्य सरकार की है।

(ट) और (ठ) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी तथा उन्हें रोकने की मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं संगठनात्मक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करने तथा राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध हेतु एक व्यापक आदर्श योजना के निरूपण के लिए भारत सरकार द्वारा 20 अगस्त, 1999 को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एक आपात कार्य योजना का निरूपण किया है।

राजस्थान को विशेष सहायता

[हिन्दी]

480. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता की तरह पश्चिमी राजस्थान को विशेष सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन करना, मूलतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि योजना आयोग विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के माध्यम से इस संबंध में राजस्थान सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती ब्लाकों को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आपदा

481. श्री दिन्शा पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कांडला तथा जामनगर में आए चक्रवात तथा सूरत में आयी बाढ़ के कारण हुए विनाश के लिए केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने दो ज्ञापन दिए थे, (i) जून, 1998 में कांडला एवं अन्य क्षेत्रों में आए चक्रवात की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 610.65 करोड़ रुपये की सहायता की मांग के संबंध में, और (ii) सूरत में आयी बाढ़ की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 200.00 करोड़ रुपये की सहायता की मांग के संबंध में।

जून, 1998 में आए चक्रवात के चलते राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 55.35 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। सूरत में आयी बाढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कोई सहायता नहीं दी गई क्योंकि इस आपदा को विरल गंभीरता की नहीं माना गया।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में भारत-रूस समझौता

482. डा. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस का कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में समझौता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां। पशुपालन सहित कृषि एवं इससे संबंधित विषयों पर रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) समझौता प्रारूप में नए संकरों तथा किस्मों के उपयोग सहित फसल उत्पादन, बीज उत्पादन नई तकनीकों तथा प्रौद्योगिकी विकास एवं इनके परीक्षण पशु चिकित्सा क्षेत्र सहित पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में वैज्ञानिक, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की परिकल्पना की गयी है। यह सहयोग विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षुओं के परस्पर दौरों, जानकारी के आदान–प्रदान, प्रदर्शनियों के आयोजन, संयुक्त उद्यमों आदि के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) पोध संगरोध तथा पशु चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में रूस के साथ निम्नलिखित समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:–

(1) पौध संगरोध तथा पौध संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु दिनांक 25.3.1997 को किया गया समझौता।

(2) पशु चिकित्या के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 16.4.1999 को किया गया समझौता।

(घ) पौध संगरोध तथा पौध संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में संगरोध कीटों के हमले तथा फैलाव को रोकना; उनके द्वारा किए जाने वाले फसलों के नुकसान को कम करना तथा दोनों देशों के बीच रोपण सामग्री, कृषि वन तथा पौध उत्पाद का आदान–प्रदान करना है। विनियमों, पौध स्वच्छता नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के विनिमय निर्यात तथा आयात के दौरान खेपों की संयुक्त संगरोध जांच, निर्यातक देश द्वारा जारी पौध स्वच्छता प्रमाण पत्र को मान्यता देने, अनुमत्य पैकेजिंग सामग्री के उपयोग तथा निर्धारित सीमा बिन्दुओं से खेपों की प्रविष्टि के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकना तथा पशुओं, पशु–उत्पादों, पशु मूल की कच्ची सामग्री तथा पशु आहार

का परस्पर व्यापार करना शामिल है। इसी आशय से दोनों पक्ष अपने–अपने देश में संक्रामक पशु रोगों की स्थिति एवं विकास संबंधी द्विमासिक बुलेटिनों का आदान प्रदान करेंगे तथा संक्रामक पशु रोगों के नियंत्रण के उपायों तथा उनकी प्रोफाइलेक्सिस संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करेंगे।

दोनों समझौते पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगे और पांच वर्ष की अवधि के लिए उन्हें फिर बढ़ाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

आम का उत्पादन

483. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में आम का उत्पादन तेजी से बढा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेरियाकुलम जैसे क्षेत्रों में "मैंगों जैली" "मैंगों जूस प्रोडयूसिंग प्लांट" स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आम के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय किए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) तमिलनाडू में 1993 से आम के उत्पादन संबंधी निम्नवत् आंकड़ों में तेजी से हुई वृद्धि दिखाई नहीं देती:–

क्र.सं.	वर्ष	उत्पाद (हजार मी. टन)
1.	1993–94	422.04
2.	1994–95	570.17
3.	1995–96	570.17
4.	1996–97	413.90
5.	1997–98	135.90

(ख) और (ग) आम के मुरब्बे तथा आमरस आदि के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कोई प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित नहीं किए जाते, बल्कि इनकी स्थापना अधिकांशतः निजी उद्यमियों तथा सहकारी समितियों द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:–

(i) आम के निर्यात में लगे किसानों/निर्यातकों, राज्य सरकार के संगठनों को खास तौर से प्रशिक्षण देने के लिए आम की किस्मों तथा क्षेत्रों की पहचान करना।

(ii) आम की तुड़ाई पूर्व तथा तुड़ाई पश्चात् प्रशिक्षण आयोजित करना।

(iii) नियम पुस्तिकाओं का विकास एवं कटाई पश्चात् प्रबन्ध तथा फलों की पैकेजिंग।

(iv) विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) आम पर्व के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना।

गुजरात में सूखा

484. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की सूचना के अनुसार, गुजरात के 10 जिलों, नामतः अहमदाबाद, अमरेली, भड़ोच, भावनगर, डांग, जूनागढ़, पंचमहल, साबर कांठा, बडोदरा एवं वालसाद में 52 प्रखण्डों में कुल 43,938 वर्ग कि.मी. को सूखा प्रवण क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) और (घ) 1973–74 में शुरू किये गये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का लक्ष्य भूमि, जल एवं मानव संसाधनों की उत्पादकता एवं फसल तथा पशु उत्पादन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव का अवशमन करना है। इसका प्रयास पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को प्रोत्साहित करना एवं समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने का है। इस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को पनधारा परियोजना आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र औसतन 500 हैक्टे. होता है तथा जिसे 4–5 वर्षो में पूरा करना होता है।

पनधारा परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए आवश्यक धन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी. आर. डी. ए.)/जिला परिषद को जारी किया जाता है जिसे बाद में पनधारा संघों/स्थानीय लोगों की समिति को दे दिया जाता है जो परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन कर्त्ता है। वर्तमान में गुजरात के सभी सूखा प्रवण जिलों में 673 पनधारा परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में फल प्रसंस्करण उद्योग

485. श्री भीम दाहाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी सहयोग से किसी फल प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट कार्यालयों में भ्रष्टाचार

486. श्री मोहन रावले :

श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री राजैया मल्याला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर 1999 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पासपोर्ट सीकर्स एट द मर्सी आफ टाउट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में चल रहे व्याप्त भ्रष्टाचार से अवगत हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पासपोर्ट अधिकारी दलालों के साथ सांठगांठ करके पासपोर्ट अभ्यर्थियों को लूट रहे है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में इस समय लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए और निर्धारित अवधि में अभ्यथियों को पासपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार को दलालों की गतिविधियों की जानकारी है जो पासपोर्ट कार्यालयों के बाहर से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। दलालों की गतिविधियों को समय-समय पर स्थानीय पुलिस के ध्यान में लाया गया है तथा उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई में तेजी लाई गई है। अभी तक जांच पड़ताल से दलालों और पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों के बीच कोई निश्चित संबंध होना सिद्ध नहीं हो पाया है। तथापि, पासपोर्ट कार्यालयों में सतर्कता बढ़ा दी गयी है और जब भी सरकार को किसी पासपोर्ट अधिकारी द्वारा दी गयी अनियमितता की सूचना मिलती है, गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) 31 अक्तूबर 1999 को देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(च) पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में पारदर्शिता आवेदनों के प्राप्त होने के क्रमानुसार पासपोर्ट जारी करने के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अपने आवेदन से संबंधित किसी भी मामले में आवेदकों को निर्धारित समय में पासपोर्ट अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है। पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट अदालत भी लगायी जा रही हैं।

पासपोर्टों की उपलब्धता निश्चित अवधि में सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट जारी किये जाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। प्रक्रिया को तेज करने के लिये उठाए गये कदमों में क्रिया-विधियों की प्रक्रिया का कम्प्यूटीकरण, टेलीफोन से पूछताछ करने की प्रणाली की व्यवस्था, पासपोर्ट की वैधता अवधि को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना; पासपोर्ट को स्पीड पोस्ट से भेजे जाने का प्रावधान जिन मामलों में पांच सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पुलिस रिपोर्ट तैयार नहीं होती हो, उन मामलों में कालातीत आधार पर पासपोर्ट जारी करना तथा लंबित बकाया

मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाना शामिल है।

विवरण

31 अक्तूबर, 1999 को देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय का नाम	1.1.99 से 31.10.99 के बीच जारी किये गये पासपोर्टों की सं.	31.10.1999 को लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	हैदराबाद	1,46,400	57,054
2.	विशाखापट्टनम	38,088	5,476
	असम		
3.	गुवाहाटी	10,735	3,677
	बिहार		
4.	पटना	41,705	13,837
	गुजरात		
5.	अहमदाबाद	1,32,919	30,067
	गोवा		
6.	पणजी	13,543	1,843
	जम्मू और कश्मीर		
7.	जम्मू	5,875	6,545
8.	श्रीनगर	7,150	7,520
	कर्नाटक		
9.	बंगलौर	1,06,700	13,764
	केरल		
10.	कोच्चि	90,595	7,938
11.	कोजिकोड	1,27,070	35,981
12.	तिरूअनंतपुरम	73,952	1,546
	मध्य प्रदेश		
13.	भोपाल	31,849	4,361
	महाराष्ट्र		
14.	मुम्बई	2,36,969	8,869
15.	नागपुर	15,069	1,529
16.	पुणे (16 जुलाई, 98 को कार्यालय खुला)	4,675	20,873
17.	थाणे	7,847	4,966
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र		
18.	दिल्ली	1,31,511	50,648
	उड़ीसा		
19.	भुवनेश्वर	10,778	6,339
	पंजाब और हरियाणा		
20.	चंडीगढ़	94,999	33,557
21.	जालंधर	87,450	45,916
	राजस्थान		
22.	जयपुर	54,456	33,703
	तमिलनाडु		
23.	चेन्नई	1,12,532	40,393
24.	त्रिचिरापल्ली	63,542	75,323
	उत्तर प्रदेश		
25.	बरेली	31,138	40,348
26.	लखनऊ	63,417	17,534
27.	गाजियाबाद	15,523	5,965
	पश्चिम बंगाल		
28.	कलकत्ता	70,343	10,582

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लिए वार्षिक योजना

487. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराष्ट्र के लिए वार्षिक योजना परिव्यय राशि में वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य को कोई अतिरिक्त सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1999–2000 के वार्षिक योजना परिव्यय को 11600.73 करोड़ रुपये से 12162.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर उसमें 561.27 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित श्रमिक

488. श्री राम टहल चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाये गये कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : सरकार ने असंगठित श्रमिकों सहित श्रमिक हितों के संरक्षण के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनमें से कुछ कानून है : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन)अधिनियम, 1970, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 आदि। लौह अयस्क, मैंगनीज अयरक, क्रोम अयरक, चूना पत्थर डोलोमाइट और अभ्रक खानों, सिने उद्योग और बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकार भी संबंधित कल्याण निधियों के अन्तर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के दायरे में आते हैं। राज्य सरकारों ने हथकरघा बुनकरों रिक्शा चालकों आदि जैसे विशिष्ट क्रियाकलापों में लगे कर्मकारों की बड़ी संख्या को दायरे में लेते हुए बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चलाई हैं। इन असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मकारों के नियोजन और सेवा शर्तों की गुणवक्ता में सुधार सरकार के लिए एक महत्व का विषय रहा है और बना हुआ है।

सरकार देश में ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए और दशा में सुधार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना, (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम) ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए), आदि जैसी अनेक योजनाएं चला रही है। "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" (एस जी एस वाई) नामक एक नया कार्यक्रम अप्रैल, 1999 से शुरू किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित होने, प्रशिक्षण ऋण, प्रौद्योगिकी, अवस्थापना और विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। एस जी एस वाई के लागू होने से पूर्ववर्ती कार्यक्रम आई आर डी पी, ट्राइसेम, डी डब्ल्यू सी आर ए आई प्रचालन में नहीं है।

स्वां नदी का नहरीकरण

489. श्री सुरेश चन्देल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना जिले में स्वां नदी के नहरीकरण हेतु धनराशि के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) नदी के नहरीकरण का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को ऊना (हिमाचल प्रदेश) जिले में "स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन और एकीकृत भूमि विकास परियोजना" संबंधी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई है और अब जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन राज्य का विषय है और ऐसी स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) केन्द्र सरकार की तकनीकी आर्थिक और निवेश स्वीकृतियां मिलने के बाद राज्य सरकार, निधियो के उपलब्ध होने पर नहरीकरण का कार्य शुरू करने पर विचार कर सकेगी।

विश्व बैंक सहायता

490. श्री राजो सिंह :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री ब्रजमोहन राम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान आज तक बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के विशेषतः बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक को विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि का श्रेणी–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी अनुमानित लागत कितनी है और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्राप्त किए गए हैं,

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य–वार कुल कितनी भूमि की सिंचाई किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षो के दौरान वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के वास्ते राज्यों को विश्व बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा एवं मांगी गई अन्य जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं। जहां तक बिहार एवं महाराष्ट्र का संबंध है गत तीन वर्षो के दौरान वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के वास्ते विश्व बैंक द्वारा उन्हें कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रकार	राज्य	स्थिति	शुरू होने की / पूर्ण होने की तिथि	सहायतार्थ राशि (अमेरिकी डालर में)	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई सहायतार्थ राशि 31.10.99 तक (अमेरिकी डालर में)	इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर संभावित सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश–III सिंचाई परियोजना	वृहद्	आंध्र प्रदेश	चल रही है	03.06.1997 / 31.01.2003	325	69.92	3,18,000
2.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	वृहद्	हरियाणा	चल रही है	19.04.1995 / 31.12.2002	258	63.52	1,55,000
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	वृहद	उड़ीसा	चल रही है	05.01.1996 / 30.09.2002	290.9	74.60	3,32,400
4.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	वृहद	तमिलनाडु	चल रही है	05.01.1996 / 31.03.2002	282.9	34.26	6,91,000
5.	अपर कृष्णा सिंचाई सिंचाई परियोजना चरण–II	वृहद	कर्नाटक	पूरी हो चुकी	16.06.1989 / 30.06.1997	325	5.9	1,23,260
6.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	वृहद	पंजाब	पूरी हो चुकी	09.02.1990 / 31.07.1998	150	27.89	1,01,000

[अनुवाद]

केरल में नारियल की खेती

491. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल की खेती करने वाले किसान नारियल और ताड़ के पेडों में फैली नई बीमारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाय किये गये है;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का नारियल के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य घोषित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) इरियोफाइड माइट के प्रकोप की सूचना 1998 में केरल से प्राप्त हुई थी। केरल सरकार के अनुमान के अनुसार उक्त राज्य के सात जिलों अर्थात त्रिचूर, अलपूषा, एर्णाकुलम, मैलापुरम, कोट्टायम, पलक्कड तथा त्रिवेन्द्रम में लगभग 223 लाख पाम प्रभावित हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय पौध रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड ने यह पाया है कि मोनोक्रोटो फॉस की 10 मिली लीटर तथा मासिक अन्तराल पर 10 मिलीलीटर जल की रूट फीडिंग संतोषजनक नियंत्रण उपाय है। इसी प्रकार प्रति लीटर जल में 6 मि.ली. डाइकोफॉल अथवा मासिक अन्तराल पर 2% नीम तेल एवं 2% लहसुन सार का छिड़काव भी कारगर सिद्ध हुआ है। केरल सरकार ने किसानों/किसान संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों आदि की सहभागिता से पंचायत स्तर पर डाइकोफॉल/लहसुन नीम तेल इमल्शन जैसे अनुशंसित मिटीसाइड के छिड़काव के माध्यम से पर्याप्त सुधारात्मक/नियंत्रण उपाय किए हैं जिसमें किए गए व्यय के अंश की प्रतिपूर्ति उन्हें कर दी जाती है। नारियल विकास बोर्ड ने जैव-नियंत्रण उपाय विकसित करने के लिए 3.00 लाख रुपये की लागत वाली एक अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी है। नारियल विकास बोर्ड ने माइट के संबंध में पुस्तिकाएं/विवरण-पत्र प्रकाशित किए हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/प्रायोजित किए हैं। प्रचार माध्यमों के माध्यम से तकनीकी सलाह भी दी जाती है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए केरल सरकार से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नारियल में माइट के प्रकोप से निपटने के लिए 525 लाख रुपये की सहायता के लिए केरल सरकार से अक्तूबर, 1998 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। नारियल विकास बोर्ड ने इस प्रयोजनार्थ केरल सरकार को 1998-99 के दौरान 96 लाख रुपये जारी किए हैं जिसे चालू वर्ष के दौरान उपयोग हेतु पुनर्वैधीकृत किया गया है। इसके अलावा "उत्पादकता सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित खेती" नामक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए केरल सरकार का 713.03 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना में पौध संरक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है ।

(च) और (छ) वर्ष 2000 मौसम के लिए खोपरे का न्यूनतम समर्थ मूल्य घोषित नहीं किया गया है। बहरहाल 1999 मौसम के लिए घोषित खोपरे का न्यूनतम सर्मथन मूल्य नीचे दिया गया है :-

(i) खोपरा गोला-3325 रुपये प्रति क्विंटल

(ii) मिलिंग खोपरा-3100 रुपये प्रति क्विंटल

केन्द्रीय भूजल बोर्ड

492. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के एक अलग ड्रिलिंग डिवीजन की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया है कि केरल में भू-जल अन्वेषण कार्य प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को केरल इकाई के तहत पर्याप्त स्टॉफ और मशीनरी सहित अलग से एक ड्रिलिंग प्रभाग स्थापित किया जाए।

(ग) सरकार द्वारा केरल में ड्रिलिंग प्रभाग स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

जेवार-याकूदपुर और हमीदपुर यमुना बराज

493. श्री अशोक प्रधान : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरप्रदेश के खुर्जा जेवार–याकूदपुर और हमीदपुर क्षेत्र में यमुना बराज के निर्माण में केन्द्र सरकार द्वारा आज तक खर्च किये गये धन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यमुना नदी की बाढ़ से इस क्षेत्र में प्रति वर्ष होने वाले भारी जान–माल के नुकसान से अवगत है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में यमुना नदी पर बराज बनाने के लिए कोई विशेष धनराशि जारी करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय है और सभी सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, निष्पादन, वित्त पोषण एवं रखरखाव आदि की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की होती है।

बाढ़ों के कारण हुई संपत्ति आदि की क्षति संबंधी आंकड़ों का रखरखाव भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

अमरीका का दौरा

494. श्री रामशकल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ बातचीत हुई; और

(ग) इस बातचीत के परिणामों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 20 से 26 अक्तूबर 1999 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कार्यकारी सैक्रेटरी आफ स्टेट श्री स्ट्रोब टालबोट, कार्यकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जेम्स स्टेन्बर्ग, सैक्रेटरी आफ कामर्स श्री विलियम डाले, राजदूत श्री चारलेने बारशेवस्की, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि से बातचीत की।

(ग) उन्होंने अमरीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों और पाकिस्तान में सैन्य विद्रोह सीमापार के आतंकवाद और उससे उत्पन्न भारत की सुरक्षा चिन्ताओं सहित क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा की। उन्होंने सिएटल, अमरीका में होने वाली आगामी विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन संबंधी मसलों पर भी बातचीत की। इस यात्रा से भारत और अमरीका के बीच इन मसलों पर आपसी सूझबूझ आगे बढ़ी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

495. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **श्रम एवं नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्र के सभी बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कुल कुशल/अकुशल तथा शिक्षित बेराजगारों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन की भूमिका को परिभाषित किया गया है; और

(च) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों को भी परिभाषित किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालय ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से रोजगार चाहने वालों को पंजीकृत करते हैं। जून 1999 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या 40.59 मिलियन थी, जिनमें से 23.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों से है।

(ग) और (घ) आंकड़े रखे नहीं गए हैं। तथापि 31.12.96 की स्थिति के अनुसार रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या का शिक्षा–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) स्वरोजगार के मामलों में जब भी आवश्यक

समझा जाए, रोजगार कार्यालय, मामलों को स्वयंसेवी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों को भेज सकते हैं।

विवरण

31.12.1996 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्तर पर शिक्षित रोजगार चाहने वालों (मैट्रिक व उससे ऊपर) की संख्या

(हजार में)

क्रमांक	शैक्षणिक स्तर शाखाएं	चालू रजिस्टर पर संख्या पुरूष	महिलाएं	योग
1.	मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा पास	11183.1	3346.6	14529.7
2.	हायर सैकेण्डरी इन्टरमीडिएट तथा स्नातक पूर्व या 12वीं पास	4820.5	1422.7	6243.2
3.	स्नातक तथा स्नातकोत्तर			
I	कला	1272.6	603.3	1875.9
II	विज्ञान	567.9	232.5	800.4
III	वाणिज्य	561.8	144.7	706.5
IV	अभियान्त्रिकी	155.0	16.4	171.4
V	चिकित्सा	21.8	10.1	31.9
VI	पशु चिकित्सा	3.6	0.8	4.4
VII	कृषि	29.5	3.0	32.5
VIII	विधि	12.5	2.6	15.1
IX	शिक्षा	365.8	314.2	680.0
X	अन्य	107.7	66.6	174.3
	योग	3098.2	1394.2	4492.4
	कुल योग	19101.8	6163.5	25265.3

[अनुवाद]

जल प्रबन्धन

496. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री ब्रजमोहन राम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई और अन्य प्रयोजनों हेतु देश में जल संसाधनों का इष्टतम दोहन करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में जल की समस्या को हल करने के लिए वर्षा जल के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्षा जल को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु देश में विकसित की जा रही तकनीक का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल, राज्य का विषय होने के कारण उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग के लिए विभिन्न स्कीमों को तैयार करने, उनकी आयोजना करने और उनका निष्पादन का कार्य राज्य सरकारों का है। चूंकि मानसून के दौरान नदियों में अत्यधिक जल उपलब्ध होता है इसलिए गैर–मानसूनी महीनों के दौरान जल के उपयोग के लिए उस जल का भण्डारण करना आवश्यक है। अतः जल के अधिकतम उपयोग के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बडी संख्या में वृहद और मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं और अब तक 177 बी. सी. एम. क्षमता के वास्तविक भण्डारण (लाइव–स्टोरेज) का सृजन किया गया है।

(ग) जी हां, जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, परती भूमि विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/ स्कीमों के अन्तर्गत जल विभाजक प्रबंधन और जल संचयन तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। इन तकनीकों में चेक बांधों का निर्माण, परकोलेशन टैंक, कूप पुनर्भरण (वेल रिचार्जिंग), कन्टूर और नाला बांधना आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों से भूमि कटावों में कमी, नमी का स्वस्थाने संरक्षण, जल का भूमि के अन्दर प्रवेश और उसके परिणामस्वरूप भू–जल पुनर्भरण होता है।

(घ) वर्षा के जल को भू–जल पुनर्भरण के लिए जल भृतों में भरने से पहले सेटिंग–टैंकों और फिल्टरेशन द्वारा शुरू किया जाता है। तत्काल उपभोग के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल को भण्डारण टैंकों में एकत्र किया जाता है। इस जल को फिल्टर करके तथा क्लोरीनीकरण द्वारा मानव उपयोग के लायक बनाया जा सकता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों में नैमित्तिक कर्मचारी

497. श्री टी. एम. सेलवागनपति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पासपोर्ट कार्यालयों में नैमित्तिक आधार पर कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) 31 अक्तूबर 1999 की स्थिति के अनुसार पांच सौ उन्तालीस (539)।

(ख) और (ग) जी हां। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सामान्य अनुदेशों तथा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार जब भी ग्रुप घ के नियमित पदों को भरा जाता है तब पात्र नैमित्तिक कामगारों को उपलब्ध पदों पर नियमित किया जाता है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

498. श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :

श्री किरीट सोमैया :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक केन्द्र सरकार के पास सिंचाई परियोजनाओं के कुल कितने प्रस्ताव, परियोजनावार और राज्यवार लंबित है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और उक्त प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने की लक्षित तिथि क्या है एवं उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में होने वाले विलम्ब के राज्यवार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों, विशेष रूप से हाल के समुद्री तूफान से प्रभावित राज्यों के लिए निधियां प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में कोई छूट प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है; और

(च) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त 163 परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा उनकी अनुमानित लागत और मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चक्रवात से प्रभावित राज्यों को निधियां/सहायता नहीं दी जाती है।

(च) सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य द्वारा तत्परता से विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पिणयों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	अनुमानित लागत (करोड़)	श्रेणी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	पुलीचिन्ताला सिंचाई परियोजना (वृहद)	506.20	ख
2.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण (वृहद) ई. आर. एम.	659.16	ख
3.	भीमा लिफ्ट सिंचाई (वृहद)	744.00	ख
4.	श्री राम सागर चरण (वृहद)	697.70	ख
5.	एस आर एस पी(वृहद) से बाढ़ प्रवाह नहर	1331.00	ख
6.	जुराला (वृहद)	545.82	ख
7.	छागलनाडु लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वृहद)	43.05	घ
8.	वम्सधारा फेज I चरण II (वृहद)	555.55	क
9.	पेद्देरु जलाशय (मध्यम)	26.23	ख

1	2	3	4
10.	पलेमवागू (मध्यम)	29.13	ख
11.	वल्ली गल्लू जलाशय (मध्यम)	131.82	क
12.	येर्रावागु (मध्यम)	7.73	क
13.	सुद्दावागू (मध्यम)	56.48	क
14.	पेद्दावागु (मध्यम)	202.60	क
15.	सूरमपलेम जलाशय (मध्यम)	46.70	क
	असम		
16.	पगलादिया बांध (बहुउद्देशीय)	547.69	ख
17.	बूरीसुती सिंचाई स्कीम (मध्यम)	34.70	ख
18.	गरुफेल्ला सिंचाई स्कीम (मध्यम)	36.35	क
19.	देवपानी परियोजना (मध्यम)	29.77	क
	बिहार		
20.	पुनासी जलाशय (वृहद)	221.65	ख
21.	सुवर्ण रेखा (बहुउद्देशीय)	1428.82	ख
22.	अजोय बराज/सिकतिया बराज (वृहद)	248.10	ख
23.	पुनपुन–मोहर–दरधा सिंचाई स्कीम (वृहद)	68.92 85.66	क
24.	कदवान जलाशय परियोजना (वृहद)	1111.14	क
25.	तिलैया धाधर (वृहद)	301.79	क
26.	अपरसकरी जलाशय (वृहद)	437.94	ख
27.	कन्हर जलाशय परियोजना (वृहद)	1015.76	क
28.	उत्तर कोयल जलाशय (वृहद)	836.11	क
29.	कोनार सिंचाई (वृहद)	350.551	क
	गुजरात		
30.	माचू–I (वृहद) का आधुनिकीकरण–ई आर एम	8.12	ख
31.	बकरोल डब्ल्यू आर परियोजना (मध्यम)	23.90	क
	हरियाणा		
32.	पश्चिमी यमुना सम्पर्क चैनल (वृहद)	28.41	क
33.	खेत पुराली बांध परियोजना (मध्यम)	16.92	क
34.	सतलुज यमुना सम्पर्क नहर (वृहद)	61.76	ख
35.	लघु (आर आई डी एफ–I) (वृहद) के निर्माण व विस्तार का प्रस्ताव – ई आर एम	60.08	क
36.	लघु और बाढ़ परियोजना कार्यों (आर आई डी एफ–II) (वृहद) के निर्माण और विस्तार के लिए प्रस्ताव–ई आर एम	81.00	क
	हिमाचल प्रदेश		
37.	रेनुका बांध (बहुउद्देशीय)	1224.64	ग
38.	सिधाता सिंचाई स्कीम (मध्यम)	40.63	ख
39.	चंगेर क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई स्कीम (मध्यम)	28.37	ख
40.	बाल्ह घाटी बायां तट सिंचाई	41.46	क
	जम्मू एवं कश्मीर		
41.	दादी नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण–विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	10.91	क
42.	इगो फे स्कीम (मध्यम)	32.96	क
43.	नई प्रताप नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण (ई आर एम)	10.94	क
44.	रफियाबाद सिंचाई नहर (मध्यम)	30.00	क
45.	कथुवा नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण–विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ईआरएम)	12.00	क
46.	जैंगीर नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ईआरएम)	10.07	क
47.	नन्दी नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण–विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	6.61	क
48.	कांदी नहर परियोजना (मध्यम)	43.07	क
49.	लाल नहर परियोजना (मध्यम) का आधुनिकीकरण–विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ईआरएम)	37.05	क

1	2	3	4
50.	अहजी नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण– विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	7.96	क
51.	लाल नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण– विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	6.63	क–
52.	सोनामन नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	4.58	क
53.	मावखुल (मध्यम) का आधुनिकीकरण– विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	7.00	क
54.	मारतंड (मध्यम) का आधुनिकीकरण– विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	17.72	क
55.	दाबनहर मंडसबाल (मध्यम) का रिमाडलिंग विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई आर एम)	5.40	क
56.	बबुल नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण	4.77	क
	कर्नाटक		
57.	अपर तुंगा परियोजना (वृहत) मिट्टी का बांध एवं बायां तट नहर	556.00	क
58.	अपर कृष्णा चरण–II (बहुउद्देशीय) अलमट्टी की ऊँचाई बढ़ाना, नारायणपुर बाँध से दायां तट नहर, अलमट्टी और नारायणपुर आदि से अग्रतट लिफ्ट स्कीमें)	2786.17	क
59.	मारकंड चिनाई बांध एवं दोनों तटों पर नहर (वृहत)	134.53	क
60.	सिंगतालुर (हुलिगुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम (वृहत)	123.00	क
61.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (मध्यम)	9.36	क
	केरल		
62.	इदमलयार सिंचाई परियोजना (दोनों तटों पर नहर प्रणाली के साथ मिट्टी का बांध (वृहत)	107.00	ख
63.	कारापार–कुरियार कुट्टी (बहुउद्देशीय परियोजना) (ओजी–टाइपस्पिलवे के साथ चिनाई गुरूत्वाकर्षण बांध दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	231.03	क
64.	अट्टापाडी सिंचाई परियोजना (मध्यम) (उर्ध्वाधर लिफ्ट रूपी स्फिलवे के साथ मैसनरी बांध, दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	83.67	क
	मध्यप्रदेश		
65.	वाण सागर एकक–II (नहर) (वृहत)	344.66	ख
66.	वार्गी बहुउद्देशीय परियोजना (वृहत)	566.34	ख
67.	कोलार परियोजना (वृहत)	139.14	ख
68.	थानवर टैंक (वृहत)	24.38	ख
69.	पेंच व्यपवर्तन (वृहत)	184.04	ख
70.	माहन (वृहत)	39.00	ख
71.	ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (वृहत)	1784.29	घ
72.	राजघाट नहर (वृहत)	309.21	ख
73.	अपर नर्मदा परियोजना (वृहत)	211.92	क
	महाराष्ट्र		
74.	दुधगंगा सिंचाई (वृहत)	204.58	ख
75.	वर्ना सिंचाई (वृहत)	337.81	ख
76.	कोयना कृष्णा लिफ्ट सिंचाई (वृहत)	259.10	ख
77.	अरूणावती नदी परियोजना (वृहत)	66.48	ख
78.	बावनथाडी सिंचाई (वृहत)	161.58	घ
79.	पुनाड सिंचाई (वृहत)	29.22	ख
80.	लोवर वुन्ना परियोजना (वृहत)	87.55	ख
81.	ह्यूमन नदी परियोजना (वृहत)	168.15	क
82.	लोवर वर्धा (वृहत)	61.99	क
83.	गुंजावनी (वृहत)	86.77	क
84.	संगोल शाखा नहर (वृहत)	44.00	ख
85.	तिल्लरी सिंचाई परियोजना (वृहत)	256.00	घ
86.	तालम्बा सिंचाई परियोजना (वृहत)	289.09	ख
87.	लेंडी सिंचाई परियोजना (वृहत)	177.615	क
88.	साकोल (मध्यम)	10.88	ख
89.	रैगांवन (मध्यम)	9.51	ख

1	2	3	4
90.	जैम सिंचाई (मध्यम)	43.83	ख
91.	मसालगा (मध्यम)	17.47	ख
92.	कार (मध्यम)	44.71	ख
93.	ब्राबमन गांव सिंचाई (मध्यम)	9.55	क
94.	ताजनापुर लिफ्ट सिंचाई (मध्यम)	18.19	क
95.	चन्द्रप्रगा (मध्यम)	71.14	ख
96.	पेंटाकली (मध्यम)	91.87	ख
97.	पुर्ना (मध्यम)	51.97	क
98.	उतवाली (मध्यम)	35.77	ख
99.	हरणघाट लिफ्ट सिंचाई (मध्यम)	12.19	क
100.	किरिमिरी दारूर लिफ्ठट सिंचाई (मध्यम)	4.14	क
101.	वाद्योली बुटे लिफ्ट सिंचाई (मध्यम)	24.98	क
102.	सुलवाडे बैराज (मध्यम)	88.25	क
103.	लाल नाला (मध्यम)	19.05	क
104.	नावाड़गांव (मध्यम)	8.72	ख
105.	रानापुर (मध्यम)	51.16	ख
106.	अपर मंजरा (मध्यम)	40.49	क
107.	सैकी माकर धोकर(मध्यम)	12.47	क
108.	जंगम हाती लिफ्ट सिंचाई (मध्यम)	29.50	ख
109.	पोथर नल्ला (मध्यम)	36.95	क
110.	थिकोत्रा (मध्यम)	89.38	क
111.	लभान सरद (मध्यम)	5.72	क
112.	प्रकाश बैराज (मध्यम)	93.60	क
113.	जम्बरे (मध्यम)	55.72	क
	मणिपुर		
114.	तापी मुख बांध परियोजना (बहुउद्देशीय)	28.99	ख
115.	जिरी सिंचाई (मध्यम)	48.24	घ
	नागालैंड		
116.	डिजुजा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	49.00	ख
	उड़ीसा		
117.	ओंग बांध परियोजना (ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, दायें व बायें दोनों तटों पर नहर प्रणाली (वृहत)	217.73	क
118.	कानपुर सिंचाई परियोजना (वृहत)	330.896	ख
119.	मनजोरे (मध्यम) (ओजी टाइप स्पिल वे युक्त मिट्टी के बांध, दायें व बायें दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	37.70	ख
120.	तेलेनगीर (मध्यम) (ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली)	106.19	ख
121.	रुकुरा (मध्यम) (ओजी टाइप स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, दायें व बायें तट पर नहर प्रणाली	25.21	ख
122.	धौरागोथ (मध्यम) सेन्ट्रल (ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, दायें व बायें दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	14.90	ख
123.	रेत (मध्यम) (ओजी टाइप स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, दोनों साइडों के किनारे पर नहर प्रणाली)	86.14	ख
124.	अपर लेन्थ मध्यम (सेन्ट्रल ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली)	43.50	क
125.	इब सिंचाई परियोजना दायें और बायें दोनों तटों पर कंक्रीट स्पिलवे नहर युक्त कंपोजिट राकफिल बांध (वृहत)	96.60	क
126.	ब्रूतां सिंचाई परियोजना (कंक्रीट स्पिलवे युक्त मिट्टी के बांध, कुआनारिया जलाशय तक संपर्क नहर, कुआनारिया जलाशय के दायें तट पर मुख्य नहर (वृहत)–	188.70	ख
127.	अपर इन्द्रावती विस्तार परियोजना (वृहत)– ई आर एम	136.67	ख
128.	अपर कोलाब विस्तार परियोजना (वृहत) ई आर एम	71.66	ख
129.	समाकोई (मध्यम)	38.41	क

1	2	3	4
130.	चेलिगाडा (मध्यम)	43.05	क
131.	सालकी सिंचाई परियोजना (वृहत) का सुधार	10.80	क
132.	तालाडान्डा नहर प्रणाली और इसकी सहायक नदी सं. 12 (वृहत) का सुधार	57.06	क
	पंजाब		
133.	पंजाब सिंचाई व जल निकाय परियोजना (चरण–III) वृहद	1149.00	क
134.	भाखड़ा मुख्य नहर (वृहद) को ऊपर उठाना – विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण	16.02	ख
135.	होशियारपुर से बालाचौर तक कांडी नहर का विस्तार	147.12	ख
136.	अपर बारी दोआब नहर प्रणाली (मध्यम) चैनलों की रिमाडलिंग–ई आर एम	154.00	क
137.	बादशाही नहर (मध्यम) का आधुनिकीकरण व विस्तार	11.77	क
138.	सतलुज यमुना लिंक नहर भाग–I (वृहद)	601.25	घ
139.	सतलुज यमुना लिंक नहर भाग–III (वृहद) का संशोधित परियोजना प्राक्कलन	185.44	ख
	राजस्थान		
140.	पिपलदा लिफ्ट सिंचाई (वृहद)	11.39	क
141.	भरतपुर जिले में यमुना जल का उपयोग (वृहद)	172.96	क
142.	झुनझुनू जिले में यमुना जल का उपयोग (वृहद)	273.00	क
143.	गंगा नहर (वृहद) का आधुनिकीकरण–विस्तार नवीकरण, आधुनिकीकरण	450.04	क
144.	इंदिरा गांधी नहर चरण–I (वृहद)–विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण	121.92	ख
145.	चाकन सिंचाई (मध्यम)	9.55	ख
146.	पिपलाद सिंचाई (मध्यम)	21.88	क
147.	ग्रारदा सिंचाई (मध्यम)	39.51	ख
	तमिलनाडु		
148.	मद्रास चरण–I को कृष्णा जल आपूर्ति–(बहुउद्देशीय)	176.46	क
149.	इरुकानगुडी जलाशय (मध्यम)	28.70	क
150.	कावेरी डेल्टा चरण–I का आधुनिकीकरण (वृहद)	78.80	ख
	उत्तर प्रदेश		
151.	बीवर फीडर (वृहद)	33.73	ख
152.	मेजा बांध (वृहद) को ऊंचा उठाना–ई आर एम	65.00	ख
153.	बाणसागर नहर (वृहद)	190.27	ख
154.	राजघाट नहर (वृहद)	126.43	ख
155.	कन्हर सिंचाई (वृहद)	341.45	क
156.	किशाऊ बांध (वृहद)	4099.00	क
157.	मौदाहा बांध (वृहद)	125.16	ख
158.	चित्तौड़गढ़ (वृहद)	36.70	ख
159.	बुंदेलखंड (वृहद) में चैनल को पक्का करना–ई आर एम	57.37	ख
160.	आगरा नहर (वृहद) का आधुनिकीकरण–ई आर एम	45.83	क
161.	भुपाली पम्प नहर (वृहद) की क्षमता बढ़ाना–ई आर एम	64.86	क
162.	हथनीकुंड संपर्क नहर (वृहद)	22.49	क
	पश्चिम बंगाल		
163.	कंग्साबती जलाशय (चरण–I) का आधुनिकीकरण (वृहद) ई आर एम	471.90	क

स्थिति :

क. पत्राचार चल रहा है।

ख. सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया एवं टिप्पणियों के आधार पर स्वीकार किया गया।

ग. सलाहकार समिति द्वारा स्थगित किया गया।

घ. निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लंबित।

अवकाश के दौरान मजदूरी का भुगतान

499. डा. जयंत रंगपी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागान में कार्यरत श्रमिक अवकाश/रविवार के दिनों में कार्य करने के स्थान पर मजदूरी की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो यह नीति कब तक क्रियान्वित की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

500. **श्री थावर चन्द गहलोत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी.एल.ए.डी.एस.) के अन्तर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान राशि के दुरुपयोग अथवा इसके उपयोग में अनियमितताओं के संबंध में या स्थानीय जिलाधिकारियों द्वारा इसे अन्य शीर्षों के अन्तर्गत उपयोग किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) योजना के अतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिसमें विद्यालय भवनों, पुस्तकालयों का निर्माण, पेयजल, कर प्रावधान उपमार्गों, छोटे पुलों, क्रीड़ा स्थलों, सामुदायिक केन्द्रों शवदाह गृहों तथा उनके चारों ओर चारदीवारी, सार्वजनिक शौचालयों, नालों, फुटपाथों, बस पड़ावों, का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रावधान शामिल है। योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 2651 करोड़ रु. की राशि खर्च हो चुकी है। व्यय का वर्षवार ब्यौरा जिलों में रखा जाता है।

(ख) और (ग) 01.01.99 से 31.10.1999 की अवधि के दौरान जिला प्राधिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में अनियमितताओं इत्यादि के संबंध में 7 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर हर बार राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाती है तथा उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने की सुझाव दिया जाता है।

[अनुवाद]

भूमि का कटाव

501. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नदियों द्वारा होने वाले अत्यधिक भूमि कटाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार से गंगा, पद्मा और सोन नदियों द्वारा इन राज्यों में होने वाले भूमि कटाव पर काबू पाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश में बाढ़ों के दौरान होने वाला तटकटाव एवं तलकटाव एक स्वाभाविक घटना है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में विभिन्न नदियों पर होने वाले भूमि कटाव संबंधी आंकडों का रख–रखाव नहीं किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के तहत आबंटित निधियों में से नदी–तट सुरक्षा कार्यों के रूप में सुधारात्मक उपायों का अन्वेषण एवं निष्पादन किया जाता है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल में सरकार ने जालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा/पद्मा नदी के कारण हुई तट कटाव संबंधी समस्या का निवारण करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए संघ सरकार को 185 करोड़ रुपये की लागत वाली नौ स्कीमों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संघ सरकार ने अब तक बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य योजना के तहत नियमित आबंटन के अतिरिक्त राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 30 करोड रुपये प्रदान किया ताकि राज्य इन स्कीमों को प्रारम्भ कर सके। बिहार सरकार से केन्द्र सरकार को गंगा और सोन नदियों पर कटावरोधी उपायों के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, केन्द्र सरकार, भारत–नेपाल सीमा पर कोसी और गंडक नदियों पर कटावरोधी उपाय करने के लिए बिहार सरकार को सहायता उपलब्ध करा रही है।

लघु उद्योग

502. डा. वी. सरोजा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु उद्यमियों को धन मिलने में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है, क्योंकि केवल बड़े शहरों और महानगरों में स्थित उद्योगों को ही आसानी से वित्तीय सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को लघु उद्योग बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक जोकि बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ने उन्हें सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लघु उद्योगों को ऋण संस्वीकृत और संवितरित करने में कोई देरी न हो। यह इकाइयों की अवस्थिति को ध्यान किए बिना एक समान रूप से लागू हो।

(ग) छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को दी जा रही ऋण सहायता के आंकडे अलग से नहीं रखे जाते हैं।

समुद्र से भूमि का कटाव

503. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या जल संसाधन मंत्री 3.3.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1107 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तटवर्ती राज्यों को समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु किसी एजेंसी की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को किसी तटवर्ती राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय, यदि कोई हो तो लिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तटवर्ती राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से 1275 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से समुद्री कटावरोधी कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों को राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल किया गया था तथा उन्हें विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों को भेजा गया था। इन मूल्यांकन अभिकरणों ने अपनी टिप्पणियां दी है जिनमें मूल प्रस्तावों को संशोधित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। केरल और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, किसी भी तटीय राज्य ने मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पिणियों की अनुपालना करने के पश्चात संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है जबकि राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल होने की यह पहली शर्त है।

इस्पात का आयात

504. श्रीमती गीता मुखर्जी. : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोयम दर्जे और दोषपूर्ण इस्पात वस्तुओं और दिन प्लेटों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इन वस्तुओं के आयात हेतु न्यूनतम मूल्य कम करने के सरकार के निर्णय से स्थिति और खराब हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) विगत दो–तीन वर्षों में दोयम एवं दोषपूर्ण परिसज्जित इस्पात और टिन प्लेटों की कतिपय मदों के आयात में वृद्धि हुई है। दोयम/दोषपूर्ण इस्पात मदों और टिन प्लेटों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने दिसम्बर 1998 में न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए हैं। गैर–पाटन स्रोतों से इन मदों के औसत निर्यात मूल्य के आधार पर नवम्बर, 1999 से न्यूनतम मूल्य संशोधित कर दिए गए हैं। इस प्रकार घरेलू इस्पात उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अंतरराज्यीय जल विवाद

505. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तारीख के अनुसार निपटारे हेतु लंबित अंतरराज्यीय नदी जल विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न जल विवादों की स्थिति के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो श्वेत पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) अंतर्राज्यीय जल विवाद अर्थात–रावी–ब्यास जल विवाद एवं कावेरी जल विवादों को अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (आई. एस. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1956) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय के लिए अधिकरणों को क्रमशः अप्रैल, 1986 एवं जून, 1990 को भेजा गया। रावी–ब्यास जल अधिकरण ने अपनी फैक्ट फाइन्डिंग रिपोर्ट दिनांक 30.01.1987 को प्रस्तुत कर दी है। पक्षकार राज्यों और केन्द्र सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के खण्ड 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगा। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल के डिपो

506. श्री रामदास आठवले : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मिट्टी के तेल के डिपो के आबंटन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1999–2000 के अंत तक उक्त योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले लोगों को प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रावधान तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) तेल कंपनियों की प्रधान मंत्री की स्व नियोजन योजना के अंतर्गत तेल कंपनियों ने 4,500 से अधिक फुटकर वितरकों के लिए विज्ञापन दिए हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक व्यक्तियों के लाभान्वित होने की प्रत्याशा है।

(ग.) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि बीमा निगम

507. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषि बीमा निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम के संभावित कार्य क्या होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। निगम, फसल बीमा स्कीम के कार्यान्वयन अभिकरण के सभी कार्यकलापों का निर्वाह करेगा।

[हिन्दी]

परमाणु हथियारों का उपयोग न किए जाने संबंधी भारत-चीन प्रतिबद्धता

508. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और भारत ने परमाणु हथियारों का पहले उपयोग न करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों द्वारा किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गलती से परमाणु युद्ध की किसी भी संभावना को समाप्त करने हेतु दोनों देशों द्वारा कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारत ने पहले प्रयोग न करने तथा नाभिकीय हथियार विहीन राज्य के विरुद्ध नाभिकीय हथियारों का प्रयोग न करने की नीति की घोषणा की है। हमने द्विपक्षीय और बहुस्तरीय स्तरों पर पहले प्रयोग करने पर बाध्यकारी करारों पर वार्ता करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है। चीन ने नाभिकीय हथियार संपन्न देशों के विरुद्ध पहले प्रयोग न करने तथा नाभिकीय विहीन देशों एवं नाभिकीय हथियार मुक्त क्षेत्रों पर नाभिकीय हथियार प्रयोग न करने की नीति की घोषणा की है। चीन ने नागिकीय हथियारों का पहले प्रयोग न करने के संबंध में एक करार संपन्न किए जाने के लिए वार्ता आरंभ करने हेतु नाभिकीय हथियार संपन्न राज्यों के बीच वार्ता आरंभ करने का आह्वान किया है।

(ख) अभी तक भारत और चीन के बीच पहले प्रयोग न करने के संबंध में कोई करार संपन्न नहीं हुआ है।

(ग) पारंपरिक क्षेत्र में कई विश्वासोप्पादक उपायों के साथ–साथ भारत और चीन 1993 और 1996 में महत्वपूर्ण समझौतों पर पहुंचे है। भारत और चीन हाल ही में सुरक्षा मामलों पर भी वार्ता की पहल करने के लिए भी सहमत हुए हैं। नाभिकीय क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों पर चीन के साथ अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। भारत की नाभिकीय नीति से अचानक शुरू होने वाले नाभिकीय युद्ध का खतरा कम होता है।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध

509. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विस्थापित किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी कार्य में कितनी प्रगति की गई है और कितने लोगों का अभी पुनर्वास किया जाना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विस्थापित व्यक्तियों की आवंटित भूमि में से अधिकांश भूमि अनाधिकृत लोगों के हाथ में चली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा रोकथाम संबंधी क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) बांध की 90 मीटर ऊँचाई तक 7038 बाढ़ प्रभावित परिवारों में से 5500 बाढ़ प्रभावित परिवारों को बसाया गया है। महाराष्ट्र के 220 बाढ़ प्रभावित परिवारों तथा मध्य प्रदेश के 1318 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भी पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन पैकेज प्रदान कर दिया गया है इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

(ग), (घ) और (ङ) महाराष्ट्र के रोज़वा नामक एक पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन स्थल पर हुए अतिक्रमण का मामला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की जानकारी में आया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि अतिक्रमण का यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है।

फिश फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसियां

510. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंतर्देशीय मत्स्यन के विकास हेतु कितनी "फिश फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसियां" कार्य कर रही हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान इन एजेंसियों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इन प्रशिक्षणों से वर्षवार तथा राज्यवार कितने मछुआरे लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "ताजा जल जलकृषि विकास" के अंतर्गत देश में अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास के लिए 1973–74 के बाद से 422 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षो के दोरान राजसहायता संघटक, कर्मचारियों के वेतन एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा इन एजेंसियों को जारी कुल राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि लाख रुपये में
1996–97	1095.00
1997–98	1494.245
1998–99	798.00

(ग) विगत तीन वर्षों में मत्स्य पालक विकास एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों से लाभान्वित मछुआरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

स्वीकृत मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की सूची

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मा.पा.वि. ए. की सं.	उस जिले/क्षेत्र का नाम जहां मा. पा. वि. ए. स्थापित की गई हैं।
आंध्र प्रदेश	22	करीमनगर, करनूल, मेडक, कृष्णा, नालगेन्द्रा, ईस्ट गोदावरी, वैस्ट गोदावरी, महबूबनगर, निजामाबाद, चित्तौड, खम्मम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विजाग, गंटूर, प्रकाशम, नेल्लौर, वारांगल, अदिलाबाद, अनन्तपुर, गुड्डपा और रंगारेड्डी।
अरुणाचल प्रदेश	02	दो क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसियां (1) ईटा नगर (2) पूर्वी और पश्चिमी सियांग/ तिरप/सुबनसिरी।
असम	23	दारंग, कामरूप, नावगंग, सिवसागर, काचर, लखीमपुर, सोनितपुर, करीमगंज, काबी, अंगलोंग, डिब्रूगढ़, कोकराझाड, धुबरी, बारपेटा, गोलपार, जोरहट, सोंगईगांव, नालबाडी, मोरीगांव, गोलाघाट, तिनसुखिया, धेमाजी, हेलाकांडी और एन. सी. हिल्स डिस्ट्रिकट।
बिहार	49	पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सिवान, गोपालगंज, सारन, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, रांची, हजारीबाग, गया, पूर्णिया, खगडिया, पटना, मधुबनी, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगुसराय, सहरसा, धनबाद, औरंगाबाद, गुमला, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, गिरीहीड, गोंडा, दुमका, भागलपुर, साहेबगंज, देवघर, सिंहबाद, लोहरदंगा, बक्सर, सुपाल, अटरिया, किसनगंज, बका, जामुल, बोकारो, [illegible], गढवा और जमशेदपुर।
गोवा	01	क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसी, पणजी।
गुजरात	17	सूरत, पंचमहल, बुलसर, खेडा, जामनगर, भरूच, सुरेन्द्रनगर, सावरकंठा, बढोदरा, अहमदनद, राजकोट, भावसागर, कच्छ, जूनागढ़, अमरेली, बोनसकंथा और मेहसाणा।
हरियाणा	16	करनाल, रोहतक, सोनीपत, गुडगांव, फरीदाबाद, सिरसा, महेन्द्रगढ़, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, हिसार, भिवानी, जिंद, रेवाड़ी, पानीपत, कैराली और यमुनानगर।
हिमाचल प्रदेश	2	बिलासपुर और मंडी में क्षेत्रीय में मत्स्य पालक विकास एजेंसियां।
जम्मू एवं कश्मीर	2	जम्मू और कश्मीर में दो क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसियां।
कर्नाटक	18	मैसूर, धारवाड, शिंमोगा, कोल्लर, रायचुर, विदरभ, बंगलौर, चिकमंगलूर, हासन, चित्रदुर्ग, बेलगांव, बीजापुर, मदिकेरी, उत्तर कन्नड़, मांडया, तुमकुर औरर दक्षिण कन्नड।
केरल	14	पालघाट, क्वेलोन, त्रिचूर, कन्नानोर, एल्लेपे, त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, मालापुरम, कोजीकोड़, पथानथिट्टा, इडुक्की, वायानन्द और केसरगोड।
महाराष्ट्र	29	नागपुर, चन्द्रपुर, भंडारा, येवतमल, गढ़चिरोली, पुणे, सतारा, संगली, थाणे, सोल्हापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, परभनी, लातूर,

1	2	3
		बीड, अमरावती, बुलधाना, अंकोला, रत्नागिरी, कुलाबा, मुम्बई, नंदियाल, जलगांव, अहमदनगर, नासिक, जलना, उस्मानाबाद, वर्धा, धुलिया।
मध्यप्रदेश	45	रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, रीवा, साहदोल, सिवोनी, बालाघाट, सागर, छत्तरपुर, सतना, जबलपुर, सिधी, शिवपुरी, टीकमगढ, हारगोना, धार, बेतूल, शेहोर, रायसेन, जगदलपुर, (बस्तर), मंडला, दरगूजा, छिंदवाड़ा, भिंड, गूना, ग्वालियर, होशंगाबाद, दमोह, उज्जैन, खंडवा, मंदसौर, देवास, इंदौर, झबुवा, पन्ना, शाजापुर, रत्लाम, मुरेना, दतिया, राजगढ़, विदिशा, नरसिंहपुर और भोपाल।
मणिपुर	08	केन्द्रीय मणिपुर, दक्षिणी मणिपुर, विशनपुर, उखरुल, टिमेंगलौंग, चन्देल, सनेपती और थाउबॉल।
मेघालय	02	शिलॉंग और बाघमरा में दो क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसियां।
मिजोरम	05	आइजोल (ईस्ट), लुंगलाई, छिमतुइफी, आईजो(वेस्ट) और कोलासिव।
नागालैंड	08	क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसियां–कोहिमा, जुनहेबोटो, तेनसंग, मोन, फीक, ओखा, मोकोकचुंग और दीमापुर।
उड़ीसा	30	कटक, पुरी, बालासोर, गंजम, फूलबनी, बोलांगीर, सम्बलपुर, धेंकनाल, मयूरभंज, कालाहाण्डी, कोरापुट, सुन्दरगढ़, क्योंझर, गाजापटी, रायगढ़, नौरंगपुर, मल्कानागिरी, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, खुर्द, नयागढ़, अंगुल, बारगढ़, न्यूपारा, सोनेपुर, झारसुगुड़ा, बौध और देवगढ़।
पंजाब	17	गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, पटियाला, रोपड़, होशियारपुर, भटिंडा, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मंसा, फतेहगढ़–साहेब, मूगा, मुक्तसर और नवशेर।
राजस्थान	15	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बनसवारा, झालवाड़, सवाईमाधोपुर, पाली और श्रीगंगानगर।
सिक्किम	1	गंगटोक में क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसी।
तमिलनाडु	17	तन्जाउर, मदुरई, दक्षिणी आर्कोट, पेरियार, त्रिचुरापल्ली, धर्मपुरी, चंगलपटु, कमारजार, अन्ना, तिरूनलवेली, नार्थ आर्कोट, कन्याकुमारी, मद्रास, पुडुकोटई, पोसमपम्मुथु–रमालिंगम, कटाबोमन और चिन्दमबरानर।
त्रिपुरा	04	पश्चिमी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा और धाला।
उत्तर प्रदेश	56	इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, बांदा, गोण्डा, रायबरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर–खीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी, बहराइच, मेरठ, बदायूं, एटा, अलीगढ़, जालौन, इटावा, आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फर नगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभींत, रामपुर, बिजनौर, मथुरा, फिरोजाबाद, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, मऊ, सोनभद्र, महाराजगढ़, देहरादून

1	2	3
		(गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसी) और नैनीताल (कुमायुं क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसी)।
पश्चिम बंगाल	18	बंगपुरा, नाडिया, हावड़ा, पश्चिमी दिनजपुर, हुगली, बिरभूम, दार्जिलिंग, नार्थ 24–परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, जलपायगुड़ी, बरदुवान, मिदनापुर, पुरलिया, 24–परगना (दक्षिण), दार्जिलिंग जिले और उत्तरी दिनाजपुर का सिलीगुड़ी उपक्षेत्र।
पांडिचेरी	1	कराईकल में क्षेत्रीय मत्स्य पालक विकास एजेंसीयां।
कुल	422	

विवरण-II

वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेंसियों द्वारा ताजा जल जलकृषि विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य*	शून्य*	शून्य*
2.	अरुणाचल प्रदेश	467	1735	305
3.	असम	976	597	1122
4.	बिहार	2909	1497	3422
5.	गोआ	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	806	582	590
7.	हरियाणा	1001	888	1020
8.	हिमाचल प्रदेश	243	152	159
9.	जम्मू और कश्मीर	390	435	466
10.	कर्नाटक	859	873	736
11.	केरल	1863	7346	1211
12.	मध्यप्रदेश	5823	4853	4571
13.	महाराष्ट्र	1371	1251	1345
14.	मणिपुर	1145	646	451
15.	मेघालय	260	299	260
16.	मिजोरम	226	300	शून्य
17.	नागालैंड	2620	3000	2460
18.	उड़ीसा	4655	4874	3713
19.	पंजाब	1441	1374	1388
20.	राजस्थान	404	740	शून्य**
21.	सिक्किम	142	214	157
22.	तमिलनाडु	232	3628	शून्य
23.	त्रिपुरा	2016	370	472
24.	उत्तर प्रदेश	7265	6508	5977
25.	पश्चिम बंगाल	8839	7377	6107
26.	पांडिचेरी	57	343	8
कुल		46010	49882	35940

*1.3.97 से आन्ध्रप्रदेश में मत्स्य पालक विकास एजेंसियों ने काम करना बंद कर दिया।

**15.5.98 से राजस्थान में मत्स्य पालक विकास एजेंसियों ने काम करना बंद कर दिया।

पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

511. **श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के **भवेशी** क्षेत्रों में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर लगाने और पशु स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष ध्यान देने का है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े जिलों के पशु अस्पतालों अथवा पशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में लगे गैर–सरकारी संगठनों को पशु ऐम्बुलेंस मुहैया कराने तथा देश के पिछड़े जिलों, पहाड़ी इलाकों और वन क्षेत्रों में पशुओं के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विशेषकर तमिलनाडु राज्य के किन पिछड़े जिलों के लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) पशुपालन राज्य का विषय है तथा केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पशु

रोगों के नियंत्रण में राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। देश में मुक्त पशुचिकित्सा शिविरों और पशुचिकित्सा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के लिए आयोजन के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के तहत केन्द्र ने तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों को 48 मोबाईल पशुचिकित्सा प्रयोगशालाएं/क्लीनिक मुहैया कराए हैं ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पशु रोग नियंत्रण में इनका उपयोग किया जा सके।

विदेशों में कार्यरत भारतीय मिशन

512. श्री राजैया मल्याला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश–वार कितने भारतीय मिशन कार्यरत हैं;

(ख) ऐसे मिशनों की संख्या कितनी है जिनकी अध्यक्षता गैर–सेवा राजनयिकों द्वारा की जा रही है; और

(ग) विदेशों में देश–वार ऐसे मिशनों की संख्या कितनी है जिनमें अब भी पद रिक्त पड़े हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) इस समय विदेशों में 114 भारतीय मिशन कार्य कर रहे हैं। 26.11.1999 की स्थिति के अनुसार देशवार सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) विदेशों में ऐसे आठ भारतीय मिशन है जिनके प्रमुख गैर–सेवा राजनयिक हैं। 26.11.1999 की स्थिति के अनुसार देशवार सूची विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) विदेशों में इस समय ऐसे तीन भारतीय मिशन हैं जहां मिशन प्रमुख नहीं हैं। 26.11.1999 की स्थिति के अनुसार देशवार सूची संलग्न विवरण–III में दी गई है। इन सभी तीन स्थानों के लिए मिशन प्रमुख का मनोनयन कर लिया गया है तथा उम्मीद है कि वे शीघ्र ही कार्यभार सम्भाल लेंगे।

विवरण-I

26.11.1999 की स्थिति के अनुसार विदेशों में इस समय कार्यरत भारतीय मिशनों की सूची

देश	कार्यालय	मिशन
1	2	3
अल्जीरिया	भारत का राजदूतावास	अल्जीयर्स
अंगोला	भारत का राजदूतावास	लुआंडा
आर्मेनिया	भारत का राजदूतावास	येरेवान
अर्जेंटीना	भारत का राजदूतावास	ब्यूनस आयर्स
आस्ट्रेलिया	भारत की हाई कमीशन	केनबरा
आस्ट्रिया	भारत का राजदूतावास	वियना
अजरबेजान	भारत का राजदूतावास	बाकू
बहरीन	भारत का राजदूतावास	बहरीन
बंगलादेश	भारत का हाई कमीशन	ढाका
बेलारूस	भारत का राजदूतावास	मिंस्क
बेलजियम	भारत का राजदूतावास	ब्रसेल्स
भूटान	भारत का राजदूतावास	थिम्पु
बोत्स्वाना	भारत का हाई कमीशन	गेबरोन
ब्रूनी दारू सलाम	भारत का हाई कमीशन	बदर सेरी बंगावान
बुलगारिया	भारत का राजदूतावास	सोफिया
बुरकीना फासो	भारत का राजदूतावास	उबाडुगु
ब्राजील	भारत का राजदूतावास	ब्रासिलिया
कम्बोडिया	भारत का राजदूतावास	नामपेन्ह
कनाडा	भारत का हाई कमीशन	ओटावा
चिली	भारत का राजदूतावास	सान्तियागो
चीन	भारत का राजदूतावास	बीजिंग
कोलम्बिया	भारत का राजदूतावास	बगोटा
कोटे डी आइवरी	भारत का राजदूतावास	आबिदजान
क्रोएशिया	भारत का राजदूतावास	जगरेब
क्यूबा	भारत का राजदूतावास	हवाना
साईप्रस	भारत का हाई कमीशन	निकोशिया
चेक गणराज्य	भारत का राजदूतावास	प्राग
डेनमार्क	भारत का राजदूतावास	कोपनहेगन
मिस्त्र	भारत का राजदूतावास	काहिरा

1	2	3
फिनलैंड	भारत का राजदूतावास	हेलसिंकी
फीजी	भारत का हाई कमीशन	सूवा
फ्रांस	भारत का राजदूतावास	पेरिस
जर्मनी	भारत का राजदूतावास	बर्लिन
घाना	भारत का हाई कमीशन	अकरा
यूनान	भारत का राजदूतावास	ऐथेन्स
गुयाना	भारत का हाई कमीशन	जार्जटाउन
हंगरी	भारत का राजदूतावास	बुड़ापेस्ट
इण्डोनेशिया	भारत का राजदूतावास	जकार्ता
ईरान	भारत का राजदूतावास	तेहरान
ईराक	भारत का राजदूतावास	बगदाद
आयरलैंड	भारत का राजदूतावास	डबलिन
इजरायल	भारत का राजदूतावास	तेल अबीव
इटली	भारत का राजदूतावास	रोम
जमैका	भारत का हाई कमीशन	किंगस्टन
जापान	भारत का राजदूतावास	टोक्यो
जोर्डन	भारत का राजदूतावास	अम्मान
कजाकस्तान	भारत का राजदूतावास	अल्माती
कीनिया	भारत का हाई कमीशन	नैरोबी
उत्तरी कोरिया	भारत का राजदूतावास	प्योंगयांग
दक्षिणी कोरिया	भारत का राजदूतावास	सियोल
कुवैत	भारत का राजदूतावास	कुवैत
किर्गिजस्तान	भारत का राजदूतावास	बिशकेक
लाओस	भारत का राजदूतावास	वियनतियाने
लेबनान	भारत का राजदूतावास	बेरूत
लीबिया	भारत का राजदूतावास	त्रिपोली
मेडागास्कर	भारत का राजदूतावास	अन्तानानरिवो
मलेशिया	भारत का हाई कमीशन	कुआलाम्पुर
मालदीव	भारत का हाईकमीशन	माले
मारीशस	भारत का राजदूतावास	पोर्ट लुई
मैक्सिको	भारत का हाई कमीशन	मैक्सियो सिटी
मंगोलिया	भारत का राजदूतावास	उलान बटोर
मोरक्को	भारत का राजदूतावास	रबात
मोजाम्बिक	भारत का हाई कमीशन	मापुतो
म्यांमा	भारत का राजदूतावास	यांगोन
नामिबिया	भारत का हाई कमीशन	विन्डहोक
नेपाल	भारत का राजदूतावास	काठमान्डू
नीदरलैंड	भारत का राजदूतावास	दि हेग
न्यूजीलैंड	भारत का हाई कमीशन	विलिंगटन
नाइजीरिया	भारत का हाई कमीशन	लागोस
नार्वे	भारत का राजदूतावास	ओस्लो
ओमान	भारत का राजदूतावास	मस्कत
पाकिस्तान	भारत का हाई कमीशन	इस्लामाबाद
पनामा	भारत का राजदूतावास	पनामा
पपुआ न्यू गिनी	भारत का हाई कमीशन	पोर्ट मोर्सबी
पेरू	भारत का राजदूतावास	लिया
फिलीपींस	भारत का राजदूतावास	मनीला
पोलेण्ड	भारत का राजदूतावास	वारसा
पुर्तगाल	भारत का राजदूतावास	लिस्बन
कतर	भारत का राजदूतावास	दोहा
रोमानिया	भारत का राजदूतावास	बुखारेस्ट

1	2	3
रूसी संघ	भारत का राजदूतावास	मास्को
सउदी अरब	भारत का राजदूतावास	रियाद
सेनेगल	भारत का राजदूतावास	डकर
सेशेल्स	भारत का हाई कमीशन	माहे
सिंगापुर	भारत का हाईकमीशन	सिंगापुर
स्लोवाक गणराज्य	भारत का राजदूतावास	ब्रातिस्लावा
दक्षिण अफ्रीका	भारत का हाई कमीशन	प्रीटोरिया
स्पेन	भारत का राजदूतावास	मेड्रिड
श्रीलंका	भारत का हाई कमीशन	कोलम्बो
सुडान	भारत का राजदूतावास	खारतोम
सूरीनाम	भारत का राजदूतावास	पारामारिबो
स्वीडन	भारत का राजदूतावास	स्टाकहोम
स्विटजरलैंड	भारत का राजदूतावास	बर्न
सीरिया	भारत का राजदूतावास	दमिस्क
ताजिकिस्तान	भारत का राजदूतावास	दुशान्बे
तंजानिया	भारत का हाई कमीशन	दारूसलाम
थाईलैंड	भारत का राजदूतावास	बैंकाक
त्रिनीडाड तथा टोबेगो	भारत का हाईकमीशन	पोर्ट आफ स्पेन
टयूनीशिया	भारत का राजदूतावास	टयुनिस
तुर्की	भारत का राजदूतावास	अंकारा
तुक्रमेनिस्तान	भारत का राजदूतावास	अशकाबाद
उगांडा	भारत का हाई कमीशन	कम्पाला
उक्रेन	भारत का राजदूतावास	कीव
संयुक्त अरब अमीरात	भारत का राजदूतावास	आबु धाबी
यू. के.	भारत का हाई कमीशन	लन्दन
यू एस ए	भारत का राजदूतावास	वाशिंगटन
उजबेकिस्तान	भारत का राजदूतावास	ताशकंद
वेनेजुएला	भारत का राजदूतावास	करासक
वियतनाम	भारत का राजदूतावास	हनोई
यमन	भारत का राजदूतावास	साना
युगोस्लाविया	भारत का राजदूतावास	बलग्रेड
जाम्बिया	भारत का हाई कमीशन	लुसाका
जिम्बाब्वे	भारत का हाई कमीशन	हरारे

टिप्पणी

1. कुल देश 114
2. नीचे दिए अनुसार मिशनों की कुल संख्या 114

राजदूतावास	हाई कमीशन	योग
84	30	114

विवरण-II

26.11.1999 की स्थिति के अनुसार गैर–सेवा राजनयिकों की सूची

क्र.सं.	मिशन	राजनयिक का नाम
1.	फीजी (सूवा)	प्रो. आई. एस. चौहान
2.	लाओस (वियनतियाने)	श्री एस. डी. मुनि
3.	मंगोलिया (उलान बटोर)	श्री कुशोक बाकुला
4.	मोजाम्बिक (मापुतो)	डा. जसपाल सिंह
5.	सउदी अरब (रियात)	श्री एम. एच. अंसारी
6.	त्रिनीडाड तथा टोबेगो	प्रो. परमिल के. दास
7.	टयुनीशिया (टयूनिस)	श्री इशरत अजीज
8.	यू. एस. ए. (वाशिंगटन)	श्री नरेश चन्द्र

विवरण-III

26.11.1999 की स्थिति के अनुसार विदेश स्थित उन मिशनों की सूची जहां मिशन प्रमुख नहीं है।

	देश	मिशन
1.	नाईजीरिया	लागोस
2.	स्पेन	मेड्रिड
3.	यू. के.	लन्दन

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का दुरुपयोग

513. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गई राशि का राज्य सरकारों द्वारा अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले विकास संबंधी कार्यों में स्थानीय संसद सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) संघ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी हटाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को अनेक योजनाओं के अन्तर्गत निधियां आबंटित करती है। निधियां जारी करते समय राज्य सरकारों को, योजना के कार्यान्वयन में दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया जाता है। तथापि जब भी दिशा निर्देशों के अनुपालन न किए जाने के मामलों की सूचना सरकार को प्राप्त होती है, राज्य प्राधिकरणों को सुधारात्मक उपाय करने का सुझाव दिया जाता है।

सांसद स्थनीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत केवल सांसदों की अनुशंसा पर ही जिलाधिकारियों द्वारा कार्य करवाए जाते हैं। भारत सरकार सांसदों की अनुशंसा पर कार्य करवाने हेतु निधियां जिला प्राधिकरणों को सीधे जारी करती है। निधियां राज्य सरकारों को नहीं जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवक

514. श्री ब्रजमोहन राम :

श्री के. मुरलीधरन :

क्या **श्रम एवं नियोजन राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार युवकों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) वर्ष 1999 के दौरान प्रत्येक रोजगार कार्यालय द्वारा कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) 30 जून 1999 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, यह आवश्यक नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, तथा जनवरी व जून 1999 के दौरान नियोजितों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जून के अंत तक चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या तथा जनवरी–जून की अवधि के दौरान रोजगार में नियोजितों की संख्या

(हजार में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियोजन (जन.– जून 1999)	30 जून, 1999 के अंत में चालू रजिस्टर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.1	3159.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	14.7
3.	असम	1.0	1505.6
4.	बिहार	7.4	3233.1
5.	गोवा	0.3	110.3

1	2	3	4
6.	गुजरात	31.1	934.0
7.	हरियाणा	4.0	802.3
8.	हिमाचल प्रदेश	2.6	838.7
9.	जम्मू और कश्मीर	@	163.3
10.	कर्नाटक	9.2	1854.5
11.	केरल	11.5	3912.7
12.	मध्य प्रदेश	2.3	2602.0
13.	महाराष्ट्र	7.3	4213.9
14.	मणिपुर	0.1	374.8
15.	मेघालय	0.1	36.6
16.	मिजोरम	0.1	87.7
17.	नागालैंड	@	34.9
18.	उड़ीसा	2.9	1002.0
19.	पंजाब	0.8	564.7
20.	राजस्थान	2.6	906.9
21.	सिक्किम*	–	–
22.	तमिलनाडु	8.9	4284.0
23.	त्रिपुरा	0.1	270.7
24.	उत्तर प्रदेश	2.2	2643.0
25.	पश्चिम बंगाल	5.5	5625.8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	27.9
27.	चंडीगढ़	0.3	104.5
28.	दादरा और नागर हवेली	–	3.7
29.	दिल्ली	5.2	1150.9
30.	दमन और दीव	@	6.2
31.	लक्षद्वीप	0.1	9.4
32.	पांडिचेरी	–	116.4
	योग	110.9	40594.6

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

@ आंकडे 50 से कम

टिप्पणी : हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा

515. श्री ए. सी. जोस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा भारत की यात्रा किए जाने के संबंध में अमरीकी सरकार से कोई अंतिम सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उस समय होने वाली चर्चा के मुद्दों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) अमरीका की सरकार ने यह कहा है कि राष्ट्रपति क्लिंटन सन् 2000 के शुरू में भारत यात्रा पर आने के इच्छुक हैं। उनकी यात्रा की निश्चित तारीख दोनों पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।

(ग) और (घ) सरकार द्विपक्षीय संबंधों के साथ–साथ क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के सभी पहलुओं पर विचार–विमर्श करेगी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि यह यात्रा पारस्परिक सूझबूझ और सहयोग में सुधार लाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।

परमाणु परीक्षण

516. श्री टी. गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में और भी परमाणु परीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने 11 तथा 13 मई, 1998 को उन्नत डिजायनों की विभिन्न प्रकार की नाभिकीय युक्तियों के पांच सफल परीक्षण करने के बाद आगे और भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोट करने की स्वेच्छा से अधिस्थगित किए जाने की घोषणा की है।

मछुआरों को सहायता

517. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों की पारंपरिक नौकाओं में मोटर लगाने हेतु सहायता देने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इसमें कितने मछुआरे शामिल किए गए हैं तथा केरल राज्य को इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) "पारंपरिक जलयानों का मोटरीकरण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना समुद्र तटीय राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में सातवीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वयनाधीन है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक मत्स्यन सेक्टर का प्रोद्योगिकी रूप से उन्नयन करना तथा उनके मत्स्यन क्रियाकलापों के क्षेत्र को बढ़ाने में उनकी सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को राजसहायता के रूप में वितीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राजसहायता इनबोर्ड मोटर के लिए 12,000/– रुपए तथा आउटबोर्ड के लिए 10,000/– रुपए तक सीमित है। राजसहायता की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर–बराबर वहन की जाती है और संघ शासित प्रदेशों के मामले में पूरी राशि केन्द्र द्वारा वहन की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए निर्धारित आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1996–97	400
1997–98	400
1998–99	300

(घ) केरल राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय राजसहायता की राशि के साथ मोटरीकरण के लिए स्वीकृत पारंपरिक यानों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	मोटरीकरण के लिए स्वीकृत यानों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1996–97	500	25.00
1997–98	500	25.00
1998–99	–––	–––

[हिन्दी]

नंदूरबाड़ में लघु उद्योग

518. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र के नंदूरबाड़ जिले, जो एक आदिवासी जिला है, में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) देश में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए भारत सरकार कई सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दे रही है जैसे – (1) लघु इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना (2) उत्पाद आरक्षण (3) उत्पाद शुल्क रियायतें (4) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से अतिलघु इकाइयों की स्थापना करना (5) औद्योगिक संपदाओं की स्थापना (6) परामर्शी तथा तकनीकी सहायता, आदि। भारत सरकार लघु उद्योगों की स्थापना के लिए जिला वार विकास योजनाएं नहीं बनाती है। यह राज्यों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याण कार्यक्रम

519. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बीड़ी मजदूरों के कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत तेंदु पत्ता चुनने वालों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में लाखों तेंदु पत्ता चुनने वाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का तेंदु पत्ता चुनने वाले व्यक्तियों विशेष रूप से आदिवासियों के कल्याण के लिए कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि देश में तेन्दू पत्ता एकत्र करने वाले दूर–दूर तक फैले हुए हैं और उनकी संख्या काफी अधिक बताई जाती है किन्तु अभी तक किसी भी जनगणना रिपोर्ट में उनका वास्तविक आकार नहीं दर्शाया गया है। कुछ राज्य सरकारें उन्हें विभिन्न प्रकार के कल्याण लाभ उपलब्ध करवाती हैं जिनमें सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है। केन्द्रीय सरकार गरीब परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना का भी प्रस्ताव करती है। इस योजना में आदिवासियों सहित तेन्दू पत्ता एकत्र करने वालों के लिए भी लाभों का प्रावधान है।

प्राकृतिक आपदा

520. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री एच. जी. रामुलू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनाशकारी वर्षा, बाढ़ और चक्रवात ने देश के विभिन्न राज्यों में तबाही मचाई थी;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा इस कारण राज्यवार कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ङ) क्या सरकार ने मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों के आश्रितों के लिए किसी राहत/मुआवजे की घोघणा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त राहत/मुआवजा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या कोई विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार मानसून पूर्व 1999, दक्षिण पश्चिम मानसून 1999 तथा उत्तर–पूर्वी मानसून 1999, की अवधि के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात इत्यादि के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्षति का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) और (च) यह मूल दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय वह प्रत्येक वर्ष आपदा राहत कोष के तहत आबंटित निधियों से राहत, पुर्नस्थापन तथा पुर्नवास संबंधी उपाय करे। वर्ष 1999–2000 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की तीन त्रैमासिक किश्तें सभी राज्यों को निर्मुक्त कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा को अग्रिम रूप में चौथी त्रैमासिक किश्त निर्मुक्त कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा कोष के अलावा विरल किस्म की प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्यों को एक निर्धारित प्रक्रियानुसार सहायता देने पर विचार करने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सृजित किया गया है।

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों से 1999 के दौरान ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ये प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की मात्रा, यदि कोई हो, पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत समिति, केन्द्रीय दलों (जहां भी भेजे गए) की रिपोर्टों तथा उस पर अंतर–मंत्रालयी दल की सिफारिशों के आधार पर विचार करेगी। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित सहायता को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त किया जाता है।

(छ) और (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

मानसून पूर्व–1999 के दौरान भारी वर्षा, चक्रवात इत्यादि से हुई क्षति

क्र. सं.	राज्य का नाम	आपदा तिथि	जिलों की कुल संख्या	प्रभावित जिलों की कुल संख्या	प्रभावित गांवों की सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	फसल क्षेत्र का मूल्य (लाख रु.)	घरों/झोंपड़ियों के क्षति (सं.)	क्षति हुए घरों का मूल्य (लाख रु.)	मानव क्षति (सं.)	पशु क्षति (सं.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	9.5.1999	14	1			0.02			17		1	
2.	गुजरात	17.5.1999	24	3								453	
3.	केरल	4.2.99-9.4.99	14	9	20	55.36		55.36	207.3	2194	46.999	11	
	कुल			13	20	55.36	0.02	55.36	207.3	2211	46.999	465	

दक्षिण–पश्चिम मानसून–1999 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात आदि से क्षति

क्र.	राज्य का नाम	आपदा तिथि	आपदा	जिलों की कुल सं.	प्रभावित जिलों की कुल सं.	प्रभावित गांवों की कुल सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है. में)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है. में)	मकानों झोंपड़ियों को क्षति (सं.)	मानव क्षति सं.	पशु–क्षति सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.6.99	भा.व/भूस्खलन	12	1							
2.	असम प्रथम वेव	24.6.99	भा.व./बा.	23	12	813	1.45	3.39	0.52	126	1	एन. आर
	दूसरी वेव	23.8.99	भा.व./बा.		10	923	1.48	5.37	0.54		2	
3.	बिहार	5.7.99	भा.व./बा.	55	21	3762	6.99	60.16	3.12	21,268	200	12
		22-29.9.99	भा.व./च.वा.		16	8413	0.21	11.49	0.21	166,166	44	1344
4.	गुजरात	16.7-30.8.99	भा.व./बा.	24	15						46	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	जुलाई-अग. 99	भा.व./बा.	12	12	8461		22.05		2224	30	129
6.	कर्नाटक	12.7.99	भा.व./बा.	27	9	85	0.01		0.01	2137	24	117
7.	केरल	25.5-8.10.99	भा.व./बा.भू.–स्ख./व.पा.	14	14	1368				20083	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	मध्य प्रदेश	20.9.1999	भा.व./बा.	45	7	1807	0.62	4.36	0.62	29168	27	654
9.	उड़ीसा	7.8.99	भा.व./बा.	30	7	2486	1.53	17.73	1.53		14	
10.	पंजाब	12.7.99	भा.व./बा.	17	3		0.02		0.02	2	11	
11.	त्रिपुरा	9-12.7.99	भा.व./बा.	4	2		0.2		0.05	4014	16	82
12	राजस्थान	जून-सित. 99	भा.व./बा.	30	15						46	
13.	उत्तर प्रदेश	18.8.99	भा.व./बा./भू–स्खलन.	83	11	620	0.39	1.84	0.33	1023	86	9
14.	पश्चिम बंगाल	25-26.6.99	भू–स्खलन	18	1					10		
		23-26.9.99	भा.व./बा.	18	14			128.48		559527	79	
	कुल					28738	12.9	254.87	6.95	805748	737	2347

भा. व. भारी वर्षा भू–स्ख. भू–स्खलन च. व. चक्रवाती वर्षा

बा. बाढ़ व. पा. वज्रपात

उत्तर–पूर्वी मानसून – 1999 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ व महाचक्रवाती तूफान से हुई क्षति

क्र. सं.	राज्य का नाम	आपदा तिथि	आपदा	जिलों की कुल संख्या	प्रभावित जिलों की कुल संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	घरों/ झोंपड़ियों के क्षति (संख्या)	मानव क्षति (सं.)	पशु क्षति (सं.)	घायल हुए व्यक्तियों की सं.
1.	उड़ीसा	17-18.10.99	चक्रवात	30	4	5181	1.58	37.47	1.58	331000	205	10578	406
		29-30.10.99	महाचक्रवात	30	12	14190	18.42	125.69	18.42	1828000	9866	444000	2507
		कुल				19371	20.00	163.16	20.00	2159000	10071	454578	2913

राष्ट्रीय आपदा

521. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री कोडीकुनील सुरेश :

प्रो. रासासिंह रावत :

श्री नरेश पुगलिया :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कुछ जिलों में महाचक्रवात के कारण हुई बरबादी को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के यदि कोई हो तो मानदंड क्या हैं;

(घ) उड़ीसा में प्रभावित लोगों को दी गई समस्त राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद नियत स्थिति में क्या परिवर्तन होते हैं; और

(च) उड़ीसा राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है तथा किन स्रोतों से उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ङ) किसी भी आपदा को जिसमें 29 अक्टूबर, 1999 को उड़ीसा में आये भीषण चक्रवात भी शामिल है, को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं तैयार किये गये हैं। सर्वप्रथम यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष से किये गये आबंटन से राहत, पुर्नस्थापन और पुर्नवास जैसे कार्यों को पूरा करे। आपदा राहत कोष के अलावा, 10वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों के अनुसार असाधारण तीव्रता वाली आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से भी सहायता जारी की जाती है। 10वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि अतिभीषण तीव्रता वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में निर्णय मामले–दर–मामले के अनुसार लिया जाना चाहिये तथा ऐसा निर्णय लेने में अन्य बातों के साथ–साथ आपदा की तीव्रता और परिमाण जरूरी सहायता के स्तर, समस्या का समाधान करने में राज्य की क्षमता वैकल्पिक व्यवस्थाएं तथा योजना में निहित नम्यता जिससे कि सहायता और राहत कार्य किया जा सके, आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिये। 10वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि यदि किसी आपदा को एक बार भीषण तीव्रता वाली आपदा मान लिया जाता है तो इसका राष्ट्रीय आपदा के रूप में सामना किया जाना चाहिए तथा इसके लिए आपदा राहत कोष स्कीम में किये गये प्रावधान से ज्यादा सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिये। उड़ीसा में आये भीषण चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा माना गया है जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी राहत, पुर्नस्थापन और पुर्नवास संबंधी उपाय किए जा रहे हैं।

(च) इस राज्य को 1999–2000 के लिये आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय हिस्से के रूप में 42.50 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं जिसमें 1.1.2000 को देय चौथी त्रैमासिक अग्रिम किश्त भी शामिल है।, राज्य सरकार से विस्तृत ज्ञापन अभी तक न आ पाने के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से 200.00 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता जारी की जा चुकी है। इस आपदा से जन धन की हुई व्यापक हानि का सामना करने में राज्य सरकार की मदद करने के लिये भारत सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

लघु और कृषि उद्योग को प्रोत्साहन

522. **श्री दिन्शा पटेल** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लघु और कृषि उद्योग के प्रोत्साहन के लिए चल रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना वित्तीय आबंटन किया गया और इस अवधि के दौरान आबंटन का किस हद तक उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार नई योजनाएं तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश के ग्रामीण और पिछड़े जिलों में लघु एवं कृषि उद्योगों के संवर्धन के लिए, सरकार विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम जैसे एकीकृत आधारभूत विकास योजनाएं, लघुतम उद्योगों को लगाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लघु उद्योग सेवा संस्थान के मार्फत उद्यमिता प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तकनीकी कुशलता विकास और टूल रूम आदि कार्यान्वित कर रही है। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इकाइयों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ

किये गये हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देशी एवं आयातित मशीनों को सामान्य भाडा क्रय शर्त पर आपूर्ति करने में सहायता करता है, विपणन एवं निर्यात में सहायता करता है, प्रोटोटाइप मशीनों का विकास करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार खादी एवं ग्रामीण उद्योग निगम (के. वी. आई. सी.) खादी एवं ग्रामीण उद्योग जैसे ग्रामीण रोजगार सृजित कार्यक्रम के विकास के लिए योजना बनाता है, संवर्धन करता है, आयोजित करता है तथा विभिन्न कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करता है।

(ख) लघु उद्योगों के विकास के लिए योजना/कार्यक्रम देश के सभी भागों में एक समान रूप से लागू हैं तथा राज्यवार विशेष रूप से किसी तरह के निधि का आवेदन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इकाइयों को कलस्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम (एन. पी. आर. आई.) अंतिम चरण में हैं।

सरकार प्रति इकाई रु. 10 लाख तक ऋण देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना बनाने पर विचार कर रही है।

मुल्लापेरियार बांध

523. श्री टी. टी. वी. दिनाकरण : क्या जल संसाधन मंत्री मुल्लापेरियार बांध के बारे में 24 फरवरी, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों के बीच मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाने संबंधी विवाद को हल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कौन–कौन से उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मुल्ला–पेरियार बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के संबंध में केरल और तमिलनाडु सरकारों के बीच कोई विवाद नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

524. श्री भीम दाहाल :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में द्वितीय केन्द्रीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के अन्य सदस्यों और प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग के सदस्यों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं तथा आयोग के निवेश पद क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सदस्यों और उन संगठनों का विवरण जिसके वे प्रतिनिधि हैं तथा आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सदस्यों का चयन सरकार, उद्योग, श्रम इत्यादि को दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

विवरण

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के सदस्यों के नाम तथा उन संगठनों के नाम जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं

01. श्री रवीन्द्र वर्मा
अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान,
राउस एवेन्यू, नई दिल्ली

02. श्री बी. आर. सबादे,
कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ स्माल
बिजनेस एंड इंडस्ट्री
पुणे–411009
सेंटर फार बिजनेस एंड इंडस्ट्री
पुणे–411009
माननीय सचिव, पूना प्रभागीय उत्पादकता परिषद,
पुणे–411009
अध्यक्ष, इंटरप्रेनर्स इंटरनेशनल
पुणे–411009

03. श्री सुनील शास्त्री,
विभिन्न संस्थानों से संबद्ध जैसे–अध्यक्ष, लाल बहादुर मेमोरियल फाउंडेशन, लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन के उपाध्यक्ष तथा लखनऊ में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री की याद में लखनऊ में बने इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमैंट के अध्यक्ष आदि।
1, मोती लाल नेहरू प्लेस
नई दिल्ली–110011

04. श्री सुदर्शन सरीन
राष्ट्रीय अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
1 ई/II, स्वामी रामतीर्थ नगर,
झण्डेवालान एक्सटेंशन
नई दिल्ली–110055

05. श्री जी. संजीवा रेड्डी
अध्यक्ष, 'इंटक'
6/बी, एल आई जी एच, बरकतपुरा,
हैदराबाद–500027

06. श्री जितेन्द्र वीर गुप्ता
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय
के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश,
211, सैक्टर 18ए,
चंडीगढ़–160018

07. श्रीमती इला आर. भट्ट
'सेवा' (सेल्फ एम्पलायड वूमन्स एसोसिएशन)
भद्रा, लोकमान्य तिलक बाग के सामने
अहमदाबाद–380001

08. श्री अरविन्द आर. दोषी
अध्यक्ष, द एम्पलायर्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया
अध्यक्ष, प्रीमियर आटो इलेक्ट्रिक लिमि.
अध्यक्ष, प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमि.
चौथा तल, ए–ब्लाक, शिवसागर इस्टेट
वर्ली, मुम्बई–400018

09. श्री हासूभाई दवे, एडवोकेट
बी. एम. एस. ऑल इंडिया जेनरल सेक्रेटरी
थर्ड टर्म 1999 (नागपुर)
अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड
नागपुर–18.01.1999 से

10. श्री एन. सान्याल, भा. प्र. से. (ओ. आर. : 79)
सदस्य सचिव
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विस्तृत विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :–

(i) संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों के सुव्यवस्थीकरण के लिए सुझाव देना, और

(ii) असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के संरक्षण के एक न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून का सुझाव देना।

अपनी सिफारिशों का मसौदा तैयार करते समय आयोग निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :–

(i) उद्योग को शासित करने वाले विभिन्न प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए मई, 1998 में गठित आयोग द्वारा की गई सिफारिश के निहितार्थों पर विचार करना।

(ii) उभर रहे आर्थिक वातावरण जिसमें तेजी से हो रहे प्रोद्योगिक परिवर्तन, उद्योग, व्यापार और सेवाओं में पद्धतियों, समय और कार्य परिस्थितियों में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण, व्यापार तथा उद्योग के उदारीकरण की दृष्टि से अपेक्षित अनुक्रियायें शामिल हैं तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विद्यमान कानूनों को भावी श्रम बाजार की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर देना।

(iii) श्रम संरक्षण और कल्याणकारी उपायों का न्यूनतम स्तर तथा एक ऐसी विधि से उन्हें सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा जो प्रोद्योगिकीय परिवर्तन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक एक लचीले श्रम बाजार और समायोजनों के लिए उत्प्रेरक हो; तथा

(iv) सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी से बंधित उपायों में सुधार करना और मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ा जाना और विशेष रूप से नियोजन में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों और सुविधाओं की प्रभावपरकता में सुधार करना।

[हिन्दी]

सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना

525. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अनेक गांव सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना पर धीमी गति से कार्य होने के कारण पानी में डूबे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996 से आज तक वर्ष वार प्रभावित होने वाले गांवों का ब्यौरा क्या है और उनमें क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का मूल्य कितना है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता और राहत पहुंचाने के लिए क्या–क्या उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार के चांदिल बांध में स्पिलवे के क्रेस्ट स्तर तक जल जमा होने के कारण अठारह गांव जल–मग्नता से प्रभावित हुए हैं।

(ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	जलमग्न गांवों की संख्या		
	आंशिक	पूर्ण	कुल
1996	30	6	36
1997	32	6	38

जल–मग्नता के कारण सम्पत्ति की हुई क्षति के मूल्य से संबंधित आंकड़ों का रख–रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय है। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों की सहायता की जाती है।

लंबित योजनाएं

526. श्री राजो सिंह :

श्री नेपाल चन्द्र दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास लंबित राज्यवार विकास योजनाओं विशेषकर बिहार की विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं बहुत समय से लंबित पड़ी हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) उन विकास स्कीमों को जो योजना आयोग द्वारा सहमत वार्षिक परिव्यय का एक भाग होती हैं, राज्य सरकारों द्वारा किसी और अनुमोदन के बिना ही, सिवाय उन वृहत विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के, जिनके लिए निवेश की दृष्टि से योजना आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, आरम्भ कर दिया जाता है। बिहार सहित किसी भी राज्य की कोई भी विकास, सिंचाई अथवा विद्युत परियोजना योजना आयोग की स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ वार्ता

527. श्री पी. सी. थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से भारत की पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राजनयिक और सैन्य स्तरों पर हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वार्ता प्रभावकारी तथा सफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार के संबंध में पाकिस्तान में असैनिक सरकार को हटा दिए जाने के बाद कोई बदलाव आया है;

(च) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने आपसी सहमति के फैसले या समझौतों का उल्लघंन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (छ) भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त वार्ता की प्रक्रिया सितम्बर 1998 में स्थापित की गई थी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विश्वास उत्पन्न करना, सहयोग का स्थायी आधार तैयार करना तथा सभी अनसुलझे मसलों का समाधान निकालना था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले दौर की बातचीत अक्टूबर–नवम्बर 1998 में इस्लामाबाद तथा नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी। संयुक्त वार्ता की प्रक्रिया को बल प्रदान करने तथा भारत के लोगों की सदभावना पाकिस्तान की जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधान मंत्री ने फरवरी 1999 में लाहौर की यात्रा की थी। उनकी इस यात्रा का दोनों देशों की जनता ने व्यापक रूप से स्वागत किया था।

जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ और आक्रमण न केवल नियंत्रण रेखा का उल्लंघन था बल्कि इससे विश्वासघात भी हुआ है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह पुनः विश्वास प्राप्त करने के लिए सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त करे तथा भारत के विरुद्ध अपना शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार बन्द करे। सैन्य विद्रोह से पूर्व अथवा उसके पश्चात पाकिस्तान के राज्य समर्थित आतंकवाद और भारत विरोधी दुष्प्रचार में कोई कमी नहीं आई हैं।

संगमरमर खान मजदूरों का कल्याण

528. श्री अशोक प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संगमरमर की खानों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में संगमरमर की विभिन्न खानों में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संगमरमर उत्खनन में लगे कामगारों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

किसानों का कल्याण

529. श्री रामशकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के कल्याण के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी हां। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों के कल्याण के लिए कार्यान्वित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. चावल गेहूं तथा मोटे अनाज को कवर करते हुए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।
3. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।
5. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
6. उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की आवाजाही के लिए परिवहन राजसहायता स्कीम।
7. प्याज आलू तथा अन्य कन्द एवं मूल फसलों सहित सब्जी फसल का समेकित विकास।
8. फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास।
9. औषधीय तथा सुगंधित पौधों का विकास।
10. मसालों का समेकित विकास।
11. शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फसलों का समेकित विकास।
12. सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों में सहकारी साख संस्थाओं को सहायता।
13. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष स्कीम।
14. सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित/अत्यल्प विकसित राज्यों में सहकारी विपणन प्रसंस्करण एवं भंडारण कार्यक्रम के लिए सहायता।
15. गैर आपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना।
16. पर्वतीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास।
17. मालावाही पशुओं के विकास एवं संरक्षण के लिए राज्यों को सहायता।

गन्ने का उत्पादन

530. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितनी क्षेत्रफल भूमि में गन्ने की खेती की जा रही है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने की खेती के क्षेत्रफल और इसके उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने गन्ने की खेती के क्षेत्रफल और इसके उत्पादन को बढाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों में गन्ने की खेती के तहत कुल भूमि क्षेत्र का राज्यवार तथा अखिल भारतीय ब्यौरा विवरण पर है।

(ख) और (ग) पिछले वर्षो से गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। हालांकि 1997–98 में इसके तहत क्षेत्र कम हो गया था किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1998–99 में यह फिर से बढ़ गया जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट होता है।

(घ) क्षेत्र वृद्धि की संभावना सीमित है। तथापि, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1995–96 से 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गन्ने के सतत् विकास पर आधारित फसल प्रणाली की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को बैल द्वारा तथा ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले उपकरणों से संबंधित, किसानों के प्रशिक्षण एवं टपका सिंचाई के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गन्ना उत्पादकों को लाभ प्रदान करने वाली स्कीम के अन्य घटक हैं। (1) क्षेत्र प्रदर्शन (2) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (ग) बीज संवर्द्धन। 1999–2000 के बजट प्रावधानों में 2100.00 लाख रुपये (क्रेन्द्र का हिस्सा) की धनराशि रखी गई है।

विवरण

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)					
	1996–97	1997–98	1998–99	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	199.3	192.2	213.8	15030.0	13955.0	16684.6
असम	35.9	31.3	30.6	1490.3	1287.5	1223.6
बिहार	129.6	108.0	107.5	5842.5	4959.9	5218.8
गोवा	1.3	1.3	1.3	58.0	62.4	64.0
गुजरात	165.8	165.0	196.3	11404.3	11836.2	13566.3
हरियाणा	162.0	142.0	125.0	9020.0	7550.0	6880.0
हिमाचल प्रदेश	3.4	3.8	3.3	70.3	139.1	120.2
जम्मू व–कश्मीर	0.2	0.2	0.2	6.5	6.5	6.0
कर्नाटक	282.1	309.8	312.0	23374.4	28332.7	28454.0
केरल	5.9	5.9	5.6	548.1	548.1	406.4
मध्य प्रदेश	45.0	42.3	50.2	1761.4	1631.7	1973.0
महाराष्ट्र	516.2	459.7	529.8	41804.8	38174.3	47151.1
मणिपुर	1.3	0.5	0.5	42.8	15.4	15.4
मेघालय	0.1	0.1	0.1	2.2	2.3	2.0
मिजोरम	1.2	1.3	1.3	7.7	7.5	7.9
नागालैंड	2.5	1.0	1.2	125.0	50.0	68.0
उड़ीसा	23.5	18.7	22.3	1332.1	1144.0	1469.5
पंजाब	173.0	126.0	103.0	11040.0	7150.0	6130.0
राजस्थान	26.7	23.2	22.6	1290.2	1158.7	1076.3
तमिलनाडु	259.6	282.8	347.9	25918.8	30183.6	46672.8

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	1.1	1.1	1.1	55.0	58.0	43.0
उत्तर प्रदेश	2110.6	1985.2	1970.6	125348.4	129266.7	116302.8
पश्चिम बंगाल	24.9	25.8	26.9	1810.3	1825.7	2001.9
अ. नि. द्वीपसमूह	0.3	0.2	0.2	6.7	4.8	4.7
पांडिचेरी	2.6	2.4	2.3	170.2	191.3	181.2
अखिल भारत	4174.1	3929.8	4075.6	277560.0	279541.4	295725.5

[अनुवाद]

सिविल सेवा

531. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सिविल और प्रशासनिक सेवा संघ के अखिल भारतीय परिसंघ ने मांग की है कि राज्य स्तरीय सेवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समानान्तर स्वतंत्र काडर सेवा घोषित किया जाए और दोनों सेवाओं के बीच पदों का समान वितरण किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) क्या सरकार सभी काडर के पदों पर राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के वर्तमान, 33 प्रतिशत के कोटे को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बड़ी और मझोली चालू सिंचाई परियोजनाएं

532. श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री किरीट सोमैया :

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

डा. रघुबंश प्रसाद सिंह :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और राज्यवार उनकी अनुमानित लागत क्या है और प्रत्येक परियोजना की राज्यवार सिंचाई क्षमता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने और विदेशी ऋण उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों ने प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या अधिकांश परियोजनाओं की लागत और समय में असाधारण वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं, और

(ङ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और संशोधित लागत कितनी है एवं इन्हें पूरा करने की राज्यवार और परियोजनावार समयावधि क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) इस समय क्रियान्वित की जा रही 162 वृहद और 240 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा, उनकी अद्यतन अनुमानित लागत, चरम क्षमता और इनमें से उन परियोजनाओं की संख्या जिनकी नौवीं योजना के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है, का विवरण क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान त्वरत सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है और वाह्य अभिकरणों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(ग) से (ङ) यद्यपि लागत और समय में वृद्धि हुई है। तथापि किसी परियोजना का पूरा होना विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे–उसका आकार, भूमि की उपलब्धता, स्वीकृति, भौगोलिक स्थितियां और साथ ही किसी परियोजना को राज्य की प्राथमिकता के अनुसार राज्यों द्वारा आबंटित निधियों का भी उतना ही महत्व है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	एल. ई. सी** (करोड़ रुपये में)	चरम क्षमता (हजार हेक्टेयर में)	परियोजनाओं की संख्या जिनकी नौवीं योजना में पूरा होने की संभावना है।
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	10928.90	1882.54	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	4	417.85	167.89	1
4.	बिहार	14	7591.36	1275.94	1
5.	गोवा	1	678.59	46.06	–
6.	गुजरात	9	23500.92	2107.01	5
7.	हरियाणा	5	1015.51	801.00	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	24.76	–
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	151.18	66.78	1
10.	कर्नाटक	14	11146.89	1718.89	4
11.	केरल	7	1879.50	343.34	4
12.	मध्य प्रदेश	23	10729.65	2552.25	12
13.	महाराष्ट्र	36	15499.72	2517.14	9
14.	मणिपुर	2	540.29	44.67	1
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	10.00	–
17.	नागालैंड	1	111.02	–	–
18.	उड़ीसा	5	4885.10	1066.68	1
19.	पंजाब	1*	3379.53	478.00	1*
20.	राजस्थान	6	4692.81	1348.41	4
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	18	7540.14	4226.67	12
25.	पश्चिम बंगाल	3	2037.41	1558.24	–
	कुल	162+1	106675.15	22236.27	58+1*

*पंजाब की रंजीत सागर परियोजना मूलतः विद्युत परियोजना होने के कारण अलग से दर्शाई गई है।

**अद्यतन अनुमानित लागत (एल. ई. सी.)

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	चरम क्षमता (हजार हेक्टेयर में)	परियोजनाओं की संख्या जिनकी नौवीं योजना में पूरा होने की संभावना है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	521.42	138.03	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	9	160.97	76.58	6
4.	बिहार	29	1097.88	171.52	7
5.	गोवा	1	40.00	11.20	–
6.	गुजरात	9	337.53	51.32	5
7.	हरियाणा	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11.30	2.41	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	223.55	37.76	–
10.	कर्नाटक	15	943.89	76.29	–
11	केरल	5	478.93	55.00	1
12.	मध्य प्रदेश	32	1012.09	245.44	24
13.	महाराष्ट्र	66	2111.44	325.81	24
14.	मणिपुर	2	102.00	1.54	2
15.	मेघालय	1	30.00	5.15	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	10	623.38	108.26	5
19.	पंजाब	1	88.49	–	–
20.	राजस्थान	6	240.24	44.29	2
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	2	103.75	6.74	2
23.	त्रिपुरा	3	154.00	26.72	3
24.	उत्तर प्रदेश	2	54.81	7.65	1
25.	पश्चिम बंगाल	17	90.42	37.63	–
	कुल	240	8426.09	1429.34	102

विवरण-III

संघ सरकार द्वारा वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता

(राशि करोड़ रूपये में)

राज्य	96–97 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता	97–98 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता	98–99 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	35.250	74.000	78.670
असम	5.230	12.400	13.950
बिहार	13.500	14.040	47.825
गोवा	0.000	5.250	0.000
गुजरात	74.773	196.900	423.820
हरियाणा	32.500	12.000	0.000
हिमाचल प्रदेश	0.000	6.500	5.000
जम्मू और कश्मीर	1.300	0.000	0.000
कर्नाटक	61.250	90.500	84.500
केरल	3.750	15.000	0.000
मध्य प्रदेश	63.250	114.500	90.750
महाराष्ट्र	14.000	55.000	50.860
मणिपुर	4.300	26.000	10.780
उड़ीसा	48.450	85.000	71.500
पंजाब	87.500	100.000	0.000
राजस्थान	2.675	42.000	140.050
तमिलनाडु	20.000	0.000	0.000
त्रिपुरा	3.773	5.100	3.975
उत्तर प्रदेश	43.500	78.000	76.500
पश्चिम बंगाल	5.000	20.000	10.000
कुल जोड़	500.000	952.180	1119.180

विवरण-IV

विश्व बैंक तथा ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फंड (ओईसीएफ), जापान से सहायता प्राप्त चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र सं.	परियोजना का नाम	विगत तीन वर्षों (04/97 से 09/99 तक) में प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति
1	2	3
हरियाणा		
1.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	63.52 मिलियन (मि.) अमेरिकी डालर
तमिलनाडु		
2.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	33.66 मि. अमेरिकी डालर
उड़ीसा		
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	74.60 मि. अमेरिकी डालर
4.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	1404.03 मि. अमेरिकी डालर
आन्ध्र प्रदेश		
5.	तीसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	69.66 मि. अमेरिकी डालर
6.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना सिचाई घटक	24.19 मि. अमेरिकी डालर
7.	के. सी. नहर आधुनिकीकरण	370.11 मि. येन
मध्य प्रदेश		
8.	राजघाट सिंचाई परियोजना	1110.54 मि. येन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ब्लू प्रिंट तैयार किया जाना

533. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भूखा–रहित भारत के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने परिदृष्य 2020 का मसौदा तैयार करने की पहल की है, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भूखा–रहित भारत के निर्माण के लिए एक रूपरेखा का कार्य करेगी।

(ख) परिदृश्य 2020 भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली की शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों तथा चुनौतियों के आकलन पर आधारित है। यह परिदृश्य तीन बातों अर्थात (i) विज्ञान के उपयोग (ii) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के प्रबंध (iii) संगठन तथा प्रबन्ध संबंधी सुधार लाने पर आधारित है।

(ग) अनुसंधान के लिए पहचाने गए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं : जैव–विविधता का सरंक्षण तथा सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन, कृषि प्रणालियां, बारानी खेती, फार्म–यंत्रीकरण, विविधीकरण, उत्पादन के बाद प्रबंधन तथा मूल्य वर्धन, प्रिसीजन फार्मिंग, लिंग संबंधी समदृष्टि के बारे में मुद्दे, सामाजिक–आर्थिक तथा नीति विश्लेषण कृषि का भूमंडलीकरण, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान, विस्तार एवं कृषक के बीच सम्पर्क को सुदृढ़ करना। इस कार्यक्रम को वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करने पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रम आयोग

534. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम कानूनों के अध्ययन और श्रमिकों की समस्याएं सुलझाने हेतु सुझाव देने के लिए श्रम आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रम आयोग केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन से संबंधित दिनांक 15.10.1999 के संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। संकल्प में आयोग के गठन, विचारार्थ विषय, कार्यकाल इत्यादि का विवरण दिया गया है।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
श्रम मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 1999

संकल्प

संख्या जैड–20014/8/99–सग.– भारत सरकार ने निम्नलिखित को शामिल करके एक राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित करने का निर्णय लिया है :–

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्र वर्मा

पूर्णकालिक सदस्य

1. डा. बी. आर. सबाडे

अंशकालिक सदस्य

1. श्री सुनील शास्त्री
2. श्री सुदर्शन सरीन
3. श्री जी. संजीव रेड्डी
4. श्री जितेन्द्र वीर गुप्ता
5. श्रीमती इला आर. भट्ट
6. श्री अरविन्द आर. दोषी
7. श्री हासुभाई दवे

सदस्य सचिव

1. श्री एन. सान्याल
2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :–

(क) संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों के सुव्यवस्थीकरण के लिए सुझाव देना, और

(ख) असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के संरक्षण के एक न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून का सुझाव देना।

उपर्युक्त के लिए ढांचे का मसौदा बनाते समय आयोग निम्नलिखित को भी ध्यान रखेगा– .

(i) उद्योग को शासित करने वाले विभिन्न प्रशासनिक

कानूनों की समीक्षा करने के लिए मई, 1998 में गठित आयोग द्वारा की गई सिफारिश के निहितार्थों पर विचार करना।

(ii) उभर रहे आर्थिक वातावरण जिसमें तेजी से हो रहे प्रौद्योगिक परिवर्तन, उद्योग, व्यापार और सेवाओं में पद्धतियों, समय और कार्य परिस्थितियों में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण, व्यापार तथा उद्योग के उदारीकरण की दृष्टि से अपेक्षित अनुक्रियाएं शामिल हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विद्यमान कानूनों को भावी श्रम बाजार की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर देना।

(iii) श्रम संरक्षण और कल्याणकारी उपायों का न्यूनतम स्तर तथा एक ऐसी विधि से उन्हें सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी संस्थागत ढ़ांचा जो प्रोद्योगिकीय परिवर्तल तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक एक लोचनीय श्रम बाजार और समायोजनों के लिए उत्प्रेरक हों; तथा

(iv) सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यनमूनतम मजदूरी से संबंधित उपायों में सुधार करना और मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ा जाना और विशेष रूप से नियोजन में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों और सुविधाओं की प्रभावपरकता में सुधार करना।

3 यह आयोग जैसे ही व्यवहार्य हो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा किन्तु भारत के राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशित होने की तारीख से 24 (चौबीस) माह के बाद नहीं। यदि आयोग उचित समझे जो किसी विशिष्ट (समस्याओं) के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

4. यह आयोग अपनी प्रक्रिया की रूपरेखा स्वयं बनाएगा। यह ऐसी सूचना मांग सकता है और ऐसे लक्ष्य ले सकता है। जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज उपलब्ध करवायेंगे तथा सहायता प्रदान करेंगे जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित समझा जाए।

5. भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, नियोजकों एवं कामगारो के संगठन तथा अन्य सभी संबंधित संगठन इस आयोग को अपना पूरा सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

डॉ. लक्ष्मीधर मिश्रा

सचिव, भारत सरकार

जैड–20014/8/99–सम. नई दिल्ली, दिनांक 15–10–1999

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा सभी संबंधितों के पास इस संकल्प की एक–एक प्रति भेजी जाए।

(डा. लक्ष्मीधर मिश्रा)
सचिव, भारत सरकार

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

535. **डा. वी. सरोजा :** क्या जल संसाधन मंत्री नदियों को जोड़ने के बारे में 3.3.1999 के तारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास योजना आयोग ने देश में नदियों को आपस में जोड़कर अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरित करने के संबंध में सरकार को अपने सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये सुझाव सरकार को कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना ने अपना कार्य 30 सितम्बर, 1999 को पूरा कर लिया है। तथापि यह आयोग अपनी रिपोर्ट 01 दिसम्बर, 1999 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

खाद्यान्नों का उत्पादन

537. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों को छोड़कर इस बार मानसून सामान्य रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानकों के अनुसार देश में मानसून के दौरान कुल वर्षा सामान्य

रही। हालांकि असमान स्थानिक एवं कालीक वर्षा के कारण 35 में से 7 उप प्रभागों नामतः सौराष्ट्र, कच्छ एवं दीयू, तमिलनाडु और पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, केरल, हरियाणा, चंढ़ीगढ़ और दिल्ली, गुजरात क्षेत्र एवं पश्चिम राजस्थान में वर्षा कम हुई।

(ग) और (घ) पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ 1999 का खाद्यान्न उत्पादन 102.7 मिलियन मी. टन आंका गया। इन अनुमानों को 20–21 सितम्बर 1999 को आयोजित राष्ट्रीय रबी अभियान सम्मेलन में राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया गया। खरीफ–1999 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 107.6 मिलियन मी. टन निर्धारित किया गया था।

(ङ) देश में खाद्यान्न का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मंडी एवं मूल्य समर्थन देने के अतिरिक्त सरकार चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना जैसे विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के तहत किसानों को स्थान विशेष उन्नत किस्मों की बीजों तथा बेहतर फार्म उपकरणों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पानी के कुशन उपयोग के लिए छिड़काव सिंचाई प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा, उपर्युक्त फसलों के स्थान विशेष उन्नत किस्मों के तहत वृहत् क्षेत्रों को कवर करने के लिए देश में चावल, गेहूं, कदन्न, (मक्का) के अतिरिक्त) के मिनीकिट कार्यक्रमों की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें भी चलाई जा रही हैं।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी उग्रवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जाना

538. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा अपने सरकारी प्रचार माध्यमों आदि के जरिये तथाकथित स्वतंत्रता सेनानियों अर्थात कश्मीरी उग्रवादियों के संबंध में कश्मीर में तथाकथित मानवाधिकार उल्लंघन की तुलना पूर्वी तिमोर में इण्डोनेशियाई सरकार द्वारा कथित अत्याचारों से किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस संबंध में अमेरिका और जी–8 देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पूर्वी तिमोर और जम्मू तथा कश्मीर की परिस्थितियों की तुलना करने के पाकिस्तान के प्रयास पूर्णतः तर्कहीन हैं। इन प्रयासों को अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है। अमरीकी विदेश विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता से जब ऐसी समानताओं के बारे मे पूछा गया तो उन्होंने उन अनायास समानताओं के विरुद्ध सावधान किया जो लागू नहीं होते जिसमें यह जोड़ा गया कि कश्मीर पूर्वी तिमोर नहीं है।

[हिन्दी]

पेंशन नियम

539. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त कर्मचार की मृत्यु के बाद उसके विकलांग बच्चों को जीवनभर पेंशन पाने में सहायता करने के लिए पेंशन योजना में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 मे कुछ शर्तें पूरी कर लिये जाने पर, दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारी के विकलांग बच्चों को जीवनभर कुटुम्ब–पेंशन का भुगतान किए जाने का प्रावधान पहले से ही है। इसके मद्देनजर, पेंशन–नियमावली में और संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

540. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सूखे से प्रभावित पिछड़े जिलों के गरीब किसानों के लिए उनके कृषि उत्पादों के परीक्षण स्तर में सुधार लाने और शुल्क परिस्थितियों की जांच करने के लिए विशेष रूप से सस्ती दरों पर उर्वरक प्रदान करने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो देश के सबसे पिछड़े जिलों में खेती के स्तर और किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए क्या कार्य–योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) सभी मुख्य उर्वरक, नामतः यूरिया, डाई–अमोनियम फास्फेट, म्यूरिट ओफ पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट और एन. पी. के. मिश्रण उर्वरक देश के सभी किसानों जिसमें सूखा प्रभावित जिलों की पिछडी जातियों के गरीब

किसान शामिल हैं, को बहुत ही अधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध हैं।

(ग) देश में 13 राज्यों में अभिज्ञात सूखा प्रवण जिलों/प्रखंडो में एक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में सूखा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लक्ष्य से कार्यकलापो के जरिए पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयोजन से अभिज्ञात सूखा प्रवण प्रखंडों में पनधारा परियोजना आधार पर कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन पनधारा परियोजनाओं के अधीन शुरू किए गए विकासात्मक कार्यकलाप मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संसाधन विकास और वनरोपण से संबंधित हैं।

बाल श्रम परियोजनाएं

541. श्री राजैया मल्याला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा आन्ध्रप्रदेश में कितनी बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) इन बाल श्रम परियोजनाओं के क्या परिणाम रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत कामकाजी बच्चों के लिए कल्याण परियोजनाएं आरंभ करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को परियोजना लागत के 75% तक की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें अनौपचारिक शिक्षा, अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देखरेख और व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में 950 कामकाजी बच्चों को शामिल करने के लिए अब तक 18 विशेष विद्यालय/केन्द्र 6 स्वयंसेवी संगठनों की संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

बंधुआ मजदूर

542. श्री ए. सी. जोस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य, विशेषकर पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की पृथक-पृथक अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनकी मुक्ति और पुर्नवास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) देश में बंधुआ श्रम की संख्या के केन्द्रीय सरकार के अनुमान राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। 31.3.99 तक इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप 2,80,340 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई है जिसमें से 2,43,375 बंधुआ श्रमिक मुक्त और पुनर्वासित कराए जा चुके हैं। पहचान/मुक्त और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसका क्षेत्रवार विवरण नहीं रखा जाता है।

(ख) 1978 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्लान योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुर्नवास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच 50:50 प्रतिशत अंशदान के आधार पर प्रति बंधुआ श्रमिक 10,000/- रुपए तक की सीमा तक पुनर्दास अनुदान दिया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

	राज्य	वर्ष		
		1996-97	1997-98	1998-99
1.	उड़ीसा	2.37	-	1.75
2.	तमिलनाडु	8.75	300.00	278.90
3.	बिहार	-	-	4.90
4.	उत्तर प्रदेश	-	-	12.45
	कुल	11.12	300.00	298.00

विवरण

बंधुआ श्रमिकों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचान किए गए और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	36,289	29,552
बिहार	13,092	12,368
कर्नाटक	62,727	55,231
मध्य प्रदेश	12,822	11,897
उड़ीसा	49,971	46,843
राजस्थान	7,478	6,217
तमिलनाडु	63,894	51,453
महाराष्ट्र	1,384	1,300
उत्तर प्रदेश	27,726	27,718
केरल	823	710

1	2		3
हरियाणा	544		21
गुजरात	64		64
अरुणाचल प्रदेश	3,526	–	–
कुल	2,80,340		2,43,375

विदेशों में सांस्कृतिक मंडलियों का दौरा

543. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य सरकारों द्वारा राज्य–वार विदेशों में भेजी गई सांस्कृतिक मंडलियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विदेश भेजी गई मंडलियों के प्रत्युत्तर में भारत का दौरा करने वाली सांस्कृतिक मंडलियों का देश–वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) यह सूचना उन सांस्कृतिक मण्डलियों से संबंधित है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा विदेश भेजा गया/प्राप्त किया गया। यह जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

मछुआरों को वित्तीय सहायता

544. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदी के महींनो के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को किन–किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा हैं; और

(घ) इसमें गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य–वार कितने मछुआरे शामिल किए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का बचत–सह–राहत घटक सक्रिय समुद्री मछुआरों को मानसून/कमी वाली अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस घटक के अंतर्गत लाभार्थियों से एक वर्ष में 8 महीने तक 45/– रुपए प्रति माह का अंशदान एकत्र किया जाता है, इतनी ही राशि के केन्द्र तथा राज्य के अंशदान को मिलाकर इस राशि को मानसून/कमी की अवधि के दौरान चार बराबर किश्तों में मछुआरों को बांट दिया जाता है।

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश इस घटक का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत–सह–राहत घटक के अंतर्गत शामिल किए गए मछुआरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों में से प्रतिवर्ष के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत–सह–राहत घटक के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार सहायता।

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
1	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2	अंडमान व निकोबार	120	शून्य	175
3	कर्नाटक	11765	4945	10522
4	केरल	81768	84258	95538
5	उड़ीसा	शून्य	शून्य	187
6	पांडिचेरी	8802	9971	शून्य
7	तमिलनाडु	156945	117805	167045
8	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	259400	216979	273467

ई. एस. आई. अस्पताल और औषधालय

545. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कितने ई एस आई अस्पताल और औषधालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य में 1999–2000 के दौरान उक्त अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय दस कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 135 औषधालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) 1999–2000 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आन्ध्र प्रदेश में पांच नए औषधालय स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। एक नया कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल निर्माण/प्रारंभ की अग्रिम अवस्था में है।

[अनुवाद]

कपास का मूल्य

546. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेशनायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को कपास के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को इसके परिणामस्वरूप भारी घाटा उठाना पड़ा है और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कपास के किसानों की सहायतार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) विभिन्न किस्मों की कपास के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं अतः किसानों को इस समय कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। बहरहाल कपास तथा लिन्ट कपास दोनों के लिए कपास मौसम 1999–2000 के दौरान वर्तमान कपास मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम है। मूल्य कम रहने के कारण हैं:– आपूर्ति का पर्याप्त होना, मिलों की वित्तीय स्थिति के कारण उनसे मांग का कम होना और सस्ता आयात तथा घरेलू बाजार में धागे की मांग कम होना। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य भी अभी घरेलू मूल्यों से कम है। बहरहाल यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा चालू मौसम के लिए कपास एफ 414/एच 777/जे34 के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1575/– रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए थे जो 1998–99 में इन किस्मों के लिए निर्धारित मूल्य से 9.37% अधिक था। इसी प्रकार सरकार द्वारा वर्तमान मौसम के लिए कपास की एच 4 किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1775/– रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो 1998–99 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 7.58% अधिक था। अन्य किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उक्त दो किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इससे सामान्य मूल्य के अन्तर तथा अन्य संबंधित घटकों को भी ध्यान रखा जाता है। कपास के मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए भारतीय कपास निगम कपास की खेती करने वाले राज्यों से कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर करता है। इसके अलावा कपास की खेती करने वाले किसानों को मदद करने के लिए भारत सरकार कपास की खेती करने वाले 9 प्रमुख तथा 2 छोटे राज्यों में संबंधित राज्यों के कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 1971–72 से केन्द्रीय प्रायोजित समेकित कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रमाणित बीजों, उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन छिड़काव यंत्रों, स्प्रिंकलरों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। चालू वर्ष 1999–2000 के दौरान समेकित कपास विकास कार्यक्रम की स्कीमों के लिए 26.87 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास परियोजनाएं

547. श्री भीम दाहाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की कुछ कृषि विकास परियोजनायें स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) जी नहीं।

दुग्ध उत्पादन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

548. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999–2000 के दौरान दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु कोई केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) देश में, विशेषकर बिहार में उक्त योजना के तहत किन–किन जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) पशुपालन और डेयरी विभाग में नौवीं योजनावधि में क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं:–

(1) गोपशु तथा भैंस के आनुवांशिक उन्नयन के सुधार के उद्देश्य से नौवीं योजनावधि के दौरान 402.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय गोपशु

तथा भैंस प्रजनन परियोजना", इस योजना में बिहार सहित सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। जिलों को राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(2) नौवीं योजनावधि के दौरान 20.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय से "ग्राम स्तर" पर नई प्राथमिक डेयरी सहकारिताएं, जिनका उद्देश्य, दूध के लिए लाभकारी बाजार के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करके दूध की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजना में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा जहां ऑपरेशन फ्लड क्रियान्वित किया गया था जिसमें बिहार शामिल है। जिलों के नाम संबंधित राज्य सरकारें प्रस्तावित करेंगी।

[अनुवाद]

श्रम अदालतों में लम्बित मामले

549. श्री अशोक प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रम अदालतों में इस समय राज्यवार कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) इन मामलों के लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) निपटान न होने के मुख्य कारण और शीघ्र निपटान के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:–

(i) प्रक्रियात्मक रुकावटें जैसे सुनवाई के समय प्रभावित पक्षों का अनुपस्थित रहना, दस्तावेज जमा करने के लिए पक्षों द्वारा मांगे गये स्थगन इत्यादि;

(ii) पात्रता प्राप्त और इच्छुक न्यायिक अधिकारियों के उपयुक्त पैनल न होने के कारण समय पर पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियां न भरा जाना;

(iii) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद को शीघ्र भरे जाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(iv) पीठासीन अधिकारियों पर भी उनके केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद के लम्बित मामलों को कम करने की आवश्यकता के संबध में दवाब डाला गया है।

विवरण

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण –सह–श्रम न्यायालय	31.10.99 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की संख्या
1.	आसनसोल	302
2.	बंगलौर	396
3.	कलकत्ता	189
4.	चंडीगढ़	1372
5.	संख्या 1 धनबाद	1258
6.	संख्या 2 धनबाद*	1171
7	जबलपुर*	1598
8.	कानपुर	694
9.	संख्या 1 मुम्बई	188
10.	संख्या 2 मुम्बई	274
11.	नई दिल्ली	888
12.	जयपुर	177
	कुल	8507

*31.8.1999 की स्थिति के अनुसार।

*31.8.1997 की स्थिति के अनुसार।

शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए सैटेलाइट

550. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु सैटेलाइट संचार व्यवस्था के प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए कई पायलट कार्यक्रम आयोजित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक आरंभ किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों से अब तक क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट पर प्रशिक्षण और विकास संचार चैनल (टी. डी. सी. सी.) के माध्यम से राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए दूरवर्ती शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। टी.डी.सी.सी. चैनल का महीने में औसतन लगभग 20–25 दिनों तक उपायेग किया जा रहा है। दूरवर्ती शिक्षा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), अखिल भारतीय प्रबंध एसोसिएशन (ए. आई.एम.ए.) और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जलविभाजक प्रबंध, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) संबधित एजेंसियों तथा इसरो द्वारा इन कार्यक्रमों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इन कार्यक्रमों से प्राप्त परिणाम नियमित उपस्थिति, महत्वपूर्ण ज्ञान का अर्जन और उच्च अन्योन्यक्रियाशीलता दर्शाते हैं। राज्य सरकारों ने उपग्रह आधारित प्रशिक्षण से अपनी सन्तुष्टि के बारे में इसरो को सूचित किया है।

इस्लामी उग्रवाद के कारण भारत, रूस और चीन एक साथ

551. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य और दक्षिणी एशिया में इस्लामिक कट्टरवाद के प्रचार–प्रसार से भारत, रूस और चीन एक दूसरे के नजदीक आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तीनों ही देशों ने इस बात को महसूस किया है कि इस क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरवाद के निरंतर प्रचार–प्रसार से विकास कार्यों में भारी कमी आयेगी और अंततोगत्वा यह कट्टरवाद उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या रूस और चीन के प्रधानमंत्रियों ने इस बात को महसूस किया है कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है और उन लोगों ने इस्लामिक कट्टरवाद जिससे भारत पहले ही प्रभावित है, के प्रचार–प्रसार के बारे में भारत के भय को भी स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो मध्य और दक्षिणी एशिया में इस्लामिक कट्टरवाद के प्रचार–प्रसार और विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए इन देशों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) भारत लम्बे समय से विदेश से मिल रही सहायता और उकसाए जा रहे उग्रवाद और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद से पीड़ित रहा है। रूसी परिसंघ की सरकार विशेष रूप से अपने दागेस्तान और चेचन्या के उत्तरी काकेसियन गणराज्यों में इसी प्रकार के खतरों का सामना कर रही है। चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित आतंकवाद के बारे में अपनी चिन्ता अभिव्यक्त की है।

भारत और रूसी परिसंघ ने 30 जून, 1994 को बहुवादी राज्यों के हितों के संरक्षण से संबंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। घोषणा में राज्यों को बढ़ते हुए खतरे और आक्रामक राष्ट्रवाद, धार्मिक और राजनीतिक उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद की ताकतों से स्थापित व्यवस्था का आकलन किया गया है। घोषणा में, दोनों देशों ने विधि द्वारा स्थापित और अपने–अपने संविधानों में निर्दिष्ट एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता के लिए अपने समर्थन को भी दोहराया है।

भारत और रूसी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद, धार्मिक उग्रवाद और अतिवाद से उभरते हुए गंभीर खतरे से निपटने के लिए अपने प्रयासों में एक–दूसरे को समर्थन दिया है। दोनों देशों ने सामंजस्यूर्ण संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता और इस बुराई को विश्व से दूर करने में ठोस कार्यवाही करने पर बल दिया है।

चीन के साथ आपसी हित–चिन्ता के विभिन्न मसलों पर, जिनमें सार्वभौमिक समस्याओं के मसले भी शामिल हैं, हम विचारों का आदान–प्रदान कर रहे हैं।

कृषि/उद्योग उत्पादों के निर्यात की संभावना

552. **डॉ. वी. सरोजा** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उद्योग उत्पादों की निर्यात क्षमता का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) कृषि उद्योग क्षेत्र मे गत तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यात का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री एवं बागवानी उत्पादों सहित कृषि एवं खाद्य मदों को कुल निर्यात निम्नलिखित है:–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1996–97	23638.57
1997–98	24626.16
1998–99	25224.64

कारगिल संघर्ष की समाप्ति के पश्चात् की रणनीति

553. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कारगिल संघर्ष की समाप्ति के पश्चात् जहां तक पाकिस्तान के साथ संबंधों का प्रश्न है, कोई नई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह विचार है कि कारगिल संघर्ष की समप्ति के पश्चात् दोनों देशों के बीच बातचीत हेतु पाकिस्तान एक सुचारु वातावरण बनाने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करने हेतु विदेशी देशों का साथ दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने तब तक आगे और कोई बातचीत नहीं करने की अपनी असमर्थता व्यक्त की है जब तक कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद संबंधी गतिविधियां रोक नहीं देता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति सिद्धांतगत और युक्तिसंगत है। भारत पाकिस्तान के साथ शान्ति, मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंध बनाना चाहता है। यही कारण है कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ सद्भावना और विश्वास विकसित करने, सहयोग का स्थायी ढांचा तैयार करने और शांतिपूर्ण, द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से बकाया मसलों को हल करने के उद्देश्य से ठोस वार्ता प्रक्रिया प्रस्थापित करने की पहल की है। फरवरी, 1999 में प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा की ऐतिहासिक पहल से इस नीति को और मजबूती प्रदान की गई थी। तथापि, जम्मू और कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की घुसपैठ और सशस्त्र आक्रमण से भारत के प्रति पाकिस्तान के बैरभाव और विश्वासघाती होने का पता चला है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जम्मू और कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर सीमा पार से आतंकवाद चलाने और उकसाने में निरंतर लगा हुआ है। हमने पाकिस्तान से भारत में सीमा पार से आतंकवाद चलाए जाने संबंधी अपनी कार्यवाही को बन्द करने और भारत विरोधी दुष्प्रचार रोकने का अनुरोध किया है। ये अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अनिवार्य तत्व हैं।

न्यूट्रान बम के लिए प्रौद्योगिकी

554. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1999 के इंडियन एक्सप्रेस में 'चाइना अनवील्स न्यूट्रोन बाम्ब टेक ब्लास्ट्स यू एस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया विशेष रूप से इस उप–महाद्वीप के शांति और विश्वशांति के सदर्भ में क्या है; और

(ग) इस मुद्दे पर अन्य परमाणु शस्त्र राज्यों सहित अमेरिका और ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां। अमरीकी नाभिकीय शस्त्र प्रयोगशालाओं में चीन द्वारा जासूसी के आरोपों के संदर्भ में चीन की सरकार ने एक संवर्धित विकिरण शस्त्र (न्यूट्रान बॅम्ब) बनाने की क्षमता सहित अपने नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम का चुनींदा ब्यौरा प्रकाशित किया था।

(ख) सरकार इस क्षेत्र तथा इसके बाहर के सामरिक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर सावधानीपूर्वक निगाह रखती है। सरकार अपनी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावकारी ढंग से रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

(ग) अमरीका ने कहा है कि चीन की नाभिकीय क्षमता किसी से छिपी नहीं है और यह घोषणा कोई आश्चर्यजनक नहीं थी। यू.के. का कहना है कि यह समझना कठिन है कि ऐसे शस्त्रों का विकास नाभिकीय शस्त्रों के सार्वभौमिक उन्मूलन में किस प्रकार सहायक होगा। रूस और फ्रांस ने इस संबंध में कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

जाली जाति प्रमाण पत्र

555. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर जाली जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति के कुछ मामले गत दो वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण् उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) अभिकथित जाली प्रमाण--पत्रों के आधार पर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के छिटपुट मामले इस विभाग के ध्यान में लाए गए हैं। संबधित मंत्रालयों/विभागों को ऐसे अभिकथित जाली प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करने तथा इस बारे में मौजूद हिदायतों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, जिनमें ऐसे जाति–प्रमाण–पत्रों के जाली पाए जाने की स्थिति में इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान है।

खतरनाक पदार्थ

556. **श्री पी. डी. एलानगोवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे उर्वरकों में व्याप्त जहरीली, खतरनाक पदार्थों के नकारात्मक और अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उर्वरकों में मिलावट को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं जिसके कारण केवल किसानों पर नहीं बल्कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनरायण राव) : (क) और (ख) आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में यह कहा गया है कि देश में किसानों को वही उर्वरक बेचे जाएं जो उक्त आदेश की अनुसूची–1 में यथा निर्धारित गुणवत्ता मानदण्डों के अनुरूप हो। निर्धारित मानकों में उर्वरकों में अशुद्धियों की अधिकतम अनुमत्य सीमा भी शामिल होती है। उक्त आदेश में अन्य बातों के अलावा उन उर्वरकों का विनिर्माण/बिक्री प्रतिबंधित है, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप न हों। इस प्रकार उर्वरक में यदि किसी विषाक्त अथवा खतरनाक पदार्थ की मिलावट की गई हो तो उसे किसानों को बेचे जाने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकारों को, जो प्रवर्तन अभिकरण हैं, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985/आवश्यक जिन्स अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। उर्वरकों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए देश में 64 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। राज्य सरकारों को समय–समय पर सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाएं और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए कार्रवाई करें एवं विनिर्माताओं/व्यापारियों से नमूने लेते रहें ताकि उर्वरक गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

शीत गृहों का संवर्धन

557. **श्री राजैया मल्याला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शीत गृहों की स्थापना को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी हां। कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी फसलों की कटाई पश्चात् अवसंरचना के प्रबंध पर समेकित परियोजना की स्कीम क्रियान्वित करता रहा है, जिसके अधीन कटाई पश्चात् अवसंरचना सुविधाओं, जिसमें पूर्व शीतन यूनिटों/ शीत भंडारों और शीतागारों के सृजन के लिए सुगम ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी सहकारी क्षेत्र में शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक स्कीम है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस स्कीम का एक घटक बागवानी उत्पाद और अन्य मदों की शीत श्रृंखला सुविधाओं और शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देना है। शीतागारों और भंडारों के विकास पर मुख्य रूप से जोर देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1999–2002) के दौरान क्रियान्वयन के लिए बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में पूंजी निवेश राजसहायता की स्कीम का अनुमोदन किया है। पूंजी निवेश राजसहायता की स्कीम लागू होने के बाद शीतागार घटक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की चालू–स्कीम से अलग कर दिया जाएगा।

बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास

558. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बीड़ी श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99 तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने आवासों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या बीड़ी श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने हेतु एक ऐसी योजना शुरू किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) देश में बीड़ी कामगारों के लिए 1998–99 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बनाए गए मकानों की संख्या इस प्रकार है:–

1998–99	चालू वित्त वर्ष (1999–2000)
4032	1187

(ग) से (ङ) बीड़ी कामगारों के लिए सभी मौजूदा आवासीय योजनाओं को मिलाकर एक समेकित आवासीय योजना बनाने की घोषणा 14.6.1999 को की जा चुकी है। योजना से संबंधित विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

(i) बीड़ी कामगारों के लिए 20,000/–रु. (11.11.99 से संशोधित) या प्रति मकान के निर्माण की वास्तविक लागत के 50% से जो कम हो, की समान दर से तीन किस्तों में देय सब्सिडी।

(ii) कामगारों की मिल्कियत वाली या राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर मकान निजी रूप से या सरकारी समूह आवासीय समितियों के माध्यम से बनाए जा सकते हैं।

(iii) कामगारों को राज्य सरकार द्वारा भूमि दिए जाने की स्थिति में, मकान का छत निर्माण पूरा होने पर, संबद्ध राज्य सरकारों को सीधे सब्सिडी दी जायेगी। बीड़ी कामगार द्वारा शेष राशि का इंतजाम स्वयं या राज्य सरकार के ऋण/अंशदान या राज्य सरकार द्वारा नामित हडको जैसी किसी अन्य एजेंसी से करना होगा, जो ऐसे ऋण के लिए उत्तरदायी हो।

प्रशासनिक कानून

559. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक कानूनों की समीक्षा किए जाने हेतु कोई आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस तारीख को हुआ था इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने हाल ही में कतिपय कानूनों को निरसित करने अथवा उनमें संशोधन करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो निरसन तथा संशोधनों के लिए सिफारिश किये गये कानूनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने हेतु दिनांक 8 मई, 1998 को एक आयोग का गठन किया गया था जिसके विचारार्थ निम्नलिखित विषय थे:–

(1) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित प्रशासनिक कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए उनके द्वारा उठाये गये कदमों और तत्पश्चात उन्हें निरस्त और संशोधित करने हेतु की गई अनुवर्त्ती कार्रवाई पुनर्विलोकन करना।

(2) मंत्रालयों/विभागों तथा ग्राहक समूहों के साथ परामर्श करके विद्यमान कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने हेतु ऐसे प्रस्तावों का पता लगाना जहां ये एक से अधिक विभाग के लिए सामान्य रूप से लागू कानून की प्रकृति के हों अथवा जहां ये एक से अधिक मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकार की प्रभावी कार्य–प्रणाली को प्रभावित करते हों अथवा जहां इन कानूनों की समग्रता का प्रभाव किसी आर्थिक या समाजिक क्षेत्र के कार्य–निष्पादन पर पड़ता हो अथवा जहां इनका असर किसी उद्योग और व्यापार पर पड़ता हो।

(3) पर्यावरण, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, आवास तथा भू–सम्पतियों जैसे चुने हुये क्षेत्रों के मामले में, मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट परिवर्तन करने संबंधी विषयो की जांच करना ताकि उन्हें उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनाया जा सके।

(4) इस प्रक्रिया के आधार पर कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं तथा विधायी प्रक्रिया आदि को निरस्त/संशोधन करने की सिफारिशें करना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत की।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आयोग ने, अन्य बातों के साथ–साथ, इस समय लागू लगभग 2500 कानूनों में से विभिन्न श्रेणियों के 1382 केन्द्रीय कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की है जो कि निम्न प्रकार हैं:–

(1) 166 केन्द्रीय अधिनियम (11 राष्ट्रीयकरण से पहले के अधिनियमों और 20 विधि मान्यकरण अधिनियमों सहित)।

(2) 315 संशोधन अधिनियम।

(3) 11 ब्रिटिश संविधियां जो अभी भी लागू हैं।

(4) 17 युद्ध–काल के स्थायी आदेश।

(5) राज्य विषयों से संबंधित 114 केन्द्रीय अधिनियम।

(6) संसद द्वारा पारित (लगभग) 700 विनियोग अधिनियम।

(7) 35 पुनर्गठन अधिनियम।

(8) उच्च न्यायालयों पर लागू 12 कानून।

(9) 12 व्यक्तिगत कानून।

2. आयोग ने उपर्युक्त अधिनियमों आदि को निरस्त करने की सिफारिश इस आधार पर की है कि ये अधिनियम या तो अप्रासंगिक हो गये हैं या अकार्यशील हो गये हैं। आयोग ने 109 अधिनियमों की एक विवेचात्मक सूची में संशोधन करने सहित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन करने की सिफारिश भी की है। आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां नवम्बर, 1998 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ–शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे उसमें की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच करें और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें।

3. अधिकांश मंत्रालयों ने उनके द्वारा नियंत्रित अधिनियमों और कानूनों आदि में उपयुक्त संशोधन/फेर–बदल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने अकार्यशील तथा अप्रचलित कानूनों, अधिनियमों आदि को निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा विधायी विभाग (विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय) द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में निगरानी रखने के लिए सरकार ने सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन भी किया है।

उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग

560. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में तथा नाइट्रोजन युक्त कीटनाशकों के असंतुलित प्रयोग के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि उर्वरता एवं फसल उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारत में उर्वरक पोषकों (एन पी के) का औसत उपयोग 89 कि. ग्रा. प्रति है. है जिसे अत्यधिक उपयोग की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। हमारे पड़ोसी देशों में पौध पोषकों का उपभोग भारत से अधिक है। पाकिस्तान में यह 113 कि.ग्रा. / है., बंग्लादेश में 135 कि.ग्रा. / है. एवं श्री लंका में 106 कि. ग्रा. / है. है। विकसित देशों में तो उपभोग काफी अधिक है जैसे, जापान में यह 375 कि.ग्रा./ है., नीदरलैंड में 542 कि.ग्रा./है. एवं यूनाइटेड किंगडम में यह 379 कि. ग्रा./है. है।

(ग) और (घ) भा. कृ. अ. प. द्वारा हल्की बनावट वाली मृदा में नाइट्रोजन के अधिक उपयोग के बाद अधिक पानी देने के बाद किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इससे भूमिगत जल में नाइट्रेट प्रदूषण होता है। पिछले कुछ दशकों में दीर्घकालीन उर्वरक प्रयोग पर अखिल भारतीय समन्वयित शोध परियोजनाओं से यह पता चला है कि केवल नाइट्रोजन उर्वरकों के निरन्तर उपयोग से ही उत्पादकता में सभी केन्द्रों पर गिरावट आती है तथा उर्वरता एवं दीर्घकालीनता पर दीर्घकाल में हानि कारक प्रभाव पड़ता है। तथापि, संस्तुत व्यवहार के अनुसार, किसानों द्वारा अकेले नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है।

(ङ) सरकार उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं समेकित उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। देश में कुल 514 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें 118 चल वाहन शामिल हैं जिनकी कुल विश्लेषण क्षमता 6.4 मिलियन मृदा नमूना प्रति वर्ष है। मृदा परीक्षण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग" द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों में कृषि विभाग के साथ कार्य कर रही विस्तार मशीनरी द्वारा किसानों को पौध पोषकों के संतुलित एवं कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण पर आधारित एवं मृदा की आंतरिक उर्वरता एवं फसल की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

561. श्री टी. गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत और परियोजनाओं को शामिल करने और धनराशि संस्वीकृत करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए इस योजना की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जब भी सदस्यों द्वारा योजना के अंतर्गत और अधिक कार्य लाने का सुझाव दिया जाता है, मामले को राज्य सभा एवं लोकसभा की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा यदि कोई आवश्यक परिवर्तन हो तो उसे सरकार के अनुमोदन पर दिशा निर्देशों में सम्मिलित किया जाता है। दिशा निर्देशों का अंतिम संशोधित संस्करण इस वर्ष सितंबर में प्रकाशित किया गया था। यह संस्करण माननीय सांसदों को 11.10.99 को परिचालित किया जा चुका है।

सभी कलेक्टरों से अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित सांसदों द्वारा उनकी वार्षिक पात्रता की सीमा के अनुसार अनुशासित सभी कार्यों को इस मंत्रालय से निधियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना संस्वीकृति प्रदान करें तथा इस पर एक रिपोर्ट भेजें ताकि मंत्रालय आगे निधियां जारी कर सके।

भारत, रूस और चीन सामरिक महत्व के समझौते पर हस्ताक्षर

562. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, रूस आर बीजिंग ने एक नये बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करने हेतु परस्पर सहयोग करने का निर्णय लिया है और यह घोषणा की है कि भारतीय–रूस सामरिक महत्व के समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोसोवो की हाल की घटनाओं के बारे में भारत, रूस और चीन का स्वतंत्र और अलग–अलग रूप से किया गया आकलन लगभग एक समान ही है;

(घ) यदि हां, तो तीनों सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय करने और उन पर कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) आगामी भारत रूस शिखर बैठक के दौरान भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है। यह हमारे बहु–फलकीय संबंधों को गुणात्मक नया स्वरूप एवं दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा तथा 21वीं सदी में उन्हें सक्रिय रूप से विकसित करेगा। यह घोषणा पत्र एक विशिष्ट महत्व का दस्तावेज है, यह नये पैरामीटर बनायेगा एवं दोनों देशों के बीच घनिष्ठ भागीदारी को और विकसित करेगा।

रूसी परिसंघ के तत्कालीन प्रधान मंत्री महामहिम डा. येबजेनी प्रायमाकोब की भारत यात्रा के पश्चात 22 दिसम्बर, 1998 को जारी किए गए संयुक्त प्रैस वक्तव्य में अन्य बातों के साथ–सथ यह कहा गया है कि दोनों पक्ष इस समझ–बूझ के साथ आगे बढ़ेंगे कि सभी राज्यों की सम्प्रभु समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय पर आधारित एक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण आवश्यक है।

अप्रैल, 1997 में मास्को में आयोजित अपनी शिखर बैठक के पश्चात् रूसी परिसंघ तथा चीन लोक गणराज्य ने बहुध्रुवीय विश्व तथा एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के बारे में एक संयुक्त रूस–चीन घोषणा जारी की थी।

(ग) युगोस्लाविया संघीय गणराज्य के विरुद्ध नाटो की कार्रवाई के दौरान भारत, रूस और चीन स्वतंत्र रूप से बिना किसी पूर्व परामर्शों के समान आकलनों पर पहुंचे।

(घ) से (च) भारत, रूस और चीन के बीच कोई त्रिपक्षीय कार्यकलाप नहीं हुआ है। रूसी परिसंघ के साथ हमारे संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम चीन के साथ अपने संबंधों में और सुधार लाने तथा उन्हें सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी की पाकिस्तान में पिटाई

563. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी का 29 जून, 1999 को इस्लामाबाद में उसके घर के बाहर से अपहरण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस्लामाबाद से इस मुद्दे पर कड़ा विरोध प्रकट किया है;

(ग) क्या यह दूसरा अवसर नहीं है जब पाकिस्तान भारतीय कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो भारत ने पाकिस्तान को किस स्तर पर इस कार्रवाई की पुनरावृत्ति न करने के बारे में कहा है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) 29.06.99 को प्रातः 7.45 बजे इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन के एक कर्मचारी श्री एन. आर. दोराईस्वामी का उनके निवास के बाहर से पाकिस्तानी आसूचना अभिकरण द्वारा अपहरण किया गया और उन्हे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया जहां उन्हें गहन पूछताछ और शारीरिक यातना से गुजरना पड़ा। सरकार द्वारा पाकिस्तान से कड़ा विरोध प्रकट करने के बाद श्री दोराईस्वामी को उसी दिन सुबह लगभग 11.30 बजे रिहा कर दिया गया।

सरकार द्वारा पाकिस्तान से दर्ज किए गए विरोध में यह उल्लेख किया गया था कि श्री दोराईस्वामी का अपहरण राजनयिक क्रिया–कलापों के मानदण्डों और अभिसमयों, राजनयिक संबंध, 1961 से सम्बद्ध वियना अभिसमय के प्रावधानों तथा राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार के लिए भारत – पाक द्विपक्षीय आचार संहिता का एकदम उल्लंघन है। भारत ने श्री दोराईस्वामी की शीघ्र वापसी की भी मांग की थी।

पाकिस्तानी आसूचना अभिकरणों द्वारा पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन के किसी अधिकारी के अपहरण और उसे शारीरिक यातना देने का यह पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान को वियना अभिसमय तथा द्विपक्षीय आचार–संहिता के अंतर्गत उसकी बाध्यताओं के प्रति बार–बार अनुस्मरण कराया जाता रहा है। इसमें इस्लामाबाद में भारत के हाई कमीशन के सभी कार्मिकों की कुशलता तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की मांग की गई है।

खेद है कि पाकिस्तान राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के साथ बरताव करने के लिए वियना अभिसमय तथा द्विपक्षीय आचार–संहिता का अनुपालन नहीं करता है।

विदेश सचिव की चीन यात्रा

564. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–चीन सीमा विवाद पर चर्चा करने हेतु भारत के विदेश सचिव ने बीजिंग की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र और सीमा निर्धारण के लिए वास्तव में क्या दावे और प्रतिदावे प्रस्तुत किए गए; और

(ग) चल रहे विभिन्न विवादों के संबंध में हाल की चर्चा के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सीमा के प्रश्न पर भारत–चीन संयुक्त कार्यदल की 11वीं बैठक बीजिंग में 26–27 अप्रैल, 1999 को हुई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश सचिव ने किया तथा चीन के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व उनके विदेश उप मंत्री ने किया। विगत समय की भांति, बातचीत में सीमा संबंधी मसलों के साथ–साथ आपसी हित के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों को शामिल किया गया था।

जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय क्षेत्र का जो हिस्सा चीन के अवैध कब्जे में है उसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन–पाकिस्तान सीमा करार के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत–चीन सीमा रेखा के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय प्रदेश पर अवैध दावा करता है।

भारत और चीन सीमा विवाद का न्यायोचित, युक्तिसंगत और आपसी स्वीकार्य हल निकालने की दिशा में कार्य करने के प्रति वचनबद्ध है। हम अनसुलझे मसलों का समाधान निकालने के लिए बातचीज की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। हम चीन के साथ पंचशील के आधार पर मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, अच्छे पड़ोसी एवं आपसी लाभकारी संबंध बनाने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

लागत और मूल्य कृषि आयोग की भूमिका

565. **श्री बाजू बन रियान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण में लागत और मूल्य कृषि आयोग की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार आयोग की सिफारिशों का कढ़ाई से कार्यान्वयन कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की भूमिका कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता कृषि मूल्य नीति और मूल्य ढांचे के संबंध में सतत् आधार पर और उपभोक्ताओं को राहत देने के संदर्भ में सलाह देने की है।

(ख) से (घ) सरकार कुल मिलाकर कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित करती है। किन्तु किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कभी–कभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में सुधार किया जाता रहा है। इसके अलावा कीमतों के न्यूनतम समर्थन से नीचे आ जाने पर सरकार शीर्ष अभिकरणों को क्रय हेतु प्राधिकृत करती है। अनाज के मामले में भारतीय खाद्य निगम, तिलहन/दहलन के लिए– भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि., कपास के लिए भारतीय कपास निगम, तथा पटसन के लिए–भारतीय पटसन निगम शीर्ष अभिकरण है।

[अनुवाद]

पाक के कब्जे में भारतीय नागरिक और मछुआरे

566. **श्री पी. एस. गढ़वी** :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में 5 मार्च, 1999 को हुई बैठक में एक दूसरे के कब्जे से नागरिकों और मछुआरों की रिहाई पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने निर्णयानुसार सभी नागरिकों और मछुआरों को रिहा कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) एक–दूसरे की हिरासत में रह रहे असैनिक कैदियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए तौर–तरीकों पर विचार विमर्श करने हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच 5–6 मार्च, 1999 को इस्लामाबाद में हुई सरकारी स्तर की बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया गया था कि:

(i) मानवीय आधार के साथ–साथ दोनों पक्षों की कानूनी और प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों के असैनिक बन्दियों, जिनके राष्ट्रीय दर्जे की पुष्टि हो गई है, और जिन्होंने अपनी कारागार की सजा पहले ही पूरी कर ली, को शीघ्र ही रिहा और प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, और

(ii) कि उन मछुआरों को जो गलती से एक–दूसरे की प्रादेशिक जल–सीमा में घुस जाते हैं, उन्हें आवश्यक जांच पड़ताल पूरी करने और यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहा कर दिया जाए।

इन निर्णयों के अनुसरण में भारत ने (22.3.99) को 43 पाकिस्तानी असैनिक बन्दी, 26 पाकिस्तानी मछुआरें और 3 नौकाएं (14 मछुआरें और 1 नौका 25.3.99 को वापिस की तथा शेष 12 मछुआरे और 2 नौकाएं 15.5.99 को पाकिस्तान को वापिस की) को रिहा की गई। पाकिस्तान ने 15 भारतीय असैनिक बन्दी (14,22.3.99 को और 1, 16.4.99 को रिहा किए गए) 109 मछुआरें तथा 17 नौकाएं (12.6.99 को भारत को वापिस की गई) रिहा किए गए।

एक–दूसरे की हिरासत में रह रहे असैनिक बन्दियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए पाकिस्तान के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से विचार–विमर्श किया जा रहा है।

प्राकृतिक आपदा

567. श्री बाजू बन रियान :

श्री पी. सी. थामस :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री अशोक प्रधान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1997 और 1998 के दौरान अप्रत्याशित चक्रवात, वर्षा और बाढ़ से व्यापक मानवीय क्षति हुई है लाखों लोग बेघर हो गए हैं तथा पशुधन, फसलों और सम्पति को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दो वर्षों में राज्यवार तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से क्षति की सीमा का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दलों को तैनात किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय दल और विभिन्न राज्य सरकारों के अलग–अलग राज्यवार निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई और दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्राकृतिक आपदा से निपटने और भविष्य में भारी क्षति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) वर्ष 1997 (दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून की अवधि में) और 1998 (पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की अवधि में) के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात और भू–स्खलन के कारण होने वाली क्षति, जैसा कि राज्यों से जानकारी मिली है, का ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए प्राप्त अनुरोध को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए अर्न्तमंत्रालयी दलों को भेजा जाता है। 1997–98 और 1998–99 के दौरान ऐसे दलों को उन मामलों का जायजा लेने के लिए भेजा गया था जिनके बारे में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए ज्ञापनों का विश्लेषण करने से प्रथम दृष्टया यह पता लगता था कि ऐसी आपदाएं भीषण तीव्रता वाली थी। 1997–98 और 1998–99 के दौरान मांगी गयी तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(च) और (छ) भारत सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंध योजनाओं को तैयार करना और प्राकृतिक आपदाओं के शमन, वर्तमान तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करना एवं संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर प्राकृतिक आपदा प्रबंध के लिए एक व्यापक मॉडल योजना तैयार करने के बारे में सिफारिश करना है।

विवरण-I

दक्षिणी–पश्चिमी मानसून–1997 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात व भू–स्खलन से हुई क्षति

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघशासित क्षेत्र का नाम	आपदा तिथि	कुल जिलों की सं.	प्रभावित जिलों की सं.	प्रभावित गांवों की सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित मकानों/ झोपड़ियों	मानव क्षति (सं.)	पशु क्षति (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	23–26.9.97	23	9	1301	1.35	47.98	1.35	7725	40	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.6.97	12	9	66	नगण्य	0.14			8	
3.	असम प्रथम वेब	6.6.97	23	6	439	0.41	1.00	0.07		1	
	दूसरी वेब	8.7.97	23	17	3076	6.35	24.58	1.00	4770	14	
	तीसरी वेब	16.9.97	23	3	341	0.21	13.08				
4.	बिहार	13.7.97–सितम्बर, 97	55	25	6650	11.45	67.61	6.30	166390	155	151
5.	गुजरात प्रथम वेब	23–26.6.97	19	17	2125	1.98	3.12	1.98	117500	219	9949
	दूसरी वेब	26.7–26.8.97	19	11	1931	0.95	11.49	0.95	25319	66	979
6.	हिमाचल प्रदेश	29.7, 11.8.97	12	12	1931	4.48	28.55	2.54	11067	223	4809
7.	जम्मू व कश्मीर	अगस्त, 97	14	11	11935	0.08		0.08	20907	80	6682
8.	कर्नाटक	जुलाई, 97	20	11	299	0.05		0.05	1641	66	82
9.	केरल	9.6.97–23.9.97	14	14	1482	3.85	95.00	0.90	16109	143	183
10.	महाराष्ट्र प्रथम वेब	1–30.6.97	31	21	1432	नगण्य		नगण्य	967	76	70
	दूसरी वेब	1–31.7.97	31	18	265	नगण्य	नगण्य	नगण्य	406	14	18
	तीसरी वेब	1–31.8.97	31	8	2419	0.49	7.95	0.49	33279	73	198
	चौथी वेब	1–31.9.97	31	15	55		0.02		382	36	32
11.	मध्य प्रदेश	अगस्त, 97	45	4	748	0.22	4.56	0.22	47963	34	1263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	उड़ीसा	जुलाई और अगस्त, 97	30	19	9387	4.06	39.32	4.06	87678	29	52
13.	पंजाब	25.7–31.8.97	17	12	3090	0.86		0.86	10685	22	75
14.	राजस्थान	जून–सितम्बर, 97	30	11	385	नगण्य		नगण्य	10196	64	94
15.	सिक्किम प्रथम वेब	7–9.6.97	4	4					3000	57	
	दूसरी वेब	5–6.8.97	4	4	1						5
16.	उत्तर प्रदेश	जुलाई–सितम्बर, 97	72	35	2284	3.49	10.21	1.55	5123	102	114
17.	पश्चिम बंगाल										
	प्रथम वेब	27–28.6.97	18	3		नगण्य	1.17	नगण्य	2000		
	दूसरी वेब	22–24.7.97	18	6	881	1.93	12.36	1.93	38750	21	
	तीसरी वेब	6.8.97	18	1			0.01		16	17	
	कुल			241	52523	42.21	368.15	24.34	611873	1560	24849

उत्तर–पूर्वी मानसून–1997 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात से हुई क्षति

क्रं. सं.	राज्य का नाम/ संघशासित क्षेत्र	आपदा तिथि	कुल जिलों की सं.	प्रभावित जिलों की सं.	प्रभावित गांवों की सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित मकानों/ झोपड़ियों	मानव क्षति (सं.)	पशु क्षति (सं.)
1.	मध्य प्रदेश	अक्तूबर–दिसम्बर, 97	45	29		15.50	15.50				
2.	केरल	5.10–31.11.97	14	11	63	0.01	नगण्य	0.03	1849	54	
3.	तमिलनाडु	1.10 –16.11.97	29	29		1.68	1.68		155348	162	454
	कुल		88	69	63	17.19	17.18	0.03	157197	216	454

विवरण-II

1998 (मानसून पूर्व) के दौरान भारी वर्षा, ओला, चक्रवातीय तूफान एवं प्रचण्ड वात से हुई क्षति

क्रं. सं.	राज्य का नाम	आपदा	आपदा की तिथि	कुल जिलों की सं.	प्रभावित जिलों की सं.	प्रभावित गांव की सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	फसल क्षति का मूल्य (लाख में)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	चक्रवातीय तूफान	9.4.98	23	5		नगण्य	नगण्य	1.00	
2.	केरल	भारी वर्षा	29.3–27.5.98	14	14	76		0.005	138.19	0.01
3.	उड़ीसा	प्रचण्ड वात	24.3.98	30	1	3	नगण्य	एन.आर		0.05
4.	उत्तर प्रदेश	ओला/वर्षा	7.5.98	72	1	236				
5.	पश्चिम बंगाल	प्रचण्ड/वात	24.3.98	18	1	18	0.03	0.03		0.30
		चक्रवातीय तूफान/ ओला	8–9.4.98		2	503	0.34	0.09	1567.88	1.51
		कुल		157	24	836	0.37	0.125	1707.07	1.87

दक्षिणी पश्चिमी मानसून–1998 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात से हुई क्षति

क्रं. सं.	राज्य का नाम/ संघशासित क्षेत्र का नाम	आपदा तिथि	आपदा का प्रकार	कुल जिलों की सं.	प्रभावित जिलों की सं.	प्रभावित गांवों की सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित मकानो/ झोपड़ियों	मानव क्षति (सं.)	पशु क्षति (सं.)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र–प्रदेश	20 29.9.98	भारी वर्षा	23	15		0.23		0.23	13	51	
2.	अरुणाचल प्रदेश	23-24.5.98-9.7.98	भारी वर्षा/ भू–स्खलन	12	7	52		0.26	नगण्य	330	23	16

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	3.6.98	भू–स्खलन	23	1						51	
		10.6.98	बाढ़		21	5292	9.72	46.98	2.89	30399	105	7814
4.	बिहार	9.7.98	बाढ़	55	28	8292	24.40	134.63	12.24	198742	380	187
5.	गुजरात	9.6.98	चक्रवात	24	14	2938	0.08	46.80	0.08	260616	1261	12747
		28.6.98	भारी वर्षा		12						24	
		17.9.98	बाढ़		7	85	2.19	1.15	2.19	12294	24	2900
6.	हिमाचल प्रदेश	अग.–सित.,98	भारी वर्षा	12	12	9221	2.51	24.69	2.35	5050	71	221
7.	कर्नाटक	जून–जुलाई,98	भारी वर्षा/ बाढ़	30	27	11423	7.35	92.86	7.35	209770	313	26413
8.	केरल	1.6.98-23.9.98	भारी वर्षा/ भू–स्लखन	14	14	2901		0.89		18563	138	
		8-22-10.98	भारी वर्षा		14	1452	1.45	1.00	1.45	17703	54	
9.	मध्य प्रदेश	12.9.98	बाढ़	45	9	ए.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10.	महाराष्ट्र	जून–अक्तू.,98	बिजली/ चक्रवात/ बाढ़	33	32	5749	1.78	4.58	1.78	146183	537	2000
11.	मेघालय	14.27.7, 17.8 & 4.9.98	बाढ़	7	1	123	0.04	0.85	0.04	33	3	
12.	उड़ीसा	सित., 98	बाढ़	30	8		0.75	12.71	0.75	10185	1	
13.	पंजाब	जुलाई–सित.,98	वर्षा/बाढ	17	13	90	0.15	0.06	0.15	46	24	38
		सित.–अक्तू.,98	वर्षा/हवा		13		1.76		0.69	39	22	34
14.	राजस्थान	9.6.98	चक्रवात	30	3					14603	12	51295
15.	सिक्किम	30.5. & 4.6.98	भू–स्लखन/ भारीवर्षा	4	4		0.10		0.10	1139	10	40

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	त्रिपुरा	22.7.98	बाढ़	3	2					11562	17	
17.	उत्तर प्रदेश	15.7.98	बाढ़/	83	48	14957	23.01	121.34	13.93	382276	998	2499
		11-13.8.98 & 17-19.8.98	भू–स्खलन		9	893	0.99	1.78	0.46	3051	384	1002
18.	पश्चिम बंगाल	7-8.7.98	भू–स्खलन/ भारी वर्षा	18	2		0.01	0.40	0.01	3498	14	200
		16-7-98	बाढ़/वर्षा	18	7		1.31	21.13	1.31	137639	165	12
	कुल :					63468	77.83	512.11	48.00	1463734	4682	107418

उत्तर–पूर्वी मानसून–1998 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ एवं चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति

क्र. सं.	राज्य का नाम	आपदा तिथि	आपदा	कुल जिलों की सं.	प्रभावित जिलों की सं.	प्रभावित गांवों की सं.	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित मकानों/ झोपड़ियों को क्षति (सं.)	मानव क्षति (सं.)	पशु क्षति (सं.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3-17.10.98	भारी वर्षा	23	23	97	14.05	0.75	14.05	17956	179	
		14-15.11.98	चक्रवात		4	95	3.39	0.33	3.39	13543	16	
2.	हरियाणा	15-18.10.98	वर्षा	17	7	42	7.40		7.40			
3.	केरल	28.10.98	वर्षा	14	7	130				1295	12	
4.	उड़ीसा	15.11.98	चक्रवात	30	2		1.10		1.10	2700		
5.	पश्चिम बंगाल	21-22.11.98	चक्रवात	18	3		5.62	6.62	3.03	35520	3	2
	कुल				46	364	31.56	7.70	28.97	71014	210	2

विवरण-III

1997–98 एवं 1998–99 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से निर्मुक्त धनराशि एवं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए रा. आ. रा. को. से राज्य सरकारों द्वारा चाही गयी सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	1997–98 सहायता		1998–99 सहायता	
		मांगी गयी	जारी की गई	मांगी गयी	जारी की गई
1.	आन्ध्र प्रदेश	1159.28	42.00	600.00	26.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	105.15	**	200.23	13.47
3.	असम	–	–	1001.98	59.90
4.	बिहार	428.82	10.00	1003.75	11.45
5.	गुजरात	664.33	86.90	810.65	55.35
6.	हरियाणा	–	–	757.29	13.27
7.	हिमाचल प्रदेश	609.78	24.80	266.06	**
8.	कर्नाटक	723.00	22.00	1352.13	49.98
9.	केरल	1106.26	12.91	1499.63	कोई नहीं
10.	मध्य प्रदेश	2759.11	67.76	251.34	35.00
11.	महाराष्ट्र	156.76	**	152.26	**
12.	मणिपुर	59.13	कोई नहीं	—	—
13.	उड़ीसा	151.50	**	445.59	कोई नहीं
14.	पंजाब	347.72	कोई नहीं	1140.60	कोई नहीं
15.	राजस्थान	51.18	कोई नहीं	1500.00	21.98
16.	सिक्किम	107.39	7.00	141.41	7.67
17.	त्रिपुरा	—	—	30.11	5.05
18.	उत्तर प्रदेश	566.07	**	2254.30	131.15
19.	पश्चिम बंगाल	177.00	कोई नहीं	804.43	66.33
	कुल	9172.48	273.37	14211.76	497.10

** भीषण तीव्रता वाली आपदा नहीं मानी गई।

संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना

568. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार–बार लोक सभा चुनाव होने के कारण संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामों के विकास के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना के कार्यनिष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने उन निर्माण कार्यों को जारी करने का निर्णय लिया है जो बारहवीं लोक सभा के दौरान शुरू हुए थे;

(ज) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ और निर्माण कार्यों को संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना के अंतर्गत लाने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से नए कार्यों की संस्वीकृति एवं निधियों का अवमोचन रोक दिया गया था।

(ग) और (घ) आम जनता के लाभार्थ योजना के अंतर्गत कार्य शुरू किए गए हैं जिसमें स्कूल भवनों, पुस्तकालयों का निर्माण, पेयजल का प्रावधान, उपभागों, छोटे पुलों, क्रीड़ा स्थलों, सामुदायिक केन्द्रों, शवदाह गृहों एवं उनके चारों तरफ चारदीवारी, सार्वजनिक शौचालयों, नालों, फुटपाथों, बस पड़ावों का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रावधान शामिल है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक जनता को लाभ पहुंचा है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के निर्देश जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। अभी हाल ही में, सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही सांसदों द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार अनुशासित सभी कार्यों को संस्वीकृति प्रदान करें। सभी राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे योजना के कार्यान्वयन एवं प्रबोधन को सुप्रवाही बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

(छ) चूंकि 12 वीं लोकसभा अकस्मात् भंग हुई थी तथा 12 वीं लोकसभा के सांसद दिशा निर्देशों की अपेक्षानुसार 45 दिन पहले कार्यों की अनुशंसा नहीं दे सके थे इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 12 वीं लोकसभा के पूर्व सांसदों द्वारा अनुशंसित उन सभी कार्यों को जो जिला कलक्टरों को 26 अप्रैल, 1999 (भंग होने की तिथि) तक प्राप्त हुए थे को 1 नवम्बर, 99 से एक माह के अंदर संस्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(ज) और (झ) जब भी सदस्यों द्वारा योजना के अंतर्गत और अधिक कार्य लाने का सुझाव दिया जाता है, मामले को राज्य सभा एवं लोकसभा की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा यदि कोई आवश्यक परिवर्तन हो तो उसे सरकार के अनुमोदन पर दिशा निर्देशों में सम्मिलित किया जाता हैं। दिशा निर्देशों का अंतिम संशोधित संस्करण इस वर्ष सितंबर में प्रकाशित किया गया था। यह संस्करण माननीय सांसदों को 11.10.99 को परिचालित किया जा चुका है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी परियोजनाएं

569. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बड़ी परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियाजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन परियोजनाओं के लक्ष्यों के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। इन परियोजनाओं के विलंब के लिए जिम्मेदार अवरोधों में प्रशासनिक एवं कार्यविधिक विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब, निधियों का अभाव, तकनीकी एवं रूप रेखा की समस्या, निविदाओं एवं ठेकों में विलंब तथा कार्यान्वयन की दोषपूर्ण प्रक्रिया शामिल हैं।

(ग) इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के सामने आ रही समस्याओं के आधार पर उठाए गए कदम परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं। उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

1. सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन। अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अभिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों को, उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं।

2. परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा, विलंब को कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा संबंधित अभिकरणों के साथ समन्वय।

3. अंतरमंत्रालय समन्वय तथा संबंधित प्राधिकरणों की सुविधा के लिए बैठकों का आयोजन।

4. संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत समितियों का गठन।

5. परियोजनाओं को समय—सूची के अनुसार पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

विवरण

विलंबित मेगा परियोजनाओं का विवरण (1.11.1999 तक)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वास्तविक लागत (करोड़ में)	अद्यतन लागत (करोड़ में)	वर्तमान अनुमानित लागत (करोड़ में)	लागत वृद्धि का प्रतिशत	अब तक की कुल अनुमोदित संचयी लागत (करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	शुरू होने की तिथि (माह/वर्ष)			निश्चित मूल अनुसूची की तुलना में समय वृद्धि	
								वास्तविक	अद्यतन अनुमोदित	अब अनुमोदित	योग (माह)	वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
परमाणु ऊर्जा विभाग												
1.	कैगा परमाणु विद्युत परियोजना 1 और 2 (एन.पी.सी)	730.72	2275.00	2896.00	296.32	2509.00	6/87	12/95	11/98	7/00	55	54
2.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4 (एन.पी.सी)	711.56	2107.00	2511.00	252.89	2017.00	11/86	11/95	11/95	11/00	60	56
3.	तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना, तारापुर महाराष्ट्र (एन.पी.सी.आई.एस.)	3447.06	6421.00	8949.00	159.61	1239.00	1/91	1/07	1/07	6/07	5	3
कोयला विभाग												
4.	खनन–1 (एनएलसी)	1032.81	1032.81	1063.18	2.94	43.15	2/98	2/01	2/01	7/01	5	14
5.	टीपीएस–1 व्यय (एनएलसी)	1590.58	1590.58	1520.99	4.38	136.92	2/96	3/01	3/01	5/02	14	23
6.	खनन का विस्तार–1 (एनएलसी)	1336.93	1336.93	1602.94	19.90	921.12	3/92	10/96	10/96	4/03	78	142
7.	दुधिचुआ (एनसीएल)	868.93	868.93	1271.78	46.36	677.69	8/92	3/98	3/98	3/04	72	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	इस्पात विभाग											
8.	राउरकेला इस्पात संयत्र का आधुनिकीकरण (सेल)	2461.00	3954.00	5105.29	107.45	4361.83	7/88	4/95	4/95	12/99	56	69
9.	बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण एस टी–1 (सेल)	1625.79	1625.79	2468.18	51.81	2091.76	7/93	7/97	7/97	12/99	29	60
	पेट्रोलियम विभाग											
10.	गंधार पेट्रो रसायन परियोजना दाहेज, गुजरात (आइपीसीएल)	3484.37	3484.37	3809.00	9.32	3802.63	3/92	10/96	10/96	11/99	37	67
	पेट्रोलियम विभाग											
11.	गंधार विकास पी एच–2 (ओएनजीसी)	1245.62	1245.62	1441.82	15.75	1433.72	5/92	5/96	5/96	12/99	43	90
12.	नुमालीगढ़ में तेल रिफाइनरी (असम एकोर्ड रिफाइनरी (आईबीपी)	1830.00	1830.00	2489.12	36.02	2236.26	7/92	10/97	10/97	12/99	26	41
13.	मैचिंग सैकेण्डरी प्रोसेसिंग सुविधा मथुरा रिफाइनरी (आईओसी)	1041.00	1041.00	1068.00	2.59	814.77	5/96	12/99	12/99	2/00	2	5
	विद्युत विभाग											
14.	नाथपा झाकरी पारेषण पद्धति (पीजीसीआईएस)	889.95	889.95	1561.63	75.47	1103.31	4/89	4/96	4/96	3/00	47	56
15.	दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (एनएचपीसी)	183.45	3559.77	3559.77	1840.5	2357.57	11/82	11/90	3/01	3/01	124	129
16.	रंगानदी जल विद्युत परियोजना स्तर–1 (निपको)	312.78	312.78	1479.63	373.06	882.58	4/87	8/94	8/94	9/01	85	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	नाथपा झाकरी एच ई पी (एनजेपीसी)	1678.02	7666.31	7666.31	356.87	4079.23	4/89	4/96	12/98	3/02	71	85
18.	टिहरी बांध और एच.पी.पी. (टीएचडीसीएल)	2963.66	2963.66	4967.77	67.62	2217.46	3/94	3/99	3/99	3/02	36	60
19.	धौलीगंगा एच.ई.पी–1 (एनएचपीसी)	601.98	601.98	1494.84	148.32	145.47	4/91	10/98	10/98	9/04	71	79
20.	कोल कारो जल विद्युत परियोजना (एनएचपीसी)	444.67	1292.82	2368.42	432.62	30.81	6/81	11/99	11/99	–	71	32
	रेलवे विभाग											
21.	भाड़ा प्रचालन सूचना पद्धति (एनओआईएस)	520.00	1098.00	1098.00	111.15	204.57	3/84	3/95	3/95	9/99	54	41
22.	उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला (एन एल एन आर)	2500.00	2500.00	3200.00	28.00	119.94	3/95	3/01	3/01	–	54	75
23.	बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र पुल और लिंक लाइन एन ई एफ आर	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	4/96	–	–	–	54	75

संकेत

एफ.ओआईएस	–	फ्राईट ओपरेशन इन्फॉमेशन सिस्टम
आईओसी	–	इंडियन आयल कॉरपोरेशन
आईपीसीएल	–	इंडियन पेट्रोकैमिकल्स लि.
एनसीएल	–	नार्थ कोल फिल्ड लि.
एनईईपीसीओ	–	नार्थ ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
एनसीएल	–	निवेली लिगनाईट कारपोरेशन
एनपीसी	–	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन
एनआरएल	–	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
ओएनजीसी	–	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन
एनएल	–	न्यू लाइन
एनआर	–	नार्थ रेलवे
एनईएफआर	–	नार्थ ईस्ट्रन फ्रंटियर रेलवे
एसएआईएल	–	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि.
पीजीसीआईएल	–	पावर जनरेशन कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एनएचपीसी	–	नैशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन लि.
टीएचडीसी	–	टिहरी हाईड्रो पावर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लि.

पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना

570. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और अनेक यूरोपीय देशों ने स्वीकार किया है कि अनेक कश्मीरी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से सहायता प्राप्त कर वहां से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु पाकिस्तान को आग्रह करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) अमरीकी सरकार के आतंकवाद विरोधी मंत्रालय के समन्वयक अम्बेसेंडर मिथैल शीहैन नें, अमरीकी सीनेट विदेशी संबंध समिति की निकट पूर्वी एवं दक्षिण एशियाई कार्य उप समिति के समक्ष एक वक्तव्य में कहा था, पाकिस्तान के भीतर ऐसे अनेक कश्मीरी अलगाववादी दल तथा साम्प्रदायिक दल आतंकवाद से लिप्त हैं जो पाकिस्तान को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा सामग्रीगत सहायता दिए जाने की खबरें हमें बराबर मिलती रहती हैं। पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में स्थित देशों की सरकारों और यूरोपीय संघ द्वारा जारी सार्वजनिक वक्तव्यों में पाकिस्तान से कश्मीरी आतंकवादी दलों के संचालन का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, यूरोपीय संघ और इन देशों की सरकारों के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्शों से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान द्वारा ऐसे आतंकवादी दलों को समर्थन दिए जाने की उन्हें जानकारी है।

(ख) सरकार सीमा–पार के आतंकवाद तथा भारत पर इसके प्रभाव के मामले को अमरीकां के साथ द्विपक्षीय बातचीत में उठाने के हर अवसर का लाभ उठाती है।

(ग) अमरीका ने हमारी चिंता पर समझ–बूझ का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त विश्व आतंकवाद के तौर तरीके पर 30 अप्रैल, 1999 को जारी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में आतंकवादियों की लड़ाई को पाकिस्तान के सरकारी समर्थन की निरंतर खबरें मिली थी।

(घ) भारत में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के समर्थन का मसला कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ उठाया जा चुका है। अभी हाल ही में फरवरी, 1999 में प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह मामला उठाया था। संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के अंतर्गत अक्तूबर 1998 में इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान विदेश सचिव ने यह मामला उठाया था। नवम्बर, 1998 में गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में बातचीत के दौरान पुनः यह मामला उठाया गया था। सरकार ने कहा है कि हमारे संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इन गतिविधियों को रोका जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में और विशेष रूप से भारत में आतंकवाद को निरंतर समर्थन दिए जाने की बात से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी तरह से अवगत कराया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा के पटल पर रखता हूँ:–

(1) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 189/99]

(2) एमएसटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 190/99]

(3) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा इस्पात विभाग, इस्पात और खनिज मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 191/99]

(4) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 192/99]

(5) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड और इस्पात विभाग के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 193/99]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में

राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 48 जो 20 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 20 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192 (अ) का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि. 49 जो 20 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 20 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193 (अ) का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट है।

(तीन) सा.का.नि. 50 जो 20 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 31 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या 209 का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट है।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम 1999 जो 15 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1999 जो 15 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1999 जो 19 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 367(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1999 जो 19 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1999 जो 10 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1999 जो 10 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1999 जो 21 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 449 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम–1999 जो 21 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1999 जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन नियम, 1999 जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 462 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1999 जो 20 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 85 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 194/99]

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1999 जो 24 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 383 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1999 जो 17 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 195/99]

(3) (एक) इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 196/99]

(4) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 197/99]

(5) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 198/99]

(6) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद, के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 199/99]

(7) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 200/99]

(8) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 201/99]

(9) संविधान की धारा 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) वर्ष 1997–98 के लिए संघ लोक सेवा आयोग का अड़तालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 202/99]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय–आठ में उल्लिखित मामलों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह नहीं माने जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 203/99]

(10) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 204/99]

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 205/99]

(ख) (एक) ओमनिबस इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनिबस इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 206/99]

(ग) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 207/99]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं श्री मुनि काल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:–

(1) शिक्षु, अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1999 जो 20 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 208/99]

(2) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1999 जो 21 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 209/99]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1999–2000 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 210/99]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनाराण राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1999 जो 20 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 371 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धि–पत्र 12 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 586 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कीटनाशी (दूसरा) (संशोधन) नियम, 1999 जो 20 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 372 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 211/99]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 212/99]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 213/99]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : मैं "नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2000" (खंड एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 214/99]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 215/99]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखे गये

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित नोटेरी (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय मैं 29 नवम्बर, 1999 को राज्य सभा द्वारा पारित नोटेरी (संशोधन) विधेयक, 1999 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसाइटी

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी नियमों के नियम 4 (7) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी नियमों के नियम 4 (7) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :–

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में, इस सभाके सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 30 नवम्बर, 1999 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 नवम्बर, 1999 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं राष्ट्रीय युवा समारोह के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं। छठे राष्ट्रीय युवा समारोह को केरल में आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया था। उस समय कुमारी उमा भारती संस्कृति, युवक मामले और खेल मंत्री थी। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री को केरल में राष्ट्रीय युवा समारोह को केरल में आयोजित किए जाने के संबंध में एक पत्र लिखा था। इसी समय, भारत सरकार के सचिव (युवक मामले) ने केरल के मुख्य सचिव को भी एक पत्र लिखा था। उस निर्देश के अनुसार केरल सरकार ने समारोह के बेहतर प्रबन्ध के लिए एक तैयारी समिति का गठन किया था। संस्कृति, युवक मामले और खेल के वर्तमान मंत्री ने केरल का हाल ही में दौरा किया था। उस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। वे करेल में युवा समारोह के आयोजन के निर्णय के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को पड़ता है। सामान्यतः हम उसी दिन अर्थात् स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा समारोह का शुभारंभ करते हैं। आज की तारीख 1 दिसम्बर है और राष्ट्रीय युवा समारोह में मात्र 40 दिन बचे हैं। इसीलिए, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस संबंध में क्या योजना है, क्या राष्ट्रीय युवा समारोह को केरल से कहीं अन्यत्र आयोजित करने का विचार है? अन्यथा उस राज्य में सरकार समारोह आयोजित नहीं कर पाएगी। मैं इस संबंध में सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, मैंने भी बोलने के लिए सूचना दी थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेमाजम, आप माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को जोड़ सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : यह केवल केरल का ही प्रश्न नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का प्रश्न है। यह राज्य स्तरीय समारोह नहीं है। यह राष्ट्रीय युवा समारोह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य, जो इस संबंध में बोलना चाहते हैं, वे माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को जोड़ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि मुद्दों को उठाने का यह तरीका नहीं है। क्या सरकार को इस संबंध में कुछ कहना है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं सरकार से इस बात के बारे में पता लगा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुद्दे को उठाने का यह तरीका नहीं है। मैं एक के बाद एक आप सभी को बोलने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कृष्णदास ने जो कहा है उससे हम स्वयं को जोड़ते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुद्दे को उठाने का यह तरीका नहीं है। मैं सरकार से इस संबंध में पूछ रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : संसदीय कार्य मंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय युवा समारोह को केरल में आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया था। ...*(व्यवधान)* अब माननीय मंत्री, श्री अन्नत कुमार ने कहा है कि इसे केरल से अन्यत्र किया जा सकता है। वे इसे कर्नाटक में आयोजित करने की सोच रहे हैं।

अभी केवल कुछ दिन ही बचे हैं। स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को है। क्या सरकार की ओर से माननीय मंत्री उत्तर देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। महोदया कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने एक सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : यह केरल सरकार के साथ अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। सभा में विषय को उठाने का यह उचित तरीका नहीं है। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : केरल सरकार ने पहले ही एक वक्तव्य दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से भी इस पर प्रतिक्रिया करने के लिए कह रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : मेरे पास पत्र है। मैं उस पत्र को सभा पटल पर रख सकता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कोई भी कार्य मंत्रणा समिति के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से संस्कृति मंत्री को अवगत करा दूंगा। मैं यहीं पर कोई निर्णय नहीं कर सकता हूं।

श्री जोस, मैं अवश्य ही आपकी भावनाओं को संप्रेषित कर दूंगा।

श्री ए. सी. जोस : यही पर्याप्त है...*(व्यवधान)*

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। देश की ओर से और देश के हितों की रक्षा के लिए बीमा कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। इस बात को रिकार्ड किया जाना चाहिए और सरकार को अभी इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.12 बजे

सीएटल में विश्व व्यापार संगठन के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, कल से अमरीका के सीएटल में विश्व व्यापार संघ की बैठक हो रही है। अपने देश में और अमरीका में भी, हर जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण कल ही सीएटल की बैठक टाल देनी पड़ी, बैठक समय पर नहीं हो सकी। पांच घंटे तक बैठक टाली गयी। कुछ विकसित देशों के ऊपर अमरीका की दादागिरी चलती है। उनका स्टैंड है कि इस तरह से ट्रेड को लेबर कानून के साथ, फिर ट्रेड को इनवायरनमेंट के साथ और फिर एग्रीकल्चर में सब्सिडी घटाने का एजेंडा उसमें जोड़ करके विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाया जाये, जिससे उनको एक्सपोर्ट का मौका न मिले। खास कर भारत जैसे विकासशील देश के साथ बहुत भारी बेईमानी और ऐसी साजिश हो रही है कि यहां के अर्थतंत्र को चौपट कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी ने वहां जाने से पहले हमसे परामर्श किया था। हम लोगों ने उनको आगाह किया है कि हिंदुस्तान को तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खड़ा होना चाहिए और ऐसी शर्तें नहीं माननी चाहिए और नया एजेंडा नहीं जोड़ने देना चाहिए, जो इस देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिए खतरनाक हो। हिन्दुस्तान का छठा हिस्सा हम हैं, 16 प्रतिशत हम हैं। अब हिंदुस्तान को उठ खड़ा होना चाहिए और उठकर तीसरी दुनिया को नेतृत्व करना चाहिए। डब्ल्यू.टी.ओ., में अमरीका की दादागिरी और साजिश के खंडन के लिए प्रबल जनमत तैयार करना चाहिए। और ऐसा दिखाना चाहिए कि 21वीं सदी जो आने वाली है वह भारत के 100 करोड़ लोगों की है। किसान पर आज हमला हो रहा है। सब्सिडी खत्म करने का खतरा बढ़ रहा है तथा डब्ल्यू. टी. ओ. में जनतंत्र नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान सब बिंदुओं पर खड़ा हो, ऐसी हम अपेक्षा सरकार से करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मुलायम सिंह यादव जी बोलेंगे।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने एक सूचना दी है। मेरी सूचना का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए कह चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे देश के लिए गंभीर है। कुछ विकसित देश अमरीका के दबाव में हैं। एक नहीं अनेक फैसले हो रहे हैं। इनके गंभीर परिणाम होंगे और एक परिणाम यह होगा कि महंगाई बढ़ेगी और हमारे देश के 95 प्रतिशत जो गरीब लोग हैं, उनको दवाई भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। हमारे बार–बार सावधान करने पर भी सरकार सचेत नहीं हो रही है।

अपराह्न 12.15 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

जिन देशों ने इस तरह से अमेरिका के दबाव में या विदेशी शक्तियों के दबाव में पूंजी निवेश का काम किया है, उससे कम से कम सबक लेना चाहिए। दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा सम्पन्न माना जाता था। वहां के प्रधान मंत्री ने पिछले साल जो बयान दिया था, उससे हमें सबक लेना चाहिए। विदेशी कम्पनियों और विदेशी कुशक्तियों ने केवल मलेशिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल दिया। आज केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी उन विदेशी शक्तियों का पूरा दबाव है। आज राजनीतिक फैसले अमेरिका और दूसरी विदेशी शक्तियों के दबाव में लिए जा रहे हैं। हम इन्हें इससे बार–बार सावधान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान अपने स्वाभिमान को बेच कर विदेशी शक्तियों के सामने सिर झुका रहा है तथा घुटने टेक रहा हूं। यह केवल सरकार का सवाल नहीं है। सौ करोड़ जनता का सवाल है। मैं। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि धांधली बंद करो, मनमानी बंद करो अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस देश में अंग्रेजों ने जब धांधली की तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। धांधली इन लोगों ने भी की। आज कांग्रेस के साथी कहां पहुंच गए? भाजपा सरकार हम देश की अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों के हाथ में देकर केवल आर्थिक दृष्टि से ही गुलाम नहीं हो रहे हैं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी दखलअंदाजी करके देश को पुनः गुलाम करने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यह सवाल आपका नहीं है। सवाल देश का है। देश की सौ करोड़ जनता का है। यहां 543 सदस्य बैठे हैं। यह इनका ही देश नहीं है। यह सौ करोड़ जनता का देश है। इस तरह की धांधली और मनमानी हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अब भी आपको सावधान करना चाहते हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच चला रहे थे। अब विदेशी जागरण मंच चलाना शुरू कर दिया है। आपने स्वदेशी आन्दोलन क्यों चलाया? आप स्वदेशी जागरण मंच से हट कर विदेशी जागरण मंच इस देश में चला रहे हैं। यह मामला गंभीर है। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए और दखलअंदाजी कीजिए। आज अल्पमत और बहुमत का सवाल नहीं है। सवाल देश का है। देश को आर्थिक गुलामी से बचाइए। इससे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमारे देश की स्वतंत्रता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसका उदाहरण अभी दिया गया है कि हजारों–लाखों लोगों ने नहीं, पूरी दुनियां के लोगों ने सीएटल में डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के समक्ष प्रदर्शन और विरोध किया। इसका यह नतीजा हुआ कि पांच घंटे तक बैठक स्थगित करनी पड़ी। आप जन भावनाओं का अनादर कर धांधली करेंगे तो मैं अपने साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस सीमा तक सरकार इस काम को करेगी, हर सीमा तक हम इसका विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे और संघर्ष करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मामले को राजद के माननीय सदस्य, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने उठाया है और श्री मुलायम सिंह यादव ने जिसका समर्थन किया है, वह एक बहुत ही गंभीर मामला है। आज सुबह हमें बताया गया था कि सीएटल में सिविल आपात स्थिति लागू की गई है और मंत्रियों को हाल में प्रवेश करने से रोका गया है जबकि वाणिज्य और उद्योग के हमारे माननीय मंत्री श्री मारान को वहां जाने दिया गया। हमें यह भी बताया गया कि उरूग्वे वार्ता दौर के समझौते के अलावा–जो गैट की चर्चा का पहला और अंतिम दौर था तथा जिसे बाद में विश्व व्यापार सगठन में बदला गया था–इन चर्चाओं में कई अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जाना है। सरकार ने आज सुबह सीएटल में क्या बातचीत की है या क्या करने जा रही है, इस बारे में हम सही स्थिति नहीं जानते। इसलिए यह ठीक रहेगा अगर सरकार सीएटल में उपस्थित श्री मारान से अद्यतन स्थिति जानने के बाद कुछ कहे तथा सभा में इसकी जानकारी दे जिससे उसके बाद हम सही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें कि इस मामले के संबंध में हमारा क्या कहना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन मैंने श्री जयपाल रेड्डी का नाम पुकारा है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मेरा नाम भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। आपका नाम है।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि सीएटल से एक खबर भेजी गई है जो आज सुबह के 'द हिंदु' में छपी है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने संयुक्त राज्य के साथ पहले ही एक गुप्त समझौता कर लिया है। इस समाचार में संयुक्त राज्य के एक स्रोत का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार कहा गया है कि हमने हर्जाना राशि की मांग किये बिना इलेक्ट्रोनिक व्यापार सूचना प्रौद्योगिकी समझौता–2 के संबंध में संयुक्त राज्य से

समझौता किया है। हमारा दृष्टिकोण यह था कि हम पेटेंट व्यवस्था की समीक्षा के लिए कहेंगे जो उरूग्वे वार्ता के एक भाग के रूप में जरूरी थी। बदले में हमें वह नहीं कर सके। औपचारिक रूप से सीएटल वार्ता, दौर की बैठक होने से पहले ही हम एक गुप्त समझौता कर चुके थे।

आज द हिंदु में यही कहा गया है। आज सुबह इस समाचार को श्री राम मनोहर रेड्डी ने भेजा था जो एक जाने–माने जानकार हैं और सीएटल में इस कार्रवाई का ब्यौरा एकत्र कर रहे हैं।

सरकार को इस बारे में उत्तर देना चाहिए। अगर आप देश में चर्चा किए बिना संसद में चर्चा किए बिना, बिना किसी इकरारनामें के संयुक्त राज्य सरकार से सहमत होते हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि हमें इसके बदले क्या मिला।

वहां उपस्थित हमारे मंत्री श्री मुरासोली मारन देश को यह आश्वासन नही दे सके कि जब वे कल रात स्टार टीवी पर टीवी प्रस्तुतकर्ताओं का उत्तर दे रहे थे कि वे पर्यावरण और व्यापार के साथ श्रम जैसे गैर व्यापारी मामलों को शामिल करने से रोक सकेंगे।

इन सबसे यही पता चलता है कि यह सरकार अपने दृष्टिकोण के प्रति कितनी कमजोर है। इसलिए इससे पहले कि यह सरकार किसी बात का आश्वासन दे, हम चाहते हैं कि भारत की संसद को विश्वास में लिया जाए। इस गलती की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर भारत सरकार किसी बात का आश्वासन देती है तो संसद निराश हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सरकार इस मुद्दे पर विशेष रूप से वक्तव्य प्रस्तुत करें कि वह संसद को विश्वास में लिए बिना गुप्त रूप से या अन्यथा कोई भी आश्वासन नहीं देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री चंद्र भूषण सिंह बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें, भी इस पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, मेरे पास कई नाम हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं, मैंने एक सूचना दी है।.... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह सूचना 10 बजे देनी चाहिए थी। आपको अब पता लगा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कई लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर सूचनाएं दी हैं। मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह आज के हिंदु में छपा है। ... *(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। सभा को यह सूचना दी जानी चाहिए कि वहां क्या हुआ और सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने क्यों झुक गई। क्या वहां कोई ऐसा समझौता हुआ था कि सरकार विकसित देशों की बात को माने? संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कल तक, सीएटल में हजारों मजूदर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन को उन मज़दूरों के खिलाफ कर्फ्यू लगाना पड़ा जो शर्तों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विकसित देशों द्वारा लगाई गई थी।

महोदय, आज हमारे देश में बीमा क्षेत्र के दो लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप क्या बोल रहे हैं? आपका विषय क्या है? आप सभी मामलों को एक साथ मिला रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह तो उनके आगे हमारे देश के झुकने जैसी बात है। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने नोटिस दिया है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे और न उलझाएं। कृपया बैठ जाइए। श्री आचार्य जी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारी मांग है कि सीएटल में कोई समझौता करने से पहले इस सदन को विश्वास में लिया जाए। वहां क्या हो रहा है; संयुक्त राज्य अमेरिका क्या शर्तें लगा रहा है? सभा को इन सभी मुद्दों की जानकारी दी जानी चाहिए।. ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रूखाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के आलू उत्पादकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है.। सरकार को इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। ..*(व्यवधान)* सरकार कुछ नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश की अस्मिता खतरे में है।.... ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, सरकार अपना उत्तर दे रही है।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : यह सरकार देश की अस्मिता को बेच रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह नहीं चाहते कि **सरकार कुछ** कहे।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप इस सभा में मुझे भी बोलने नहीं देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है यदि आप सब इस तरह खड़े होते हैं तो फिर सरकार इस पर प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करेगी।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिए और खुद जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रधान मंत्री को यहां आक जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)* हमारे देश के हित दाव पर लगे हैं, मेरा मानना है कि उपयुक्त यह है कि विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई शिकातयों व मुद्दों पर या तो वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री या सरकार की ओर से किसी मंत्री को उत्तर देना चाहिए। यह कोई कम महत्व का मुद्दा नहीं है। सीएटल में लिया गया एक निर्णय हम पर थोपा गया है और इन मुद्दों के सामने आने की आशा है। "द हिन्दू" में कुछ और मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। वित्त मंत्री इन मुद्दों के बारे में उत्तर देने में सक्षम हैं या फिर प्रधान मंत्री को उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

जल संसाधन मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : उपाध्यक्ष जी, हम सदस्यों की भावना प्रधान मंत्री तक पहुंचाएंगे लेकिन जो ये कह रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इस बारे में स्वयं प्रधान मंत्री को ही उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यह 'शून्य काल' है और इस मामले को सरकार ने पहले ही नोट कर लिया है। आप यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि प्रधान मंत्री अभी उत्तर दें?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय मंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हम प्रधान मंत्री को सूचित करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यह मंत्री जी का जवाब है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। श्री मुलायम सिंह जी, अपनी पार्टी के सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर जाने के लिए कहिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे अपने–अपने दलों के सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर जाने को कहें। यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए, मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिंदी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मुलायम सिंह जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, यह क्या है? आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस सभा का कार्य संचालन करूं। यह बहुत गलत है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्री तरित बरण तोपदार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सभा में आकर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, इस मामले को कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री को सभा में आना चाहिए और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। यदि वे पहले से व्यस्त हैं तो वित्त मंत्री आकर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं,

[हिंदी]

सर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर नेता को सदन में आकर आश्वासन देना चाहिए। यह देश के हित के लिए महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर बयान देना चाहिए और मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। यह पार्लियामेंट की मर्यादा की बात है।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने–अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधान मंत्री जी को सदन में बुलायें...*(व्यवधान)* वह आकर यहां स्थिति स्पष्ट करें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको निर्देश दे रहा हूं कि अपने–अपने स्थान पर जाएं। जब तक आप अपने स्थान पर नहीं जाते वे उत्तर कैसे दे सकते हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जाइए और अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : क्या सभा में सरकार का कोई प्रतिनिधि है... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाएंगे तो मैं संसदीय कार्य मंत्री को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा। मैं तभी संसदीय कार्यमंत्री को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रधान मंत्री के पास जाएं और हमें स्थिति से अवगत कराएं और सभा को विश्वास में लें क्योंकि यह मामला अत्यंत गंभीर है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनिए। क्या आप मुझे बोलने देंगे? क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे? कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए। मैं संसदीय कार्य मंत्री से हस्तेक्षप करने क लिए कहूंगा। मैं उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा। कृपया आप अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाएं तभी मैं संसदीय कार्य मंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : सरकार के मुखिया माननीय प्रधान मंत्री को उत्तर देना चाहिए। सरकार उत्तर देने के लिए आगे नहीं आ रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सीएटल का मामला कोई साधारण मामला नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नही कर रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया मुझे सहयोग दीजिए। जब तक सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं जाते तब तक मैं सरकार को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं मजबूर हूं। आप सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कह रहा हूं। श्री यादव, आपको अपने दल के सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर जाने के लिए कहना होगा। मैं सरकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा। यदि आप संतुष्ट न हों तब आप इस मुद्दे को फिर से उठा सकते हैं। मैं सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कह रहा हूं। कृपया अपने दल के सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर जाने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

श्री राजेश पायलट : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को स्वयं आगे आना चाहिए था। *(व्यवधान)*। हमने मुद्दा उठाया है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थानो पर वापस चले जायें। मैं सरकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह 'शून्य काल' है। श्री पायलट, आप जानते हैं कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह 'शून्य काल' है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्हें कुछ कहने दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से सभा को किस तरह से संचालित किया जा सकता है? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। सभा को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है। उनसे यह उम्मीद नही है कि वे यहां इस तरह से बैठे रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह 'शून्य काल' हो सकता है लेकिन यदि यह सूचना मिले कि देश के हित के साथ समझौता किया गया है, तो क्या यह बात महत्वपूर्ण नहीं है?... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि न केवल इस सभा में बल्कि इस देश में सभी इस बात से सहमत होंगे....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं... *(व्यवधान)* उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, प्रधान मंत्री जी को खबर है। वे खुद आकर जवाब दें सकते हैं और हाउस को कौन्फीडैंस में ले सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, वियतनाम के राष्ट्रपति शहर में हैं। प्रधान मंत्री उनसे मिलने में व्यस्त हैं। वे तत्काल नहीं आ सकते हैं...*(व्यवधान)*।

प्रधान मंत्री उनसे मिलने गए हुए हैं। वह वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ अपनी राजनयिक बैठक को छोड़कर सभा में नहीं आ सकते हैं। उन्हें इस बात की सराहना करनी चाहिए...*(व्यवधान)* बैठक समाप्त होने के बाद ही मैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकता हूं। मैं इस समय उनसे कैसे संपर्क स्थापित कर सकता हूं जबकि वे वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ मिलने में व्यस्त हैं?...*(व्यवधान)* मैं हैरान हूं कि वे श्री कमलनाथ जी को बुलाकर क्यों नहीं पूछते कि क्या हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। जब इस देश में इतने बड़े ऐतिहासिक महत्व का मामला घटित होने जा रहा है तो आप लोगों को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वह अपना गुस्सा किसी अन्य को प्रदर्शित न करें। प्रश्न यह है कि क्या यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है अथवा नहीं? सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार संघ की गंभीर कठिनाईयां क्या हैं। यहां तक कि सम्बन्धित मंत्री महोदय, जो वहां गए थे, लोगों से मिल रहे हैं और यहां तक कि वे इसके लिए सभी का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें अपना सहयोग दिया है। हमारे सदस्य उनके साथ गए हैं। लेकिन वहां क्या हो रहा है, इस बात की रिपोर्ट बहुत अशान्त कर देने वाली है। सरकार को स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी और उच्चतम स्तर पर एक वक्तव्य के साथ स्वयं आगे आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सभा के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि इस देश के लिए यह मामला महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इस सभा का क्या लाभ है?....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस संबंध में कुछ बोल सकता हूं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात भी सुनेंगे?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद इस तरह से मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी नेतागणों से अनुरोध करूं कि वे मेरी बात सुने? यह एक गंभीर मामला उठाया गया है। मंत्री महोदय पहले ही आपको बता चुके हैं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया इन सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी चेयर का सवाल है, आपकी इज्जत और सम्मान का सवाल है। लेकिन इस समय देश का सवाल हैं। क्या यह कोई मामूली मांग है? अगर प्रधान मंत्री जी किसी बैठक में हैं तो वह इससे महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। आज जो सवाल उठा है, पूरे सदन की भावना है। ....*(व्यवधान)* इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी यहां आएं और उत्तर दें। तब तक हाउस स्थगित कर दीजिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस सभा को स्थगित होने दें. ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, प्रधान मंत्री के यहां आने तक सभा को स्थगित कर दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करना चाहेगी कि आज अनेक समाचार–पत्रों द्वारा इस मामले के संबंध में काफी जानकारी दी गई हैं। उसमें सीएटल में क्या हो रहा है, इस संबंध में ताजा जानकारी दी गई है। सदस्यों ने स्वयं राष्ट्र के मूल हितों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, न केवल आर्थिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बल्कि सीएटल सम्मेलन के संबंध में विभिन्न अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा उठाया था। जब सरकार के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के लगभग सभी नेताओं ने बहुत गंभीरता के साथ यह मद्दे उठाए थे तो उपयुक्त यह था कि सरकार को पहले ही इस संबंध में एक वक्तव्य दे देना चाहिए था। चूंकि माननीय प्रधान मंत्री वियतनाम के प्रधान मंत्री के साथ बैठक में व्यक्त हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि वे बैठक से बाहर आयें। लेकिन उनके सहायक उन्हें सूचित कर

सकते थे और सभा को विश्वास में लेते हुए हमे बता सकते थे कि वे किस समय सभा में आ सकते हैं और वक्तव्य दे सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। मैं नहीं जानता कि सरकार इन साधारण मामलों में इतना विलंब क्यों कर रही है....*(व्यवधान)* यदि सरकार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रति गंभीर नहीं है तो इसका अर्थ है कि कुछ गलत हो रहा है....*(व्यवधान)* इस पर संसद चुप कैसे रह सकती है?.... *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह कैसे हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी न हो? विश्व भर में, सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमें यह मुद्दा उठाना है....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री के आने तक यह सभा स्थगित कर दीजिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, जब भारत किसी प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह सभा को विश्वास में ले? अन्यथा संसद सरकार के बिना कार्य क्यों करे?. ...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री को आकर जवाब देने दीजिए। यह समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। हमे केवल समाचार पत्रों द्वारा ही पता चला है।....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। माननीय प्रधान मंत्री जी को यहां आने दीजिए। सरकार सभा की बात को अस्वीकार नहीं कर सकती है....*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर यह एक गंभीर मामला है....*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : सभा की अवहेलना नहीं की जा सकती है।....*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : सरकार सभा को बहका नहीं सकती है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आप माननीय प्रधान मंत्री जी को आने दीजिए और वह स्थिति स्पष्ट करें कि जो प्रेस में आया है वह सही है अथवा गलत है और सीएटल सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय हित की किस प्रकार रक्षा की जाएगी....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री जी को बताने दीजिए कि माननीय प्रधान मंत्री आएंगे और वक्तव्य देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, संसद कार्यपालिका के दायरे में नहीं हैं। कार्यकारिणी को अपनी बात सभा में प्रस्तुत करनी चाहिए....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जैसे ही माननीय प्रधान मंत्री बैठक से बाहर आएंगे मैं उनसे संपर्क करूंगा और सदन को सूचित करूंगा इस समय मैं क्या कर सकता हूं? ....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय प्रधान मंत्री को सभा में आकर हमें बताना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब तक वह आयें आप तब तक के लिए सभा की बैठक को स्थगित कर दीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : प्रधान मंत्री को आना चाहिए और सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने शपथ ली है। उन्हें यहां आना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक दोपहर 2.00 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय सत्ता पक्ष में कोई भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री उपस्थिति हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सभा की बैठक स्थगित होने से पूर्व हमने सीएटल के मामले–वहां क्या हुआ, सरकार को क्या सूचना भेजी गयी, प्रेस में क्या प्रकाशित हुआ–को उठाया और हम सभी ने सभी विपक्षी दलों ने मांग की कि प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिए और सभा को सूचित करना चाहिए। क्योंकि यह अत्यन्त गंभीर मामला हैं इसलिए भारत सरकार के पास जो कुछ सूचना

आई है उसकी जानकारी में हमें भी शामिल करना चाहिए। हम इस बात की मांग करते हैं क्योंकि यह हमारे देश के हित से सम्बधित है और हम नहीं चाहते कि भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष घुटने टेक दे। समाचार पत्रों में कुछ विवादास्पद समाचार छपे हैं और हम चाहते हैं कि सभा को इसके बारे में सूचित किया जाए और सभा को विश्वास में लिया जाए क्योंकि यह हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों से सम्बन्धित है।

अतः प्रधान मंत्री को आना चाहिए और सभा को सूचित करना चाहिए कि वहां क्या हुआ, क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया ? वह शर्तें क्या हैं और वे मामले क्या हैं। इस सभा को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में किसी की यह राय नहीं है कि सदन में बाधा डाली जाए, लेकिन सवाल ऐसा है जो कि सैंकड़ों लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि सौ करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। केवल कुछ ही लोगों का सवाल नहीं है बल्कि पूरे देश का सवाल है और उस देश के सवाल को लेकर हम लोगों ने केवल यहीं मांग की कि प्रधान मंत्री जी सदन को विश्वास में लें। हम लोगों के सुझाव और हमारी राय भी हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत सुझाव है वह तो निश्चित ही यह है क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इस सम्मेलन से वाकआउट करके वापस आना चाहिए था और विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए था। सम्मेलन में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

हमारे सभी मित्र स्वीकार करेंगे कि जो एजेंडा बना था उसे भी अमेरिका वाले अपनी दादागिरी से बदल रहे हैं। उसका नतीजा यह होगा कि केवल कुछ लोग राज–कर्मचारी ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि हमारी खेती, किसान और गरीब लोग भी प्रभावित होंगे। अगर उस तरह की शर्तों को स्वीकार करके हस्ताक्षर कर दिए गए तो हर स्तर पर हमारी आवश्यक वस्तुएं महंगी होंगी और हमारा गरीब एवं मध्यम वर्ग बर्बाद हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि इस प्रकार हमारा देश न केवल आर्थिक गुलामी की तरफ जाएगा बल्कि हमारे राजनैतिक क्षेत्र में जो हमारी पूंजीवादी शक्तियों की दलखअंदाजी बढ़ेगी। इसलिए अगर सदन का विश्वास लिए बिना हस्ताक्षर हो गए तो यह देश–विरोधी काम होगा। मेरी आपसे से प्रार्थना है कि इस कलंक में आप शामिल न हों। इसलिए मौका दें और प्रधान मंत्री जी सदन को विश्वास में लें, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह सीएटल बैठक से सम्बन्धित साधारण प्रश्नों को उठाने के अलावा हमने भारत सरकार और संयुक्त राज्य के बीच औपचारिक गुप्त समझौते की भी चर्चा की थी।

श्री प्रमोद महाजन : यह समाचार उस प्रकार से प्रकाशित किया गया था। कृपया उस समाचार के लिए जिम्मेदारी मत लीजिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उस विश्वसनीय रिपार्ट के लिए मैं तर्क संगत जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।

उस रिपोर्ट में अमरीका के अधिकारियों और उन मुद्दों को उद्धृत किया गया है जिन्हें भारत सरकार संयोगवश हालांकि यह हमारे हित में नहीं है, मेरे प्रिय मित्र श्री प्रमोद महाजन के विभाग से जोड़ने में सहमत हो गई। भारत सरकार इलैक्ट्रोनिकी वाणिज्य पर शून्य उपकर के लिए राजी हुई है और सूचना प्रौद्योगिकी समझौते को संशोधित करने पर भी सहमत हुई है। आप कंवेन्शन के औपचारिक रूप से आरम्भ होने से पूर्व ही बिना किसी प्रतिफल के इन सभी बातों पर सहमत हो गए।

जब सरकार ने राजनीतिक दलों से परामर्श नहीं किया तो सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनी कि भारत सरकार की प्राथमिकता उरूग्वे वार्ता से उत्पन्न हुई कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों से सम्बधित प्रश्न को उठाना होगा और उरूग्वे वार्ता में ही यह अधिदेश निकला कि 2000 तक पेटेंट प्रणाली की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। अतः हम इस सहस्त्राब्दी वार्ता का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं और हम कृषि और अन्य मदों पर उनकी बात मान लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मेरे मित्र प्रमोद महाजन जी कहेंगे "आप यह सभी कुछ किस प्रकार जानते हैं? सम्मेलन आरंभ भी नहीं हुआ है।"

श्री प्रमोद महाजन : वास्तव में आप मेरा भाषण भी दे रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, आप मुझे अपने भाषण का पूर्वानुमान लगाने और उस पर अपना हक जताने का अवसर लेने दीजिए। इन सभी अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं में, द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं जो सरकारों के बीच चलती हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए, विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बिल किंलटन हैं और वह संयुक्त राज्य अमरीका का पंगु राष्ट्रपति हो सकता है। लेकिन वह सीएटल में बैठे प्रत्येक देश की गर्दन पकड़े हुए है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अतः अब भारत सरकार को आगे आने की आवश्यकता है और बताएं कि कोई भी समझौता औपचारिक अथवा अनौपचारिक अथवा खुला अथवा गुप्त रूप से नहीं किया गया है।

कल रात स्टार टीवी के पत्रकारों द्वारा श्री मुरासोली मारन

से पूछा गया क्या भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है वह कोई आश्वासन नहीं दे सके। मैंने उन्हें स्टार दूरदर्शन पर सुना था और स्टार टीवी के पत्रकारों ने आगे उनसे पूछा क्या श्री मुरासोली मारन पर्यावरण और श्रम जैसे मुददों से व्यापार को अलग करने मे सफल होंगे। वह कोई आश्वासन नहीं दे सके। मैंने बी.बी.सी. और ब्रिटेन और अमरीका के पत्रकारों को भी सुना था। वे इन मदों पर अत्यंत हठी हैं। हमें वास्तव में नहीं पता वहां क्या हो रहा है। हमें इस सरकार में विश्वास है लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति में विश्वास नहीं है। जिसकी आवश्यकता वह इच्छा शक्ति और वचनबद्धता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने सूचना दी हुई है। मुझे अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, यह शून्य काल नहीं है।

अब श्री दासमुशी बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुशी : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि आपके द्वारा बुलाई गई नेताओं की पहली बैठक में मैंने अपने दल की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री से प्रस्ताव किया था कि चूंकि सीएटल की कार्यसूची पर चर्चा हो रही है इसलिए सरकार को अपने दृष्टिकोण बताना चाहिए कि वे क्या–क्या मुद्दे उठाना चाहेंगे और उनका यानि उक्त मुद्दों पर सरकार रूख क्या होना चाहिए। यह चाहे सही हो या गलत परंतु संसद का पिछला सत्र कम समय के लिए चला था। संभवतः सरकार ने सोचा होगा कि वह सही समय नहीं था और वे अपना दृष्टिकोण प्रतिनिधि मंडल की रवानगी के समय प्रकट करेंगे।

महोदय, प्रतिनिधि मंडल 29 नवम्बर, 1999 से पहले चला गया था और संसद का सत्र 29, नवम्बर से शुरू हुआ धा। प्रतिनिधिमंडल की रवानगी के ठीक बाद–समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाचार पत्रों में बल्कि कई प्रमुख एशियाई समाचार पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन में कई विवादास्पद मुद्दे उठे हैं। संयुक्त राज्य के अधिकारियों के हवाले से यह प्रकाशित हुआ कि उनके सीएटल पहुंचने से पहले कृषि टैरिफ व्यवस्था के क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पहले ही एक प्रकार का समझौता और करार हो चुका है। इससे भारतीय किसान समुदाय के मन में अपने भविष्य के बारे में गंभीर आशंका और तनाव पैदा हो गया है।

दूसरा, महोदय, यह भी बताया गया है कि उरूगवे दौर की बातचीत की कार्यसूची के अलावा, जो 'गैट' वार्ता की पहली और अंतिम कार्यसूची के रूप में पूरी हुई थी और जिसे विश्व व्यापार संघ की व्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया गया था, संयुक्त राज्य व्यापार विभाग द्वारा कई नए अध्याय आयोजित और प्रचारित किए जा रहे हैं जिसकी निगरानी और संचालन महामहिम श्री बिल क्लिंटन की हैसियत से कम हैसियत वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है। अलग–अगल राष्ट्रों को इस नेट में लाया गया था और उन्हें उनसे एक मौखिक आश्वासन मिला और ऐसी व्यवस्था की गई जिससे विकासशील विश्व के हितों की रक्षा के लिए इन सब बातों के विरोध को शान्त किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी अध्यक्षपीठ इस ओर है उस ओर नहीं। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपसे मुखातिब हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, वे किसी भी तरफ बैठे, वे आपसे ही मुखातिब हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस सभा द्वारा इस रिपोर्ट पर चिन्ता करना स्वाभाविक है जो आज **'द हिन्दु'** मे छपी थी। ऐसी रिपोर्ट छापने वाले ये सभी रिपोर्टर अक्षम व्यक्ति नहीं हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति हैं। उनके पास विश्व व्यापार संगठन की कार्यवाहियों के साथ–साथ सीएटल में हुई कार्यवाहियों का भी पूरा रिकार्ड है। इसके अलावा, आज सुबह यह समाचार आया है कि न केवल सीएटल में, बल्कि संयुक्त राज्य में भी नई कार्यसूची और नई व्यवस्थाओं, जो कि संबंधित राष्ट्रों की सहमति के विरुद्ध है; के विरोध में कई प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके परिणाम इतने बुरे हुए कि सीएटल में मेजबान प्राधिकारियों को पूरे शहर में सिविल आपात–स्थिति और कर्फ्यू लगाना पड़ा और मंत्रियों तक को बैठक स्थल में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसलिए महोदय, यह स्वाभाविक बात है कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो संसद ऐसी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी तथा यह भी सही है कि स्वयं माननीय प्रधान मंत्री को सभा में आकर सभा को विश्वास में लेना चाहिए और इन आशंकाओं का समाधान करना चाहिए जो सदस्यों और पत्रकारों ने व्यक्त की हैं। यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। शिष्टाचार और औचित्य की मांग यही है कि माननीय प्रधान मंत्री को आना चाहिए और स्थिति का समाधान करना चाहिए।

यह संसदीय कार्य मंत्री से हमें यह मालूम हुआ हमारे प्रधान मंत्री वियतनाम के महामहिम प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर रहे थे। हम उस चर्चा की बहुत सराहना करते हैं और चाहते हैं कि यह सफल हो और यह चर्चा भारत और वियतनाम के बीच मित्रता के हित में होवे। तथापि, अभी भी समय है अब, माननीय प्रधान मंत्री सभा में आ सकते हैं। प्रधान मंत्री के कार्यालय में सीएटल से रिपोर्ट मिली होंगी। हमें भी रिपोर्ट मिली हैं, हमारी बात गलत हो

सकती है कि कल देर शाम श्री मुरासोली मारन को प्रधान मंत्री कार्यालय से इस संबंध में अद्यतन दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम नहीं जानते कि उस संक्षेपण में क्या अनुदेश दिए गए थे। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे के महत्व को समझें। इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए, प्रधान मंत्री के लिए यह उचित होगा कि यहां आकर, हमारे और कुछ आगे कहने से पहले, स्थिति की अद्यतन जानकारी दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इस मुद्दे पर काफी चिन्तित हैं। मैं समझता हूं कि उस तरफ बैठे मेरे मित्र भी उतने ही चिन्तित होंगे, शायद कुछ अधिक चिन्तित हो और कुछ कम चिन्तित परंतु पूरा देश इस मामले पर काफी चिन्तित है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में हमारी कुछ आपत्तियां हैं। उससे कुछ बातें उभरकर सामने आई हैं और हम काफी चिन्तित हैं। हमने श्री मुरासोली मारन से यह कहते सुना था कि वे उन सभी आशंकित हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित होना चाहते थे। वास्तव में यही सब हुआ था। समाचार पत्रों में जो कुछ छपा था उससे उनकी आशंकाओं की पुष्टि होती है। फिर भी यह सरकार तो मूर्ति बनी बैठी है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। एक ऐसा मामला जो पूरे देश, इसके भविष्य, इसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है और लगता है सरकार को इसकी परवाह ही नहीं है।

मैं पिछली सरकारों से भी अनुरोध करता रहा हूं कि इस तरह के भारत के इतिहास के महान अवसरों से संबंधित मामलों में सरकार को स्वयं आकर इस सभा में स्वतः स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथापि हम ऐसी संस्कृति नहीं ला पाए हैं। यह आदत सी बन गई है कि जबतक विपक्ष के सदस्य अपना विरोध नहीं करते और अपनी आपत्तियां व्यक्त नही करते तब तक सरकार अपनी नींद से नहीं जागती। यह सरकार पिछली सरकारों की सभी खराब आदतें अपना रही है और लगता है काफी अच्छी तरह। उनके लिए यह काफी शोचनीय विषय है या नहीं मैं यह नहीं जानता, परन्तु इस पर देश को फैसला करना होगा।

इस सभा ने इस मुद्दे पर रोष प्रकट किया है। पूरा देश उद्वेलित है। देश के नेता के अलावा कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? इस सभा के माध्यम से कौन इस देश को विश्वास में लेगा? यह एक नियमित मामला नहीं है जिसके बारे में कोई कह सके कि फलां व्यक्ति उपस्थित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उस कार्य को करेगा। क्या यह ऐसा मामला है जिसका निपटान इस तरह से किया जाना चाहिए? हम इस मुद्दे के बारे में काफी चिन्तित हैं और मुझे विश्वास है कि आप भी चिन्तित होंगे। सरकार को समुचित प्राधिकारी के माध्सम से सही तरीके से उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलना है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप यही मुद्दा 'शून्य काल' के दौरान आज पहले ही उठा चुके हैं,

...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, यहां एक अन्य बात भी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी को सभा में आना चाहिए। देश को इस बारे में उच्चतम स्तर के व्यक्ति से पता चलना चाहिए क्योंकि इसके बारे में काफी भ्रांतियां हैं। यह हमारी सविनय की गई सामान्य मांग है। मैं नहीं जानता कि सरकार इतनी अड़ियल क्यों है? प्रधान मंत्री को यहां आकर सभा को संतुष्ट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट बोलने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृपया मंत्री जी के भाषण में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मैं बैठ जाऊं?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैंने मंत्री जी को बोलने की अनुमति दे दी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने सब की बात सुनी लेकिन मुझे बोलने का चांस नहीं दे रहे हैं यह देश के हित का सवाल है। ...*(व्यवधान)* मुझे इस पर ज्यादा नहीं बोलना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सौ करोड़ आबादी का गला कट जाए और हम बैठे रहें।...*(व्यवधान)* डब्ल्यू. टी. ओ. पर दस्तखत होने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उनका भाषण कार्यवाही–वृतान्त का हिस्सा नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं कि सीएटल सम्मेलन एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और जैसा कि हमारे सहयोगी माननीय मुलायम सिंह ने सही कहा है कि वहां पर लिए गए निर्णय इस राष्ट्र के एक अरब लोगों को प्रभावित करेगा। इसीलिए, इस सरकार ने आरंभ से न केवल सरकार के स्तर पर निर्णय लेने का प्रयास किया अपितु हम विपक्ष से भी बात करना चाहते हैं।

सीएटल सम्मेलन के इतिहास में पहली बार वहां पर भारतीय शिष्टमंडल में न केवल सरकारी शिष्टमंडल है अपितु इस शिष्टमंडल को परामर्श देने, सलाह देने और मार्ग निर्देशन देने के लिए प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य भी गए हैं ताकि वहां पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : कृपया हमे बताएं कि इस शिष्टमंडल में भाकपा (मा.) का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। कृपया हमें उन व्यक्तियों के नाम बताइए जो सीएटल सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)* हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : जैसा मैंने पहले बताया है कि सीएटल सम्मेलन में लिया गया कोई भी निर्णय न केवल समाज के एक विशेष वर्ग को प्रभावित करेगा अपितु संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि हमने इस समय यह ध्यान रखने का प्रयास किया है कि वहां भेजा गया शिष्टमंडल सारे देश का भी प्रतिनिधित्व करे।

सीएटल सम्मेलन शुरु हो गया है। मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं कि वहां की रिपोर्ट क्या है। किंतु विपक्ष की चिंता को समझता हूं। यह न केवल विपक्ष की चिंता है अपितु संपूर्ण राष्ट्र को इस बारे में जानने का हक है...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दो।

राष्ट्र को यह जानने का अधिकार है कि सीएटल में क्या हो रहा है। राष्ट्र संसद के माध्यम से ही जानेगी और संसद का सत्र चल रहा है। अतः हम स्वाभाविक रूप से संसद की चिंता को समझते हैं और विशेष रूप से विपक्षी दलों की इस चिंता को समझते हैं कि सरकार को सीएटल में हो रहे ताजा घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं।

महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है कि इस समय माननीय प्रधान मंत्री हैदराबाद हाउस में वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ दोपहर भोजन पर चर्चा में व्यस्त हैं। वह चर्चा पौने चार बजे समाप्त हो जाएगी। अतः पांच बजे माननीय प्रधान मंत्री सभा में आएंगे और सभी उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे।

यदि कोई और प्रश्न होंगे तो प्रधान मंत्री उनका उत्तर भी देने में सक्षम हैं। मैं एक और अनुरोध करूंगा। मैं विपक्ष की चिंता समझता हूं किंतु मेरा अनुरोध है कि अभी 2.30 बजे हैं, मैं प्रधानमंत्री को 5 बजे सभा में लाने का वायदा करता हूं। इन ढाई घंटों के दौरान सीएटल में प्रातः काल या रात होगी और अगले ढाई घंटों में वहां कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि 5 बजे तक प्रतीक्षा कीजिए और तब जब प्रधान मंत्री आएंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इतना महत्वपूर्ण सवाल स्वीकार किया है तो जो हम लोगों की सुबह से राय थी कि प्रधान मंत्री को उत्तर देना चाहिए और पूरे सदन को, सारे नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए। हमेशा उन्होंने आम सहमति बनाने के लिए बयान दिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण सवाल सारे देश का सवाल था और इस पर पूरे सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। हमारी मांग है कि जब तक प्रधान मंत्री नहीं आते हैं, तब तक सदन स्थगित कर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बीच हम और कार्य भी करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मनमानी मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कोई मनमानी नहीं कर रहा है। प्रधान मंत्री जी को मैंने कहा कि मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि आप सदन में आएं तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। अब उनका ढाई घंटे इंतजार भी नहीं कर सकते हैं? इतनी भी क्या बेताबी है प्रधान मंत्री जी से मिलने की? ढाई घंटे इंतजार तो कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को लेकर समाजवादी पार्टी को सदन में जोरदार विरोध करना पड़ा

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। इसके विरोध में हमारी समाजवादी पार्टी पांच मिनट के लिए सदन से बहिष्कार करती है।

अपराह्न 2.27 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैने सुझाव दिया है कि यदि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में सरकार सुबह स्वयं स्पष्टीकरण देती तो इतना बहूमूल्य समय बचाया जा सकता था और हम सरकार के विचारों के बारे में जान सकते क्योंकि ये समाचार पत्रों में छपे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री यहां है

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.28 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो श्री रामपाल सिंह कहेंगे उसके सिवाए कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यदि आवश्यक हो तो आप माननीय सदस्य की भर्त्सना करें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कई बार हो रहा है। ऐसा दोनों पक्षों से हो रहा है। अब श्री रामपाल सिंह नियम 377 के अधीन अपना मामला उठाएंगे।

अपराह्न 2.29 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के ओद्योगिक विकास हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर बहुत ही पिछड़ा है क्योंकि यहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। नेपाल सीमा से लगे होने के कारण अधिकांश नदियां नेपाल से आती हैं। इस जनपद में कोई उद्योग धंधा नहीं है। इस जनपद में विद्युत की बहुत कमी है। एक 132 केवी का सब स्टेशन वर्ष 1989 से निर्माणधीन है जो कि जनपद डुमरियागंज के पास ग्राम सिरसिया में केन्द्रीय पावर फाइनेंशियल के लोन से बन रहा था, अब तक अधूरा पड़ा है। जिसके परिणामस्वरूप कोई उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। कोई गन्ना मिल भी इस क्षेत्र में नहीं है। यहां के लोगों को रोजी–रोटी की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। यह जनपद देश के उन सभी जनपदों में से एक है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जनपद के उत्थान के लिए कोई एक पैकेज बनाया जाए जिससे यहां औद्योगीकरण हो सके और इस क्षेत्र के लोगों को इसी जिले में रोजी–रोटी मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लेता हूं ....*(व्यवधान)* उस शब्द का क्या हुआ जिसे अब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया गया? क्या हम जान सकते हैं कि आप उस शब्द को कार्यवाही वृतान्त में रख कर उसका क्या कर रहे हैं? ....*(व्यवधान)* हो सकता है यह संसदीय शब्द हो या न हो किंतु कृपया यह समझने की कोशिश करें कि उस शब्द को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना बेहतर होगा....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

(दो) गुजरात के जामनगर क्षेत्र में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान रेलवे से संबंधित निम्न परेशानियों की ओर दिलाना चाहता हूं :–

1. लंबी दूरी की बहुत ट्रेनें राजकोट तथा अहमदाबाद तक आती हैं, उनको जामनगर, द्वारका, ओखा, पोरबंदर तक बढ़ाया जाए।

2. जो जो ट्रेनें सप्ताह में दो, तीन, पांच दिन की हैं, उनको नियमित हर रोज की बनाया जाए।

3. रेलवे रिजर्वेशन का कोटा जो जामनगर, द्वारका, ओखा, पोरबंदर, जूनागढ़ के बीच हैं, उन सबको बढ़ाया जाए।

---

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

4. सब रेलवे स्टेशन पर लोकल, आई.एस.डी., एस.टी. डी., टेलीफोन लगाया जाए।

5. ट्रेन जो नियम से नहीं आती है, उनको नियमित किया जाए एवं समय से पहुंचने की व्यवस्था की जाए।

6. इन सब मामलों के अध्ययन एवं निपटाने के लिए जनरल मैनेजर, बम्बई एवं रेलवे बोर्ड से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन पर फौरन कार्यवाही की जाए।

(तीन) मध्यप्रदेश की नर्मदा-शिप्रा नदी परियोजना और रणजीत सागर परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का मालवांचल निरन्तर मरूस्थल बनने की ओर अग्रसर होता जा रहा है। उक्त मालवांचल में (वाटर लैवल) जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी की अधिक कमी का सामना कर पड़ रहा है। नदी, नाले, कुएं और हैंड पम्पों में पानी नहीं रहता है, गर्मी के मौसम में लोगों को व पशुओं को पानी नहीं मिल पाता है। मालवांचल को रेगिस्तान होने से बचाने के लिए नर्मदा–शिप्रा कालीसिंध (नदी) जोड़ो योजना तथा रणजीत सागर योजना नामक दो परियोजनाएं बनाकर प्रस्तावित की गई हैं, जो लम्बे समय से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अंतिम स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। प्रस्तावित योजनाओं से बिजली उत्पादन भी होगा तथा सिंचाई भी होगी और उज्जैन संभाग के सभी जिलों के साथ ही राजगढ़ जिला भी लाभान्वित होगा। दोनों योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र आवश्यक है। में केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जनहित में इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

(चार) असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कटीले तार की बाड़ से हो रही परेशानियों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री नेपाल चन्द दास (करीमगंज) : सरकार ने असम–बंगलादेश सीमा पर कंटीली तार की बाड़ लगाई है, यह कंटीली तार बाड़ भारतीय क्षेत्र में काफी अन्दरूनी भागों में लगाई गई है। परिणमस्वरूप भारी संख्या में भारतीय लोग अभी भी तार बाड़ के बाहर किंतु भारतीय सीमा के अन्दर रह रहे हैं। उनकी कंटीली तार बाड़ के दोनों ओर कृषि भूमि है, इसी तरह से काफी संख्या में भारतीय लोग कंटीली तार बाड़ के भीतर रह रहे हैं किन्तु उनकी कृषि भूमि कंटीली तार बाड़ के दूसरी ओर सीमा तक है।

इस कंटीली तार बाड़ के दोनों ओर रह रहे इन भारतीय नागरिकों को अपने खेतों में जाने कि लिए निगरानी चौकियों से होते हुए तार बाड़ पार करनी पडती है। इस प्रकिया में निगरानी चौकियों से तार बाड़ पार करने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को निगरानी चौकियों से होकर तार बाड़ के आर–पार जाने का मार्ग केवल निर्धारित सीमित समय में दिया गया है जो खेती करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। कृषि कार्य सुबह 5–6 बजे शुरू हो जाता है किन्तु सीमा सुरक्षा बल के जवान उन्हें उस समय कंटीली तार बाड़ पार नहीं करने देते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारतीय सीमा के भीतर कंटीली तार बाड़ के दोनों ओर रह रहे भारतीय लोगों को पहचान पत्र जारी किए जाएं और निगरानी चौकियों से होकर उन्हें किसी भी समय विशेष रूप से सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने खेतों में जाने के लिए और घर पहुंचने की अनुमति दी जाए।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कंटीली तार बाड़ लगाए जाने और सीमा सड़क के निर्माण के कारण अनेक परिवार विस्थापित हो गए है किंतु आज तक उन लोगों का पुर्नवास नहीं किया गया और वे कंटीली तार बाड़ के दोनों ओर कच्चे घरों में रह रहे हैं। सरकार को उनके पुर्नवास के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

(पांच) प्रमुख नगरों विशेषकर राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के आने को रोकने के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : मैं सरकार का ध्यान प्रमुख शहरों विशेष रूप से दिल्ली की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर गांवों और छोटे कस्बों से भारी संख्या में लोगों के आने के कारण दिनो–दिन स्थिति बिगड़ रही है।

गांवों से भारी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आ रहे हैं। गांवों से भारी संख्या में लोगों के गांवों में जाने के कारण शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच असंतुलन बिगड रहा है। इससे शहरों का विकास प्रभावित हुआ है। शहरों में विशेष रूप से राजधानी के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में झुग्गी–झोपड़ियों का कुकुरमूत्तों की तरह प्रसार का विदेशियों और अक्सर राजधानी की यात्रा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय नागरिक निकाय राजधानी के नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में झुग्गी–झोपड़ियों के प्रसार पर रोक लगाने में पूर्णतः विफल रहे हैं। देश के प्रमुख नगरों विशेष रूप से नई दिल्ली में स्थिति को ओर बिगड़ने से बचाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह प्रमुख शहरों विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में लोगों के भारी संख्या में आगमन और झुग्गी–झोपड़ियों के प्रसार को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार करे।

(छह) महाराष्ट्र में वन परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को राज्य में वानिकी परियोजनाओं को लागू करने के लिए विश्व बैंक से 700 करोड रुपये का ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव की ओर आकर्षित करता हूं।

चीन के बाद महाराष्ट्र वन विभाग अपने समग्र विकास के लिए 1992–93 में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करने वाला पहला विभाग हैं। बैंक ने आरंभ में 431.51 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया था जिसे मध्यावधि समीक्षा के बाद संशोधित कर 353.16 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

महोदय, महाराष्ट्र वन विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से वृक्षारोपण, सिविल कार्य, नर्सरियों का विकास सहित कई वन विकास कार्यक्रम चलाए हैं। इस अवधि के दौरान राज्य में ग्रामीण जैवविविधता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया था और अवसंरचना का विकास किया गया था।

महोदय, विश्व बैंक मिशन ने अक्टूबर 1999 के अन्तिम सप्ताह के दौरान परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और समीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों का दौरा किया और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की।

महोदय, चूंकि विश्व से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव पिछले कई माह से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उस रिपोर्ट की जांच कराए और समय से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करे ताकि मार्च 2000 के बाद भी ये परियोजनाएं जारी रहें।

मैं केन्द्र सरकार से राज्य की वन परियोजाओं को लागू करने के लिए इस प्रस्ताव को शीघ्रता से स्वीकृति देने और उसे विश्व बैंक को अग्रसारित करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) दामोदर बैराज से गाद और बालू निकालने के लिए "दामोदर कार्य योजना" बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : दामोदर नदी के तट पर बांकुरा और बर्दवान जिलों में हजारों एकड़ कृषि भूमि को बचाने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान जल एकत्रित करने और सूखे मौसम में जल वितरित करने के उद्देश्य से वर्ष 1957 में दामोदर नदी के ऊपर दुर्गापुर बैराज बनाने की योजना बनाई गई थी। किन्तु जब से यह आरम्भ हुई है दामोदर नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में गाद छंटाई का काम करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप इस बैराज की भण्डारण क्षमता बहुत कम हो गई है। वर्ष 1978 में दामोदर नदी के तटबंधों के पास बसे लोगों को अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था। न केवल बैराज ढ़ह गई थी और कृषि भूमि के हजारों क्षेत्र पानी में डूब गए थे बल्कि कृषि भूमि पर रेत की भारी परतें भी जम गई थीं जिससे भूमि की उर्वरकता को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा। सितम्बर 1995 के अन्तिम सप्ताह में कुलदीहा, पिनग्रूई, माधोपुर, नापारा, मलिआरा जी. पी. के अन्तर्गत मैताली जैसे गांवों ने ऐसी समस्याओं का सामना किया और फिर दुबारा सितम्बर 1999 में दुर्गापुर बैराज की दाहिनी नहर जिसमें मलिआरा जोड़ बांध से मलिआरा जी. पी. के अन्तर्गत मैथाली गांव की नहर तक पानी के प्रवाह की साइफन प्रणाली है, वह नहर पूर्णतः बह गयी थी जिसके परिणामस्वरूप मैनाली गांव के हजारों क्षेत्र एक बार फिर पानी में डूब गए थे। अतः पानी के बहाव के लिए साइफन प्रणाली का तत्काल विस्तार किया जाना चाहिए। दामोदर नदी के तट पर बांकुरा जिले में मिजिया से मैताली और पखराना से पतरासायर पंचायत समिति वाया रंगमती, में निर्धन कृषि मजदूर हमेशा के लिए बेरोजगार हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ रही है।

अतः मैं दुर्गापुर बैराज की दामोदर और सहायक नहरों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षों से जमीं गाद और रेत की नियमित छंटाई के लिए तत्काल एक कार्य योजना बनाने की मांग करता हूं।

(आठ) गेहूं और धान उत्पादकों के उत्पाद की बिक्री संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, गत माहों में धान उत्पादक किसान को 100 रुपये से 80 रूपये प्रति क्विंटल तक के घाटे पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा है। सरकारी निर्धारित मूल्य 520 रुपये की जगह उसे 420 से 400 रूपये प्रति क्विंटल तक के मूल्य पर धान बेचना पड़ा है। भारतीय खाद्य निगम को 40 प्रतिशत मंडी में आये धान को खरीदने की जिम्मेदारी थी ,उसने मात्र 20 प्रतिशत तक की खरीददारी की। आगामी गेहू खरीद के भी यही आसार नजर आ रहे हैं। वह भी आज चावल के समान ही निगम के भण्डारों में पड़ा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अभी समय रहते आवश्यक कदम उठाए ताकि गेहूं उत्पादक किसान को धान उत्पादक किसान की तरह हानि न उठानी पड़े।

(नौ) प्याज उत्पादकों विशेषकर महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : देश में विशेषतः महाराष्ट्र राज्य में किसान नया प्याज मंडी में बेचने के लिए लाता है। प्याज की लागत खर्च और मंडी तक लाने के लिए कुल मिलाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल आता है। प्रति क्विंटल 340 रुपये

किसान घाटे में है। किसान की स्थिति कठिनाई की है। उचित दाम मिलने के लिए निर्यात बंदी उठाना चाहिए। किसान को प्याज का दाम 700 रुपये से 1000 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाये।

अपराह्न 2.45 बजे

[अनुवाद]

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विधेयक-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विधेयक पर आगे चर्चा करेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम निजी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र को खोले जाने के संबंध में विधेयक पर चर्चा कर रहे है तो जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के 2 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मैं आशा करती हूं कि यह बात सभी को मालूम है कि लगभग सभी दलों से संबंधित कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मेरे विचार में सरकार को यह चेतावनी ही समझनी चाहिए कि वह बहुत गुस्से में हैं। क्यों न हो? मुझे इस बात में कोई कारण नजर नहीं आता कि सरकार इस पर विचार नहीं करे और इसकी बजाय सभा में तत्काल विधेयक पेश कर दे। सरकार को इस विधेयक को पेश करने की क्या जल्दी है?

कल आयोजित हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ पार्टी प्रतिनिधि यह चाहते थे कि इस विधेयक पर विचार–विमर्श कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका देश के भावी आर्थिक विकास के संबंध में व्यापक प्रभाव होगा। सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को किसी उपयुक्त संसदीय विचार–विमर्श के बिना बहुत जल्दी और अनुप्रयुक्त तरीके से निपटाना चाहती है।

कल मैंने सरकारी बांडो और प्रतिभूतियों के प्रति जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के योगदान के संबंध में कुछ आंकडे उद्धरित किए थे। मैं इस संबंध में कुछ और प्रकाश डालना चाहूंगी। यह एक आम जानी बूझी बात है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कम्पनियां, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था की निरन्तर गिरती हुई स्थिति बल्कि पिछले अनेक वर्षो के दौरान उनका निजीकरण करने के खतरे के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के तौर पर जबकि वर्ष 1996 तक विश्व स्तर पर प्रीमियम आय में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि हुई वास्तविक अर्थो में जीवन बीमा निगम प्रीमियम आय की वास्तविक अर्थों में मुद्रास्फीति समयोजित विकास वृद्धि दर लगभग 17 प्रतिशत रही जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का लगभग तीन गुना है। चाहे वह बीमा क्षेत्र हो, दावों के निपटान हो, लाभांश द्वारा निवेश पर लाभ हो, करो के माध्यम से समर्थन बजट उपलब्ध कराना तथा राष्ट्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों की व्यवस्था करने के संबंध में हो, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम दोनों ने बेहतरीन कार्य निष्पादन किया है। विकास का स्तर और दावों के निपटान का प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की तुलना में अधिक है।

अपराह्न 2.49 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अतः बीमा क्षेत्र का निजीकरण करना तर्कसंगत नही है। जैसा कि मैंने कल उल्लेख किया था यह राष्ट्र हित के पूर्णतः विरुद्ध है।

बीमा क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत नहीं आता है। अनेक विकसित एवं विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बीमा क्षेत्र को शामिल किए जाने का विरोध किया है। अतः सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बीमा क्षेत्र को निजी कम्पनियों के लिए खोल दे। तत्कालीन वित्त सचिव ने राज्य सभा की याचिका समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए यह स्वीकार किया था कि जहां तक विश्व व्यापार संगठन के प्रति दायित्व का संबंध है बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना आवश्यक नहीं है।

रिपोर्टों के अनुसार, घरेलू बचतों में स्थिरता के बावजूद प्रीमियम जुटाने में काफी अच्छी वृद्धि दर प्राप्त की गई है। वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा के नाम पर बीमा उद्योग का निजीकरण विद्यमान क्षमता को केवल कमजोर बना देगा और उसके लिए रुकावट बनेगा। भारतीय तथा विदेशी दोनों निजी कम्पनियां केवल व्यापार के लाभकारी क्षेत्रों में कार्य करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र और कमजोर वर्ग उपेक्षित रह जाएंगे ओर बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक दायित्व और निवेश पूर्णतः उपेक्षित हो सकते हैं। किसी सामाजिक दायित्व के बिना निजी कम्पनियां केवल लाभ के लिए काम करेंगी। विश्व में इधर–उधर देखने से यह स्पष्ट होता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से परे, भारी होड़बाजी, विलयन, उपार्जन और निजी एकाधिपत्य और अल्प विक्रेताधिकार बीमा क्षेत्र को बिगाड़ देगा। विदेशी कम्पनियों का सम्पति का आधार इतना बड़ा होता है कि वे घरेलू कम्पनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम को बर्बाद होने तक हानि वहन कर सकते हैं। एकाधिकार की स्थिति प्राप्त करने के पश्चात् विदेशी निगम निश्चय ही ग्राहकों से अधिक मूल्य वसूल करेंगे और अधिक लाभ कमायेंगे। फसल बीमा इत्यादि के माध्यम से निर्धन लोगों को वर्तमान में जो कुछ बीमा सहायता उपलब्ध करवायी जाती है वह भी उपलब्ध नहीं होगी।

आजकल, तेंदु के पत्ते एकत्रित करने वाले, बीड़ी कारीगर,

मछुआरे इत्यादि कम प्रीमियम पर रियायती बीमा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अब यह भी समाप्त हो जाएगा। अतः बीमा क्षेत्र को निजी कम्पनियों के लिए खोलने से संभवतः देश को कोई लाभ नहीं होगा गरीबों की तो बात ही क्या। सरकार इस बात का दावा कर रही है कि यदि निजी कम्पनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश रकने की अनुमति दी जाती है तो देश में अतिरिक्त विदेशी पूंजी की भरमार हो जाएगी। यह और कुछ नहीं, एक उम्मीद है। अतः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 देश की सहायता करने की बजाय उसके हितों को नुकसान पहुंचाएगा। कृपया हमें यह बताइये कि सरकार इस विधेयक की जांच और संयुक्त समिति द्वारा सूक्ष्मता से विचार किए जाने की अनुमति देने से क्यों घबरा रही है। संयुक्त संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट देने में महीनों लग सकते हैं। वह अपनी रिपोर्ट अगले सत्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या सरकार जल्दी में है क्योंकि उन्होंने विदेशी देश को वचन दिया है? मैं कांग्रेस दल को अपील करता हूं कि वे एक बार पुनः विचार करे और इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के लिए सहमत हो जायें।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं यह निवेदन करती हूं कि बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने के संबंध में कोई आर्थिक विचार नहीं है। यह मात्र राजनैतिक मजबूरी है जो वित्त मंत्री द्वारा किसी अन्य देश को किए गये वायदे के कारण है। हम स्वयं देख रहे हैं कि सिएटल में क्या हो रहा है। भारत विकासशील देशों के हित के लिए उनका नेतृत्व करने के बजाय श्री बिल क्लिंटन के समक्ष सिर झुका रहा है।

स्थिति यह है और यही स्थिति बीमा क्षेत्र में भी देखी जा रही है। हमें यह कहते हुए अत्यंत खेद है कि यह हमारे देश के हितों के बिल्कुल खिलाफ है और हम आज किये जा रहे इस अपराध के महापराधी बनने से इन्कार करते है। मैं कांग्रेस दल में यह समझने के लिए पुनः अनुरोध करती हूं कि संसदीय प्रणाली को अनदेखा किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे वर्तमान सरकार को यह अपराध करने की अनुमति न दें। इन सभी कारणों से मैं चाहती हूं कि यह विधेयक जनमत का पता लगाने के लिए परिचालित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष महोददय, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बहस हो रही है। देश का इतिहास रहा है कि जब–जब रिफार्म्स की बात हुई है तो देश में मतभेद रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद हमारी पार्टी सत्ता में ज्यादा रही है इसलिए हमारी पार्टी को इन बातों का ज्यादा ज्ञान है कि मतभेद कहां और कैसे हुए। जब–जब कांग्रेस ने रिफार्म्स की बात की और रिफार्म्स लागू करने की कोशिश की तो हम लोगों में डिफरेंसेस रहे। सच्चाई यह है कि मतभेद ही हमारी ताकत है। इन मतभेदों से अच्छी चीज बाहर निकल कर आती है, जो देश के भले में होती है और वह लागू की जाती हैं।

महोदय, सत्ता में जो भी पार्टी हो, मैं यह अवश्य मानता हूं कि देश का हित सर्वोपरि है। यह हम सबके मन में है। लिब्रलाइजेशन की बात हमारी पार्टी ने शुरू की। मैं जब राजीव गांधी जी की कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब यह बात चली थी। हालांकि बहुत से ऐसे निर्णय हमारे थे जो हमारी पार्टी ने सरकार में रहते हुए किये थे और जब हमने वे निर्णय किए थे तो देश में बहुत विरोध हुआ था। तब बैंकों का राष्ट्रीकरण हुआ था तो कांगेस को कोसा गया और उसे एक गलत रास्ता बताया गया लेकिन एक दिन वह भी आया कि कांग्रेस ने अपने ही राज में उनको उल्टा भी किया। जब देश को जिस चीज की जरूरत हो तो उसे देश के लिए लाना, सरकार में सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका फर्ज है कि देश पीछे न रह जाए इस बात का ध्यान रखे। हम अपनी मर्यादाओं और परम्पराओं को न बदलें। लेकिन सारी दुनिया एक दिशा में चल रही है और उस दिशा में हम थोड़ा पीछे रह जाएं तो उससे भी देश का नुकसान है। इसी सिद्धान्त को लेकर 1991 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने लिब्रलाइजेशन की बात चालू की। उस समय देश में इसका विरोध हुआ। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं इसमें भी विरोध है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इस बिल को लेकर आ रहे हैं उनकी मजबूरी है। हमारे भाई जो बीच में बैठे हैं वे दिल से चाहते हैं कि यह पास हो जाए लेकिन जो अगेंस्ट वोट है वे हमारे साथ जुड़े रहें। हमने दिल से लिब्रलाइजेशन की शुरूआत की थी। यह सच्ची बात है कि जब लिब्रलाइजेशन हुआ तो उसमें कुछ खामियां भी रहीं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे कदम सही उठे और हमें उसमें सफलता भी मिली। हमारे कुछ कदमों में खामियां रहीं और जब कोई नया कदम उठाया जाता है तो ये खामियां आहिस्ते–आहिस्ते पता लगती हैं। जब लिब्रलाइजेशन की बात चली थी तो देश के लिए एक नया कदम था। हमारी सरकार ने कोशिश की और उसमें जो भी कदम उठाए वह हमने अपनी समझ से ठीक उठाए लेकिन उसमें खामियां रही होंगी, उन खामियों को आहिस्ते–आहिस्ते दूर किया जाए और देश के हित में जो जरूरी कदम है वह उठाया जाए। हमारी पार्टी में भी मतभेद हैं, इस विषय पर भी हमारी पार्टी में बहस होती रही। आज अगर मैं इसके सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कंडीशनल सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। हमने अपनी पार्टी की तरफ से अमेंडमेंट मूव किए हैं कि ये चीजें इसमें जोड़ी जायें। 1997 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तक चिदम्बरम जी इस बिल को लेकर आये थे। तक भी हमने ये बातें कहीं थी। हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही थी लेकिन सपोर्ट के साथ–साथ हमने ये मुद्दे उस दिन भी उठाए थे और पार्टी में अंदर यह बातचीत हुई थी।

अपराह्न 3.00 बजे

आज भी हमारी पार्टी में दो दिन से बात चल रही है। हम महसूस करते हैं कि रास्ता ठीक है लेकिन इसमें कुछ सुधार देशहित में लाने जरूरी हैं। इसलिए हमने पार्टी में सलाह करके

[श्री राजेश पायलट]

कुछ अमेंडमेंट्स मूव किए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार उन अमेंडमेंट्स को मानेगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अगर नहीं मानेगी तो क्या करेंगे?

श्री राजेश पायलट : अगर नहीं मानेगी तो हमारे पास भी jkLrsgS –*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उस समय आपको याद कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष जी, तिरूपति में हमारी पार्टी का अधिवेशन हुआ था और उसमें बहुत सारी बातें सामने आई थीं। बहुत सारे साथी इसके खिलाफ थे और बहुत सारे साथ भी थे। इस बारे में पार्टी में खुलकर बहस हुई और फैसला हुआ था कि लिब्रलाइजेशन बहुत जरूरी है और पार्टी ने उस दिशा में कदम उठाये। कांग्रेस पार्टी में बहुत खुलकर बात होती है, दूसरी पार्टियों में कम होती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अच्छा जी।

श्री राजेश पायलट : भार्गव जी, आप मुझसे मत कहलाओ। एक छोटा सा वाक्य मदन लाल खुराना जी ने बोल दिया था, उनका क्या हाल हो गया। कल्याण सिंह जी ने क्या कह दिया था। सरदार पटेल पंडित नेहरू जी के सामने लड़ते रहते थे लेकिन कांग्रेस में जमे रहते थे।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : वह जमाना चला गया।

श्री राजेश पायलट : कल्याण सिंह जी ने छोटा सा लफ्ज प्रधान मंत्री जी के खिलाफ कह दिया तो उन्हें पद से ही हटा दिया। यह डैमोकैसी के खिलाफ है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष जी, यह विषयांतर हो रहा है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, इसलिए विषयांतर हो रहा है कि जब इस बिल को लेकर आये थे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, आप आफत को न्यौता दे रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : शरद पवार जी ने क्या कसूर किया था, शरद पवार जी को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं यह नहीं कहता कि हमारी पार्टी में खामियां नहीं हैं। मैं कह रहा था कि हमारी पार्टी में इस पर अतीत चली और हमने लिब्रलाइजेशन के लिए फैसला किया तथा हमने अपने पार्टी के मैनीफैस्टों में कहा है कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में इन्वैस्टमैंट की जरूरत है और यह ऐसा सैक्टर है जिसमें पैसा बहुत कम आ रहा है। सन 1991 से आज तक अगर इस क्षेत्र में पूरा पैसा लग जाता तो लिब्रलाइजेशन के फायदे और आगे पहुंच जाते। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इसके फायदे आम आदमी तक नहीं पहुंच जाते और गांव के लोग इसके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं जाते तब तक इसका पूरा फायदा नहीं हो सकता है। मैं संचार मंत्री था तो मैंने पार्टी और सरकार में उदाहरण देकर इसके बारे में कहा था। सेल्यूलर फोन मेरे जमाने में शुरू हुए थे। मैंने कहा था कि सेल्यूलर फोन इन कंपनीज को दे दें, उनसे पैसा या लाइसेंस फीस न लें। उनसे कहें कि महाराष्ट्र में जो सेल्यूलर फोन लगाए वह महाराष्ट्र के गांवों में पांच साल में टैलीफोन लगा दे, जिससे हम गांव में जाकर कह सकें कि बम्बई में तो लोग बिना तार के टेलीफोन कर सकते हैं, लेकिन उसी पैसे का फायदा उठाकर गांव में टेलीफोन लग गए हैं। यह लिब्रलाइजेशन की नीति है। जब आम आदमी को यह बात समझ में आएगी कि क्या फायदा लिब्रलाइजेशन का हमारे देश में हो रहा है। अब बेरोजगारी की बात है। जहां–जहां लिब्रलाइजेशन के कारण सैक्टर खुले है वहां हम लोगों को फायदा पहुंचा सके हैं। लिब्रलाइजेशन के साथ कॉटेज–इंडस्ट्री को जोड़ने की हमारी नीति थी लेकिन वह हम फॉलो नहीं कर पाये। हमारी यह भी नीति थी कि इसके कारण बैकवर्ड एरियाज नैगलैक्ट न हों। नहीं तो गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती जाएगी। लेकिन आज रूरल और अर्बन एरियाज की खाई बढ़ती जा रही है। जब तक यह खाई कम नहीं होगी तब तक कोई भी पॉलिसी आप लेकर आयें, उसका आम आदमी पर सही असर नहीं पड़ेगा। इसलिए लिब्रलाइजेशन में बदलाव की जरूरते है। लिब्रलाइजेशन के सब लोग फेवर में हैं। सब चाहते हैं कि वह आगे बढ़े और गांव में सुविधाएं पहुंचे। आम आदमी तक उसकी सुविधाएं पहुंचे यह हम कहते रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज के बिल के बारे में जैसा मैंने कहा कि हमारी कुछ रिजर्वेशन हैं। इसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स मूव किये हैं। जहां तक पोटेन्शियलिटी की बात है तो यह अच्छी बात है। अगर फेयर कंप्टीशन होता है और जो 24 प्रतिशत और 76 प्रतिशत की रेशो आ रही है उससे मैं महसूस करता हूं कि पोटेन्शियलिटी है। जो मुझे आंकड़े मिले हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जी. डी. पी. की परसेंटेज है वह भारत की 1.3 है, अमरीका की 5.2 है, यू. के. की 6.5 है और साउथ कोरिया की 8 है। वहां संभाव्यता की उपलब्धता है। उन्होंने यह भी बताया है कि आज की 22 से 23 प्रतिशत पॉपुलेशन सिर्फ पॉलिसीज पर है।

करीब एक लाख टोटल पालसीज हैं, पोटैंशैलिटी है। यदि इसमें आगे काम किया जाए, फेयर कम्पीटिशन में काम किया जाए तो अच्छा होगा। जिस नीयत से बिल लाया जा रहा है, जिस नीयत से नीति बनाई जा रही है, उसमें फर्क नहीं आए। मैं हमेशा अपने

भाषण में कहता रहा हूं कि नीति और नीयत का फर्क इस देश को पीछे कर रहा है। अगर अच्छी नीयत के साथ नीति बनती है, वह जब लागू हो तो वही नीयत रहे तो नीति सही नतीजे देती है लेकिन नीति बनाते समय नीयत दूसरी रहती है और जब नीति लागू होती है तो नीयत बदलती रहती है। इसलिए देश पीछे जा रहा है। इस पोटैंशैलिटी को देखते हुए इस बिल में जो चीजें लाई गई हैं, वह अच्छे रूप में लाई गई हैं।

हमारे बहुत से साथी एल. आई. सी. और जी. आई. सी. की बात कर रहे हैं। बिल साफ कह रहा है कि उनका कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। इसे फेयर कम्पीटिशन में लाया जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इंश्योरेंस कम्पनियां इतनी कम्पीटेटिव हैं तो इन्हें दुख किस बात का है? जब मुझे डर नहीं है कि मेरे भाई आचार्य जी आगे निकल जायेंगे तो मैं हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहूंगा। जब मुझे लगेगा कि मैं इन से पीछे रहूंगा तो मैं बहाने बनाऊंगा कि आपने सीटी पहले बजा दी, वरना मैं आगे पहुंच जाता। अगर फेयर कम्पीटिशन वाली बात सही है ...*(व्यवधान)* इक्विटी सब के लिए बराबर रखी है। उसी रूप में कम्पनियां आएंगी। एक डर यह लग रहा है कि वह एकदम आकर टेक ओवर कर लेंगी। मुझे उसके कुछ उदाहरण मिले हैं। चाइना में 10 साल से प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आज 20 परसैंट शेयर प्राइवेट कम्पनियां ले पाई हैं। इसी तरीके से ताइवान में हुआ। यह छोटा देश है। मैं इसे कम्पेयर नहीं करना चाहता लेकिन चाइना से जरूर कम्पेयर कर सकता हूं। इसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि वह एकदम सभी को टेक ओवर कर लेंगे।

आज के हिसाब से रैगुलेशन्स ठीक हैं। इसमें नकली और टैम्परारी लोग नहीं आ पाएंगे। 100 करोड़ मीनिमम इक्विटी रखी है और 200 करोड़ की इंश्योरेंस कम्पनियों की रखी है। यह अच्छा कदम है। इसमें ऐसे गलत लोग नहीं आ पाएंगे जिन्हें दूसरे रूप में पैसे कमाने का इंटरेस्ट होगा। यह भी अच्छा कदम है कि पैसा बाहर नहीं जाएगा। ...*(व्यवधान)* बिल में लिखा है कि इन्होंनें सारे सेफ गार्डस लिए गए हैं। इसमें जो फायदा होगा, वह बाहर नहीं जाएगा। सरकार पर विश्वास करना पड़ता है। आचार्य जी आप बुरा मत मानना। 1997 में आप सरकार को सपोर्ट कर रहे थे... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने उस समय सरकार को समर्थन दिया था लेकिन इस बिल को अपोज किया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी मेरी बात की पुष्टि करेंगी कि श्री इन्द्रजीत गुप्त संयुक्त मोर्चा सरकार में गृह मंत्री थे और यह वही सरकार थी जो यह विधेयक लाई थी.. *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इसके बावजूद हमने विधेयक का विरोध किया था और इसीलिए यह वापस लिया गया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : मैंने आपको बात बता दी ...*(व्यवधान)* मैं गुस्से में अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। सच बात यह कह रहा हूं कि यह बिल उस समय आया था जब 1997 में चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, चीन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वामपंथी दलों से हमारे मित्र हमेशा कहते हैं "माऊ से तुंग जिन्दाबाद" अतः वे इस प्रस्ताव का विरोध क्यों करते हैं?

[हिन्दी]

चाइना वाले ऐक्सेप्ट कर रहे हैं तो इन्हें क्या एतराज है।... *(व्यवधान)* मास्को ने किया या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन चाइना ने तो ऐक्सेप्ट किया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उस समय मूलभूत भिन्नता यह थी कि वहां जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम राष्ट्रीकरण अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील): महोदय, अभी भी एल आई सी और जी आई सी अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, एल. आई. सी. और जी. आई. सी. राष्ट्रीयकरण अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है। .. .*(व्यवधान)*

श्री बाला साहिब विखे पाटील : विधेयक में विशेष रूप से बताया गया है कि वहां कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हैं और एल आई सी और जी आई सी ज्यों का त्यों रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, क्या आप उनसे सहमत हैं?

श्री राजेश पायलट : मैं सहमत नही हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अब आपके कहने का क्या उपयोग है? ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष जी, ये इतना बढ़िया भाषण दे रहे थे कि बीच में बाधा उत्पन्न कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप तो बाधा पैदा मत करिये।

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रार्थना कर रहा था कि समें डरने की कोई बात नहीं है। जैसाकि मैंने शुरू में कहा था के यह बिल लाने की इनकी मजबूरी है। ये दिल से पास करवाना चाहते है लेकिन दिखाना चाहते हैं कि हमने विरोध किया जिससे खिलाफ वोट इनके साथ जुड़ जायें। हम लोग दिल से देश का भला चाहते हैं। तो इनमें और हममें इतना फर्क है और इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं कि इनकी मजबूरी है।

कल हमारे भाई श्री आचार्य जी ने पढ़कर सुनाया कि जब श्री वाजपेयी जी विपक्ष में थे तो उन्होंने क्या भाषण दिया था तो इनके दिल की बात नहीं है, दिल की बात तो कांग्रेसियों की रही है जब लिबरलाईजेशन इस देश में आया। कांग्रेस ने उस रूप में कई कदम भी उठाये थे। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बिल सही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं जो किसान वर्ग के हैं। आज 2 से 3 हजार करोड़ रुपया सोशल सैक्टर के लिये अवेलेबल है और वह रुपया गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिये है। यह ऐसा फंड है जिसमें लांग टर्म प्रोग्राम लिये जाते हैं। अगर एक या दो साल के लिये कोई कार्यक्रम लिया जाना होता है तो दूसर सैक्टर से पैसा लिया जा सकता है लेकिन लांग टर्म के लिये इस फंड में काफी पैसा है। आप कह तो रहे हैं कि उनका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मुझे शक है क्योंकि इसमें कहीं गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज लिखा है और कहीं अंडर गवर्नमेंट लिखा है। आपकी वर्डिंग से तो यह ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चली जायेगी। मैं विधिवत रूप से यह चाहता हूं कि आप देश को गारंटी दें कि सोशल सैक्टर इस बिल से इफैक्टिव नहीं होने दिया जायेगा तो हमें तसल्ली रहेगी अर्थात सोशल सैक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लिबरलाइजेशन से जो फायदा वास्तव में होना चाहिए, वह गरीब आदमी तक पहुंच जायेगा। इस कारण हमारी पार्टी ने सैक्शन–27में अमेंडमेंट मूव किया है कि अगर सोशल सैक्टर इफैक्टिव न हो तो एक क्लॉज ले करके सेफ गार्ड करें जिससे हमें तसल्ली रहे। उपाध्यक्ष जी, हमें उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी इस बात के लिये लड़ते रहेंगे। वे हमारी पार्टी में रहे हैं और 20–22 साल का हमारा साथ रहा है, हमारे बुजुर्ग हैं, बडे भाई हैं, महाराष्ट्र में कोओपरेटिव किसानों के मूवमेंट में आगे चले हैं। इनके होते हुये हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है और इस सरकार से पूर्ण आशा है क्योंकि हमारी तरफ से गये हुये कुछ लोग उधर बैठे हैं। जैसे हमारी विचारधारा रखते हैं इसलिये हमने यह अमेंडमेंट मूव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेंरा अंतिम पाइंट यह है कि जैसे टी. आर. ए. आई. बना था। आपको याद होगा कि सरकार ने यहां भाषण दिया था कि हम डीरेगुलराइज करेंगे, डीसैंट्रेलाइज करेंगे और इसलिये टी. आर. ए. आई. बना था। लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है? वे कोर्ट में बैठे हैं और सरकार बीच में फंसी पड़ी है। ऐसा ही टी. आर. डी. ए. के साथ ऐसा न हो जाये कि आज तो वह ठीक लग रहा है और बाद में कुछ करना चाहे तो कर नहीं सके। सरकार को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वह जो सेफ गार्ड्स बिल में ले आये उससे ऐसी हालत न पैदा हो जाये कि जिस मकसद के लिये हम बिल लायें, देश में वह लीगल लूपहोल्ज की वजह से पूरा न हो पाये। इस बिल में आपकी वर्डिंग के कारण दो–तीन जगह पर जो दिया गया है, इसलिये हमने यह अमेंडमेंट दिया है। उनसे वेग करने के चांसेज हैं कि फायदा उठाकर डाइवर्ट कर दिया जाये। यह बिल हमारी नीतियों के अनुकूल है क्योंकि 1991 में हमने लिबरलाइजेशन किया था। हम सदा इस पक्ष में रहे कि ज्यादा से ज्यादा सैक्टर खोले जायें ताकि आम आदमी को फायदा पहुंच सके। जैसाकि मैंने अपनी बात में कहा कि सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सोशल सैक्टर इफैक्टिव हो। लिबरलाइजेशन का जो प्रोजैक्ट शुरू किया गया है, उससे हजारों करोड़ रुपये मिलेंगे जिससे आम आदमी को फायदा मिल सकेगा। यह पैसा बाहर न जाये, ऐसा शक हमारे कई भाईयों ने जाहिर किया है। बिल में तो आपने कह दिया लेकिन इसमें सेफगार्ड्स और स्ट्रांग लाये जायें जिससे इन लोगों को यकीन हो जायें। अगर इनको यह यकीन दिला दें तो शायद बिल के साथ होने के लिये तैयार हैं लेकिन जैसा मैंने कहा है कि विश्वास आपको लाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट मूव करते समय सोशल सैक्टर के बारे में कुछ बातें कहूंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये वक्त दिया। मैं कंडीशनली इस बिल को सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1996 से इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही है। 1996 में सरकार इस बिल को लाई। उसके बाद अंतिम समय में इस बिल को विदड्रॉ किया गया। पुनः जब हमारी सरकार आई तो इस बिल को पूरे जोर और जोश के साथ सदन में पेश किया गया और आज इसके मूलभूत विषयों पर चर्चा करने के लिये हम यहां खड़े हुए हैं। महोदय, जब 1956 में जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय इसका यह उद्देश्य था कि देश में इन्श्योरेंस सेक्टर में इसके पूर्व काम करने वाली जितनी कंपनियां थी, वह अपनी मोनोपोली ऐस्टेबलिश करके और उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, वे लोगों से पैसा वसूलते थे और अपने उपयोग में लाते थे और लोगों को

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भरोसा नहीं था कि निजी क्षेत्र में इसका उपयोग ठीक ढ़ग से किया जा रहा है जिसके कारण सरकार ने इसको 1956 में नेशनलाइज किया और इसी तरह जनरल इन्शयोरेन्स को भी 1973 में नेशनलाइज किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिलती थीं। ऐसा महसूस किया गया कि मात्र शहरों तक इसका लाभ रहा, धन का दुरुपयोग हो रहा है, कंपनियां उसके पूर्व भी लोगों का धन बटोरकर इन्शयोरन्स के नाम पर वसूल कर लेती थीं और उसके बाद गायब हो जाती थीं, ओद्योगिक विकास के नाम पर निवेश का काम कम हो रहा था। इन सब मुद्दों को लेकर नेशनलाइजेशन की प्रकिया प्रारंभ हुई। यह भी उद्देश्य था कि उस समय जब नेशनलाइज किया गया, तो उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, गांवों तक बीमा की योजना पहुंच जाए और कम धन में भी बीमा की सुरक्षा लोगों को प्राप्त हो सके। उस समय सरकार की जो मंशा थी, जो सोच व्यक्त की गई थी कि जो भी पैसे इस प्रकार से कोश में आते हैं, उसको देश के विकास में और खासकर अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसकी अहम भूमिका होगी और उसका उपयोग करके हम देश को एक अच्छी औद्योगिक नीति और आर्थिक विकास के ढांचे पर उतार सकते हैं। उस समय भी जब इसका विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि जो इन्शयोरेन्स प्रीमियम कलेक्ट किये जाते हैं, अधिकांश इसमें बड़े–बड़े औद्योगिक घरानों से आते हैं और प्राइवेट प्रीमियम की मात्रा कम रहती है, लेकिन इसमें भी एक अच्छे कोर फंड का डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जिन उद्देश्यों के कारण इन्शयोरेन्स कंपनियों को नेशनलाइज किया गया था, वह उद्देश्य प्राप्त करने में सरकार और लोगों को बहुत हद तक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और पूरे देश में माहौल बनता गया था कि लोंग टर्म इनवेस्टमेंट के लिये और इस देश की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक था कि बड़ी मात्रा में राशि का उपयोग हो, उसके लिए लोंग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्ज की आवश्यकता थी और इन्शयोरेंस की इसमें भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले तीस वर्षों में जितनी हमारी आशाएं और उम्मीदें इन्शयोंरेंस सेक्टर और कोर्पस फंड्ज की तरफ थी, उसकी भरपाई नहीं होने के कारण कि आज पूरे देश में आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए इन्शयोरेन्स के इस बड़े तबके पर विचार करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा है। 1991 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय लिबरलाइजेशन की प्रकिया प्रारंभ हुई और एक अच्छी शुरूआत इस देश के लिए हुई। राजेश जी ने मैं समझता हूं कि पूरी चर्चा में जितना कुछ भी कहा, वह इस सरकार की तरफ से कहा और जो उन्होंने अमेंडमेंट पेश किया है, मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए वह लाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट्स की चर्चा की है। उनकी बातों से प्रतीत होता है कि इस बिल के प्रति उनकी पूरी की पूरी सहमति है और इसकी उपयोगिता और प्रगति को देखते हुए ये चाहते हैं कि आई. आर. डी. ए. बिल पास हो और निश्चित रूप से इस देश में एक नया माहौल स्थापित करके एक नये कोश की स्थापना हो और नये तरीके से इनवेस्टमेंट इस क्षेत्र में हो।

महोदय, जब भी औद्योगिक विकास की चर्चा होती है, इन्शयोरेन्स एक ऐसा सेक्टर है और खासकर भारत में जब इन्शयोरेन्स की बात होती है तो 400 बिलियन रुपये से भी अधिक के पोटेन्शियल की बात होती है और इसमें इतना बड़ा निवेश होने की संभावना है जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में फायदा होता है। इन्शयोरेन्स सैक्टर का जो पैसा होता है, इसका बड़ी लम्बी अवधि के लिए निवेश में उपयोग किया जाता है। विश्व के किसी भी कोने में देखें तो पेन्शन फंड्ज और इनशयोरेन्स फंड्ज की आवश्यकता देश की मूलभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए होती है। कई तरह की चर्चाएं हुई और हमारे लेफ्ट के साथियों ने बताया कि इसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण लोगों में इस बात का प्रचार भी कराया गया कि इन्शयोरेंस के आने से, पूंजी निवेशकों के आने से, निजी कंपनियों के आने से बाहरी स्रोतों के आने से इसमें कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर लोगों का नुकसान होगा। जी. आई. सी. और एल. आई. सी. जैसे सैक्टर की कंपनियों को नुकसान की संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मूल लाभ इकोनामी की तरफ है। जैसा मैंने पूर्व में वर्णन किया कि किसी भी इकोनामी को चलाने के लिए, विशेष रूप से देश में आज जो स्थिति है और पहले भी हमारे वित्त मंत्री जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आज भारत के ऊपर 90 हजार करोड़ रुपये का ऋण है। अगर पूरे अर्थतंत्र पर इस प्रकार से इतना बड़ा बोझ बना रहा तो संभवतः आने वाले दिनों में जिस निवेश की हम लोग चर्चा करते हैं उसे करने में हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमैंट के लिए आवश्यक है कि कहीं न कहीं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल के माध्यम से निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जाए।

जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट को भी इससे लाभ है। गवर्नमेंट को विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पलायमेंट के सैक्टर में लाभ है। कई जगह यह चर्चा भी आई है कि इस बिल के आने के पश्चात् लोगों के रोजगार में कमी आयेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज भी इस देश में जितने अनुपात में इंश्योरेंस की संभावना है, उतने अनुपात में जी. आई. सी., एल. आई. सी., और उसकी अधिकृत कम्पनियों द्वारा इंश्योरेंस की पोटेंशियल को टैप नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रोजगार की जो संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है, वे नहीं हुई हैं। जब यहां बाहरी कम्पनियों का आना होगा, जब प्राइवेट कम्पनियों का आना होगा तो नये तरीके से, नये ढंग से रिस्क असेंसमेंट की कैपेसिटी में वृद्धि होगी। जिन नई प्रोजेक्ट्स के बारे में, नई प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो संभावित रूप से बाहरी

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

कम्पनियों द्वारा आकर या फिर प्राइवेट कम्पनियों द्वारा आकर, नये उद्यमियों द्वारा आकर, जिनकी निवेश करने की क्षमता है, आज तक हम उसको अपने बीच में स्थापित नहीं कर पाये हैं, जिसे हम कम्पिटीशन या प्रतिस्पर्धा कहते हैं।

इंश्योरेंस कम्पनियों के बीच में आज इस देश की क्या स्थिति है। जब भी हम लोग चर्चा करते हैं और मैं समझता हूं कि यहां सदन में बैठने वाले कहीं न कहीं बीमा से किसी प्रकार जुड़े होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस प्रकार भारत में बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा का स्वरूप बनाया गया, जिस प्रकार का उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, इस प्रकार से शायद ही विश्व के किसी कोने में होता होगा। आज भी छोटे–छोटे लोग जो अपने इंश्योरेंस कवर के लिए जाते हैं, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था के पार्ट हैं और इस कारण से इंश्योरेंस का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए और बीमा कराने के बाद जिस प्रकार से सुविधा मिलनी चाहिए, इस देश में, इन चंद संस्थाओं की मोनोपोली के कारण वह लाभ उन्हें तुरंत नहीं मिल पाता है।

इसलिए मैं बार–बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि बाहरी कम्पनियों के आगमन का जो खतरा बताया जाता है कि बाहरी कम्पनियों के आने के बाद अधिक मात्रा में उनका शेयर होल्डिंग बढ जाएगा, उनका इस देश में उन कम्पनियों पर अधिकार जम जाएगा, बिल में यह स्पष्ट रूप में अंकित है कि 26 फीसदी से अधिक उनकी भागीदारी नहीं हो सकती। इसलिए बार–बार इस चर्चा को उठाकर देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मैं समझता हूं कि अनुकूल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इंश्योरेंस के विषय में पीछे भी कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा है, विशेषकर हमारी प्रतिपक्ष की नेता उस सभा में भाग लेने के लिए गई थीं– चाहे वह "फिक्की" के कार्यक्रम हों या चैम्बर ऑफ कामर्स के कार्यक्रम हों– हम लोगों ने यह देखा है कि देश में अर्थतंत्र के संदर्भ में जब किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं तो आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है, और उसी क्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारी प्राइम संस्था है, देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिन पर चर्चा की जाती है, उन लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। वे सब ऐसे फोरम हैं जो देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कई माननीय सदस्यों का कहना है और उन लोगों का बड़ा विरोध है जो हमारे लैफ्ट के साथी इस विषय को मूल विषय वस्तु बनाकर कहना चाहते हैं कि देश में खासकर उन तमाम रोजगार से जुड़े लोगों को इससे हानि होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इम्पलायीज का यह कहना कि अब इस देश में इंश्योरेंस के लिए अनटैप्ड पोटेंशियल नहीं है– मेरा कहना है कि यह सौ करोड़ लोगों का देश है और जिस बिन्दु पर हम चाहते थे कि इंश्योरेंस कवर पहुंचे और गरीब तबका भी कम पूंजी लगाकर अपनी सुरक्षित पेंशन की व्यवस्था कर सके, उस बिन्दु तक पहुंचने में इम्पलायीज का कहना है कि अब इस देश में इंश्योरेंस सैक्टर में संभावनाएं खत्म हो गई हैं।

महोदय, यह अपने आप में एक दिग्भ्रमित करने वाला वक्तव्य है। इस देश में सबसे छोटे तबके तक पहुंचने में प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। जब यह प्रतिस्पर्धा बाहरी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के आने से जी. आई. सी., एल. आई. सी. और अन्य छोटी–छोटी कंपनियों के बीच होगी, तब इनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है।

महोदय, यह डर जताया जा रहा है कि बाहरी कंपनियों के आने के बाद, उनकी भागीदारी के बाद लोगों के लिए रोजगार का अभाव होगा। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आज भी इस देश में 6000 एल. आई. सी. और जी. आई. सी. की ब्रांचेज हैं और उनमें अनेकों कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंश्यारेंस सैक्टर की भूमिका है, जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल है, इस देश की जितनी आबादी है और जिस प्रकार से इस देश का अर्थतंत्र आहिस्ता–आहिस्ता विकसित हो रहा है और स्टेबिलाइज कर रहा है, उसमें इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है और यह कहना कि इसमें जॉब अपार्चुनिटीज को खतरा होगा, इसमें कंप्यूटराईजेशन होगा, इसमें नई तकनीक का उपयोग होगा, वह ठीक नहीं है। क्योंकि विश्व में यह कहीं नहीं देखा गया है कि जब भी कोई उद्योग या व्यापार बढ़ता है तो नई तकनीक के उपयोग के कारण उसकी संभावनाओं में कटौती होती है। इस बात पर हमें कहीं न कहीं सोच व्यक्त करनी पड़ेगी।

महोदय, एक अंतिम बात, जो मैं इस विषय पर रखना चाहूंगा वह यह है कि एक धारणा व्यक्त की गई है कि जो विदेशी कंपनियां आएंगी वे निजी क्षेत्र में आएंगी, वे बाहर की कंपनियां आपस में मिल–बैठकर अधिक से अधिक प्रॉफिट करना चाहेंगी और देहाती क्षेत्र और गरीबों के प्रति अपना आभार या दायित्व निर्वहन करने में अक्षम रहेंगी– यह बात सही प्रतीत नहीं होती है।

महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बिहार प्रान्त से आता हूं और मैं जानता हूं कि साल में उस प्रान्त में जब मई, जून का महीना होता है, तो लाखों की संख्या में छोटी–छोटी झोपड़ियों में आग लग जाती है, खासकर उस मौसम में जब तेज गति से हवा चलती है, तो वहां लाखों की संख्या में छोटे–छोटे घरों में आग लगती है। जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 60 लाख रुपये बीमा योजना के रूप में जी. आई. सी. को दिया जाता है ताकि उन सभी छोटे–छोटे फूंस के घरों के मालिकों को जिनकी झोपड़ियों का इंश्योरेंस किया गया है, जलने पर उन्हें सहायता दी जाए। महोदय, मेरा निजी अनुभव है कि आज जितनी बड़ी मात्रा में इंश्योरेंस के पैसे कई राज्य सरकारों द्वारा इन

कंपनियों को दिए जाते हैं और झोपड़ियों का बीमा कराया जाता है, यदि आप इनकी छानबीन करेंगें। अगर आप पता लगायेंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे कि पूरी की पूरी योजना का धन इंश्योरेंस कंपनी वसूल करके रखती है और यह पूरा का पूरा दायरा जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए था उसे दूर कर दिया जाता है और उन्हें न बीमा का लाभ मिल पाता है न ही इन छोटे घर वालों को जो धन देने का प्रावधान किया गया है, वह मिल पाता है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वे इस व्यवस्था में अपने आपको प्रोटैक्टेड महसूस कर रहे हैं, चाहे वह देश की ऊपरी स्तर की ब्यूरोक्रेसी हो या निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी हो या गवर्नमेंट की कोई भी संस्था हो। अब समय आ गया है कि इस देश को किसी न किसी ऐसे रास्ते पर ले चलना है जहां यह तय करना होगा कि देश में ब्यूरोक्रेटिक तंत्र को रेस्पांसीबल बनाने के लिए हम किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं।

महोदय, आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। इस मिलेनियम में ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो इस देश के मूल तत्व तक पहुंचकर इस देश के आने वाले भविष्य में इन भूमिकाओं में अपनी भागीदारी निभा सके। इन शब्दों के साथ, इस बिल को अपना पूरा समर्थन देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दल की स्थिति एक बात पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैसे हम सुधारों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन सुधार किसके लाभ के लिए किए गए हैं? हम सुधारों की गुणवत्ता और स्वस्थ सुधारों की दिशा और निसंदेह वास्तविकता को जानने को ध्यान में रखते हुए सुधारों के अनुक्रम और गति का विरोध करते हैं। भारत में किये गए सुधारों के स्वरूप और गुणवत्ता पर कोई आम सहमति नहीं है।

मैं, 1998 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा का उल्लेख कर रहा हूं। वे कहते हैं

इसमें कहा गया है यह अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है और वास्तव में यह स्वयं भ्रष्टाचार के लिए अधिक मौके प्रदान करता है।

वह कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 1991 से आरंभ हुए कांग्रेस के उदारीकरण को खोखला उदारीकरण के रूप में वर्णन कर रही है। मैं विस्तार में यहीं पढ़ रहा हूं लेकिन वहां कई बातें और कहीं गई हैं। एक स्थान में वे कहते है : "पिछले छः वर्षो में – "यह वह 1998 में कह रहे हैं"– जब अतिचर्चित सुधारों पर कार्य किया जा रहा था, आम आदमी के लिए बहुत परेशानियों वाले वर्ष थे। खाद्यान्न का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ गया है, आम जनता के लिए अनाज की उपलब्धता कम हो गई थी और भारतीय उद्योग के लिए समय उचित नहीं था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बी. जे. पी. **स्वदेशी** अथवा आर्थिक राष्ट्रवाद द्वारा निर्देशित होगा।"

एफ डी आई के बारे में वे कह रहे हैं–और जो अभी उनका तर्क है – और मैं पढ़ रहा हूं।

"तथाकथित सुधारों के पश्चात् भी–कृपया मेरे कांग्रेसी मित्र नोट करें – "राष्ट्रीय निवेश में एफ डी आई का अंश 2 प्रतिशत कम हैं। अर्थात लगभग 1991 से 1996 के वर्षों के दौरान लगभग 12,30,000 करोड़ रुपये के कुल राष्ट्रीय निवेश में से एफ डी आई केवल 18,500 करोड़ रुपये ही बनता है। "यह स्पष्ट है कि अवसंरचना जैसे कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होने के बावजूद विदेशी पूंजी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मामूली महत्व ही रखेगी।"

आगे वे कहते हैं :

"भारतीय जनता पार्टी उदारीकरण की रुप रेखा और कार्यक्रम की स्पष्ट परिभाषा करेंगी। कारपोरेट विधि, आयकर विधि और अन्य वाणिज्य विधियों का संशोधन करने जैसे प्रक्रियात्मक सुधारों को बीमा और पेंशन विधि सम्बन्धी नीतियों जैसे नीति प्रतिपादन से अलग किया जायेगा।

उन्होंने 1998 में यह कहा था। उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन अस्तित्व में आया। उन्होंनें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वे एक सर्व मान्य उद्देश्य के लिए सर्व सम्मति बना रहे हैं। और किस उद्देश्य के लिए? स्वदेशी पर जोर देने के लिए भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. सेनगुप्त, आप दीर्घा के अधिकारियों से इस प्रकार बातचीत नहीं कर सकते।

श्री रूपचंद पाल : साथ ही उन्होंने कहा था कि देश रोजगार के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए और अन्य बातों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया था वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, स्वदेशी उद्योग आधार और वित्तीय और सेवा क्षेत्रों को भी कम महत्व नहीं देंगे अपितु उसे सुदृढ़ बनायेंगे। यह आश्वासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा दिया गया था। क्या भाजपा के भीतर सर्वसम्मति है। मैं उस बात पर क्रमानुसार आऊँगा। जब श्रीमती सुषमा राज्य सभा की याचिका रामिति की सभापति थी, समिति को क्या कहना था। याचिका समिति ने सर्वसम्मति से, मैं दोहराता हूं, सर्वसम्मति से सिफारिशें की थीं। परन्तु स्थायीसमिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन पर सर्वसम्मति नहीं थी। हमनें अपने मतभेद दर्ज कराएं थे। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खेद होता है कि यदि आप मतभेदों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि विभिन्न वर्गों के अधिसंख्य लोगों को समिति के सम्मुख उपस्थित होने से वंचित रखा गया था, मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि बीमा उद्योग को विदेशी निवेश के लिए खोलने के प्रस्ताव के विरोध में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।

[श्री रूपचंद पाल]

वे कौन लोग हैं? वे लोग दोनों पक्षों के संसद सदस्य हैं। विधायक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के न्याय शस्त्रियों अर्थ शास्त्रियों सामाजिक वैज्ञानिकों प्रख्यात पत्रकारों और अधिकांश व्यक्तियों ने भी स्थायी समिति के सम्मुख उपस्थित होने का प्रस्ताव किया था।

मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खेद होता है कि मुझे यह लिखना पड़ा था कि स्थायी समिति अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है। नौकरशाहों, योजना आयोग के सदस्यों, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित होने से वंचित रखा गया और केवल कारपोरेट जगत के मित्रों को ही अपने पक्षपातपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करने दिया गया।

आप अपने ही नेता के सर्वसम्मत प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं कर रहें हैं और आप उस स्थायी समिति के प्रतिवेदन को आधार मान रहे हैं, जिसके सभापति कांग्रेस पार्टी के थे, जिन्होंने स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत होना चाह रहे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया था। सुषमा स्वराज समिति द्वारा क्या प्रतिवेदन दिया गया था? इसमें कहा गया है :

"समिति निश्चित रूप से यह मानती है कि बीमा क्षेत्र के पूर्ववर्ती राष्ट्रीयकरण उद्देश्यों से अलग हटने का अभी समय नहीं आया है और वर्तमान नीति को जारी रखने और उच्चतर क्षमता वाली प्रणालियों में सुधार की सिफारिश करती है।"

इसमें इस बात को दृढतापूर्वक कहा गया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

हमारे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज को क्या कहना है? ...*(व्यवधान)* जी हां, मेरे पास सब कुछ है। एक–एक करके मैं उन्हें सामने लाऊंगा। मुझे पता चला है कि बहुमत इसके विरुद्ध है। सभा के अधिकांश सदस्य इसके विरुद्ध हैं, मैं उनका उल्लेख एक के बाद एक करूंगा कि ज्यादा पहले नहीं बल्कि 1997 या 1998 में किन–किन लोगों ने इसका विरोध किया था बल्कि 1999 में भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और अब वे अपनी बात से हट रहे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 26 प्रतिशत विदेशी भागीदारी का विरोध किया था।

भारत में 8 प्रतिशत की भागीदारी से कोई सबसे बडी भारतीय कम्पनी पर नियंत्रण कर सकता है। श्री स्वराज पाल, जोकि आजकल लार्ड है, पहले एस्कार्ट को अपने अधीन लाने के संबंध में भारत आए थे। जब वे वापस जा रहे थे उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था। उन्होंने पूछा था : "क्या भारत में कोई निजी कम्पनी है भी?" वे ऐसी निजी भारतीय कम्पनियों की सूची दे रहे थे, जिन्होंने–किसी समय–कुल मिलाकर 264 करोड़ रुपये का निवेश किया था और भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की 27,000 करोड़ रुपये की धनराशि पर नियंत्रण रख रही थीं।

अब आप विधेयक में 26 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं। विदेशी भागीदारिता के बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज का कहना है :

[हिन्दी]

"देशी कम्पनियों के हाथ में देते हैं तो आज जो हमारी कम्पनियां हैं, चाहे कोई भी विदेशी कंम्पनी हो, हिन्दुस्तान में शेयर खरीदने पर उनके लिए कोई रोक नहीं है। चाहे मुम्बई में, चाहे दिल्ली में, वे कहीं भी शेयर खरीद सकती हैं, उनके ऊपर कोई भी रोक नहीं है, उनके शेयर खरीदने को इजाजत देते है। वह उनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है।"

मैं एक कांग्रेस लीडर की स्पीच पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन पहले इंगलैंड गया था।

[अनुवाद]

यह अभिलिखित है। मैं दूसरी सभा के कार्यवाही–वृतांत को पढ रहा हूं। महोदय, कृपया सुनिए।

"मुझे इंग्लैंड में संसद सदस्यों से मिलने का अवसर मिला था और कुछ कांग्रेसमैन मुझसे पूछ रहे थे ..... संसद सदस्य वहां पर थे। मैं उनसे मिला और उनसे चर्चा की थी। अमेरिका के कांग्रेसमैन भी वहां पर उपस्थित थे। हमने वहां पर चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा क्या हमारी सरकार बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने जा रही है। मैंने उनसे कहा कि सरकार द्वारा इसकी खूबियों और खराबियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और अभी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। वे इतनी ज्यादा जल्दी में थे कि एक संसद सदस्य ने कहा था कि – मैं उस सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं– वे चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं परन्तु जब हम भारत में बीमा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलेंगे तब वे भारत आकर निवेश करना पसन्द करेंगे। इस प्रकार की चिन्ता पश्चिमी देश दिखा रहे हैं।

महोदय, मि. फ्रांक विजनर, जोकि भारत में अमेरिका के राजदूत थे अब वे भारत–अमेरिकी व्यापार परिषद् के चेयरमैन हैं।

उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र उनका ध्वजपोत है और यदि हम उनके ध्वजपोत को अनुमति नहीं देते हैं तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का बेड़ा भारत में कैसे आएगा? मैं कई बातों का उल्लेख कर सकता हूं। आपके द्वारा बीमा क्षेत्र को खोले जाने के कारण पहले ही कई लोग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे संविदाएं कर चुके हैं। ग्राहकों को आकर्षित करना आरम्भ कर दिया है और मेरे विचार से 246 से भी ज्यादा, आंकड़ा इस संख्या को भी पार कर गयी है, हमारे सक्षम पेशेवर लोगों को लाभकारी पदों और अन्य

वित्तीय आर्कषणों से निजी कम्पनियों ने अपने पास नौकरी पर रख लिया है। बीमा क्षेत्र में राष्ट्रीय बचत लगती है। हमारे अपने पेशेवर लोगों, हमारे अपने विशेषज्ञों को विदेशी कम्पनियां आकर्षित कर लेंगी और हमारे अपने लोगों को राष्ट्रीय बचत से वंचित होना पड़ेगा जोकि इस समय राष्ट्र निर्माण में उपयोग में लायी जा रही है।

जब भाजपा विपक्ष में थी उस समय उन्होंने विदेशी बीमा कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र को खोले जाने के विरोध में एक संशोधन प्रस्तुत किया था। मैं श्री राजेश पायलट का उल्लेख कर रहा हूं। वे बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। हमें उनके दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं उनके पिछले भाषण से उद्धत करता हूं :

"सामाजिक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लाख करोड़ रुपये सामाजिक क्षेत्र को जाते हैं। इस प्रकार का सुरक्षोपाय विधेयक में नहीं है। यदि आप स्थायी समिति के लिए सुझाव देते हैं तो हम उस संबंध में अपने विचार रख सकते हैं।"

श्री राजेश पायलट : मैं अपनी बात पर कायम हूं।

श्री रूपचंद पाल : अब उन्होंने एक शर्त लगायी है परन्तु उन्होंने अभी भी सुझाव नहीं दिया है कि इसका संसद द्वारा न केवल विश्लेषण और अध्ययन ही किसा जाना चाहिए अपितु विशेषज्ञों के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह ठोस नहीं है। यह अस्पष्ट है।

मैं राज्य सभा में बोल चुके कांग्रेस के सदस्यों में से एक का उल्लेख करूंगा ...*(व्यवधान)* बाद में मैं कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र और उसके महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा किए गए घोषणा पत्र की व्याख्या पर आऊँगा। राज्य सभा के कांग्रेस संसद सदस्य श्री वयालार रवि ने एक लेख लिखा था और मेरे पास उस लेख की प्रति है। कांग्रेस के एक सदस्य की तरह, उन्होंने कहा है : "हमें यह क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोलने का कोई अधिकार नहीं हैं" वे अन्तःकरण के आधार पर मतदान तक की मांग कर चुके हैं। मैं भी इस सभा के अन्तःकरण से अपील कर रहा हूं क्योंकि यदि मैं उद्धरण देता जाऊँ तो हमें पता चलेगा कि किसी न किसी समय इस संबंध में गम्भीर शंकाए रही हैं। 1993 में जब श्री टी. एन. चतुर्वेदी ने जानना चाहा था, एक और समिति का गठन क्यों किया गया तो डा. मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारतीय बीमा कम्पनियां और विदेशी कम्पनियां समान रूप से कार्य कर रही हैं। मंत्री महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त करने के लिए समिति के विचारणीय विषयों को पढ़कर सुनाया था कि विदेशी कम्पनियों के प्रश्न पर अध्ययन नहीं किया जा रहा है और इसका उद्देश्य केवल जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कार्यकरण की समीक्षा करना है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में क्या कहना था? यह उनके घोषणापत्र के पृष्ठ 50 पर उल्लिखित है।

यह "बुनियादी संरचना" अध्याय के अंतर्गत उल्लिखित है। मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं परन्तु मेरे पास भी कुछ बुद्धि है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने "बुनियादी संरचना" के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम का उल्लेख किया था। इसमें कहा गया है :

"आधारभूत संरचना जिसकी भारत को बहुत जरूरत है के तेजी से विस्तार के लिये, दीर्घकीलिक वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। बुनियादी विकास के लिए दीर्घकालिक निधियों के आगम को बढ़ाने के लिए बीमा उद्योग का पुर्नगठन किया जायेगा। प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम को मजबूत बनाया जाएगा, उसका निगमन किया जाएगा और उसका व्यावसायीकरण किया जायेगा। भारतीयों के पास अधिक ईक्विटी वाली निजी क्षेत्र की कम्पनियों को सभी बीमा और पेंशन कार्यों की अनुमति दी जाएगी

श्री राजेश पायलट : आपने हमारे घोषणा पत्र का उल्लेख किया है। हमारे घोषणा पत्र में क्या गलती है?

श्री रूपचंद पाल : मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। विश्व निवेश रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

श्री बसुदेव आचार्य : आप श्रीमती रेणुका चौधरी से भी बात कर सकते हैं। उन्होंने बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने और उसे खोले जाने का विरोध किया था।

श्री रूपचंद पाल : मैं वहीं करूंगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) : आज मैं इस सभा में आकर अपनी बात कहने का साहस करती हूं कि हम संवेदनशील हैं और समाज के अनुसार परिवर्तनशील हैं कि हम बीमा को अलग रखकर नहीं देख सकते, हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा जो भारत को आगे ले जाये।

श्री बसुदेव आचार्य : एक साल के अंदर आप अपना दृष्टिकोण बदल भी सकते हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी : यह एक तीव्र गतिवाली प्रकिया है जिसके अनुसार देश चलता है। इसी तरीके से दुनिया चलती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, सभा में क्या हो रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : एक साल पहले आप इसका विरोध कर रहे थे और एक ही साल के अंदर आपने अपने विचारों को बदल लिया।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) देश बदल गया, दुनिया बदल गई। परंतु लगता है कम्युनिस्टों को इसकी जानकारी ही नहीं हैं। उनके लिए समय के साथ चलना कठिन काम है।

श्री रूपचंद पाल : उन्होंने मुझे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री पी. वी. नरसिंम्हाराव द्वारा हाल ही में दिये गए वक्तव्य का उल्लेख करने के लिए उकसाया है जिन्होंने इस देश में सुधार शुरू किये थे।

श्रीमती रेणुका चौधरी : उनके बारे में क्या कह रहे हैं? कृपया वर्तमान प्रधान मंत्री के बारे में भी बताइये और यह भी बताइए कि उन्होंने क्या कहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आप 17 मिनट बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने अभी–अभी बोलना शुरू किया है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : कृपया समय देखिये। वे इस तरह तो समय का अनुमान लगाते हैं।

श्री रूपचंद पाल : उन्हें बेचैनी हो रही है, उन्हें बेचैनी नहीं होनी चाहिये। मैं केवल उन्हें सचेत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, श्री आचार्य ही आपकी बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हममें से कोई नहीं।

श्री रूपचंद पाल : अब मैं विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करता हूं। 1998 में एफ डी आई के 642 विलियन अमरिकी डालर में से 1997 में यह 39 प्रतिशत अधिक था। एफ डी आई के अधिकांश भाग का उपयोग केवल विलय और अधिग्रहण के लिए ही किया गया था। विश्व निवेश रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों को होने वाली एफ डी आई की आमद 166 विलियन अमरिकी डालर तक कम हो गई है। इस अवधि के दौरान भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आय में काफी हानि हुई है। एफ डी आई में वृद्धि नहीं हुई है और न ही इसमें वृद्धि होगी।

दूसरी तरफ भारतीय जीवन बीमा निगम देश में किस तरह काम कर रहा है? छठी योजना के दौरान इसकी राशि 12000 करोड़ रुपये थी. सातवीं योजना में यह 25000 करोड़ रुपये हो गई। आठवीं योजना में यह 56000 करोड़ रुपए थी और नौवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान यह 43000 करोड़ रुपए थी। अकेला भारतीय जीवन बीमा निगम नौंवी योजना के दौरान निवेश के लिए 130000 करोड़ रुपए दे सकता है। ऐसा और कौन कर सकता है? क्या कोई विदेशी कम्पनी ऐसा करेगी? भारतीय साधारण बीमा निगम 30000 करोड़ रुपए से अधिक दे सकता है और वे सरकार को अधिक से अधिक लाभांश दे रहे हैं। 1997–98 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने 198.35 करोड़ रुपए लाभांश दिया था।

वर्ष 1998–99 के दौरान यह लाभांश 235.70 करोड़ रुपए था। सरकार कार्पोरेट टैक्स की बात कर रही है। मैं यहां कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। पिछले सप्ताह यह छपा था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आयकर नहीं दे रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद ग्रिंडले बैंक 700 करोड़ का भुगतान नहीं कर रहा है। वे भारतीय धन को लूट रहे हैं परन्तु इन भारतीय कम्पनियों ने 563.06 करोड़ रुपए निगम टैक्स दिया है। वर्ष 1998–99 के दौरान उन्होंने 726.96 करोड़ रुपए कोरपोरट टैक्स दिया था 1956 में सरकार की ईक्विटी कितनी थी? जीवन बीमा निगम के लिए यह राशि पांच करोड़ रुपये ही थी। 1971 में साधारण बीमा निगम के लिए भारत की ईक्विटी 21.5 करोड़ रुपए थी। तब से सरकार ने इसमें एक पैसा भी नहीं जोड़ा।

महोदय, दामों के निपटान के संबंध में क्या कहना है? यह पूरे विश्व में सबसे बढ़िया है। यह जीवन बीमा निगम के लिए 98 प्रतिशत है और साधारण बीमा निगम के लिए 74 प्रतिशत है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि विश्व का औसत प्रतिशत कितना है। यह केवल 40 प्रतिशत है। फिर हम अक्षम कैसे हुए?

महोदय, अब मैं नियामक पद्धति की बात करना चाहूंगा। यह कहा गया है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं। हम विनिवेश नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक पेपर है जिसमें श्री राहुल बजाज का बयान लिखा है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : वे सरकार के प्रमुख सलाहकार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मियिलादुतुरई) : उन्होंने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया था। श्री वाजपेयी ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त नहीं किया था। ...*(व्यवधान)* वे यहां सी. आई. आई. के एजेंट के रुप में बैठे हैं।

श्री रूपचंद पाल : उन्होंने कहा है कि वित्तीय सुधारों की आवश्यकता है। इसमें बैंकिग क्षेत्र, बीमा और पूंजी बाजार शामिल हैं। इसमें बैंकों का निजीकरण भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा है कि अंत में बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में विनिवेश द्वारा निजीकरण किया जाना चाहिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : आप कृपया उस तरफ भी देखें।

श्री रूपचंद पाल : मैं उन्हें इस बारे में कह रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया उधर देखिए, वे लोग आपके विरुद्ध हैं।

श्री रूपचंद पाल : जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के बारे में प्रबंधकों का क्या कहना था? मैं यहां विस्तार से नहीं बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही 25 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, यह उनके भाषण की केवल भूमिका ही है।

श्री रूप चंद पाल : महोदय, जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक ने जो कुछ कहा है उसे मैं यहां कहता हूं:

"जैसे ही निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी तो जीवन बीमा निगम के माध्यम से संसाधनों को बढ़ाने के लालच को देखते हुए अवांछनीय उद्यमियों को इस क्षेत्र से बाहर रखना कठिन हो जाएगा। जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में कहा गया है, पूंजी काफी कम होगी।"

महोदय, विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में आने की इच्छुक क्यों हैं। वह भी केवल 26 करोड़ रुपए के साथ। कोई उच्च प्रोद्योगिकी शामिल नहीं है परंतु इसमें केवल अधिक लाभ है और राष्ट्रीय बचत का उपयोग केवल संभावित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा जिनका अब केवल सामाजिक विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 1956 से पहले की स्थितियां अब दोहराई जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। श्री बी. बी. रमैय्या।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं केवल पांच मिनटों के अंदर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

अब मैं वह उद्धत करना चाहूंगा जो श्री सी डी देशमुख ने एक बार श्री फिरोज गांधी को उत्तर देते हुए कहा था। मुझे आशा है कि आप दोनों नामों से परिचित होंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : बहुत अच्छी तरह।

श्री रूपचंद पाल : यह बात निजी क्षेत्र और इस बारे में थी कि वे स्थिति का किस तरह लाभ उठाने वाले हैं। हम 1956 से पहले की स्थिति में वापस जा रहे हैं।

श्री सी. डी. देशमुख ने श्री फिरोज गांधी से कहा था। "कौटिल्य के जमाने में 42 तरीकों से धोखा दिया जा सकता था. ....."

एक बार माननीय वित्त मंत्री ने कौटिल्य का उल्लेख किया था और इसीलिए मैं भी कौटिल्य का उल्लेख कर रहा हूं।

"कौटिल्य के जमाने में जो संख्या 42 थी वह बढकर अब इन दिनों असंख्य हो गई है।"

यदि हम इस रिपोर्ट का अध्ययन करें तो हमें देखने को मिलता है कि श्री सी. डी. देशमुख राष्ट्रीयकरण के महत्व के बारे में बोल रहे हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में थी जिसकी विचारधारा को आज भी कुछ सदस्य मानते हैं और जनसंघ भी थी हालांकि उनकी संख्या कम थी जिन्होंने राष्ट्रीयकरण का विरोध, किया था। अन्ततः कांग्रेस के भीतर 1969 में विभाजन हुआ था जिसे 'सिंडिकेट' और 'इंडिकेट' के बीच में विभाजन के रूप से पुकारा गया था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भा. ज. पा. बनने तक उसी परम्परा को निभा रही है। फर्क सिर्फ आया है उसके पैतरों, मुखैटों और आवरण में। क्या वर्तमान कांग्रेस ने पुराने कांग्रेस नेताओं को छोड दिया है? क्या वे अपने नेताओं का आदर नही करते हैं? क्या वे उन कारणों और औचित्यों के साथ सहमत नहीं हैं जिन के आधार पर राष्ट्रीयकरण किया गया था? वे स्वयं अपनी विचारधारा से दूर भाग रहे हैं। वे अपनी विरासत को छोड़ रहे हैं। यदि उन्हें सीमांकन करना पड़ता है तो उनमें यह कहने का साहस होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बीमा क्षेत्र में निजीकरण का विरोध करती है। सरकार मजबूर होकर दबाव के अंतर्गत ईष्ट सिद्धि और अवसरवादिता के कारण इसे कर रही है।

महोदय, 1988 में सुपर 301 पर मावलंकार हाल में चर्चा हुई थी। उस चर्चा में माननीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने कहा था कि उदारीकरण हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा और वित्तीय क्षेत्र के खोले जाने के लिए वह तमाम जिन्दगी सुपर 301 के लिए हम पर दबाव डालने के लिए अमरीका के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री राम विलास पासवान, श्री मुरासोली मारन और श्री करूणानिधि प्रत्येक ने विगत में इसी प्रकार की बातें की थीं। श्री करूणानिधि ने श्री मुरासोली मारन की उपस्थिति में तमिलनाडु मे प्रदर्शन का उद्घाटन किया था।

मैं उस प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा सकता हूं। माननीय अध्यक्ष ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे जब 116 संसद सदस्यों ने इसे खोले जाने की पहल का विरोध करने के लिए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था। कांग्रेस से कई मित्रों ने अपने हस्ताक्षर किये थे इसका विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने हस्ताक्षर किये थे और ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। महोदय, मैं विचारणीय मुद्दों से स्वार्थ साधने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं तो उन सभी की अन्तरात्मा को पुनर्विचार की प्रार्थना कर रहा हूं जो इस देश को प्यार करते है और जिनमें देशभक्ति की भावना जरा भी बची हुई है। यह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक वित्तीय भार डालकर तबाही का कारण बनेगी। यदि आप "फेल्ड प्रोमिस्स" पढ़ते हैं जो अमेरिका के परिपेक्ष्य में "हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव" की रिपोर्ट है तो यह बिल्कुल स्पष्ट होगा। क्या वे अपने देश में बाहरी लोगों को कार्य करने की अनुमति देते हैं। जी हां, लेकिन केवल 3 प्रतिशत तक ही होगा। हम आदान–प्रदान की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन बीमा क्षेत्र अपने हाथ में नहीं ले सकता क्योंकि यह अत्यंत सुरक्षित बाजार है। हम भारतीय इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल रहे हैं जबकि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और हम जाने–अनजाने इसके भागीदार बन रहे हैं।

[श्री रूपचंद पाल]

महोदय, स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के निजीकरण करने के पश्चात् सबसे लाभकारी क्षेत्र सरकार के हाथ से निकल जाएगा। शहरी क्षेत्र ले लिए जाएंगे। कुछ कहते हैं कि हमारे पास आकर्षक उत्पाद नहीं हैं? लेकिन एल आई सी और जी आई सी के उत्पाद साधारण लोगों के लिए हैं।

अपराहन 4.00 बजे

लेकिन एल आई सी और जी आई सी आई के उत्पाद साधारण लोगों और नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए हैं और फैशन उत्पादों उच्च मध्यवर्ग के लोगों के लिए होते हैं और बीमा जैसे ऐसे उत्पादों की बड़ी संख्या में फिल्मी कलाकारों की टांगों के लिए बीमा और कुछ कलाकारों की आंखों के लिए बीमा जी आई सी आई और एल आई सी आई में उपलब्ध नहीं होगा। *(व्यवधान)* वह अच्छा है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एल आई सी जी सी आई सी द्वारा हमारे देश के कमजोर वर्गों और गरीब वर्गों की सेवा किस प्रकार से की जा रही है।

मैं विनियामन निकाय 'सेवी' के बारे में बात कर रहा हूं। भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक जैसी विनियामक संस्थाओं के साथ हमारा अनुभव कैसा रहा है? अमरीका जैसी अत्यधिक नियमित बाजार में ये संस्थाएं विफल रही हैं और "अपूर्ण वायदों" जैसी कहानियां सामने आयी हैं। क्या आप बीमा के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते है? विश्वभर में गठबंधन अल्प विक्रेताधिपत्य, एकाधिपत्य–विलयन और अधिप्रापण की स्थितियां हैं। क्या आप इन सब के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं? ऐसे सकल घरेलू उत्पाद के साथ जैसाकि भारत में प्रतिव्यक्ति आय 425 डालर है, आप किस प्रकार और अधिक बाजार की अपेक्षा कर सकते हैं? आप बीमा के संबंध में स्विटजरलैण्ड की रिपोर्ट देखिए। वहां बीमा का कार्य व्यापर केवल 3 प्रतिशत है। यूरोप और अमरीका में बीमा कम्पनियों में बहुत कम लोगों को विश्वास है। क्या वे विदेशी कम्पनियां यहां आकर हमारे सामाजिक क्षेत्र की सेवा करेंगी और हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रकिया को बढायेंगी? वे प्रीमियम में विश्वास रखते हैं। बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष ने तो साफ कहा है कि प्राधिकरण का शुल्क और प्रीमियम के निर्धारण के संबंध में कोई विशेष कार्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समय की सीमा है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। बहुत हो गया है।

श्री रूपचंद पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। विधेयक का विरोध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक सही मायनों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक नहीं है। इस विधेयक को तो बीमा विनियन्त्रक और विध्वंसक प्राधिकरण विधेयक के नाम से पुकारना बेहतर होगा। मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

डा. बी. बी. रमैया (एलूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण संबंधी यह विधेयक जैसाकि श्री राजेश पायलट ने बताया है 1993 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। सुधार 1991 में आरम्भ किए गए थे और उस समय इसे भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गर्वनर श्री मल्होत्रा को भेजा गया था ताकि वे इन ब्यौरों का अध्ययन करें और उस पर अपनी रिपोर्ट दें। यह रिपोर्ट 1994 में प्रस्तुत की गई थी और बाद में 20 दिसम्बर 1996 को संयुक्त मोर्चा सरकार इसे संसद में लेकर आई और इसे वित्त मंत्रालय और विभागीय स्थायी समिति को उनकी टिप्पनियां देने के लिए भी भेजा गया। बाद में इसे मार्च 1998 में पुर्नस्थापित किया गया और इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अब यह विधेयक सदन में चर्चा के लिए आया है और यह कई क्षेत्रों में होकर आया है। लोगों का कहना है कि इसे और अधिक समय दिया जाना चाहिए। यह जनता द्वारा उचित जांच–पड़ताल अथवा गहन अध्ययन किये जाने के पश्चात् ही लाया गया है। पिछले छः वर्षों के दौरान यह विधेयक कई बार प्रस्तुत किया गया है। यह स्थायी समितियों को भी भेजा गया है और उन्होंने इसकी जांच भी की है और अपनी रिपोर्टें भी भेज दी हैं। अन्ततः माननीय वित्त मंत्री जी ने इन सब पर विचार विमर्श किया है और यह सभा में लाया गया है। मुझे विश्वास है कि इसका प्रारूप बनाने के लिए और इस पर अभीष्ट सुझाव दिये जाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अब यह विधेयक सभा के विचारार्थ लाया गया है क्योंकि बीमा क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आप बीमा क्षेत्र में हम जो संसाधन जुटा सकते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने इंडियन एंयरलाइंस का भी उदारीकरण किया है और उदारीकरण से पहले और बाद की स्थिति में काफी भिन्नता देखी गयी है और उस समय निजी एयरलाइंस का बहुत लोगों ने विरोध किया था आज वे लोगों के विचारों और उनकी अभिरुचि तथा अन्य विकासों में संबंध में अंतर महसूस कर रहे है और वही भावना बैंकिंग के मामलों में भी है।

हमने बैंकिंग क्षेत्र भी निजी क्षेत्र को दे दिया है और यहां तक कि विदेशी बैंकों ने बैंक संबंधी विभिन्न कार्यों का विस्तार भी किया है। जैसा कि श्री राजेश पायलट ने कहा है, हमें इस क्षेत्र में एक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

आप दूर संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप प्रतिस्पर्धा में क्यों आना चाहते है? आज सरकार की यही नीति है क्योंकि अनेक कठिनाइयों से गुजरने के बाद वही सरकार जिसने अनेक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया था, आज इस बात को जान गई है कि लोगों तथा देश के हित में हमें सुधार करने और उदारीकरण अपनाने की आवश्यकता है।

अतः जहां भी सम्भव हो हमें निजीकरण करना चाहिए और

प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनानी चाहिए जो कि आवश्यक है। दूरसंचार के क्षेत्र में, बहुत तीव्रता से विस्तार हुआ है।

बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के विभिन्न संघों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी मुख्य चिन्ता रोजगार की सुरक्षा के संबंध में है। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि उदारीकरण के बाद निजी कम्पनियों के प्रवेश के बाद प्रतिस्पर्धा में आ जाने के बाद रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा। कोई समस्या नहीं रहेगी। आज हम दो लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। यह कई गुणा हो जाएगा। अधिक संसाधनों का भी सृजन होगा।

श्री पायलट ने सामाजिक दायित्वों का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि यह निजी बीमा कम्पनियों के दायित्वों का एक भाग बन जाएगा। आन्ध्र प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकार द्वारा झुग्गियों का भी बीमा किया जाएगा। वह निम्न वर्ग से संबंधित लोगों को सहायता प्रदान करना चाहते हैं। अतः एक निर्धन परिवार में पैदा हुई बालिका का 5000 रु. का बीमा किया जाता है ताकि जब तक वह 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में पहुंचेगी, उसे शादी अथवा शिक्षा के लिए 25000 रु. मिल सकेंगे। मुझे विश्वास है कि बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की इस नई नीति से अधिक से अधिक विकास होगा।

कृषि के क्षेत्र में बीमा के कार्य का विस्तार करने की विभिन्न सम्भावनाएं है। इस देश में अरबों पशु है। उनका बीमा करने की भी आवश्यकता हैं। आज हम फसल बीमा की बात कर रहे हैं। इसका विस्तार करने की आवश्यकता है और उन्हें काफी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

हमें अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी मात्रा में संसाधनों का सृजन करने की आवश्यकता है। हमें 20 बिलियन डालर से अधिक धनराशि की आवश्यकता है और हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। सरकार ने निजी क्षेत्र को भी प्रवेश दे दिया है। हमें संसाधनों को बाहर से लाने की आवश्यकता है। इसलिए संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह प्रस्तावित किया गया था कि 10 बिलियन डालर का निवेश बाहर से आएगा। इसके पीछे विचारधारा यह है कि कुछ संसाधनों का सृजन विकास के लिए किया जाता है। अतः जो विकास कार्य सम्भवतः बीस वर्षों में हो सकते हैं, अब पांच वर्षों में होंगे।

हम बोइंग वायुयान द्वारा यात्रा कर रहे हैं। हम जेट हवाई जहाजों से यात्रा क्यों न करें? हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शेष विश्व में हो रहे परिवर्तनों का लाभ उठाना चाहता है। हमारे पास काफी प्रोद्यौगिकी है। हमारे पास काफी वैज्ञानिक हैं। देखिए कि साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या हुआ है? हम विश्व के अधिकांश साफ्टवेयर का उत्पादन कर रहे हैं। यहां तक कि जार्ज बुश जूनियर ने एक बात कही थी कि अगले दस से पन्द्रह वर्षों में विश्व की साफटवेयर प्रौद्योगिकी का 60 प्रतिशत भारत से आएगा। यहीं हमें अवसर प्राप्त हो रहें हैं। हमें इस देश के लोगों की प्रतिभा और योग्यता पर विश्वास होना चाहिए। हमें बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए और यह केवल हमारे हित में ही है।

देखिए वायुसेवा, जहाजरानी और अन्य बड़े–बड़े उद्योगों के संबंध में क्या हुआ है? काफी मात्रा में धन की पुनर्वित के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन नही हैं। हम काफी धन पुनर्वित के लिए खर्च कर रहे हैं। इसलिए हम बीमा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हमें बीमा क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। हमें बीमा क्षेत्र का विस्तार करना है। हमारे संसाधन अवश्य बढने चाहिए।

हमारे पास संसाधनों के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हमें इस बात की आवश्यकता है और इसलिए सामाजिक दायित्व बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसा कि श्री पायलट ने कहा है।

जल विद्युत परियोजनाओं की तरह काफी उद्योग हैं जिनको पूरा करने में काफी लम्बी अवधि की आवश्यकता होती है। यह वे क्षेत्र हैं जहां बीमा कम्पनियों द्वारा उत्पन्न संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार इसे हमेशा नियमित कर सकेगी। जो विधान हम आज पारित करते हैं, वही अन्तिम नहीं है। संसद के पास उसमें संशोधन करने, उसे सही करने और उसमें विकसित करने का अधिकार है।

माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की निगरानी करनी होगी कि क्या हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और क्या कार्यान्वयन सही तरीके से किया जा रहा है। हम निरन्तर इसकी निगरानी कर सकते हैं, हम बार–बार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हम लोगों की सलाह ले सकते है। आज जो अच्छे अवसर हमारे पास हैं, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। यदि हमें विकास के लिए बाहर से कुछ संसाधनों की आवश्यकता है तो हमें उन्हें प्राप्त करना होगा।

सिलोकॉन वैली में प्राथमिक आधारभूत अनुसंधान कार्य ही किए जा रहे हैं। यह जापान में नहीं हो रहा है। लेकिन जापान अधिक तीव्रता से इसका विकास कर लेगा और व्यापार की दृष्टि से उत्पादन भी आरम्भ कर देगा। अतः हमें प्रायोगिक अनुसंधान भी करना चाहिए और अन्य देशों में हो रहे विकासों का लाभ उठाना चाहिए। हमें हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने चाहिए। यदि हम आज सार्वभौमिकीकरण अथवा उदारीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें विश्व में हो रहे विकासों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। आज काफी देश विश्व व्यापार संगठन का इन्तजार कर रहे हैं।

[डा. बी. बी. रमैया]

वे सभी इस संगठन में शामिल होने के इच्छुक हैं। यदि यह सही नहीं है तो वे इसमें शामिल नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि लोग यह कहकर हमसे बात कर रहे हैं कि वे भी विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जायेंगे। इसलिए, हमें अपनी स्थिति को स्थिर रखने में समर्थ होना चाहिए। जब हमने पहले शुरूआत की थी तो हमारे पास मराकेश समझौता था। हमने कुछ किया है, हम निरन्तर सुधार कर रहे हैं और भविष्य में हमारी स्थिति बेहतर से बेहतर हो जाएगी। हम उसमें असफल नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा अपने देश के हित को ध्यान में रखते हैं। हम यही नीति अपनाने जा रहे हैं।

कुछ अन्य मदें हैं जिनके संबंध में, मैं महसूस करता हूं कि हमने कुछ किया है। उन्होंने यहां क्या बताया? नीति क्या कहती है? 1956–57 में 56 लाख पॉलिसी धारक थे; अब यह संख्या बढ़कर 850 लाख हो गई है। प्रीमियम से होने वाली आय बढ़ गई है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है, और शाखाओं की संख्या बढ़ गई है। आज हमें पालिसीधारकों को सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। अब यह कार्य कितने प्रतिशत लोग करते हैं? इसमें कितने प्रतिशत लोग शामिल हैं। यह पाचं प्रतिशत भी नहीं है। हमें देश के कम से कम 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। उन्हें अवसर मिलने चाहिए। इसका अर्थ है कि बहुत सी नई प्रौद्योगिकियां, नई तरीके और ये सब कार्य करने की नई विधियां अपनाने की आवश्यकता है। निरन्तर विकास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उन्हें निवेश भी करना होगा जो कि महत्वपूर्ण है। इस धनराशि का उपयोग विकास उद्योगों के विस्तार और आधारभूत--ढांचे के लिए करना चाहिए ....*(व्यवधान)* सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। वे काफी सामाजिक दायित्व निभा सकते है; बैंकों के संबंध में हम कह रहे हैं कि हमें निर्यात, लघु उद्योगों इत्यादि के लिए इतना पैसा कम ब्याज दर पर चाहिए। हम इसी तरह से इस क्षेत्र में भी कर सकते हैं। हमने हमेशा ऐसा किया है, हमने हमेशा निगरानी रखी है और हम उन्हें हमेशा इस संबंध में आदेश दे सकते हैं। सरकार की सहायता के बिना कोई क्षेत्र अथवा कोई कम्पनी ऐसा नहीं कर सकती है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमैया, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

डा. बी. बी. रमैया : धन्यवाद, महोदय। इसलिए हमने उदारीकरण की नीति बनाई है। हमें विभिन्न आंकड़ों पर भी ध्यान देना है जोकि हमें यहां उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रीमियम से होने वाली आय 19250 करोड़ रु. तक बढ़ गई है, कर्मचारियों की संख्या 1,25,000 तक बढ़ गई है, काम करने वाले एजेंटो की संख्या 5,58,000 तक हो गई है। आज कितने एजेंट कार्य कर रहे हैं? हम ऐसे अनेक एजेंट देखते हैं जो कि अन्तिम दो महीनों में आते है और शेष समय में वे कुछ अन्य कार्य करते हैं। मैं उन जैसे अनेक लोगों को जानता हूं। मैंने इन लोगों को भी बताया है कि यह आवश्यकता निश्चित तौर पर एक अच्छी चुनौती है। युवा पीढ़ी, गतिशील पीढ़ी, गतिशील व सक्रिय, लोगों को सामने आना होगा। बीमा क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए उन्हें पूर्ण–कालिक आधार पर संतोषजनक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। इससे होने वाला लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन वस्तुओं की लागत किस प्रकार कम करते हैं और हम कितनी कुशलता के साथ इनका उपयोग करते हैं। अकुशल लोग हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। हमारे लिए उन लोगों, जो सर्वोत्तम परिणाम देने में सक्षम होंगे, की कार्यकुशलता और क्षमता ही उपयोगी है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास अपने बहुत संसाधन और प्रतिभाएं हैं, किंतु हमें उचित समय पर अतिरिक्त संसाधनों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने कार्यकलापों का विस्तार कर सकें। हम अपने उपग्रहों और राकेटों का निर्माण कर रहे हैं। हम इस देश में बहुत सी अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहे हैं। हम उनका उत्पादन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहां उनकी कमी है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को ही लें लोग कहते हैं इस क्षेत्र में हमारी कुछ कमियां हैं। किंतु आधारभूत अनुसंधान के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है किंतु हम इसे अनुप्रयुक्त अनुसंधान से कर रहे हैं। आज हम वल्क औषधियों के सबसे बड़े उत्पादक हैं और हम उन्हें उन लोगों से भी ले सकते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं। हमारे पास वह क्षमता है।

अतः मेरा मानना है कि इस समय देश के लिए उदारीकरण की यह नीति बहुत महत्वपूर्ण है; यह ढांचागत नीति और यह बीमा नीति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री इस पर सतत निगरानी रखने में सक्षम होंगे। मैं सभी को अपेक्षित सलाह दूंगा। सभा को उचित संशोधन के साथ इस पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, चार बजे वक्तव्य होना था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, एक मिनट।

श्री मुलायम सिंह यादव : चार बजे का समय तो निकल गया। अब मेरे भाषण के बाद करिये। मैं लंबा नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, न है, इसलिए हम इस बिल का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। 1956 में जब सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा कंपनियां लाई गई जैसा कि जिक किया गया था, उस समय केवल 50 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। ...*(व्यवधान)* पांच करोड़ है या 50 करोड़ है, सही तो यशवन्त जी बताएंगे।

हम लोग इधर–उधर से पता लगाकर बोल लेते हैं, 17 सौ करोड़ – इतना मुनाफा ये कंपनियां सरकार को दे चुकी हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है – हम इस सवाल का सरकार से बिल्कुल स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई। यह काम नेहरू जी ने किया था और नेहरू जी बड़े फख्र के साथ इन्हें निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में लाए। पायलट साहब, आपने गांधी जी की विचारधारा को मार ही दिया। ...*(व्यवधान)* आप मत बोलिये, इन्हें बोलने दीजिए। अब नेहरू जी का नाम लेते है, नेहरू जी की विचारधारा को मिटाने में आप जुट गए हैं। आज आपको इस मुद्दे पर भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहिए या आपको विपक्ष के साथ इधर होना चाहिए था। आपका पता नहीं चलता है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : हम कंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह मुझे इसलिए कहना पड़ा चूंकि आप कह रहे हैं कि हम मन से इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम तो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। हम किंचित मात्र भी मन से इसके पक्ष में नहीं हैं कि यह विधेयक लाया जाए। लेकिन आप लाये तो हम इसका विराध करते हैं।

जहां तक भारतीय बीमा कंपनियों का सवाल है, विश्व में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, हमारी कंपनियां उनसे बेहतर हैं। अमरीका जैसे देश में बीमा कंपनियों में घोटाले हुए हैं लेकिन भारत की बीमा कंपनियों में कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमारे देश के सामने आज जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आप देखें कि कितना योगदान इन कंपनियों ने दिया है। दूसरी तरफ आप देखें कि पहले से कंपनियां सेठों की जेबों में थी, लेकिन अब गांवों तक पहुंच गई है और इनमें जो पॉलिसीज हैं वे लगभग 52 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी है। उनका यह कहना कि गांवों में अभी जागृति नहीं आई है, गलत हैं। इसमें गांवों की हिस्सेदारी ज्यादा हैं। बीमा कंपनियां सेठों की जेबों से निकलकर गांवों, देहातों में गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंची हैं। यह विधेयक गरीब किसानों और मजदूरों के पेट पर लात मारने का षड्यंत्र है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : इसमें अर्बन ज्यादा है, गावों की कम हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : गांवों की पालिसीज ज्यादा हैं। मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कितने प्रतिशत हैं : 45 होगा या 51 होगा। हम इसे 45 प्रतिशत से कम तो मानते ही नहीं है। लेकिन हममें और आपमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांवों से शहरों में आ गए हैं जबकि वास्तव में रहने वाले गांवों के हैं। राजेश पायलट जी आपने यहां दिल्ली का पता दे दिया होगा, हमने अपने गांव का पता दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल बीमा कंपनियों ने सात सौ करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर सुधार करने और सहयोग देने में इनका योगदान है, उसके बाद भी विदेशी कंपनियों के हाथों में इसे क्यों दिया जा रहा है?

सरकारी भवनों का निर्माण, रख–रखाव आदि में भी हमारी बीमा कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और धीरे–धीरे झुग्गी –झोपड़ियों तक पहुंचने का इनका प्रयास है। यह भ्रम है कि विदेशी कंपनियों यही पूंजी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाएंगी। यह इस सरकार का एक दिवास्वप्न है। चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, हम बीच के लोगों की बात कर रहे है। हम बीच के लोग चाहते हैं कि ये दोनों (भाजपा और कांग्रेस) हटे और बीच में हम आयें। यही हमारी नीति है और यह नीति कामयाब होगी। जब समय आएगा तो बताएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे मित्र आपके बारे में कुछ कह रहे थे और आप उनके बारे में कुछ कह रहे थे। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था अब आपके गीत गा रहे हैं। कितनी जल्दी बदलाव आया है, अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं और बदलाव आ गया है। इस देश में तीसरी शक्ति तो आनी है। आप कहते है कि बीच में बैठे हुए लोग मन से चाहते हैं कि बीमा विधेयक पास हो जाए। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम नहीं चाहते, हम किसी कीमत पर नहीं चाहते। ठीक है बहुमत के बल पर, धांधली के बल पर आप इसे पास करा लें, कांग्रेस पार्टी का गुप्त रूप से इसे समर्थन प्राप्त है हम अभी तक नहीं जान पाये हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है या विरोध कर रही है। इनके यहां विचार–विमर्श हो रहा है या नहीं। दूसरी बात यह मत कहिये ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : हमने बिल्कुल साफ कहा है कि हम कंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, हमने अमेंडमेंट मूव किये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी तो मुझे बोलने दो, आपको तो हम समझा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

हम तो राजेश जी आपको समझा रहे हैं। आप और हम तो बाद में बातचीत कर लेंगे। आप यहां बैठे हैं। आप कहते हैं कि हमारा पूरा समर्थन है। मैं समझता हूं कि आप भी मन से समर्थन नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है।

श्री राजेश पायलट : मैंने कहा हमारी पार्टी में बेहतर लोकतंत्र है।

श्री मुलायम सिंह यादव : तो क्या हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है? समयाभाव से हम इस संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहते लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

महोदय, जैसा अभी बताया गया था कि यह पूरी की पूरी कार्रवाई अमरीका के दबाव में हो रही है। मैं उसका उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी तक अमरीका में 3.2 से 3.5 प्रतिशत बीमा कंपनियां पालिसियों में वृद्धि कर रही हैं और भारत में यह वृद्धि 15 से 18 प्रतिशत हो रही है। इसके कारण पूरे के पूरे विकसित देशों, विदेशी एजेंसियों, सम्पन्न देशों की निगाहें हमारे देश की तरफ हैं। जब हमारे देश में बीमा पालिसी वृद्धि की इतनी अच्छी दर है, तो फिर विदेशी कम्पनियों को इस क्षेत्र में लाने का खतरनाक खेल क्यों खेला जा रहा है? यह बात समझ में नहीं आ रही है। इस पर मन से विचार किया जाए। आपने अपनी स्पीच में कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय बीमा कंपनियों का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। बीमा क्षेत्र की कंपनियों ने छठवीं योजना में 700 करोड़ रुपए, सातवीं योजना में 1300 करोड़ रुपए और बिजली के क्षेत्र में 8 हजार करोड़ रुपए दिए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में 10 हजार करोड़ रुपए और आवास क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये दिए गए है। अगली योजना में लक्ष्य रखा गया है 30 हजार करोड़ रुपये देने का। इस प्रकार से देश के विकास में बीमा क्षेत्र की कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर हम इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को क्यों लाना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : सर, हमारी शक्लें ही नहीं मिलती बल्कि हमारे दिल भी मिलते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी श्री रूपचंद पाल जी ने हमें बताया कि नौंवी पंचावर्षीय योजना में 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए बीमा क्षेत्र देने को तैयार है और केवल पहले दो वर्षों में 43 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। मैं मुलायम सिंह जी के पक्ष को ही रख रहा हूं। जब ऐसी स्थिति है तो, आप अपने देश के मार्केट को मजबूत करने के लिए काम कीजिए न कि उसे कमजोर करने हेतु।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है, वे देने के लिए तैयार हैं। यह उनकी योजना है। मैं तो वह बता रहा हूं जो मुझे मालूम है। बाकी सही आंकडें तो माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी कंपनियां हमारे देश में कमाने के लिए आ रही हैं, तो क्या ये हमारे देश की पूंजी और संपत्ति का पलायन नहीं करेंगी? इस बात की क्या गारंटी है कि देश की पूंजी का पलायन नहीं होगा? विदेशी और निजी कंपनियां यहां आ रही हैं, तो वे मुनाफा कमाने के लिए आ रही हैं। हमारे देश को लाभ पहुंचाने के लिए वे कंपनियां नहीं आ रही हैं। जो भी व्यापार करता है, ठीक है वह थोडी बहुत सेवा करता है, लेकिन हमें सबक लेना चाहिए कि हम इन्हीं विदेशी कंपनियों के गुलाम रहे और सबसे अधिक समय तक हमने गुलामी सही, लेकिन अब भी आप सावधान नहीं हुए हैं। हमें सबसे अधिक लंबी गुलामी झेलनी पड़ी थी। हमारी बीमा कंपनियों के प्रीमियम सबसे कम है। हमारी बीमा कंपनियों ने 99 फीसदी जीवन बीमा और 78 फीसदी साधारण जीवन बीमा कंपनी भुगतान करती है, जबकि उन्नतशील देशों में बीमा कंपनियों ने 55 फीसदी क्लेमों का भुगतान एक वर्ष में किया है। इस प्रकार से देश की बेहतर कंपनियों की विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कहां तक उचित है और इस क्षेत्र को उन कंपनियों के लिए खोलना कहां तक न्यायसंगत है? क्या यह सच नहीं है कि जर्मनी, फ्रांस और जापान तथा अनेक उन्नतशील देशों ने बीमा क्षेत्र में निजी या विदेशी कंपनियों में पूंजी लगाने से इंकार कर दिया है?

जब उन्होंनें विदेशी पूंजी लगाने से, इंकार किया है तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या आप निवेश को रोक नहीं सकते हैं? आपने विदेशी कंपनियों को यहां बुलाने के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिये हैं। विदेशी कंपनियों के आने से दवाइयां बहुत महंगी हो जायेंगी जिसके कारण गरीब, मध्यम वर्ग बिना दवाई के मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह स्थिति हो चुकी है। कुछ देशों में उन्होंने जाल फेंका है। मैंने मलेशिया का उदाहरण दिया था, अगर आप मलेशिया के प्रधान मंत्री का बयान पढ़ेंगे तो आप सावधान होंगे और उससे सबक लेंगे। लेकिन सबक लेने के लिए मलेशिया के बाद और भी देश है। आपने सबक किसी भी देश से नहीं लिया। जिन–जिन देशों में विदेशी कम्पनियों ने निवेश किया और धन लगाया, वही देश आज सबसे गरीब, कर्जदार और परेशन हैं। इसका उदाहरण मैंने दिया था। एक साल पहले मलेशिया के प्रधान मंत्री ने कहा था कि इन कम्पनियों ने मेरी अर्थव्यवस्था को ही नहीं लूटा बल्कि उन्होंने हमारे देश की राजनीति में भी दखलअंदाजी की है। यही कंपनियां आपके देश की राजनीति में भी दखलअंदाजी करेंगी, ऐसी हमें आशंका है। आप कह रहे हैं कि आशंका क्यों है तो इस तथ्य से मैं आपको अवगत करा चुका हूं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भी विदेशी कंपनियों को हिस्सा देकर देश का अहित क्यों किया जा रहा है? वित्त मंत्री जी इससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम तो यह चाहते हैं कि आप इसे वापस लीजिए। देश के हित के लिए इसे वापिस लेना ही उचित होगा। जब सारी की सारी बातें रखी गयीं तब बीमा कर्मचारियों, किसानों या गरीब मजदूरों को यह सजा क्यों दी जा रही है? उनके पेट पर लात मारने का काम क्यों किया जा रहा है? जब इस क्षेत्र में हम हर स्तर पर आगे हैं और विश्व की अन्य कंपनियों से हमारी कम्पनियां बेहतर स्थिति में हैं तथा उन्होने बेहतर कार्य हर क्षेत्र में किया है तो फिर आप इनके लिए दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? आज आप देख रहे हैं कि इसके कारण लाखों लोग सडको पर उतर आये हैं। क्या आप जन–भावनाओं का आदर नहीं करेंगे? क्या आप मनमाने तरीके से या बहुमत के बल पर सरकार चलायेंगे? अगर ऐसे सरकार चलायेंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि आपकी यह धांधली नहीं चलेगी। मैंने पहले कहा था और आज भी कह रहा हूं कि धांधली करके आप सरकार चलायेंगे तो आपका हाल बहुत बुरा होगा। आपका वही हाल होगा जैसे मैंने सुबह आपको बताया था। अंग्रेज हमेशा यह समझते थे कि अब हम

यहां से कभी नहीं हटेंगे लेकिन धांधली के कारण उनको देश को छोड़ना पडा। धांधली इन कांग्रेसियों ने भी की इसीलिए आपको जनता ने सत्ता से अलग कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस धांधली के कारण आप भी जल्दी हटेंगे। ....*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : दूध के धुले हुए कितने हैं, यह अभी थोडी देर में पता चलेगा। अभी आप 112 रह गये हो, पता नहीं आगे कितने रह जाओगे आप यह मत कहिये क्योंकि अब न तो आपकी कोई पालिसी है और न ही कोई स्टैण्ड है। आपके हाथ में कोई बात नहीं है इसके लिए हम आपसे चाहते हैं कि आप चुप सुनिए। क्या यह अमीर देशों को खुश करने का काम नहीं है? क्या यह सेठों को और अमरीका को खुश करने काम नहीं किया जा रहा है? सीधे–सीधे अमीर देशों, कुछ सेठों को, कुछ उन्नतशील देशों को खुश करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। आप देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम इस सदन में आये हैं।

जहां तक इस बीमा विधेयक का सवाल है, तो इस पर कुछ सदस्य बोलेंगे कि यह कमेटी में भेजा जाए, कोई ज्वाइंट कमेटी में भेजने के लिए कहेगा तो कोई कहेगा कि इस पर पुनः विचार किया जाये। हमारी स्पष्ट राय है कि आप इस विधेयक को वापिस लीजिए।

देश के हित में एक ही रास्ता है। यह तो भविष्य में सामने आ जाएगा कि हम सच हैं या आप सच हैं। लेकिन हमको इस बात का डर है कि तब तक हम पूरी अर्थव्यवस्था की बदहाली में जकड़े न जायें। आप देख रहे हैं कि दखलअंदाजी हो रही है। दखलअंदाजी केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं है, राजनीति में भी है। ...*(व्यवधान)* जहां तक हमारा साथ रहा, हम नहीं कहना चाहते, आपका अभी समय है, मेरी पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : 1977 में आप इनके साथ बैठे, 1979 में आप इनके साथ बैठे और हम चट्टे–बट्टे हो गए। ...*(व्यवधान)* बुधवार को इकट्ठे मिलकर आपका डिनर होता था। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारी बात मत कहिए। ..... *(व्यवधान)* औरों को कहने दीजिए, आप बैठे रहिए। पता चलेगा कि ये कहां मिले हैं।...*(व्यवधान)* दोनों मिले हुए हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : आप ही के कारण ये आ गए हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर ऐसा है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इसी पर बहस मांग रहा हूं। ....*(व्यवधान)* एक दिन की बहस होनी चाहिए। अगर बी. जे. पी. की सरकार बनी है तो कांग्रेस पार्टी के कारण बनी है।....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : यह आपने किया है। ....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने बनाई है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी उन्हें मत उकसाओ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब्जैक्ट पर आइए। आप बेकार क्यों भडकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने देश का हित नहीं किया है, बी. जे. पी. को बिठाने का काम किया है। ...*(व्यवधान)* उसका नतीजा जनता के सामने आ चुका है ...*(व्यवधान)* लेकिन हम कहना चाहते है कि समाजवादियों को मत छेड़िये, समाजवादियों को छेडने से आपकी दुर्दशा हुई है, और होगी। ...*(व्यवधान)* इन्हें तो हम हटा ही लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हमारे कुछ मित्र गलती कर गए नहीं तो हट गए होते। अगर आपका साथ छुआ होता ...*(व्यवधान)* जयललिता जी तो पश्चाताप कर रही हैं। इनके प्रस्ताव की रिपोर्ट पढ़िए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप राइट और लैफ्ट कर रहे हैं, सब्जैक्ट पर नहीं आ रहे हैं। आप बेकार हाउस का टाइम बर्बाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : संशोधन का सवाल नहीं है, हमारी मांग है। हम इनको समझा रहे हैं कि जब बीमा विधेयक पर वोट पड़े तो संशोधन को अलग रखिए और सीधा कहिए कि इसे वापिस लीजिए। ...*(व्यवधान)* इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं लेकिन विचार आपके कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधेयक को वापिस लीजिए। यह देश के साथ बड़ी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने घंटी बजा दी और मैने पालन किया, अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.34 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गेहूं पर सीमा शुल्क लगाया जाना

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय इस समय खाद्यान्न संबंधी आयात–निर्यात नीति के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) के माध्यम से गेहूं का आयात किया जाता है। तथापि, रोलर आटा मिलें, पिसाई के लिए सीधे ही अथवा एस. टी. सी., एम. एम. टी. सी. अथवा पी. ई. सी. के माध्यम से गेहूं का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिलहाल गेहूं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है।

वर्ष 1998–99 के दौरान गेहूं के बम्पर उत्पादन तथा गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित उच्चतर न्यूनतम समर्थनकारी मूल्य (एम. एस. पी.) को देखते हुए वर्ष 1999–2000 के चालू विपणन मौसम के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति बहुत अच्छी रही है। केन्द्रीय पूल के लिए गत वर्ष के 126 लाख टन की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान लगभग 141 लाख टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है।

अपेक्षाकृत सस्ते आयातों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप खुली बाजार बिक्री योजना को लागू कर किए गए उदारीकरण के बावजूद, केन्द्रीय पूल से निकासी की मात्रा कम रही है। मई एवं नवम्बर 1999 के बीच लगभग 15 लाख टन गेहूं भारतीय पत्तनों पर पहुंच गया है। गेहूं की उतराई लागत, एफ. सी. आई. के लिए नियत खुली बिक्री दर की तुलना में काफी कम है। यदि विद्यमान स्थिति जारी रहती है, तो यह अनुमान है कि एफ. सी. आई. के पास दिनांक 1.4.2000 तक 40 लाख टन की न्यूनतम बफर मानक स्टॉक की तुलना में 100 लाख टन से अधिक का अतिरिक्त स्टाक हो जाएगा।

एफ सी आई के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई लागत बहुत अधिक है, जो अनुमानतः लगभग 1600 रुपये प्रति टन प्रति वर्ष है। अतिरिक्त स्टाक की ढुलाई से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेय होगा।

इस स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से तथा केन्द्रीय पूल से गेहूं की निकासी को बढ़ाने के लिए, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सामान्य गेहूं तथा 'हुरम' गेहूं पर 50 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाना अनिवार्य है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क में निहित आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की संगत प्रविष्टियों में संशोधन करने के आशय से एक अधिसूचना जारी की जा रही है तथा यह उगाही आज से ही प्रभावी हो जाएगी। इस अधिसूचना की प्रतियां उपयुक्त समय पर सदन के पटल पर रख दी जाएंगी। उक्त अधिसूचना के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक संकल्प भी शीघ्र ही पेश किया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मंत्री जी आपने कल तक इसकी अनुमति क्यों दी? यह प्रश्न है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : आपने कल तक इसकी अनुमति क्यों दी? कार्यवाहक सरकार ने यह क्यों नहीं किया?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रश्न यह है। यह जानबूझकर किया गया है। बफर स्टॉक की स्थिति के बारे में पूरी तरह जानते हुए भी कार्यवाहक सरकार ने इसकी अनुमति क्यों दी? आपने शुल्क मुक्त आयात की अनुमति क्यों दी जिससे किसानों के लिए संकट पैदा हो गया...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : गेहूँ. के आयात पर सीमा–शुल्क बढ़ाकर आज ही 50 प्रतिशत किया गया हैं यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है...*(व्यवधान)* यह इस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रमाण है। पिछले तीन माह से यह हो रहा है और आपने किसानों के लिए कठिनाइयां पैदा की हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्हें इन बातों की जानकारी है। कल तक उन्होंने इसे जारी रहने दिया और जानबूझ कर यह स्थिति पैदा की...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, सरकार को इन बातों का उत्तर देना होगा...*(व्यवधान)*

श्री मणि शकर अय्यर : आज गेहूं के आयात पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है। कल तक गेहूं का आयात शुल्क मुक्त क्यों था? यह इस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रमाण है। ...*(व्यवधान)* यह सबसे बड़ा गेहूं घोटाला है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह अत्यन्त लज्जाजनक है। कल तक गेहूं के आयात की अनुमति दी गई ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : ये अपनी गलती को रैक्टीफाई कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। ...*(व्यवधान)* सरकार को इसमें पूरी तरह से कैटेगोरिकली सफाई देनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप हम पर क्यों नाराज होते हैं, आप सरकार पर नाराज होइये, जिसने बिना पूछे गेहूं ले लिया तो क्यों लिया। आप उन पर नाराज होइये, हम पर क्यों हो रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मोलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस निर्णय से यहां का किसान मर जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : क्या केन्द्र सरकार किसानों को मारने के लिए बनी है।...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : इससे किसान की बहुत बुरी हालत हो जायेगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप बैठ जाइये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या ये लेवी लेकर सस्ता गेहूं देने वाले हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर खड़े हो रहे हैं। यह सदस्य क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया इस तरह व्यवधान न डालें। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं भी बोल रहा हूं.. ...*(व्यवधान)*। सारे देश को धोखा दिया गया है। हम ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, राज्य सभा की तरह आप अब प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम नियमों को जानते हैं। किंतु एक परम्परा भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, मैं आपको केवल स्थिति के बारे में बता रहा हूं। आप खड़े हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बोल रहा हूं।

श्री बरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : आप हमेशा बोलने के लिए खड़े रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 372 यह स्पष्ट करता है कि वक्तव्य दिए जाने के बाद आप न तो प्रश्न पूछ सकते हैं और न ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आपके बाद अन्य कई विकल्प हैं। आप चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को यह कहना चाहूंगा कि चुनावों से पहले भी पिछले कई महीनों से गेहूं का आयात होता रहा था। भारतीय खाद्य निगम, कृषि विभाग ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और कृषक समुदाय ने फसल की समय पर अधिप्राप्ति की स्थिति तथा फसल की संभावित स्थिति के संबंध में सरकार को सूचित किया था। इसके बावजूद, गेहूं का यह निन्दा जनक आयात जारी रहा। जब सरकार ने पाया कि स्थिति का नियंत्रण नहीं किया जा सकता और बात हद से कुछ आगे बढ़ गई है तो उन्होंने आज ऐसी बात कही जो देश के लूटे जाने की अनुमति देता है। हम इस मामले को मजाक में नहीं ले सकते। यह बहुत गंभीर मामला है। .....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह स्पष्टीकण देना होगा कि कल तक गेहूं का आयात क्यों किया जाता रहा। सरकार ने अब गेहूं के आयात पर आयात शुल्क लगाया है। यह पहले क्यों नहीं लगाया गया था? सरकार ने गेहूं बाजार में संकट पैदा होने की नौबत क्यों आने दी। इसलिए, हम सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस बारे मे पहले ही बता चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस तरह का उत्तर नहीं; हम तो विस्तृत ब्यौरा चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर एक अलग तरीके से चर्चा की मांग कर सकते हैं। आप इस समय प्रश्न नहीं पूछ सकते।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सही तरीके से चर्चा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, देश में गेहूं का विपुल उत्पादन होने के बावजूद गेहूं के आयात को क्यों जारी रखा गया था? हम इसका कारण जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर एक सही तरीके से चर्चा कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई मंत्री किसी मुद्दे पर कोई वक्तव्य देता है तो उसे इस सभा में उस संबंध में पूरी जानकारी देनी होती है। हमें वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने टैरिफ को 50 प्रतिशत तक क्यों बढ़ाया है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि जब अन्तरिम सरकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार प्रचालकों की समस्याओं पर विचार कर रही थी तो उसने भारत के किसानों की समस्याओं के बारे में विचार क्यों नहीं किया। वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में मई महीने से होने वाले आयात का उल्लेख किया था। मई से अक्तूबर महीने तक वे कार्यवाहक सरकार चला रहे थे जिसके कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए थे। परंतु एक ऐसा निर्णय जो यह सरकार ले सकती थी परंतु इसने नहीं लिया था वह गेहूं के आयात पर सीमा शुल्क को बढाने के संबंध में था। आज उन्होंने इसे शून्य से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है। उन्होंने इसे 10 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने इसे 20 प्रतिशत तक क्यों नही बढ़ाया? उन्होंने इसे 30 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने पहले इसे 40 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ाया? इसका कारण था कि वे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यह बिल्कुल गलत है। मैं उस आरोप का खण्डन करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने इसकी अनुमति क्यों दी थी?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : आप आरोप और अभियोग लगा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अभी क्यों?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम इसके विरोध में बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.47 बजे

इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात दोहरा चुका हूं कि नियम 372 के अंतर्गत जनहित के मामले पर कोई मंत्री अध्यक्ष महोदय की सहमति से वक्तव्य दे सकता है। परन्तु वक्तव्य दिए जाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वह पहले ही किया जा चुका है। इसलिए मैं किसी की भी बात को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, वे ब्यौरा दे सकते थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हस्तक्षेप न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गेहूं के आयात पर एक विस्तृत चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* गेहूं के आयात की अनुमति क्यों दी गई थी?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, जब आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है तो हमें भी देनी चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, उन्होंने माननीय मंत्री जी पर आरोप लगाया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. नीतिश सेनगुप्त, कृपया।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया व्यवधान न डाले। मैं डा. सेनगुप्त को बुला चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : कौन सा स्पष्टीकरण?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, मैंने आपको बताया है कि दिए गए किसी वक्तव्य पर माननीय मंत्री जी को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। यह इस सभा का नियम नहीं है। डॉ. सेनगुप्त, कृपया आप बोलिए।

अपराह्न 4.52 बजे

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक – जारी

[अनुवाद]

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलूंगा। बीमा क्षेत्र में सुधार का प्रश्न 1983 में एरा सेज़ियन समिति के समय से ही देश को परेशान कर रहा है जिसे किसी न किसी तरह स्वीकार कर लिया गया था परन्तु वह भी मजदूर संघों के दबाव के कारण, फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस पर आगे कार्रवाई नहीं की।

1991 के बाद से यह मामला बार–बार उठता रहा है। आज मैं समझ रहा हूं कि मूल मुद्दा एक ऐसी मानसिकता से दूर जाना है जो हमें पिछले कई दशकों से इस बात के लिए मजबूर करता रहा है कि सब कुछ राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में होना चाहिए।

महोदय, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं बीमा कार्य 1956 और 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद से बढ़ता रहा है परन्तु इसमें और भी वृद्धि हो सकती थी। इसलिए मैं मूलत यही कहना चाहूंगा कि सरकारी प्रबंधन और सेवा उद्योग साथ–साथ नहीं चल सकते। जहां भी सरकारी प्रबंधन द्वारा सेवा उद्योग चलाए जाने का प्रश्न उठता है तो यही बात उभरती है कि यह कम खर्च और सक्षमता से नहीं चलता। यद्यपि, आंकड़ों द्वारा यह दिखाया गया था कि जीवन बीमा निगम या साधारण बीमा निगम के व्यवसाय में कितनी वृद्धि हुई है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर सरकार इसे निजी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देती तो इसमें और अधिक यहां तक कि कई गुणा वृद्धि हो सकती थी। ...*(व्यवधान)* मैंने कई बीमा कर्मचारियों से स्वयं अलग–अलग पूछा है। ..*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अन्य देशों में क्या हुआ है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनका पहला भाषण है। कृपया व्यवधान न डालें।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : श्री रूपचन्द पाल जी ने कई तथ्यों और आंकड़ों को देते काफी अच्छा भाषण दिया है। यह ठीक उसी तरह था मानों किसी वकील को मामले की जानकारी दे दी गई हो और उसे सभी तथ्य इकट्ठे करने के लिए कहा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चूंकि सभा में कोई भी सभापति तालिका का सदस्य उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं सभा की सम्मति से श्री बसुदेव आचार्य को सभा की अध्यक्षता करने का अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 4.54 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री रूपचन्द पाल ने अनेक तथ्यों तथा आंकड़ों को देते हुए एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया है। लेकिन जैसा कि अनेक सदस्यों द्वारा उल्लेख किए जाने से पता चला है कि दिए गए आंकडों में काफी असंगतियां हैं। यह एक वकील के भाषण की तरह था जिसे संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया गया हो और उनके पक्ष में सभी सम्भव सबूत एकत्रित करने के लिए कहा हो, यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी सबूत सच्चे हों।

महोदय, हम बीसवीं शताब्दि के अन्त में पहुंच गए हैं और नई सहस्त्राब्दि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मूल प्रश्न यह नहीं है कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने क्या किया है लेकिन प्रश्न यह है कि वह और क्या कर सकते थे; और क्या हम बीमा व्यापार के इस विशिष्ट क्षेत्र में अन्य लोगों को भाग लेने और कार्य करने से रोक सकते हैं।

महोदय, इस विधेयक के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना और दूसरा है कि सीमित तरीके से विदेशी निवेश की अनुमति देना। दुर्भाग्यवश, दूसरे पहलू में आधिपत्य स्थापित करने की आशंका दिखाई देती है जो कि प्रत्येक को प्रभावित कर रही है और निजी क्षेत्र को प्रवेश देने की अनुमति के संबंध में अधिक नहीं कहा गया था। इस बात का उल्लेख किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र, जापान इत्यादि विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देते हैं। वे इस तथ्य को नहीं समझते हैं कि विदेशी निवेश जापानी कम्पनी अथवा अमरीकी

[डॉ. नीतिश सेनगुप्ता]

कम्पनी के रूप में किया जाता है। पूरी स्थिति ही भिन्न है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका से भी काफी विदेशी निवेश किया जाता है। मैं एक ईराक की कम्पनी के बारे में जानता हूं जिसमें केवल दो तीन वर्ष पहले ही एक अमरीकी कम्पनी ने निवेश किया है। ऐसे अनेक मामले थे।

सर्वप्रथम, मैं इसके विपक्ष में दिए गए तर्कों को लूंगा और फिर पक्ष में दिए गए तर्कों को लूंगा। इसमें मूलतः तीन–चार आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति विचार–धारा से संबंधित है; दूसरी आपत्ति विदेशी निवेश के अकारण भय से संबंधित है; तीसरी रोजगार सुरक्षा का प्रश्न है, और चौथी आपत्ति है जनता की सेवा का प्रश्न। अब, मैं रोजगार सुरक्षा से आरंभ करूंगा। मैं अपने उत्कृष्ट साथी, माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि जब इस मामले पर चर्चा की जाए तो मजदूर संघों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए और मामले पर उनके साथ भी चर्चा की जानी चाहिए। निश्चय ही हम भी उन्हें यह आश्वासन देना चाहेंगे कि किसी के भी रोजगार को दांव पर नहीं रखा जाएगा और कुछ समय के लिए पूर्ण रोजगार सुरक्षा प्रदान की जाएगी। श्री लंका के मामले में ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : कब तक?...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं होते ..*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, वे सदैव सभा पर अपना आधिपत्य कैसे रख सकते हैं? जब समूची सभा चुपचाप उनका भाषण सुन रही थी तो उन्होंने उनके भाषण में व्यवधान क्यों डाला? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : मुझे बताने दीजिए कि उनके द्वारा पश्चिम बंगाल को तबाह कर देने के बाद ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में तबाही के बाद, पश्चिम बंगाल जो कि वर्ष 1970 में एक उन्नत राज्य था, एक अग्रणी राज्य था, को देश में एक सबसे अधिक पिछड़े राज्य में बदलने के बाद अब वे हर जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं और समूचे राष्ट्र को ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, उन्होंने एक सांकेतिक योगदान दिया है। यह उनकी कर्तव्य निष्ठा है कि उन्होंने ...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : नहीं, यह कर्तव्यनिष्ठा का प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सभी सब कुछ जानते हैं। कृपया मुझे ऐसी बातें कहने पर मजबूर न करें जो कि आप सुनना नहीं चाहेंगे...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : कृपया बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक फैशन बन गया है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. सेनगुप्ता, कृपया विषय तक ही सीमित रहें।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा था, मैं माननीय वित्त मंत्री को अपील करता हूं कि उन्हें संघों को विश्वास में लेना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैंने अनेक लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है। आप मुझ पर विश्वास करें अथवा नहीं, यदि आप नेताओं की उपस्थिति में नहीं बल्कि अलग से किसी औसत बीमा कर्मचारी से बात करें और उनसे पूछें कि क्या वह विराष्ट्रीयकरण अथवा निजीकरण को पसन्द करेंगे। मेरे विचार में 99 प्रतिशत मामलों में आपको यह जवाब मिलेगा, 'कृपया हमें निजी क्षेत्र में जाने में सहायता करें। हम प्रतिदिन इस एक जैसे वातावरण में काम करके थक गए हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : डॉ. सेनगुप्ता, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री सी. पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, यह उनका प्रथम भाषण है। वे उनके भाषण में बार–बार व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह बात नहीं मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, श्री मणि शंकर अय्यर एक वरिष्ठ सदस्य हैं और वे इस तरह से बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या डर गए? मेरा चेहरा देख कर डरते हो....*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, वे अधिक देर तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले उन्होंने वित्त मंत्री पर लांछन लगाया ।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतान्त से निकाल दिया गया।

अब वे उनके भाषण के बीच में व्यवधान डाल रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, यदि एक वरिष्ठ सदस्य इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप सभा को किस तरह से संचालित कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

वे हर समय किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करने वाले वाक्यों का उपयोग करते हैं। *(व्यवधान)* वे ऐसा नहीं कह सकते हैं।*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रूडी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभपति महोदय, यह ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिये।

सभापति महोदय : हम देखेंगें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : ये व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं... *(व्यवधान)* ये व्यक्तिगत रूप से सदस्य को संबोधित करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूँगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह उपयुक्त नहीं है। यह बात करने का तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : श्री मणि शंकर अय्यर हर समय दखल देते रहते हैं। वे श्री मुलायम सिंह यादव को भी सलाह दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासौर) : महोदय, केवल यही मामला नहीं है। वे हर समय खड़े हो जाते हैं। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : श्री स्वाइं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेनगुप्ता के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री स्वाइं, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री स्वाइं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री खारबेल स्वाइं : वे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाइं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठिये।

[अनुवाद]

आप कृपया बैठ जाइए। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, पांच बज गये हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में नहीं आये। संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि 5.00 बजे प्रधान मंत्री जी वक्तव्य देंगे। वे अभी तक नहीं आये, न ही एक्प्लेनेशन कोई दिया है और न सदन को सूचना दी है।

सभापति महोदय : अभी आ जायेंगे।

श्री सेन गुप्ता, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, जैसा कि मैंने जोर देकर कहा है कि बीमा क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे मित्रों के मन में नौकरी छूटने का डर न हो और असुरक्षा की भावना पैदा न हो। अब, कुल संख्या...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी 5.00 बजे आने वाले थे, लेकिन आये नहीं।

सभापति महोदय : अभी आ जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जरा शांति रहिये। रामदास जी, आप पहले बैठिये। अभी प्रधान मंत्री जी आयेंगे और बयान देंगे।

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : साधारण बीमा निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगभग 79,000 अथवा 80,000 है और जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगभग, 1,20,000 अथा 1,29,000 है; दोनों को मिलाकर बीमा क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगभग दो लाख है। मैं यह निवेदन करता हूं कि क्या हम इन दो लाख कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नये रोजगार पैदा करने की संभावनाओं को रोक नही रहे हैं? जब तक बीमा क्षेत्र को नहीं खोला जाएगा इसमें रुकावटें पैदा होंगी।

जब से बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत किया गया है, तब से पिछले कुछ दशकों से कुछ भी नयापन नहीं आया है। निश्चय ही, पिछले कुछ वर्षों में प्रतिस्पर्द्धा की संभावना से कुछ बीमा प्राधिकरण खुले हैं लेकिन पहले नयेपन को पूर्णतः कमी थी जो कि उनका विशिष्ट गुण बना गया है।

महोदय, आज तक हमारे पास कोई सही बीमा योजना नहीं है। यदि उड़ीसा में उचित बीमा किया गया होता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी होती।

स्वास्थ्य बीमा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए मैं कहूंगा कि इसकी न केवल उपेक्षा की गई है। बल्कि स्वास्थ्य बीमा का पूर्णतः अभाव है। वहां कोई बीमा नहीं है। मैं बिना झिझक कहूंगा कि हिन्दुस्तान लिवर की उपस्थिति ग्रामीण भारत में एल आई सी अथवा जी आई सी की उपस्थिति से अधिक महसूस की गई है क्योंकि वे वह करने में असमर्थ रहे हैं।

अपराह्न 5.06 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

दूसरी विचारधारा की आपत्ति है और वहां के मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं—अब वे विपक्ष में नहीं हैं बल्कि केन्द्र में हैं—कि कृपा करके वे सैद्धान्तिक जामे अथवा खोल से बाहर आने का प्रयास करें। कम से कम चीन अथवा वियतनाम जैसे बनने का प्रयास करें। 1848 के साम्यवादी घोषणापत्र अथवा 1864 के 'दास केपिटल' से विश्व रुक नहीं गया था। विश्व में बदलाव आ चुका है। नयी सूचना प्रौद्योगिकी के आने से आज विश्व में काफी बदलाव आया है कि हम विश्व के अन्य भागों से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। चाहे हम बीमा का विराष्ट्रीयकरण करें अथवा न करें सूचना प्रौद्योगिकी और इन्टरनेट के आने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई रास्ते हैं जिनके द्वारा विदेशी भारत में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने हवाई जहाजों अथवा उपगृहों का बीमा करने के लिए विदेशी बीमा कम्पनियों के पास जाते हैं। अतः कई लोग विदेशों में अपना बीमा करवाएंगे। अपने आप को अलग—थलग रखकर विश्व की गतिविधियों को बदलना संभव नहीं होगा।

चीन में उन्होंने बीमा के लिए अनुमति दी है यह सही है कि यह 20 प्रतिशत है लेकिन चीन के पास नियंत्रण के अन्य तरीके उपलब्ध हैं जो हमारे पास नहीं हैं। चीन के पास डिविडेंट वापसी के अन्य तरीके हैं। विदेशों से सीधे निवेश के डर के बारे में, भारत में निवेश की कुल राशि में विदेशी सीधा निवेश अत्यन्त कम है। किसी ने कहा है कि यह भारत के सकल घरेलु उत्पाद का एक प्रतिशत भी नहीं है यह हमारे देश के कुछ कारपोरेट इक्विटी का एक अथवा दो प्रतिशत भी नहीं है। इसलिए विदेशी निवेश के बारे में हम बेकार में चिन्ता क्यों करें? जब पश्चिम बंगाल से मेरे मित्र विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं तो वे बीमा क्षेत्र में एक कम्पनी में विदेशी निवेश के 26 प्रतिशत को अनुमति देने में आपत्ति क्यों कर रहे हैं जबकि इससे इस क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी और नई सेवाएं प्रवेश करेंगी?

एक आंकलन के अनुसार यदि बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए तो छः बिलियन डालर का विदेशी निवेश होगा। कुछ आकलनों के अनुसार यह दो लाख नए रोजगारों का सृजन करेगा जितने हमारे पास अभी हैं उससे कई गुणा अधिक अवसर पैदा होंगे। इससे कई नए कार्यों नयी पद्धतियों का सृजन होगा।

अब हम बीमा क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दें तो सीधे विदेशी निवेश किए जाने की सम्भावनाएं बढ़ेंगी और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि विदेशी ऋण—अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण, विश्व बैंक से अथवा किसी अन्य देश से ऋण — लेने से बेहतर विदेशी सीधा निवेश प्राप्त करना है। विदेशों से सीधा निवेश अधिक बेहतर तथा सम्मानजनक है। यह अधिक किफायती है यह विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा किसी अन्य देश से ऋण प्राप्त करने से अधिक उत्पादक है। कल अथवा परसों जब उड़ीसा पर चर्चा की जा रही थी, मेरे माननीय सहयोगी मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी, जिसके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, ने कहा था कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए क्यों कि तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे, हम रेड क्रास से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में धन कहां से आया है? रेड क्रास को धन कहां से प्राप्त होता है? एक बार मैं फिर बता दूं कि यह धन कम्पनियों से आता है। तो हम उनसे निवेश के लिए सीधे धन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? यदि कुछ कम्पनियों को 26 प्रतिशत की विदेशी पूंजी लगाने दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। 74 प्रतिशत अपना निवेश करके हमारे लोग अधिक नियंत्रण रख सकेंगे। दूसरी ओर नयी प्रौद्योगिकी आएगी। जब विदेशी सीधा निवेश होगा तो पुर्नभुगतान कैसे होगा? कम्पनी के लाभ कमाने के पश्चात् कमाए गए लाभ का कुछ प्रतिशत पुर्नभुगतान के रूप में लिया जाएगा जो साधारण 6, 7 अथवा 8 वर्षों बाद होता है। उस समय तक धन का आगमन हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार के अंश के

रूप में रहेगा डिविडेंट के रूप में पुर्नभुगतान किए जाने के समय रोजगार सृजित हो चुके होंगे आयकर अदा कर दिया होगा उत्पादन आरंभ हो चुका होगा और काफी नई चीजें पहले हो चुकी होंगी। अतः मैं कहूंगा कि सीधे विदेशी निवेश अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से धन लेने के बजाय बहुत अधिक किफायती है बहुत अधिक उत्पादन है और अधिक सम्मान जनक और बेहतर है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. बी. बी. रमैया (एलूरु) : कुछ देशों में बाह्य सहायता को लेने से इंकार कर दिया है। जापान ने इसके लिए इन्कार कर दिया है।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : इसीलिए जापान इतनी आर्थिक कठिनाई में है और जापान की अर्थव्यवस्था संकट में है...*(व्यवधान)* जापान केवल निर्यात करना चाहता है और कुछ भी आयात नहीं करना चाहता अथवा बाह्य किसी अन्य देश से कुछ भी लेना नहीं चाहता। ...*(व्यवधान)* इसीलिए जापान की अर्थव्यवस्था संकट में हैं।

अगली बात नएपन और सेवा के बारे में है। काफी लम्बे समय तक जीवन बीमा निगम (एल आई सी) का पालिसीधारक होने के कारण मैंने हमेशा देखा है कि उन्हें उनका प्रिमियम देना सजा देने जैसा कठिन कार्य है और वे मेरा पक्ष ले रहे थे जब पालिसीधारक होने के नाते मैं भुगतान करता था। उन्होंने कभी मुझे स्मरण नहीं कराया जब कि निजी क्षेत्र में वे हमेशा प्रीमीयम नोटिस भेजते हैं जबकि एल आई सी ने आपको उचित सूचना भेजना कभी भी अनिवार्य नहीं समझा होगा। मैं आशा करता हूं कि अब स्थिति सुधरेगी। लेकिन कम से कम मेरे समय में मुझे याद है कि यह हमेशा होता था कि वे मेरा प्रीमियम स्वीकार करते थे और मानो उसे स्वीकार करके वे मेरे ऊपर उपकार कर रहें हों।

कार दुर्घटना के संबंध में दावों के मामलों को लीजिए। कार दुर्घटना होती है और आप दावा पेश करते हैं तो आपको जी आई सी के निरीक्षकों (इंस्पेक्टरों) और कई अन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए देखने को मिलेगा। जब तक आप उन्हें धन नहीं देंगे आपका दावा का मामला का निपटान नहीं होगा। यदि कोई आपसे दावा निपटान रिकार्ड के बोर में पूछता है तो यह कहना ठीक होगा कि कोई दावा नहीं किया जाएगा और इसका निपटान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या वह वास्तव में निपट गया है? कई लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके मकान जल गए होते हैं। वे नौकरशाही विलम्ब और भ्रष्टाचार के जाल में नहीं उलझते। अतः मैं कहूंगा कि बेहतर सेवा और बेहतर दावा निपटान की खातिर ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : हम भी उसी परिस्थिति में हैं... *(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, हरबार वे हड़ताल करने की धमकी देते हैं। वे हड़ताल करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : वह वर्षों तक नौकरशाह थे। इन्होंने एल आई सी की नौकरी की है...*(व्यवधान)*

डॉ नीतिश सेन गुप्ता : मैंने एल आई सी और जी आई सी के साथ अपना सरकारी व्यवसाय आरंभ किया था। लेकिन प्रश्न यह है कि हमेशा वे हड़ताल पर जाने की धमकी देते रहते थे। आज एल आई सी अथवा जी आई सी को हड़ताल पर जाने दीजिए। सरकार को इस समस्या को हम करने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि स्वर्गीय श्री चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में पटवारी की हड़ताल की समस्या का हल निक़ाला था जो सफल रहा था। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कहीं इन दो लाख लोगों के हितों की रक्षा करने के प्रयास में हम करोड़ों लोगों के हितों की जो बेरोजगार हैं और असंगठित क्षेत्र के हैं बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं? बंगला में, कहावत है उस कहावत के अंग्रेजी अनुवाद की हिन्दी यह है कि आप गंजे के सिर पर तेल डाल रहे हैं। मुझे खेद है कि हमारे मजदूर संघ के मित्र हमेशा ऐसी ही करते रहे हैं। वे हमेशा संगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा करने का प्रयास करते रहे हैं। जो हमारे देश में 30 मिलियन से अधिक नहीं है और असंगठित क्षेत्र के 400 से 500 मिलियन कर्मकारों के हितो को भूल रहे हैं जो सीमाएं नहीं लांघ सकते और जो धरना नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : क्या विधेयक में गारंटी है कि विदेशी कम्पनियां देश में असंगठित क्षेत्र का ध्यान रखेंगी। ...*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

महोदय, इसलिए मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करूंगा। जैसा कि मैंने विधेयक का अध्ययन किया है मुझे विधेयक में कुछ छोटे मोटे संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। उदाहरण के लिए जब आप किसी आवेदक का बीमा करने के बारे में बात करते हैं आप उसे अच्छी कम्पनी कहते हैं। जब आप रोजगार के बारे में उन लोगों के बारे में जिन्हें बीमा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नौकरी देने की बात करते हैं तो आपने उन्हें जिम्मेदारी, प्रशासन आदि जैसी कई चीजें दी हैं। आपने एक और विषय जैसे व्यवसाय प्रबंधन या कोई अन्य विषय को जोड़ने का भी प्रयास किया। आज कई प्रबंधन विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, ...*(व्यवधान)* नहीं वह मेरे लिए नहीं है। मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं और मैं उसके बारे में चिंतित नही हूं।

किंतु मेरा कहना है कि विधेयक के संबंध में यत्र–तत्र कुछ अन्य छोटी–छोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं शायद तब कहूंगा जब विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ होगा। इस समय मैं विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में पूर्ण समर्थन देते हुए अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

[डॉ. नीतिश सेनगुप्ता]

कांग्रेस पार्टी के मेरे सहयोगियों ने मुझे कुछ सुझाव दिए हैं। मेरे पास उनको देखने का समय नहीं था, किंतु मैं यह वायदा कर सकता हूं कि मैं उन सुझावों में से कुछ पर विचार करूंगा। मैं श्री राजेश पायलट के दृष्टिकोण और उनके भाषण की सराहना करता हूं। संशोधनों के बारे में मेरा कहना है कि मैं उन पर विचार करूंगा और उन्हें उचित समय पर उठाऊंगा।

अपराह्न 5.15 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

सीएटल मे विश्व व्यापार संगठन का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आरम्भ होना

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल सीएटल में आरंभ हुए विश्व व्यापार संगठन के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके द्वारा व्यक्त चिन्ता का प्रत्युत्तर देने हेतु एक वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को 10.00 बजे शुरू होना था किंत आंसू गैस छोड़े जाने सहित प्रदर्शन और बाधाओं के कारण उद्घाटन सत्र का शुभारंभ नहीं हो सका। यहां तक अमरीकी शिष्टमंडल भी सम्मेलन स्थल तक नहीं पहुंच सका और उद्घाटन सत्र को स्थगित कर दिया गया।...*(व्यवधान)*

विभिन्न देशों के अधिकतर मंत्री विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक द्वारा आयोजित दोपहर भोज में भी भाग नहीं ले सके। यह निर्णय किया गया था कि पूर्ण सत्र 3.00 बजे शुरू होगा किंतु यह 3.40 बजे शुरू हो सका, वहां मची खलबली के कारण मंत्री सम्मेलन स्थल तक जाने के लिए अपनी कारों का उपयोग नहीं कर सके और उन्हें पैदल जाना पड़ा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? श्री सुनील खां माननीय प्रधान मंत्री बोल रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारत के वाणिज्य मंत्री ने अपराह्न 5.00 बजे, भारतीय समय के अनुसार प्रातः 6.30 बजे एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य का एक थोड़ा विस्तृत संस्करण परिचालित भी किया गया।

मैं विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन द्वारा दिए गए वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूँ।

सीएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हमारा मूल दृष्टिकोण इस प्रकार है:

1. हम वार्ताओं के व्यापक नए चक्र, जिसे अक्सर सहस्राब्दि चक्र कहा गया है, के पक्षधर नहीं हैं

2. हम निम्न बातों को व्यापार से जोड़ने के विरुद्ध हैं:

   (क) मूल श्रम मानक,

   (ख) पर्यावरणीय मुद्दे,

   (ग) सुसंगत विश्व व्यवस्था का निर्माण,

   (घ) निवेश संबंधी मुद्दे;

   (ङ) विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी, और

   (च) प्रतिस्पर्धात्मक नीति

3. हम वार्ता के लिए कुछ नई मदों को लेने के लिए तैयार हैं बशर्ते उरूगवे वार्ता चक्र से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान भी हमारे अनुकूल हो।

सीएटल में वार्ता के लिए इन मामलों को लिया जाएगा और इस समय सभा को बताने के लिए मेरे पास कोई और सूचना नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सीएटल वार्ता में भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उन्हें अग्रसर किया जाएगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण पूछ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

अपराह्न 5.17 बजे

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक - जारी

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामानाथपुरम) : अध्यक्ष महोदय, अन्नाद्रमुक जो जन नेता, महान, अद्भुत, वहां की जमीन से जुड़ी निर्भय और प्रसिद्ध नेता डा. जयललिता के सुयोग्य व दृढ़ नेतृत्व में कार्य कर रही है, की ओर से इस विषय पर विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारी नेता देश के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो इस विधेयक का विरोध करने के लिए

करोड़ों लोगों के साथ आगे आई और उनके दिशा निर्देशों व विचारों के अनुरूप मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ और उनके विचारों को विस्तार से बताता हूँ।

वास्तव में कई कारणों से मैं सत्तापक्ष के प्रति अलोचनात्मक रुख अपनाने के लिए बाध्य हूं जिसने गुप्त उद्देश्य और अप्रकट एजेंडा के साथ इस सर्वाधिक अलोकप्रिय विधेयक को अत्यधिक जल्दीबाजी में पुरःस्थापित किया है। मैं इस सभा के अपने उन सहयोगियों के साथ हूँ जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। जहां तक मेरा विचार है इस विधेयक का 1.5 करोड़ लोगों द्वारा लिखित में विरोध करने, प्रदर्शनों, धरने और जलूसों और अन्य माध्यमों से इस विधेयक का विरोध करना और प्रेस व मीडिया के माध्यम से इस विधेयक पर चर्चा, वाद विवाद व आपत्ति उठाने के रूप में जनाक्रोश के हिसाब से इस सभा के इतिहास में यह सर्वाधिक विवादास्पद और संवदेनशील विधेयक है इन सब बातों के बावजूद लगता है सरकार जनाक्रोश की परवाह किए बिना इस विधेयक को पारित करवाने में बहुत उत्सुक है।

विधेयक पर आते हुए मैं पाता हूं इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य हैं, मैं इस विधेयक के उद्देश्यों को दो भागों में बांट सकता हूं। एक बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन, सुरक्षा, उसे समर्थ बनाना या उसका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। जहां तक इस उद्देश्य का संबंध है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसका स्वागत है।

उद्देश्य के दूसरे भाग अर्थात विदेशी तथा घरेलू दोनों क्षेत्रों की निजी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना और राष्ट्रीयकृत कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना या उनके अनन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने का संबंध है, मेरा मानना है कि इस विधेयक के प्रायोजकों या संप्रवर्तकों को दूसरे देशों और देश में धन का एक ओर भारी प्रवाह की आशा है, उन्हें बीमा क्षेत्र में भारी कारबार होने तथा बाजार में बेहतर सेवाएं और बेहतर उत्पादों के आने की अपेक्षा है। निजीकरण के पक्ष में ये दलीलें या अच्छाइयां या लाभ बताएं गए हैं।

इन तीन–चार लाभों में से सरकार जो वास्तविक लाभ को प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक है वह विदेशों से धन प्राप्त करना है। अन्य लाभों के संबंध में ढांचागत परिवर्तन करके, अन्य छिट–पुट परिवर्तन करके और व्यवस्था में कुशल कार्मिक प्रबंधन आदि कर कारबार को बढ़ाया जा सकता है या व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है और नए उत्पाद लाए जा सकते हैं। ये सब बातें संभव हैं, किंतु लगता है इस क्षेत्र का निजीकरण करने का मूल या वास्तविक या मुख्य कारण यह है कि सरकार को धन की आवश्यकता है, वे विदेशी से धन प्राप्त करना चाहते हैं। जहां तक मेरा विचार है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए अनके वक्तव्यों सहित प्रेस और अन्य सामग्री से मेरी समझ में आया है कि वित्तीय संसाधनों की कमी या वित्तीय संकट के हिसाब से देश घोर संकट में है। जहां तक वित्तीय पहलू का संबंध है एक ओर वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण और दूसरी ओर अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण देश संकट में है।

इस वित्तीय संकट में कुछ कारणों पर प्रकाश डालना प्रसंगातीत नहीं होगा। वार्षिक वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई है, गैर–योजनागत व्यय में वृद्धि हुई है जबकि योजनागत व्यय में धीरे–धीरे गिरावट आई है। राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई है। और राजसहायता लोकप्रिय उपायों और अनुत्पादक व्ययों के कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई है।

वित्तीय घाटा पहली बार छह अंकों में पहुंचकर एक करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। आन्तरिक देनदारी और बाह्य ऋण 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं जो सकल घरेलू उत्पाद का 58.8 प्रतिशत है। फलतः केवल ब्याज के भुगतान के रूप में भारी धनराशि देश से बाहर जा रही है। अगले बजट में इस देनदारी में और वृद्धि होगी। फिर यह देखा गया है कि इस वर्ष बजटीय व्यय का 57 प्रतिशत व्यय केवल पहले पांच महीनों में खर्च किया गया। निश्चित तौर पर इसमें कारगिल युद्ध पर हुआ व्यय शामिल नहीं है, यदि ये बातें जारी रहीं तो फिर रिकार्ड घाटा होगा। यह स्थिति न केवल केन्द्र सरकार की है अपितु राज्य सरकारों की भी है। कई राज्य सरकारें दिवालिया होने वाली हैं।

महोदय, इन परिस्थितियों में सामान्यतः राज्य और संपूर्ण देश को धन की अत्यावश्यकता है। क्या किए जाने की आवश्यकता है? हम इस बात से सहमत हैं कि धन की आवश्यकता है। यदि इस संकल्प का समाधान वैश्वीकरण, उदारीकरण या निजीकरण है– विगत कई सालों तक नौकरशाह रहने और सरकार की व्यवस्था देखने और सरकार किस प्रकार कार्य करती है यह जानने के कारण ऐसे किसी आर्थिक सुधार को शुरू करने या किसी समुचित उपाय करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिनसे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार होता हो।

उपायों पर विचार करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी व चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा सही रास्ता चुनने के बजाए सरकार ने निजीकरण के रूप में गलत रास्ता चुना। वे अन्य क्षेत्रों को भी चुन सकते थे। अनेक ऐसे सरकारी उपक्रम, सरकारी कंपनियां और संस्थाएं हैं जिन्हें सहायता के रूप में विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। अनेक रूग्ण उपक्रम और कंपनियां है जिन्हें इस प्रकार के पुनरुद्धार पैकेज की आवश्यकता है। वैसा करने के

[श्री के. मलयसामी]

बजाए सरकार ने निजीकरण का गलत मार्ग चुना। जैसा हमारी नेता पुराची थलवी ने कहा है कि यह उस हंस को मारने की तरह है जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है। हमारे मित्रों ने तथ्यों व आंकड़ों के साथ इनके निष्पादन व उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का निष्पादन वास्तव में बहुत अच्छा है। बीमा सुविधा प्रदान करने, दावों के निपटान, निवेश पर लाभ, बजटीय सहायता के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण जीवन बीमा निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि वृद्धि दर और दावों को निपटान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कही ज्यादा है। यहां तक कि विश्व व्यापार संगठन समझौते में भी इस क्षेत्र को शामिल नही किया गया है। इसलिए निजीकरण के लिए विश्व व्यापार संगठन की ओर से भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य विदेशी देशों के साथ हमारे पूर्वानुभव से सीख लेते हुए कि अपेक्षित पूंजी का निवेश कम हुआ है। 1997 में यह 3.35 बिलियन डालर था, 1998 में यह 2.28 बिलियन डालर तक कम हो गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी भारी अन्तर रहा है। अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 308 बिलियन डालर का था परन्तु 133 बिलियन डालर का ही वास्तव में निवेश हो पाया था, इस प्रकार मैं इस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस बात के प्रति निशिचिंत नहीं हो सकते हैं कि यथा प्रस्तावित इस स्कीम के अंतर्गत बाहर से बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश होगा। पूर्ववर्ती अनुभव से पता चलता है कि अपेक्षित और वास्तव में प्राप्त किए गए लक्ष्य में बहुत ज्यादा अन्तर होता है। विदेशों में बाहर के निवेश को बीमा व्यवसाय में तीन से पांच प्रतिशत तक प्रतिबन्धित किया गया है और यहां पर प्रस्तावित 26% विदेशों की भागीदारी नहीं है।

हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि विदेशी कम्पनियों को 26 प्रतिशत भागीदारिता की अनुमति क्यों दी जा रही है। सरकार का कहना है कि कतिपय सुरक्षोपायों और शर्तों के अध्यधीन ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। परन्तु अपने धन बल के आधार पर और अ मु को, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में अपने प्रभाव के चलते वे सभी घरेलू कम्पनियों को व्यवसाय से बाहर कर वे इस क्षेत्र में एकाधिकारी बन सकते हैं। ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो सकता है। जिसमें, इस समय की स्थिति के अनुसार घरेलू कम्पनियों के एकाधिकारी होने के स्थान पर विदेशी कम्पनियां आकर अपना एकाधिकार जमा सकती हैं। यद्यपि सरकार का कहना है वे घरेलू बीमा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने जा रहे हैं, परंतु व्यवहार में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है।

व्यवहार में, निजीकरण के माध्यम से प्रस्ताव के उद्देश्य का प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। हमारे पूर्वानुमान से यही निष्कर्ष निकलता है। पहले भी हमने सरकारों को इस प्रकार के निर्णयों के लेने के लिए खेद प्रकट करते हुए देखा है। सरकार को अधिक पूंजी के निवेश को सुनिश्चित करने के लिए बीमा उद्योग के निजीकण करने के बजाय देश के उपयोग न आयी हुई क्षमता और अन्तर्निहित शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, बड़े घरेलू बाजार के रूप में भारत के पास अत्यधिक संभावनाएं हैं जिनको अभी उपयोग में लाया जाना है। हमारे पास कम लागत पर श्रमशक्ति उपलब्ध है जिसका कि अभी दोहन किया जाना है। हमारे पास शासन की सुपरिभाषित प्रणाली है। और पिछले 52 वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली लोकतांत्रिक प्रणाली है। बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाना है। इन सब बातों से लाभ उठाकर सरकार बीमा क्षेत्र के निजीकरण के जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छुए बिना ही बहुत कुछ कर सकती है। इस प्रकार सरकार देश के भीतर ही उक्त क्षेत्रों की खोज और दोहन कर बुनियादी संरचना का विकास कर सकती है।

इस संबंध में, मैं कुछ संबद्ध क्षेत्रों का दोहन किए जाने का उल्लेख करना चाहता हूं, हम कई दशकों से सेतुसुन्दरम परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, जोकि तमिलनाडू के दक्षिणी जिलों में आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। इसे अभी भी ठोस कार्य में परिवर्तित होना है। रामन्तपुरम निर्वाचन क्षेत्र से सटे पूर्वी समुद्रतटीय क्षेत्र में समुद्री सम्पदा के दोहन की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं को क्यों नहीं हाथ में लिया जाता है जिससे कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सके। टोंडी, रामेश्वरम, मुक्काय्युर, वलीनुक्कम इत्यादि छोटे पत्तनों के विकास की अत्यधिक सम्भावनाएं है। इनका विकास किया जा सकता है और ये राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दें सकते हैं। तिरूची से रामेश्वरम तक रेल लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इस समय मनामदुरई तक ही बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की मंजूरी मिली हुई है। इसे रामेश्वरम तक किए जाने की अपेक्षा है। ऐसी असंख्य परियोजनाएं हैं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इससे परिसम्पतियों के सृजन में और बुनियादी संरचना के सृजन में सहायता मिलती साथ ही धनराशि का निवेश भी होता । सरकार को जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जिससे कि कई लाख लोगों के हित प्रभावित होते हैं, हस्तक्षेप करने के बजाय मेरे द्वारा उल्लेखित किए गए क्षेत्रों पर देश के विकास के लिए ध्यान केन्द्रित करती। इन परिस्थितियों में, मैं इस विधेयक का एक बार फिर विरोध करता हूं और इस विधेयक

को रोक देना चाहिए या हमेशा के लिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मेरी पार्टी डी.एम.के. की ओर से विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं।

इस विधेयक ने देश में राजनीतिक प्रोपेगंडा के साथ–साथ हंगामा खड़ा कर दिया है। फिर भी, हर किसी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस विधेयक के प्रभावी होने से बीमा–क्षेत्र का निजीकरण नहीं हो जाएगा। इससे केवल उस दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा।

कुछ उद्योगों पर सरकार के कड़े नियंत्रण के परिणामस्वरूप लोगों मे जिम्मेदारी का आभाव होगा और उद्योगों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी नहीं आएगी।

इसके साथ ही इसे ऐसे क्षेत्रों को तय करना चाहिए जिनका उनके स्वरूप, लाभ उपलब्धि और समाज सेवा के आधार पर निजीकरण किया जा सकता है। बीमा क्षेत्र के मामले में, इसके विकास के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता अत्यंत आवश्यक है।

प्रतियोगिता बीमे के फायदों के बारे में जागरूकता, प्रीमियमों के समय पर भुगतान, ऋण के तुरंत भुगतान, और परिपक्व धनराशि के समय पर भुगतान को सुनिश्चित कर सकती है।

वर्तमान विधेयक के अनुसार, निजी संगठन अपनी ओर से स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि समाज के प्रति लाभ, गाँवों की आवश्यकता और निवेशों या जमाराशियों पर कुछ शर्तों को लगाया जाया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में निजी संगठनों के आने से आर्थिक धोखाधड़ी के अवसर कम ही हैं।

संयुक्त मोर्चा सरकार के समय भी, इस विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परंतु प्रत्यावर्तित नहीं किया गया था और देश की विभिन्न पार्टियों ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया था।

जब स्वस्थ प्रतियोगिता होने लगती है तो कर्मिकों का दिमाग न केवल वेतन और अधिकारों की ओर जाता है अपितु कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों पर भी जाता है।

यद्यपि भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ है फिर भी बीमा कराने की प्रवृत्ति नहीं पायी जाती है। मुश्किल से जनसंख्या का एक प्रतिशत भाग स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आता है।

राजनीतिक दृष्टि से भी देखने पर भी यह समय सर्वथा उपयुक्त है और यह समय बीमा क्षेत्र को निजी पार्टियों के लिए खोलने के लिए भी उचित है।

इस विधेयक को अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य से लाभार्जित करने के लिए आर्थिक साधन के रूप में लिया जा सकता है। केन्द्र सरकार को इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

पालिसीधारकों के हितों की रक्षा और बीमा स्कीम की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भी देश के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वस्थ प्रतियोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है और बीमा क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है क्योंकि ऐसी स्थिति में ही देशवासी बीमा क्षेत्र के विभिन्न लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं।

मैं डी. एम. के. पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, देश में हो रहे आर्थिक सुधारों का महत्वपूर्ण प्रयास, इस विधेयक पर संबंधित पार्टियों की स्थिति सहित पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों में विवाद का विषय बना हुआ है।

मैं इस विषय पर बोलने से पहले, आज हड़ताल पर जाने वाले बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों की व्यथा, आशंकाओं और चिन्ताओं को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मैं उनकी आवाज और उनके संघर्ष की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं। वे हमारा अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं और वे ट्रेड यूनियन आन्दोलन के हमारे सदस्य हैं। परन्तु आज हमें नयी सहस्राब्दि की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है।

मैं ट्रेड यूनियनों का आभारी हूं जबकि मैंने उनका ज्ञापन एक बार ही प्राप्त किया है उसमें उन्होंने सम्मानपूर्वक स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के योगदान का उल्लेख किया है जिनकी वे पारम्परिक रूप से आलोचना और निन्दा वर्षों से करते आ रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद से इस विषय पर कांग्रेस की नीति से देश के सभी लोग अवगत हैं। उस ओर बैठने वाले सत्ता पक्ष के सदस्य, यहां बैठे सदस्य और वहां बैठे सदस्य, इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता संग्राम के तुरन्त बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मूल मुद्दों को उठाया था। भारत के लोग स्वयं ही लोकतंत्र के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और इसीलिए उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था की अभिधारणा प्रासंगिक थी और लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के संघर्ष की परिणति श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनाये गए समाजवाद के ढांचे में हुई और इसे संविधान की उद्देशिका में भी सम्मिलित किया गया।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

देश की जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए सामंतों के विरुद्ध संघर्ष, और पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की दिशा में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के सपने थे और यह उनका योगदान था।

हमने कभी भी इस देश की आर्थिक प्रगति, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो या कृषि क्षेत्र में हो, को अवरुद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। इस समय हम ऐसी परिस्थिति में हैं जिसमें हमें भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था की वास्तविकता का सामना करना है। यही हकीकत है। हमें आज इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पूरी तीसरी दुनियां, सभी विकसित देशों को गंभीर राजनीतिक और आर्थिक झटका लगा था क्योंकि सोवियत संघ अस्थिर या विघटित हो गया था। सोवियत संघ का विघटन और पूर्वी ब्लाक के अस्थिर हो जाने के कारण समाजवादी दुनियां ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसका सही या गलत ढंग से दोहन अपने लाभ के लिए पश्चिमी देशों द्वारा किया गया। विकासशील दुनियां अपनी असहायता को ही दर्शा पाई क्योंकि उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गई थीं और भारत और मलेशिया जैसे देशों में आर्थिक आत्म–निर्भरता की अभिधारणा के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया था।

ऐसी गम्भीर परिस्थिति में, न केवल भारत इससे प्रभावित हुआ अपितु चीन में कम्युनिस्ट आन्दोलन के तत्कालीन नेता डेंग जियाओपिंग ने चीनी पीपुल्स कांग्रेस में अपने भाषण में कहा था, 'हम एक नए युग के द्वार पर खड़े हैं और हमें इस स्थिति का सामना करना है।' न केवल डेंग जियाओपिंग अपितु ज़ियांग ज़ेमिन ने भी आगे बढ़कर यह कहा था कि चीन को विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होने का यही समय है और अमेरिका के साथ लंबी बातचीत के बाद अधिक प्राथमिकता प्राप्त देश का दर्जा प्राप्त कर लिया था। ये इतिहास की बातें हैं। हमें निष्पक्ष होना चाहिए और सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

हम सभी जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के भविष्य के बारे में चिन्तित हैं। इन पर इस प्रकार से विचार किया जा रहा है कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगमों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।

अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस को भी इसके बारे में उसी तरह से सोचना होगा क्योंकि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1956 में शुरू की गई अवधारणा है तथा उसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी जब प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया था और सम्पति के अधिकार मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। विकास या आंदोलन के उस युग में यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कही गई थी। इसलिए कांग्रेस की नीति यही है कि जो हमारे देश का शोषण करना चाहते हैं या लूटना चाहते हैं उनके साथ समझौता न किया जाए।

महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रिका में बहुत ही सक्षम और विद्वान वकील रहे थे, भारत में आते ही उन्होंने उस प्रकार की पोशाकों को पहनने से इन्कार कर दिया था जो अंग्रेजों द्वारा पहनी जाती थी। वे आधे फकीर के रूप में थे और गोल मेज बैठक में उन्होंने अपने उत्तर में कहा था, "मैं यहां नाटक करने नहीं आया, बल्कि यह बताने आया हूं कि आपने भारत को इस तरह लूटा है कि सबसे गरीब व्यक्ति के लिए इतना कम कपड़ा भी नहीं मिलता।" महात्मा गांधी जी के इस संदेश का भारत के संविधान, पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा यथासंभव पालन किया गया।

क्या सभा के किसी ओर बैठे लोगों में से कोई भी इस बात से इन्कार कर सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं था–चाहे गुजरात में हो, राजस्थान में, बंगाल में या बिहार में, चाहें भाजपा शासित राज्य हो, सी पी आई (एम), कांग्रेस या अन्य दल द्वारा शासित राज्य जिसका मसौदा या परिकल्पना श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में न की हो। आप ग्रामीणों के लिए बनाए गए सभी कार्यक्रमों को एक टोकरी में डाल दो और आंख मूंदकर कोई भी एक कार्यक्रम उठा लो तो आप पाएंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने या तो इस कार्यक्रम की घोषणा की थी या परिकल्पना की थी या उसकी परियोजना तैयार की थी। फिर भी एक नेता को बहुत कुछ संहना पड़ता है। प्रजातन्त्र में आलोचना होना स्वाभाविक ही है। पंडित नेहरू तंक को नहीं छोड़ा गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नहीं छोड़ा गया था। इसलिए, मजदूरों और मज़दूर संघों की प्रशंसा करते समय मैं उन्हें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदानों के लिए कम से कम एक बार उल्लेख करने पर बधाई देता हूं। चूंकि यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं उस पर ज्ञापन का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। यह कहा गया है कि सरकार द्वारा किया गया निवेश काफी कम है; जीवन बीमा उद्योग में यह 5 करोड़ है और साधारण बीमा निगम में यह 21.5 करोड़ है।

हमें अभी भी यह बहुत कम लगता है। इसीलिए, अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि पहले साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम की कमियों को दूर करें। अगर संभव हो तो इस पर अपने मंत्रिमंडल में विचार करें ताकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ओ. एन. जी. सी. की तरह जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को बोर्ड द्वारा नियंत्रित कंपनियों की तरह बनाया जा सके जिससे जीवन बीमा निगम की शेयर पूंजी वर्तमान 5 करोड़ रुपए से बढ़कर कम से कम

100 करोड़ रुपये हो जाए और साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों की वर्तमान राशि 40 करोड़ रुपये से बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो जाए।

मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों और देश को यह संदेश मिलेगा कि पंडित नेहरू का आठ उद्देश्यों वाला सपना और साधारण बीमा के संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति विफल न हो और जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के विकास में कमी का सवाल ही न उठे।

महोदय, मैं आपको, वित्त मंत्री और विपक्ष के सदस्यों को संबोधित करूंगा। मुझे आज इस मुद्दे पर सावधानी पूर्वक सोचने दीजिए। आज लगभग 70 मिलियन लोगों ने जीवन बीमा कराया हुआ है। लगभग दो मिलियन लोगों ने स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ है। हम स्वास्थ्य बीमा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं परंतु केवल दो मिलियन लोगों ने ही स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ है। लगभग एक मिलियन लोगों ने ही पेंशन पालिसियां ले रखी हैं और लगभग 20 मिलियन लोगों ने ही भविष्य निधि योजना ली हुई है। इस प्रकार अगर वे शेयर पूंजी को दूसरी ओर से होने वाली प्रतिस्पर्धा के साथ बढ़ाते हैं तो व्यापक–आधारित नेटवर्क के अंतर्गत जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के प्रयासों को बढ़ाने की काफी संभावना है।

मैं यह दोहराता हूं कि हमें साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के योगदान को इसलिए कम नहीं समझना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उनकी सीमित क्षमता है। उन्होंने योगदान किया था। उन्होंने आयोजना, सामाजिक क्षेत्र और सरकारी प्रतिभूतियों में योगदान किया था। मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करता। मैं आंकडों के हेर–फेर के बारे में तर्क नहीं करना चाहता। परन्तु हमें यह भी समझना चाहिए कि यह बहुत बड़ी चुनौती है।

आज देश की कोई भी राज्य सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती कि स्थिति यह है कि मूलभूत ढांचे का विकास, राज्य का राजस्व राष्ट्रीय राजस्व पर्याप्त नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से यह माना कि कलकत्ता के सड़क यातायात की स्थिति का सामना करने के लिए केवल राज्य के राजस्व से ही बड़े फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया जा सकता तथा जब तक जापान से वित्त मिलने का आश्वासन नहीं मिलता वे इसका निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उनकी सहायता से ही ऐसा किया है। मैं उनकी सूझबूझ के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

वास्तविकताएं यह है। बारकेश्वर विद्युत संयंत्र में क्या हुआ था? जापान से वित्त सहायता के बिना हम बारकेश्वर विद्युत संयंत्र नहीं बना सकते थे। यह सच है। यही वास्तविकता है। अगर आप इन वास्तविकताओं को अलग रखते हैं तो और यह कहते हैं कि चूंकि कांग्रेस ने आर्थिक सुधार शुरू किए थे, इसलिए, वे हो रहे हैं परन्तु मैं कहूंगा कि यह नहीं हो रहे हैं। देश के लोगों की मांग के अनुसार देश के बढ़ते हुए विकास के साथ चलने के लिए स्थिति का सामना करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी सुधार सही नहीं हैं।

उस दिन मैं डा. मनमोहन सिंह से बात कर रहा था। हमने आर्थिक सुधार शुरू किए थे। मैंने उन्हें यह बात बताई थी। जब मैं किसी गांव में आधी रात को या गरमी में जाता हूं, चाहें गुजरात हो या बिहार, और पीने के लिए एक गिलास पानी मांगता हूं तो वह देते हुए हिचकिचाता है कि महोदय, यह गांव है; पानी में संखिया मिला हुआ है या साफ पानी उपलब्ध नहीं है और वह मुझसे पांच मिनट रुकने के लिए कहता है और जिससे वह मुझे पीने के लिए कुछ दे सके। वह पान की दुकान में जाता है और वहां से पेप्सी या कोक लेकर आता है और कहता है कि यह पीने की चीज है, पीने का पानी नहीं।

यह वास्तविकता है। हम इस सच्चाई से इन्कार नहीं करते। इसके लिए जरूरत है अधिक संसाधनों को जुटाया जाना; और अधिक तकनीकी संसाधन लाया जाना तथा अधिक निवेश किया जाना। क्या हम वर्तमान ढांचे के द्वारा इस नेटवर्क का सामाना कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं।

इसलिए हममें से हरेक यही देख रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा क्या हो सकता है? मैं यह दुख के साथ कहता हूं कि अगर हम सभी सही तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रयोग करते तो बीमा क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होता। चाहें यह सही हो या गलत हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं राजनैतिक कारण स्पष्ट नहीं करूंगा। मैं इस बहस को राजनैतिक रूप नहीं देना चाहता। मैं केवल वास्तविकता चाहता हूं, अर्थात् संकट की ऐसी घड़ी में वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कृपया मेरी बात समझिए।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी प्रयास के साथ समझौता नहीं करेगी जो जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के विकास को अस्थिर बनाए, कम करे, बंद करे और हतोत्साहित करे। यह बिल्कुल स्पष्ट है। विधेयक में भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की जा रही। यह विधेयक कुछ क्षेत्रों में कुछ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या निजी और विदेशी निवेश की भागीदारी द्वारा 26 प्रतिशत तक होने वाले लाभ को दस वर्षों के बाद सही समय पर पूरी तरह बदला जाना चाहिए और लाभ की उस राशि को इस तरीके से वापस भेजा जाएगा कि देश को नुकसान होगा? नही। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सही समय पर प्राधिकारी द्वारा या विधान द्वारा या समुचित

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अधिसूचना जारी करके इसे बचाना होगा। हमारी मांग यह है कि इस क्षेत्र में निवेश और सामाजिक क्षेत्र में देयता को निजी क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। अगर सामाजिक क्षेत्र में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम इस तरीके से भाग ले सकें जैसे कि वे अब तक लेते रहे हैं तो वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वास्तव में यह और अधिक होना चाहिए। यह हमारी मांग है। इस मुद्दे पर सरकार को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।

हम दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि जब हमने सुधार शुरू किए थे तो बहुत लोगों ने आपत्ति की थी तथा कांग्रेस पार्टी की उसी तरह आलोचना की थी जैसी कि हमेशा होती आई है। हम पिछले पचास सालों में कई तरीकों से आलोचना सुनने के अभ्यस्त हो चुके हैं चाहें वह किसी भी पक्ष से हो। परंतु हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हमने राजनीतिक कारणों से किसी एक पार्टी को हटाने के लिए किसी पार्टी में प्रवेश नहीं किया और किसी दिन हमें यह कहते नहीं सुनोगे कि 'क' ठीक है और 'ख' खराब। स्वतंत्रता से पहले या बाद में हमने भाजपा या जनसंघ के साथ कभी भी सत्ता में साझेदारी नहीं की। श्री राममनोहर लोहिया कांग्रेस की कड़ी आलोचना किया करते थे। परंतु मेरे मन में ऐसे महान सामाजिक नेता के प्रति बहुत सम्मान है जिनकी पुस्तकें मैं पढ़ता रहा हूं और उनसे कई बातें सीखीं। श्री शरद यादव उसी समाजवादी की उपज हैं। आज उन्होंने अपना पक्ष बदल दिया है और उन्होंने भाजपा से गठजोड़ कर लिया है परंतु मैंने वैसा नहीं किया और हमने वैसा नहीं किया।

मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत में आज आर्थिक सुधारों की बहुत अधिक जरूरत है। आर्थिक सुधार इस तरीके से नहीं किए जाने चाहिए कि गरीबों और ग्रामीण लोगों के हितों साथ समझौता करना पड़े। हमने यह काम धीरे–धीरे किया है।...*(व्यवधान)* मैं राज्य सरकारों की बात नहीं करना चाहता। मैं राजनैतिक बहस नहीं करना चाहता। कृपया मुझे न उकसाएं। अगर आप मुझे कुछ बोलने के लिए मजबूर करेंगे तो इससे न मेरा और न ही आपका कोई लाभ होगा...*(व्यवधान)* आपने मुझे मजबूर कर ही दिया है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे श्री ज्योति बसु पर गर्व है क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में भारतीय उद्योग महासंघ के पहले सत्र में यह कहने का साहस किया था कि अब समय आ गया है कि विदेशी और निजी क्षेत्र के निवेश द्वारा मूलभूत ढांचे को सुधारा जाए। अगर आप उनका विरोध करते हैं तो यह आपका सिरदर्द है मेरा नहीं । मैं इस बारे में विस्तार से बात करना नहीं चाहता । आज संकट की इस घड़ी में, राज्य के राजस्व या केन्द्र के राजस्व की मदद से एक भी नई परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। मैं समझता हूं कि वे ठीक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे मार्क्सवादी नहीं हैं। हमें यह काम विकासशील देशों के पास उपलब्ध सीमित विकल्पों की मदद से करना होगा, और हमें इसे संसदीय प्रजातंत्र के सीमित दायरे में करना होगा। सैद्धांतिक रूप से आप हमें दोष दे सकते हैं। मैं भी इस बारें में संगोष्ठियों और बहस में भाग ले सकता हूं कि दास कैपिटल किस तरह गलत थी और गांधीजी सही। यह कुछ बुद्धिजीवी लोगों का मामला है। परंतु आज शाम तक आप पाएंगे कि इससे उन गरीबों को लाभ नहीं हुआ जो पीने का पानी चाहते हैं पेप्सी नहीं। इसलिए देश को सोचना होगा कि संसाधनों को कैसे जुटाया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि हमें शब्दों के खेल में नहीं पड़ना चाहिए और हमें तथ्यों और आंकड़ों पर नहीं लड़ना चाहिए। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अतः हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य एल आई सी और जी आई सी के हजारों कर्मचारियों की शंकाओं को दूर करना है। मैं डा. नीतिश सेनगुप्ता के साथ सहमत नहीं हूं कि उन्होंने निपटान में विलम्ब किया है। डा. सेनगुप्ता भूतपूर्व नौकरशाह के रूप में भलीभांति जानते हैं कि फाइलों को आगे बढ़ाना कितना कठिन है। इसमें काफी समय लगता है। आप लोग कहा करते हैं कि शासन करने वाले श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा श्री वाजपेयी नही हैं। जब आप नौकरशाह थे तो आप सोचते थे कि हम राजनीतिज्ञ मूर्ख हैं और वे चले जाएंगे। आप नौकरशाह ही शासन करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप यहां आए हैं। अन्ततः यही आपका स्थान है वह नहीं था।

आज वास्तविकता यह है कि हमें स्थिति का अध्ययन अत्यंत निष्पक्ष तरीके से करना होगा। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आधार भूत ढांचे के बारे में जो कुछ कहा है हम उसका पालन करते हैं। हमने जनादेश प्राप्त किया लेकिन हम सत्ता में नहीं आए। हमने लोगों को बताया कि यह हमारा चुनावी घोषणा पत्र था। हम विपक्ष में बैठे रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त नहीं कर पाई है इसलिए हमें विपक्ष में बैठना पड़ा है। ऐसा दोहरा मानदण्ड रखना कांग्रेस की नीति नहीं है। यह दूसरों की नीति हो सकती है।

कांग्रेस पार्टी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रही बल्कि जब–जब स्थिति उत्पन्न होगी वह सरकार के साथ टकराव भी करेगी। जो हमने कहा था हम वही करेंगे। हम यह कभी नहीं सोचेंगे कि देश के कानून सहज में हमें कोई भूमिका नहीं निभानी है। हम तो कई विधानों के निर्माता है। हमने कई वार्ताओं की शुरूआत की है। उन्होंने अपने को बदल लिया? लेकिन हम नहीं बदले हैं।

मुझे याद है 1972 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किये गए थे तब कई लोगों द्वारा टिप्पणी की गई थी यह सब कार्यवाही वृतान्त में अभिलिखित है। आर. एस. एस. ने तब क्या टिप्पणी की थी? मुझे खुशी है और मैं श्री वाजपेयी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने लाहौर

घोषणा में अपनी प्रज्ञा प्राप्त की कि अन्ततः भारत–पाक वार्ताएं शिमला समझौता के दायरे के भीतर ही की जा सकती है। उन्होंने सिद्ध किया कि हम सही थे। हमने सिद्ध किया कि हमने इतिहास में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। हमने स्वयं ही सही सिद्ध किया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, जिसके प्रवर्तक टीटो, नासर और पंडित जवाहर लाल नेहरू थे अब भी भारत को सही ठहराता है। कांग्रेस सही थी पंडित जी सही थे। हमने अपनी स्थिति को गिराया नहीं है। हमने अपनी विचारधारा और चरित्र में तब्दीली नहीं की है। हमारे भीतर मतभेद है। प्रत्येक राजनीतिक दल और व्यवस्था में हमेशा कमजोरियां होती हैं। दल के भीतर लड़ाई हो सकती है। वह भिन्न बात है। जब कभी चुनौतियां आई हैं तो हमने सार्वजनिक मामलों पर समझौता नहीं किया है और न ही हमने राजनीति के मामले पर टकराव किया है।

प्रधान मंत्री जी सभा में उपस्थिति हैं। मुझे कहते हुए दुख है कि मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दूरदर्शन पर कहा कि कांग्रेस आई आर डी ए विधेयक के संबंध में तालमेल कर रही है ताकि चार्जशीट से श्री राजीव गांधी के नाम को हटाया जा सके। इससे मुझे दुख हुआ। श्री राजीव गांधी कभी भी हमारे पास नहीं आ सकते। वे तो हमेशा के लिए चले गए हैं। कांग्रेस दल और इसके चुनावी घोषणा पत्र इसके वायदों को ऐसे मुद्दों पर बराबर नहीं लाया जा सकता है। उसके लिए हमें मालूम है कि संसद के बाहर लोगों के माध्यम से हमें किस प्रकार भूमिका निभानी है। चिकमंगलूर में अपनी विजय के पश्चात् जब श्रीमती गांधी पर शाह आयोग द्वारा सदन में मुकदमा चलाया गया था हम इस सभा में चिल्लाये थे लेकिन कुछ नहीं विचार हुआ। भारत के लोगों ने स्थिति का सामना किया और ठीक जवाब दिया। हमें प्रजातंत्र और उसके लोगों में विश्वास है। हम लोगों के प्रति अन्ततः जवाबदेह हैं। जहां तक इस संसद का संबंध है यह सम्प्रभु और सर्वोच्च संस्था है। यह सबसे ऊपर है और संसद में दोहरा मानदंड नहीं अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आए अथवा न आए लेकिन यह इतिहास में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए कि हमने दोहरा मानदण्ड अपनाया है और जब कभी सुविधाजनक हुआ इसने पाखंड किया है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम चर्चा में भाग लेंगे। यदि हमारे संशोधनों पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है तो हम इस विधेयक को अपना समर्थन देंगे। *(व्यवधान)* मैं नहीं सुनूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वह सुन नहीं रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सामाजिक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेशी इक्विटी आएगी। विदेशी कम्पनियां आएंगी। हमने अपने बैंकों का राष्ट्रीकरण क्यों किया। बैंक देश में 14 अथवा 16 घरानों का समर्थन करता है। उस समय विपक्ष के कई लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया था। लेकिन आज जब एक रिक्शा चलाने वाला शान से कहता है कि वह बिरला अथवा टाटा का देनदार नहीं है बल्कि किसी विशेष बैंक जिसका वह साझेदार भी है का देनदार है। मैं गर्व महसूस करता हूं और महसूस करता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी आज भी जीवित हैं। श्री वेंक्कटायनायडू श्री राजीव गांधी को गाली दें सकते हैं। और कह सकते हैं। कि कांग्रेस सौदेबाजी पर सहमत है। मैं उनके वक्तव्य पर जोरदार रोष व्यक्त करता हूं। जब सदन में कोई महत्वपूर्ण मुददों पर चर्चा की जा रही हो तो जिम्मेदार दल को इस प्रकार से बातचीत नहीं करनी चाहिए। रिक्शा चलाने वाला गर्व महसूस करता है कि उसका रिक्शा किसी बैंक की माफर्त उसके पास आया है बिरला उसका मालिक नहीं है। इसी प्रकार पालिसीधारक, चाहे वह अधिवक्ता हो अथवा कामगार हो अथवा राजनीतिज्ञ हो अथवा क्लार्क हो, गर्व महसूस करता है कि वह भी एल आई सी अथवा जी आई सी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के अंशदान में भागीदार है। इसलिए भगवान के लिए माननीय वित्त मंत्री जी लोगों से एल आई सी और जी आई सी के माध्यम से राष्ट्र का मान मत छीनिए।

सांय 6.00 बजे

कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारा आपसे यही निवेदन है। यह हमारी आपसे अपील है। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय वित्त मंत्री को–विपक्ष में रहते हुए आपने हमारे आर्थिक सुधारों के लिए जो कुछ भी कहा है – धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि दिन के अन्त में आपने आर्थिक सुधारों के संबंध में हमारे प्रयासों को स्वीकार किया है। मैं आपकी देर से आई प्रज्ञा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूं कि आप उन्हें अपनी मनमानी करने की अनुमति देने की गलती मत कीजिए। आपने दस लोगों को शक्ति दी है। इसका क्या मतलब है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों अभी भी हमारे पास 24 वक्ता है अतः जब तक हम 8.00 बजे तक सभा की बैठक को नहीं बढ़ाते हैं हम सभी को बोलने का मौका नहीं दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि 8.00 बजे तक सभा की बैठक को बढ़ाने पर सभा सहमत होगी।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 1.3 प्रतिशत है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5.2 प्रतिशत, इग्लैण्ड में 6.5 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 8 प्रतिशत है। भारत की बीमा योग्य जनसंख्या का केवल 22–23 प्रतिशत का जीवन बीमा हुआ है। जीवन बीमा देश में घरेलू बचत का मात्र 6 प्रतिशत है। संयुक्त राज्य अमरीका में यह 24 प्रतिशत, इग्लैण्ड में 41 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 32 प्रतिशत है। हमारे आर्थिक सुधार राष्ट्र के

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

हथियार डालने के लिए नही हैं। आर्थिक सुधारों पर कांग्रेस की विचारधारा संवैधानिक बाध्यताओं से समझौता करना नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करना अथवा इसके विकास को घटाने अथवा उसके प्रभावशाली पराकाष्टा को कम करना नहीं है। लेकिन बीमा क्षेत्र में राष्ट्र के बड़े क्षेत्र को इस प्रकार से शामिल करना चाहिए जिस प्रकार इसे सम्प्रति होना चाहिए। हमारे पडोसी देश बंगलादेश और एक अन्य छोटा राष्ट्र जो हमारा अच्छा मित्र है, नेपाल भी अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करने की योजना बना रहा है। यदि उन्होंने विचारविमर्श शुरू कर दिया है तो क्या भारत को पीछे रहना चाहिए? हम उद्योगों को विकास करने के लिए कह रहे हैं और कई नए उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आने पर जिसने व्यापार को आज इन्टरनेट के माध्यम से घरों के बैठक कक्ष में पहुंचा दिया है, उस वातावरण में हमें भारत को विश्व की पूरी आर्थिक स्थिति से अलग नहीं रखना चाहिए। हमें सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्यवान उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रतिस्पर्धा करनी है। लेकिन हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अतः मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री को एल आई सी और जी आई सी के कार्यकरण को व्यावसायिक बनाना चाहिए। मुझे पता है आपने उन्हें कम्प्यूटर दिये हैं लेकिन कम्प्यूटर मशीन नहीं है यह अभिप्रेरणा भी है। आपने कई कार्यालयों को इन्टरनेट दिये हैं। मुझे उसकी जानकारी है। लेकिन यह केवल प्रौद्योगिकी नवीकरण की प्रक्रिया नहीं है। यह मानव और उत्प्रेरणा का प्रौद्योगिकीय उन्नयन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह आर्थिक सुधारों संबंधी हमारे दृष्टिकोण का गलत अर्थ न निकालें जो कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में दिया गया है। हम विधेयक और अपने दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट विभेद करना चाहते हैं। विधेयक का उद्देश्य केवल यह निश्चित करना है कि प्राधिकार प्राप्त दस लोग सम्पूर्ण मामलों को संभाल लेंगे। हमने महसूस किया है कि यह ज्यादती है। मैं समझता हूं कि यह केवल उस थोड़े से पेशेवर व्यक्तियों को खुश करने के लिए है जो सेवानिवृत हो गए हैं। अथवा सेवानिवृत होने वाले हैं। आप इसे और छोटा कर दीजिए और सार्वजनिक क्षेत्र की तरह सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए स्पष्ट प्रावधानों को बना दीजिए। आप गारन्टी देते हैं कि यदि निजी कम्पनियां आपकी बाध्यताओं का और उल्लंघन करती हैं तो उन पर आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा और उसके पश्चात् पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। आप इसे आरंभ कीजिए और देखिए कि वह किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यदि वह उचित प्रकार से व्यवहार नहीं करते और संसद में वापस आते हैं तो हम और संशोधन देंगे और अपने विचारों की पुष्टि करेंगें। मैं पुनः दोहराता हूं कि कृपया आप जी आई सी और एल आई सी को अस्थिर मत कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर हमारे संशोधनों और सुझावों पर उचित समय पर विचार करें। इसके बाद हम इस विधेयक का समर्थन करके वास्तव में प्रसन्नता महसूस करेंगे।

यह एक विधेयक नहीं है। जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक शब्दावली में घोषणा की है।

[हिन्दी]

इसमें बी. जे. पी. और कांग्रेस की मिली भगत जैसा कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

यदि किसी ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जन्म से ही जनसंघ का निरन्तर विरोध किया है तो वह कोई और नहीं पंडित नेहरू और कांग्रेस ही थे।

[हिन्दी]

आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा था। इमरजेन्सी में फ्रंट बनाया था, तब सोचा। श्री राजीव गांधी के खिलाफ लड़ाई की, तब सोचा। ठीक है। हम लोगों की मुसीबत यही है कि जो लोग हमें गाली देते है उनकी गाली हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दुख इतना ही है कि जो लोग हमारी मदद से मंत्री बने थे, वे भूल जाते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं।

***श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी)** : माननीय सभापति महोदय, मैं शिव सेना दल का और महाराष्ट्र के परभनी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मैं महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पिछले कई दिनों से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा की जा रही है। मैं इस विधेयक की सभी विशेषताओं और पहलूओं पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस विधेयक के केवल एक विशेष पहलू पर प्रकाश डालूंगा। बीमा, बीमा कम्पनी और बीमा लाभार्थी तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें विचार करना होगा कि क्या वास्तविक लाभार्थी बीमा और बीमा एजेन्सियों के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हैं। मैं वित्त मंत्रालय द्वारा लाए गए बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक के लिए शिव सेना दल का समर्थन और अपनी ओर से भी अपना समर्थन देता हूं। लेकिन इस विधेयक के प्रावधानों का कार्यान्वयन करते हुए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। भारत ग्रामीण क्षेत्रों से बना है। हमारी जनसंख्या का 70% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान है कारीगर, श्रमिक कृषि कर्मकार --इस विधेयक के कार्यान्वयन करने से वास्तव में लाभान्वित होने जा रहे हैं या नहीं यही मुख्य प्रश्न है? हमें सोचना होगा कि बीमा कम्पनियां

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इस विधेयक के प्रावधानों का क्रियान्वयन किस प्रकार करेगी और क्या इन कम्पनियों के हाथों लाभार्थियों को परेशान होना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय द्वारा लाए गए बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे विदेशी कम्पनियों को बीमा क्षेत्र मे प्रवेश करने की अनुमति मिल पाएगी। यह स्वदेशी बीमा कम्पनियां चाहे यह एल आई सी हो अथवा जी आई सी हों के एकाधिकार को समाप्त करने में सक्षम होंगी। पालिसीधारक इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बीमा, चाहे किसी व्यक्ति का, ट्रैक्टर, जीप इलैक्ट्रिक मोटर, मकान और गाय अथवा भैंस का हो, जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। साधारण व्यक्ति अथवा किसान को इन चीजों का बीमा कराने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। यदि वह अपने जीवन अथवा अपनी चीजों का बीमा कराता है तो उसे पर्याप्त प्रतिपूर्ति राशि मिलनी चाहिए। जब कभी भी दुर्घटना होती है जिसके कारण लाभार्थी बीमा राशि का दावा करता है उसे निपटाए गए दावे को प्राप्त करने में परेशानियां और कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए। किसानों अथवा कृषि कर्मकारों, जिन्होंने अपने जीवन और सामान का बीमा कराया है, को असल में लाभ प्राप्त होना चाहिए। जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि बीमाराशि को प्राप्त करते हुए साधारण आदमी को कोई कठिनाई अथवा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बीमा दावे को प्राप्त करते हुए उसे कोई तकनीकी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक लाभार्थी के दावों का निपटान बिना किसी कठिनाई के हो सके।

मैं इस मामले पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस चर्चा के माध्यम से मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि बीमा दावों का निपटान करते हुए साधारण व्यक्ति को बीमा कम्पनी, एजेन्ट अथवा बीमा इंस्पेक्टरों द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी बातें बाधा नहीं बननी चाहिए और लाभार्थी को उसके बीमा पर प्राप्त होने वाली राशि के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि बीमा का लाभ किसानों, कृषि कर्मकारों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध व्यक्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलाना चाहिए। हमें देखना होगा कि उनके मार्ग में कोई तकनीकी समस्या न आए और उनका बीमा दावों को बिना किसी कठिनाई के निपटाया जाए। मैं इस चर्चा में इसी बात पर जोर देना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 का घनघोर विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं धीरे से बोलूंगा। जोर से तब बोलना पड़ता है जब हमारी कोई सुनवाई नही होती।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दृढ़ मत है कि यह विधेयक प्रतिगामी है और केवल प्रतिगामी कदम ही नही बल्कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था और स्वदेशी अर्थशास्त्र की मृत्यु का दस्तावेज है। एक बीमा विधेयक 1938 वाला है, एक बीमा विधेयक 1956 वाला और एक 1972–73 वाला। हम सुनते थे कि टू–इन–वन, थ्री–इन–वन, लेकिन महोदय यह तो वन–इन–थ्री है। तीनों विधेयकों के ऊपर एक कानून बना रहे हैं। 1956 में इश्योरेंस का कारोबार जो कंपनियां कर रही थीं वे चौपट थीं इसलिए उन्हें नैशनलाइज कर दिया गया और 1956 में लाइफ इंश्योरेंस का गठन हुआ और तमाम कंपनियां नैशनलाइज कर दी गई। फिर 1972–73 में लोगों ने महसूस किया कि जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो कंपनियां थीं, वे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही थीं तो उनका भी नैशनलाईजेशन कर दिया गया और जी. आई. सी. बनी। अभी तक लोगों ने जिन रिपोर्टों से पढ़–पढ़ कर बताया उससे लगा कि वे कंपनियां खूब तरक्की कर रही हैं और लाभ में जा रही हैं। ठीक कर रही हैं आगे बढ़ रही हैं, देश को ज्यादा पूंजी दे रही हैं, तो किस वास्ते और क्या जरूरत पड़ रही है कि प्राइवेट कंपनियों को उसमें आने की छूट दी जाए और दरवाजे खोल दिए जाएं।

ये केवल प्राइवेट कम्पनियों को ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों को भी यहां आने का न्योता दे रहे हैं। यह कैसा अर्थशास्त्र है, किस कारण ऐसा हो रहा है, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार बेचैन क्यों है? वह चाहती है कि किसी न किसी रूप में, चाहें सौदा करके यह बिल पारित हो जाये। क्या गरज पड़ी है? क्या एल. आई. सी. और जी. आई. सी. चौपट है, जिसका आप सुधार करना चाहते हैं। किसी पहलवान आदमी के लिए लोग कहें कि इनका आपरेशन कर दिया जाये क्योंकि इनको बीमारी है जबकि वह पहलवान कुश्ती सब जगह जीत रहा है, तो क्या वह ठीक बात है? हमारी जी. आई. सी. और एल. आई. सी. फायदे में चल रही है। तब भी आप प्राइवेट कम्पनियों को यहां आने का न्यौता दे रहे हैं। इसमें तीनों लोग बेचैन हैं–एक तो विदेशी कम्पनियां बेचैन हैं कि किसी भी हालत में उनको हिन्दुस्तान के एल. आई. सी. सैक्टर में आने का मौका मिले, दूसरा, प्राईवेट कम्पनियां बेचैन हैं और तीसरा अमरीका बेचैन होगा। ये तीनों लोग बेचैन होंगे, ज्यादा लोग बेचैन नहीं है। लैफ्ट पार्टी के लोगों का तो आंदोलन चल रहा है। उनकी यूनियन के लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये तो एन्टी डेमोक्रेट है। जो आदमी काम कर रहा है...*(व्यवधान)*

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : आप धीरे बोलेंगे तो भी सुनाई देगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग धीरे से सुन लें तब तो ठीक होगा। डेढ़ करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया है। वह पेटीशन कमेटी में लंबित हैं उसके बाद भी यह मान नहीं रहे हैं। कहते हैं कि आहिस्ता बोलने से हम मान जायेंगे। डेढ़ करोड़ आदमियों ने हस्ताक्षर करके दिया है। इम्पालयज एसोसियेशन के लोग लड़ने के लिए सड़कों पर आ गये हैं। आज उनकी नहीं सुन रहे हैं। ये कहते हैं कि हम आहिस्ता से बोलेंगे तो सुन लेंगे, यह बात सही नहीं है। ये कैसे सुन लेंगे। हम जानते हैं कि रुपये पैसे में कितनी ताकत होती है। मल्टीनेशनल कम्पनियां चाहती हैं कि इसमें हम आ जायें। प्राइवेट कम्पनियां चाह रही हैं कि हम आ जायें, विदेशी कम्पनियां चाह रही हैं कि हम आ जायें जबकि सरकार के अधीन जो इंश्योरेंस कार्पोरेशन है, वह बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सब लोगों ने आंकड़े देकर बताया है। अभी समय नहीं है, नहीं तो हम भी आंकड़े देकर आपको बता सकते थे। विदेश में जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, उनका हाल खराब है। अमरीका में तीन हजार कम्पनियां हैं जिसमें से तीन सौ कम्पनियों का दिवाला बोल गया है। वे लोग चाहते हैं कि हमें हिन्दुस्तान का बाजार मिले। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार ठप्प हो गया है। सारी कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के इंश्योरेंस सैक्टर में आने से बढ़िया तरक्की हो सकती है इसलिए उनकी जबरदस्त लॉबी है। ये इनके दवाब से ही दबे हुए हैं, नहीं तो कोई बेचैनी नहीं है। हमारा लाइफ इंश्योरेंस सैक्टर जब तरक्की कर रहा है तो फिर इसमें नियामक लाने की क्या जरूरत है? ये कहते हैं कि हम नियामक से सब ठीक करेंगे। मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि कोई भी नियामक लाने से आप सुधार नहीं कर सकते।

नॉन बैंकिंग कम्पनी में कुबेर, जे. वी. जी. कम्पनी हैं—उनके बारे में नीतीश जी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने गरीबों की कमाई को लूट लिया। लोगों ने पेट काट—काटकर पैसा जमा किया और वे कम्पनियां उनका पैसा लेकर भाग गयीं। लोग दौड़ रहे हैं कि हमारा पैसा कहा गया। कुबेर, बर्न्स इंडिया आदि किस—किस नाम से नॉन बैंकिंग कम्पनियां खुली जिसमें गरीबों लोगों ने अपना पेट काटकर पैसा जमा किया और वे सब कम्पनियां गायब हो गयीं। अब ये प्राइवेट कम्पनियों को यहां इंश्योरेंस सैक्टर में ला रहे हैं। जब ये कम्पनियां भी लोगों का पैसा लेकर भाग जायेंगी तो ये क्या करेंगे, इसकी जवाबदेही दें। देसी कम्पनियां भी सब पैसा लेकर भाग जायेंगी तो गरीब लोग त्राहि—त्राहि करेंगे, उसकी भी जवाबदेही क्या उनके पास है? ये नॉन बैंकिंग कम्पनी को लाइसेंस देते हैं। इस मामले में जांच कमेटी बैठी और कुछ लोग जेल भी गये परंतु गरीब तो मारा गया। एक गरीब हमारे पास आया और उसने कहा कि आप जरा पैरवी कर दीजिए तो हमें पैसा मिल जायेगा। वह एक विधवा थी जिसने तीन लाख रुपये पेट काटकर जमा किया था। उसकी बेटी की शादी थी तो वह हमारे पास आयी कि आप फोन कर दीजिए तो मिल जायेगा।

इनके मंत्री कह रहे थे कि उनको फोन कर देंगे तो हमको पैसा मिल जायेगा। ये लोग इस तरह की प्राईवेट कम्पनियों में हिस्सेदार हैं जो गरीबों का पैसा लूटकर, दिवालिया घोषित करके, हजम करने वाले हैं। हमको इनकी नीयत पर बड़ा भारी संदेह है। ये मांग करते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति बना दी जाए, उसमें छानबीन की जाए। फिर कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ असहमति के साथ उसे पारित कर दिया है। इन्हीं की पार्टी की अध्यक्षा, श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में राज्य सभा में जो कमेटी बनी थी, उसने सर्वसम्मति से कहा था कि इसमें प्राईवेट कम्पनियों को नहीं आने देना चाहिए, विदेशी कम्पनियों को नहीं आने देना चाहिए। कुछ लोग यह भी कबूल करते हैं कि विदेशी कम्पनियों के आने से खतरा है। कहते हैं कि आप विरोध मत कीजिए, 26 प्रतिशत शेयर ही रहेगा। इनकी बातों से पता नहीं लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। इनको लगता है कि विदेशी कम्पनियां आएंगी तो वे पूंजी निवेश करेंगी, देश से गरीबी हटा देंगी और देश की आर्थिक स्थिति का सुधार हो जाएगा। यदि यह हिसाब जोड़ा जाए कि विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान से गरीबी हटाने के लिए आतुर हैं, पूंजी निवेश करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, हिन्दुस्तान के आर्थिक सुधार के लिए, ऐसा ये लोग सोच सकते हैं कि विदेशी कम्पनियों लाभ कमाने आएंगी। कांग्रेस के भाई सोशल सैक्टर की बात कहते हैं लेकिन सोशल सैक्टर से विदेशी कम्पनियों को क्या मतलब है? हमारे यहां गरीबों की झोंपडियां हैं। गरीब आदमी 10—15 हजार रुपये की बढ़िया गाय पालता है। यदि गाय को कोई बीमारी हो जाती है तो वह मर जाती है, उससे गरीब आदमी का आसरा खत्म हो जाता है। उसके लिए क्या प्रबंध किया है और क्या प्रबंध करेंगे? विदेशी कम्पनियों और प्राईवट कम्पनियों से गरीब व्यक्ति का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये लोग अपनी तरक्की के लिए आएंगे, मौका पाएंगे तो यहां से लेकर चले जाएंगे। हमको नहीं लगता कि ये गरीबों के हितों का संरक्षण कर पाएंगे। हमारे पास उदाहरण हैं।

जे. वी. जी. कम्पनी वाले यहां से भाग गए जिसमें गरीब लोगों ने अपना पेट काटकर हजारों रुपये लगाए थे। उसे देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि किसी भी हालत में विदेशी और प्राईवेट कम्पनियों को यहां आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस और जी. आई. सी. कम्पनियों में अच्छा काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी ठीक कह रहे हैं। संशोधन और प्रवर समिति से कुछ नहीं होगा। इसे वापिस

कर लेना चाहिए, नहीं तो ये बताएं कि किन हालात में वापिस नहीं करना चाहते हैं, क्या जल्दबाजी है, क्या बेचैनी है, क्या आवश्यकता है, देश को उसकी क्या जरूरत है? लाइफ इंश्योरेंस का प्राईवेटाईजेशन 1973 में खत्म हो गया था। उसके बाद से उस सैक्टर में तरक्की हो रही है। ...*(व्यवधान)* कोई क्षेत्र सरकारी हो जाता है तो उसके बाद उसमें घाटा होने लगता है। लोग कहते हैं कि प्राईवेटाइज कीजिए, सरकारी होने से खराब हो गया है लेकिन यही एक सैक्टर है जो सरकारी होने से बढ़िया हो गया, तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि इसे और ठीक करने के लिए हम प्राईवेट सैक्टर में लाएंगे। हमको लगता है कि यह प्रतिगामी कदम है और हम जो आगे जा रहे हैं उसे यह पीछे धकेलने वाला है। यह स्वदेशी अर्थशास्त्र की मृत्यु का दस्तावेज है। इसीलिए हमारी सदन से प्रार्थना है कि गरीब जनता के हित में इस दस्तावेज को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यदि सरकार इसे वापिस न करे तो कांग्रेस के भाई कभी ठीक बात करें। सदन इस प्रस्ताव को रद्द कर दे, यदि यह प्रस्ताव गिर जाएगा तो इनकी सरकार भी चली जाएगी। ये कहते हैं कि पांच वर्ष तक रहेंगे, पहले तो तेरह महीने हुए थे, लेकिन हमको लगता है कि ये कुछ ही दिन में जाने वाले हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का घनघोर विरोध बड़े ध्यानपूर्वक सुना रहा था जिसका स्वर तो ऊंचा था लेकिन तथ्य कम था। चूंकि हमेशा ऐसा ही होता है इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव और श्री रूपचन्द पाल द्वारा अत्यन्त घोर विरोध किया गया है। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी हैं। मैंने माननीय श्री दासमुंशी द्वारा दिये गए अत्यंत जोशीले भाषण को भी सुना है। जो कांग्रेस दल की अपनी ही प्रशंसा से भरा हुआ था। चूंकि उन्होंने हमारे विधेयक को समर्थन दिया है मैं उनके साथ किसी तर्क में नहीं उलझूंगा। मैं पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस दल द्वारा कई बार की गई किसी भी कमियों को नहीं बताऊंगा। मैं उन बातों की चर्चा यहां नहीं करूंगा। चूंकि उन्होंने हमें समर्थन दिया है मैं उनसे हर प्रकार की सहायता भी लेना चाहूंगा क्योंकि हमें अभी इसकी आवश्यकता है। हमारी ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से श्री राजीव प्रताप रूडी और डॉ. नीतिश सेनगुप्ता द्वारा पहले ही तथ्यपरक जानकारी देने वाला भाषण दिया जा चुका है। मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा जो पहले उन्होंने कर दी हैं। मैं उन को नहीं दोहराऊंगा मेरा कहना यह है कि फैलाई जा रही बातों में 2/3 बातें झूठी हैं?

बारहवीं लोकसभा में जब मैं पेटेन्ट संशोधन विधेयक पर बोल रहा था तो वाम दलों के माननीय सदस्यो ने शंका उठाई थी कि ग्रेट ईस्ट इण्डियन कम्पनी भारत में पुनः आ रही है जो पूरे देश को निगल जाएगी, एल आई सी, इस देश के सामाजिक ढांचे को निगल जाएगी जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी और हर चीज को निगल जायेगी। उस समय उन्होंने जो शंका की थी अभी भी वह वही बातें कर रहे हैं।

लेकिन मेरा कहना है कि समाज बदल चुका है, अर्थव्यवस्था में तब्दीली आई है। श्री रूपचन्द पाल ने 1998 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से कई पैराग्राफ पढ़े हैं और हमें स्मरण कराया है कि पहले हम स्वदेशी के समर्थक थे और अब हम विदेशी के समर्थक हो गए हैं। अतः हम वह लोग हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील होती है।

1886 में जब उड़ीसा में अकाल पडा था तो 3 लाख लोग मरे थे। उस समय उड़ीसा में लगभग 15 लाख लोग रहते थे। तीन लाख लोग मर गए और सरकार कुछ न कर सकी। लेकिन आज इस चक्रवात के पश्चात् आज पूरा विश्व उनकी सहायता के लिए आगे आया है। उड़ीसा की सरकार चाहे सक्षम अथवा असक्षम हो वे अपने मुख्य मंत्री को बनाए रखना चाहते हैं अथवा वह उन्हें हटाना चाहते हैं। यह अलग बात है। लेकिन अब पूरा विश्व संकुचित हो गया है। अब विश्व किसी राज्य में तीन लाख लोगों को मरने नहीं देगा। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस ने वाम दलों ने सभी ने नेहरू युग के पश्चात् समय के अनुसार चलने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में तब्दीली कर ली है।

पहले कांग्रेस दल की आर्थिक नीति समाजवादी थी इसके बाद श्रीमती इंन्दिरा गांधी के काल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीयकरण नीति को अपनाया और पुनः नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान वे सार्वभौमीकरण की नीति को अपनाने लगे।

मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी, जिसकी संघ परिवार अथवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्थापना की गई है की अपनी परिभाषा है। स्वदेशी का अर्थ क्या है?

स्वदेशी का अर्थ है कि भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा और भारतीय स्वावलम्बी बनेंगे। अब हर समय हमें कहा जा रहा है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी और विदेशी आएंगे, विदेशी सीधा निवेश आएगा और एफ आई आई आएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य जमाएगा।

मैं आपको दो तीन उदाहरण दूंगा। मारुति कम्पनी का उदाहरण लीजिए। यह मुख्य रूप से भारतीय कम्पनी है। मारुति कम्पनी ने भारत के साथ अपनी पहचान बनाई है। अब भारत में ओटोमोबाइल क्षेत्र खुल गया है। बडी मात्रा में विदेशी विर्निमाता

[श्री खारबेल स्वाइं]

भारत आ रहे हैं। भारतीय सड़क परिदृश्य में क्रांति आई है और आपको कई प्रकार की विदेशी कारें दिखाई देंगी। क्या वे मारूति को प्रतिस्पर्द्धा से बाहर करने में कामयाब रही हैं? आज की मारूति कार की तुलना 10 वर्ष पहले की मारूति कार से कीजिए। प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। मारूति कार की गुणवत्ता सुधरी है। अब मारूति कम्पनी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कारें बना सकती है। उस दिन मैं एक पत्रिका में एक नई मध्यम दर्जे की कार, मारूति 'बलेनो' के बारे में पढ़ रहा था जिसका उन्होंने निर्माण किया है।

बैकिंग क्षेत्र का ही उदाहरण लेते हैं। हमने इसे खोल दिया है। कई विदेशी बैंकों ने अपनी शाखाएं भारत में खोली हैं। परंतु इन सभी कार्यों के बाद भी अगर आप पूरे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुल जमा राशि देखते हैं तो सभी विदेशी बैंकों की जमा राशि मिलाकर भी कुल जमा राशि का आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होती। वे भारतीय बैंकों के कार्य को समाप्त नहीं कर सकते।

म्यूचल फंडों का ही उदाहरण लें। अब इस क्षेत्र को भी खोल दिया गया है। अब विदेशी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी भारत में अपने म्यूचल फंड खोले हैं। परंतु अब भी यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया इसमें सबसे आगे है। वे यू टी आई को कई साल से बाहर नहीं कर सके हैं।

मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। दुपहिया वाहनों के बाजार में, सुजुकी, होंडा और अन्य कम्पनियों ने भारत में प्रवेश किया है। भारतीय कम्पनी बजाज को बंद नही किया गया है। उन्होंने उनके साथ प्रतिस्पर्द्धा की और अब भारत की 300 दुपहिया वाहन की कम्पनियां यूरोप, अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पाद बेच रही हैं। इसलिए आप डरते क्यों रहते हो कि हमेशा विदेशी आकर भारत को छोटा बनाते रहेंगे। आप यह क्यों नहीं सोचते कि भारतीय कम्पनियां अमेरिका जाकर उनके बाजारों पर कब्जा करेंगी? मैं आपको कम्प्यूटर क्षेत्र का उदाहरण दूंगा। विप्रो का ही उदाहरण लें। अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कम्प्यूटर बनाने वाली पहले नम्बर की कम्पनी है। विप्रो का मालिक – मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है – आज विश्व में सबसे अमीर आदमी माना जा रहा है।

अपराह्न 5.33 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

ऐसा समय भी आएगा जब भारतीय बाहर जाएंगे; भारत भी अपनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बनाएगा और हम दूसरे देशों में जाकर उनके बाजारों पर कब्जा करेंगे जैसे जापान ने हॉलीवुड की आधी कम्पनियों पर कब्जा कर लिया है। यह सच नहीं है कि अमेरिकी बाजार पूरी तरह से सुरक्षित बाजार है और अन्य कम्पनियां इसमें प्रवेश नहीं कर रही हैं। यह सच नहीं है। जैसा कि डॉ. सेनगुप्ता ने कहा है, अन्य कम्पनियां भी इसमें प्रवेश कर रही हैं। और उन्होंने अमेरीकी अर्थव्यवस्था तथा अमेरीकी कम्पनियों के अधिकांश पर कब्जा कर लिया है। इसलिए, हम ऐसा कह सकते हैं।

हम भारत को महान बनाना चाहते हैं। हम भारत को एक विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं। पर कैसे? यह संरक्षण देने से नहीं हो सकता है; अपनी ही कम्पनियों, जो गुणवत्ता में सुधार नहीं कर रही और जो अच्छी सेवा देने में सुधार नहीं कर सकती, को संरक्षण देकर हम ऐसा नहीं कर सकते।

मैं सहमत हूं कि भारत की बीमा कम्पनियों–जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम – ने अच्छा काम किया है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। परंतु मैं माननीय सदस्य, डॉ. नीतिश सेनगुप्ता की बात से सहमत हूं कि और अच्छा काम हो सकता था। हर व्यक्ति ने यह कहा ही है कि भारत की लगभग 22 प्रतिशत बीमा योग्य जनता का बीमा करव दिया गया है। इससे अधिक क्यों नहीं? हम अधिक क्यों नहीं कर सकते? मैं यह कह रहा हूं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान है। अगर विदेशी आते हैं, अगर बहुराष्ट्रीय व्यक्ति आते हैं तो वे दूसरों को बाहर नहीं खदेडेंगी?

मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। फिलीपिन्स और ताइवान का ही उदाहरण लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बीमा कम्पनियों के आने के बाद भी फिलीपिन्स में उनकी बाजार भागीदारी केवल 5–5 प्रतिशत है और ताइवान में केवल 2.9 प्रतिशत। अगर आप मुझे पूछते हैं; कि अगर उनकी बाजार–भागीदारी अधिक क्यों नहीं है तो वे हमारी आधारभूत संरचना के लिए धन कैसे देंगे जिसके लिए हम उन्हें बुला रहे हैं?

महोदय, मेरा यह कहने का अर्थ है कि यह केवल संकेत ही है मैं यह नहीं कह रहा कि बीमा कम्पनियों से धन आएगा। उनसे अधिक धन न भी आए परंतु हम पश्चिम को यही संकेत दे रहे हैं। हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यही संकेत दे रहे हैं। कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में खुलापन ले आया है, इसने वास्तविक रूप में अपने क्षेत्र खोल दिए हैं। केवल विद्युत में ही हमें 60 बिलियन डालर की आवश्यकता है।

हमें राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस राजमार्गों, जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनपसन्द परियोजना है, के लिए हमें 1,25,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमें यह धन कहां से मिलेगा? यह धन बाहर से लाना होगा क्योंकि इसकी वसूली के लिए कार्य पूरा होने की अवधि काफी लम्बी होगी क्योंकि सड़क का निर्माण करने और उसका उपयोग करने में 30 से 40 वर्ष का समय चाहिए होगा। ऐसे निवेशक अधिक नही होंगे। जो अपना धन निवेश करेंगे और अपना धन और लाभ वापस लेने के लिए 30 से 40 वर्ष तक इन्तजार करेंगे।

इसलिए कार्य पूरा होने की इस अवधि के लिए हमें उनकी जरूरत है परंतु वे तभी आएंगे जब उन्हें यह वास्तव में विश्वास हो जाए कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में खुलापन ले आया है।

साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम की 6,000 से अधिक शाखाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं की शाखाएं भारत से बाहर भी हैं; उनकी शाखाएं बेहरीन और यूनाइटेड किंगडम में भी हैं। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कड़े मुकाबले की स्थिति में पहुंचा सकती हैं और, अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आती हैं और अगर प्रतिस्पर्द्धा होती है तो जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को लाभ होगा और उन्हें कम प्रीमियम पर अच्छे किस्म की सेवा मिलेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर छोटी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो वे जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के साथ आने वाले दस या बीस वर्षों तक मुकाबला नहीं कर सकेंगी और वे उन्हें उनके व्यवसाय से अलग नहीं कर सकेंगी। इसलिए साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम को मारूति और विप्रो की तरह भारतीय कंपनियों के रूप में सामने आने दीजिए तथा उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने दीजिए और यह साबित करने दीजिए कि वे दुनिया में सबसे अच्छी कंपनियां हैं और उन्हें भारत सरकार से किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए अंत में मै यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि डाक्टर नीतिश सेनगुप्ता ने कहा है कि केवल इसलिए कि कुछ लोग मजदूर यूनियन के कामों में अपना नेतृत्व खो देंगे इसलिए हमें इस देश के लाखों लोगों को निजी बीमा कंपनी और बीमा क्षेत्र से लाभ उठाने से वंचित नहीं रखना चाहिए।

अंत में मैं यही कहूंगा कि इस डर से कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर हमारी कंपनियों पर कब्जा कर सकती हैं और हमारी कंपनियों को निगल सकती हैं। इसलिए हमें उन कंपनियों को आमंत्रित करने के सुनहरे अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमें उन्नत प्रौद्योगिकी और अच्छी किस्म की सेवा देंगी ताकि भारतीय कंपनियों का भी विकास हो सके।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलूंगा या विरोध में। मैं बीच की बात कहूंगा। यह विशेष विधेयक मल्होत्रा समिति के अनुसरण में कांग्रेस की उपज थी। इसे श्री चिदम्बरम ने झपट लिया था। उस समय हमारे सभी मित्रों ने इसका समर्थन किया था, यद्यपि सी पी आई (एम) ने इसका हमेशा की तरह इसका विरोध किया था। परंतु बाद में श्री यशवंत सिन्हा ने बड़ी चालाकी से इसे झपट लिया। हम इसलिए चिंतित थे और विशेष रूप से पिछले दो दिनों से मैं इसे टोकने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि श्री दासमुंशी ने कहा है, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी की थी। वे एक अच्छे प्रवक्ता हैं परंतु उन्हें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। आप केवल 136 सदस्यों से जबरदस्ती समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते। आपके संसदीय कार्यमंत्री कहते हैं कि यह आपका विधेयक है और यह पारित हो जाएगा। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि यह राजीव गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा की गई सौदेबाजी है। श्री राजीव गांधी अपने आप को बचा लेंगे। श्री भगत बच गए, श्री जैन बच गए, श्री बलराम जाखड़ बच गए। राजनैतिक लड़ाई के साथ कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय उच्च न्यायालय अभी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। सीबीआई जो कुछ करता है वह करे परंतु सही जगह से हमें न्याय मिलेगा। आज आपको किस बात ने यह सोचने पर मजबूर किया कि हम इस विधेयक का विरोध करेंगे? अगर आप कहते हैं कि यह आपका विधेयक है और आप इसे पास करेंगे तथा कांग्रेस को इसका समर्थन करना होगा तो यह ठीक नहीं है। हमने दो दिनों तक इस पर चर्चा की थी। मैंने विरोध करना चाहा था परंतु मैं श्रीमती सोनियां गांधी के सम्मान के रूप में कुछ नहीं कह सका। उन्होंने दृढ़ता से कहा : यह हमारी वचनबद्धता है; वे यह कर रहे हैं तो हमें समर्थन करना चाहिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि सोनियां गांधी समर्थन नहीं कर रही हैं, वे लोग उल्टी–सीधी बातें कर रहे हैं। उन्होंने हमारे विचार नहीं माने। फिर भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा और मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री इसका समर्थन करेंगे। मैं वे सारी बातें नही जानता जो आज उनके विरुद्ध कही गई हैं। मैं जानता हूं कि वे मूल रूप से एक खिलाड़ी हैं, एक टेनिस के खिलाडी। मैं भी एक खिलाड़ी हूं। इसलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस उंदारीकरण का शिकार हो चुका हूं। पहली बार मैंने ही इस्पात में लाइसेंस को हटाया था। मैंने ही पहली बार भाड़े की समानता को समाप्त किया था। मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने विनियंत्रण किया था। वित्त मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि वे हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाहर से हमें खराब प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। मुझे हैरानी होती है कि दो सालों के अंदर ही सीमा शुल्क को कम कर दिया गया। श्री एन के सेनगुप्ता और श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जैसे अधिकारी कहते हैं कि यह एक समतल खेल का मैदान है। मैंने क्रिकेट और टेनिस में तो समतल मैदान देखा है परंतु अर्थशास्त्र में नहीं। मैं अपने निजी सचिव के पास गया और उससे पूछा कि क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सबको लड़ने का समान अवसर दिया जाना चाहिए? बिजली की दरें बढ़ रहीं हैं, रेल भाड़े की दरें बढ़ रही हैं, कर्मचारियों के वेतन बिल बढ़ रहे हैं, बैंक का ब्याज बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है।

इसके साथ ही आपने सीमा शुल्क कम कर दिया और इस्पात मंत्रालय से कहा कि आपके साथ मुकाबला करें।

[श्री संतोष मोहन देव]

मुझे खुशी है कि आज आपने कुछ कटौतियां की हैं। मैं आपसे यह देखने का अनुरोध करूंगा कि यहां ऐसी बातें न हों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पिछले तीन दिनों से इस पर चर्चा करते हुए देश के या विश्व के एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने किसी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि विदेशी कंपनियां या निजी क्षेत्र की कंपनियां आगे आती हैं तो प्रीमियम घट जाएगा। इससे जीवन बीमा निगम और अन्यों को किस तरह मदद मिलेगी? अगर प्रीमियम बढ़ता है तो जीवन बीमा निगम फिर से रुग्ण हो जाएगा। और उन्हें बी. आई. एफ. आर. के समक्ष जाना पड़ेगा। अगर कोई कारण हो तो प्रीमियम को जीवन बीमा निगम की सीमा से अधिक नहीं, होना चाहिए। परंतु यह मत भूलिए कि जीवन बीमा निगम की स्थापना लागत बाजार में आनेवाली किसी छोटी निजी क्षेत्र की कंपनी की तुलना में बहुत अधिक है। वे कलकत्ता जाते हैं और वहां उनका एक कप्यूटरीकृत कार्यालय होता है। जिसके अंतर्गत वे कहते हैं कि इसका प्रीमियम इतना है। एल. आई. सी. से सब कुछ 'क' कंपनी में चला जाएगा और फिर कुछ समय बाद क्या होगा? इसका परिणाम एक आंदोलन होगा। वे कहेंगे "जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के ये कर्मचारी भाड़ में जाएं।"

मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। वे हमेशा मेरे विरोधी रहे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों की सुरक्षा की जानी चाहिए। मैंने देखा है कि आई आई एस सी ओ में क्या हुआ है। मंत्री आ रहे थे और मैं उनको परामर्श दे रहा था। लेकिन 'इस्को' का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। कर्मचारी अभी भी बिना कार्य के वहां हैं। क्या सहायता होगी? कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिए।

दूसरा, एल आई सी देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके पास कई योजनाएं हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है मैंने एल आई सी के एक अच्छे प्रबन्धक को देखा है। मेरा काम हो गया था वे सहायता करते हैं। यहां तक कि आग लग जाने में वे आए और सहायता की। एल आई सी का रवैया यह है जिसे सरकार ने दिल में बिठा लिया है और उसे भी सूचना देना हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है।

वे 26 प्रतिशत पूंजी के साथ यहां आ रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। आप को ध्यान रखना चाहिए कि यह इस्पात मंत्रालय जैसा न हों। इस्पात क्षेत्र के सभी लोग रो रहे हैं। वे चुनाव के दौरान दान देने के लिए आगे नहीं आते और कहते हैं कि उनके पास धन नहीं है और वह धन नहीं दे सकते। यह उनकी शर्त है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप सावधान रहिए हमें इसको देखना पड़ेगा।

हम निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करने जा रहे हैं। लेकिन इसको कम नहीं आंकना चाहिए। यदि आप स्थायी समिति द्वारा कही गई बात और आपके सन्मुख रखे गए संशोधनों को स्वीकार करते हैं तो यह अच्छा है यदि आप हमें आश्वस्त कर सकें कि आप इसे नहीं करेंगे तो वह दूसरी बात है। हम उसके लिए भी राजी हैं। लेकिन हमने अत्यन्त ध्यानपूर्वक इस पर विचार किया है और हमने सोचा है कि इन चीजों को आपकी सरकार द्वारा स्वीकार किया जाये।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : इसमे शकांए क्या हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नही दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस राय से असहमत हूं कि एल आई सी और जी आई सी के कर्मचारी गैर जिम्मेदार है। उनकी यूनियनें बहुत शक्तिशाली हैं। वे कुछ न कुछ करती रहती हैं। सामान्यतः उन्होंने सही साबित किया है और उन्होंने प्रीमियम और अन्य चीजें इकट्ठी करके विभिन्न चीजों के लिए राष्ट्रीय कोष को अंशदान किया है। आज हम लोग सड़क पर है। उनके प्रतिनिधियों को वित्त मंत्री अथवा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बुलाया जाना चाहिए। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और आशंकाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप ने सार्वजनिक सभा में कहा था–मैंने यह देखा है कि यह बिल्कुल नहीं चाहते कि एल आई सी का व्यवसाय समाप्त हो जाए अथवा वें सामाजिक हित के कार्य जिसको कि वे कर रहे हैं करना बंद कर दें। आपने स्वयं कहा है। वो इस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* इसका कारण यह है कि वे देख रहे हैं कि पूर्व में क्या हुआ था। वह आपकी सरकार नहीं हो सकती। कई सरकारों ने अपने वचनों का पालन नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं इस्पात क्षेत्र के मंत्रालय में मंत्री था तब मैंने कई काम किए थें। जब मैंने उद्योग के लोगों और अन्य लोगों को बताया तो मैं उन वायदों को पूरा नहीं कर सका।

आप कहते हैं कि आप एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। यह ठीक है। कई लोगों ने इसके बारे में कहा है। श्री एन के सेनगुप्ता, एक भूतपूर्व नौकरशाह, ने भी कुछ कहा है। आप एक जिम्मेदार नौकरशाह भी हैं लेकिन खराब नौकरशाह नहीं हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं।

एल आई सी के कार्यों पर निजी क्षेत्र के कार्यों से तुलना करते हुए विचार करना चाहिए। हमने विगत में देखा है कि पूर्वोतर क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है। निजी कम्पनियों के वहां जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विदेशी निवेश वाली कम्पनियों को पर्वोत्तर क्षेत्र में जाने से रोका जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मुझ से पूछने के बजाय गृह मंत्रालय से पूछना बेहतर होगा। एल आई सी और अन्य कम्पनियों के एजेन्ट के वेश में कई लोग वहां जाएंगे और अस्थिरता फैलाएंगे। सरकार को हर प्रकार से उसकी निगरानी करनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक समय था

कि वहां चाय उद्योग और अन्य उद्योगों में पर्याप्त विदेशी हुआ करते थे। धीरे–धीरे भारत सरकार ने उन्हें वापस जाने को कहा और भारतीयों ने मोर्चा सम्भाला। उन्हें इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री भक्त यहां नहीं हैं। आप लक्षद्वीप से हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि न तो अंडमान और निकोबार में, न ही लक्षद्वीप में एल आई सी काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानता यह सही है अथवा गलत है। अध्यक्ष पीठ होने के कारण आप बोल नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं और मुझे देख रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी बीमा कम्पनियां कई बड़े शहरों से बेहतर व्यवसाय प्राप्त कर सकती हैं क्योंकि लोग अपना धन उसी जगह में लगाना चाहते हैं जहां पर वह सुरक्षित होता है। जैसा कि आपको मालूम है कई वित्तीय कम्पनियों ने इस देश में निवेशकों का धन लूटा है। सरकार कार्यवाही कर रही है। लेकिन यह लम्बी प्रक्रिया है। अतः क्षेत्रों में एल आई सी की अधिक शाखाएं दूरस्थ खोली जानी चाहिए। शहरों में निजी कम्पनियों को कार्य करने दीजिए। एल आई सी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाए ताकि हम एल आई सी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस प्रकार सन्देश जाए कि ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी गरीब लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं रखी जाएंगी।

इन्ही शब्दों के साथ विवशता के अधीन मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। जिससे वास्तव में मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे विरुद्ध समाचार पत्र मे कुछ प्रकाशित हुआ है। मैं नहीं जानता यह किस प्रकार आया। मेरा प्रश्न केवल यह था कि यह मामला आपके मैनेजरों द्वारा बिगाड़ा गया है। कई और विधेयक आएंगे जहां हमें आपका और आपको हमें सहयोग देना पड़ेगा। कृपया उन्हें आज बता दें जितना हो चुका, हो चुका, आगे नहीं होगा। जब वे जी टीवी पर स्टार टी वी के सामने जाते हैं तो वे पागल होकर सोचते हैं कि पूरा राष्ट्र उन्हें सुन रहा है और वे नहीं जानते क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोला जाए। उन्हें सरकार के खर्च पर अथवा मित्र दलों के बीच संबंधों के दम पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहां हर कोई रचनात्मक कार्य के लिए है।

श्री नीतीश कुमार जी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : ठीक है आप सुन नहीं रहे हैं। आपके मंत्रालय के विधेयक आने दीजिए मैं देखूंगा वह किस प्रकार पारित होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय जी इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि –

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं?

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं अपने दल के पदचिन्हों पर चल रहा हूं। परंतु हमें तब काफी दुख हुआ जब इसे राजीव जी के बराबर समझा गया था। हम ऐसा नहीं चाहते। सी बी आई और अन्य बातों के संबंध में सरकार की जो भी विशेषताएं रही हों वह एक अन्य मुद्दा है। इसे इस मुद्दे विशेष के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कल अखबारों में मोटे अक्षरों में छप जाएगा कि आखिर कांग्रेस दल ने श्री राजीव गांधी का बलिदान देने के बाद श्री जसवंत सिंह को सिर आंखों पर बैठाया तथा विधेयक का समर्थन कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज रात ऐसा होता है तो स्थिति रातों रात बदल जाएगी और कल मतदान करवाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

एक संवेदनशील विषय पर आज हम लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं। आज हमारे देश की जो परिस्थिति है, हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार हम चाहते हैं कि एक नीति तैयार की जाए। लेकिन वर्तमान सरकार जो कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल देने का काम, विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस सैक्टर में लाने की जो कोशिश यह सरकार इस विधेयक के माध्यम से कर रही है, मैं आर. एस. पी. दल की ओर से इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा अनुभव कहता है कि बाहरी देशों में आज जो इंश्योरेंस कंपनियों की हालत है, चाहे आप अमेरिका को लीजिए, चाहे यूनाइटेड किंगडम को लीजिए या चाहे यूरोपियन देशों को लीजिए, उन देशों में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनमें से असंख्य कंपनियों की हालत आज बदतर हो गई है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर, महाशक्तियों के दबाव में आकर उन्हें हमारे देश में जगह देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

जिन विदेशी बैंकों ने हमारे देश में शाखाएं खोल रखी हैं, आप उन शाखाओं को देख लें। हम चाहते हैं कि गांवों में लोगों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए ये संस्थाएं काम करें और आम जनता की सुविधाओं की ओर नजर रखें। लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार ये बड़े शहरों, अर्बन क्षेत्रों और महानगरों में ही बैंकों की शाखाएं खोलते हैं। क्या हमें अपने अनुभव से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज हम क्यों इंश्योरेंस सैक्टर को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों देना चाहते हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियों के हाथों में देना चाहते हैं।

[श्री जोवाकिम बखला]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि जब विदेशी बैंकों और कंपनियों की शाखाओं को आप कंट्रोल में नहीं रख सके, उन्हें रेगुलेट नहीं कर सके और सोशल ऑब्लीगेशन फुलफिल करने में वे असमर्थ रहीं, क्या इससे हमें शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप इंश्यारेंस कंपनियों को विदेशी कंपनियों के हाथों में देना चाहते हैं। आप हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार इंतजाम नहीं कर रहे हैं। बल्कि किसी के दबाव में आकर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के हित में नहीं होगा। आज बीमा क्षेत्र के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग हड़ताल पर हैं। वे धरना दे रहे हैं। उनकी भावनाओं की कद्र करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि हम जन प्रतिनिधि उनके बहूमूल्य वोट से निर्वाचित होकर सदन में आये हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। हमें अपनी नीतियों को ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो नीचे के तबके के और पिछड़े हुए गरीब लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनकी भलाई हो। उनके विकास के लिए हम जो भी कदम उठाना चाहते हैं, जो भी नियम या नीति बनाना चाहते हैं, उन्हें बनाने की आज आवश्यकता है। लेकिन यह सरकार इस विधेयक में आज जिस प्रकार संशोधन करना चाहती है, उससे ऐसा लगता है कि इसमें कोई साजिश है। हमारे देश की एल. आई. सी. और जी. आई. सी. जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह की सेवा यहां के लोगों को प्रदान कर रही है और दूर–दराज के क्षेत्रों के लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है, यह सरकार नहीं चाहती है कि उन सेवाओं की उन्नति हो। उन्हें समर्थन न देकर उनकी आलोचना करते हुए उन्हें इस बीमा बिजनेस से हटाने की कोशिश की जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है जब हमारे यहां विदेशी कंपनियां आयेंगी तो धीरे–धीरे एल. आई. सी. और जी. आई. सी. का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए देश हित का ख्याल करते हुए हम इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि यह विधेयक पारित न हो। इतना कहकर आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सायं 7.00 बजे

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है। मेरा आग्रह है कि पहले कोरम पूरा कराएं और उसके बाद भाषण हों।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाए अब, गर्णपूर्ति हो गयी है। माननीय सदस्य श्री अमर राय प्रधान अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रूपचंद पाल और वाममोर्चा के अन्य लोगों तथा श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं।

महोदय, मैं इस विधेयक का कड़ाई से विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करूंगा क्योंकि यह विधेयक न केवल जन विरोधी और मजदूर विरोधी है बल्कि यह एक राष्ट्र विरोधी विधेयक भी है।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के दो लाख कर्मचारियों ने बहुत काम किया है और उनके योगदान के बारे में यहां दोनों पक्षों के कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम लाभ कमाने वाली कम्पनियां हैं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, और अपनी जानकारी और मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमें जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के निष्पादनों को देखना चाहिए। 1998 में नई पॉलिसियों में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; पहले प्रिमियम पर 22.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; कुल प्रिमियम आय पर 22.26 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 1984 से 1998 तक पिछले चौदह वर्षों में कुल आय 36,352.59 करोड़ रुपये हुई है। कुल परिसम्पतियां 1,32,764 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा नेट में भी योगदान किया है।

भारत में कई ऐसी कम्पनियां हैं जो लाभ नहीं कमा रही हैं। परंतु जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम नामक ये दो कम्पनियां अच्छा निष्पादन कर रही हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता कि इन दोनों कम्पनियों का निजीकरण किया जाए और इनके लिए विदेशी निवेश की भी आवश्यकता होगी।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के विरुद्ध एक मुख्य बात यह कही गई है कि इनका जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप विस्तार नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी आप भली भांति जानते होंगे कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में हुई कुल वृद्धि को दिखाता है। सकल घरेलू का अर्थ यह नहीं है कि कितने धन का वितरण किया गया है। इस समय देश की स्थिति क्या है?

भारत की लगभग पचास प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है। क्या यह सच नहीं है कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग चालीस प्रतिशत भाग छप्पर के घरों में रहता है? क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश के अधिकांश लोग आधा ही भोजन कर पाते है, आधे ही कपड़े पहन पाते हैं, और बेघर हैं। इस तथ्य को मानने पर आप पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में किए गए बीमों की संख्या भारत में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा किए गए बीमों से कुछ कम ज्यादा अधिक नहीं है। हमारे जैसे देश में बीमा कौन करवाएगा? जो छप्पर के घरों में रहते है क्या वें बीमा करवाएंगे? क्या वे लोग

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम जाकर बीमा पालिसियां खरीदेंगे? देश की केवल दस प्रतिशत जनता ही बीमा करवा सकती है और वे बीमा पालिसी लिए हुए हैं। अगर आप इन आंकडों के संदर्भ में वर्ष 1998 के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा भारत में किए गए बीमों के आंकड़ों पर विचार करते हैं तो आप पाएंगे कि यह वास्तव में उससे कहीं अधिक है जो दिखाए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार इस तरह के उपाय क्यों कर रही है?

महोदय, मैं उन बीमा कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने संसद की संयुक्त समिति को एक विस्तृत ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में कहा गया है:

"ऐसी स्थिति में यह होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था की जमा राशि बीमा कंपनियों के माध्यम से विभिन्न तरीकों से देश के बाहर चली जाएगी तथा भारत का विदेशी बाजार और उनकी अर्थव्यवस्था की जमा राशि और पूंजी में कोई हिस्सा नहीं होगा। सभी विकासशील देशों में यही हुआ है। ...विदेशों में, विशेषकर विकसित और औद्योगिक देशों में बीमा बाजार काफी कड़ाई से नियंत्रित होते हैं तथा उनके बाजार सीमित होते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय कंपनियों के पंजीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए वर्ष 1990 में स रा. अ. में जमा किए गए कुल बीमा प्रीमियम राशि का केवल तीन प्रतिशत ही गैर अमरीकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित हुआ था। फ्रांस के संदर्भ में यह पांच प्रतिशत था, ब्रिटेन के संदर्भ में यह पांच प्रतिशत है और जापान के मामले में तीन प्रतिशत।"

अगर अन्य देशों में ऐसी स्थिति है तो भारत की स्थिति अब उससे कहीं अच्छी है जो विदेशी भागीदारी की अनुमति देने के बाद होगी। ज्ञापन में आगे कहा गया है :

"11 नवम्बर 1998 के **द हिन्दु** में छपे भारतीय रिजर्व बैंक के एक रुचिपूर्ण अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि विदेशी सहयोग की प्रक्रिया में इस देश में बाहर से धन आने की तुलना में देश के बाहर अधिक धन चला गया है, जिससे भुगतान संतुलन की समस्याओं के अलावा कई अन्य अस्थिर करने वाले प्रभाव पड़े हैं।"

भारत में विदेशी सहयोग से संबंधित रिजर्व बैंक के एक अध्ययन से पता चलता है कि विदेशी शेयरधारिता वाले 458 सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप पिछले पांच वर्षों की अवधि में 15 बिलियन रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा बाहर चली गई है। अगर यह सच है कि हमें इतना अधिक घाटा हुआ है तो सरकार निजी क्षेत्र की विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में लाने पर अभी भी जोर क्यों दे रही है? हम जानते हैं कि बीमा क्षेत्र में किसी न किसी तरह निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां हैं जिनमें बीमा करने की कुछ संभावनाएं हैं। उन कंपनियों का क्या होगा? उन्हें उनका पूरा हिस्सा दे दिया गया है।

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर हमें गौर करना चाहिए । उन्होंने कहा है कि जब भी हमने आपने देश में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है तो हमारी इकाइयों को उस विशेष क्षेत्र में घाटा हुआ है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

डा. नीतिश सेनगुप्ता ने चीन के बारे में बताया है। चीन में नियंत्रित अर्थव्यवस्था है।

क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कौन से देश हैं जिन्होंने अपने देशों में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को बीमा करने की अनुमति दी है? कोई नहीं। क्या आप उनसे निर्देशित हो सकते हैं? कभी नहीं। मैं वे कठिनाइयां जानता हूं जिनका आपको इस समय सामना करना पड़ रहा है। क्या आप विश्व व्यापार संगठन को निर्देश दे सकते हैं? नहीं। इसका कारण है कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप भारत में सभी विदेशी कंपनियों को निर्देश दे सकें। आज स्थिति ऐसी है। चीन इटली की कंपनियों को निर्देश दे सकता है और अमरीका इसकी पुष्टि करता है कि वे केवल होटल उद्योग में निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने स. रा. अमरीका को निर्देश दिया है कि अपना धन केवल होटल क्षेत्र में ही लगाएं। परंतु भारत में क्या आप विदेशियों को इस तरह निर्देश दे सकते हैं जैसा कि चीन में किया गया है? क्या आप उस तरीके से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निर्देश दे सकते हैं। आप इस समय ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भारत एक बहुत गरीब देश है। आप विदेशी कंपनियों के लिए इतने अधिक उतावले क्यों हो रहे हैं? आप **स्वदेशी** की बात करते हैं परंतु आपने **स्वदेशी** के बारे में क्या किया? जब मैं गाड़ियों में घूमता हूं तो मैं देखता हूं कि केवल दही ही मिट्टी के बर्तन में थी और फिर मैं महसूस करता हूं कि "हां, वाजपेयी सरकार ने दही को मिट्टी के बर्तन में रखने के लिए कुछ काम किया है।" हम **स्वदेशी** की संस्कृति को कायम रखने में समर्थ नहीं रहे हैं। यह इस समय संभव नहीं है क्योंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का कोई नया सदस्य नहीं है।

आपने कितना निर्यात किया? यह केवल 0.9 है। अगर एसी बात है तो हमारी स्थिति काफी खराब है और इसे देखते हुए इस बहस के अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्रालय, वित्त मंत्री और अन्य लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश के दो लाख लोगों के हितों में, जो जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम तथा देश के हित और लोगों के हित में काम कर रहे हैं आप कृपया इस विधेयक पर चर्चा न करें। आप कृपया इस विधेयक को वापस ले लें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक से कोई भला काम नहीं होगा। इससे जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम जैसे लाभ कमाने वाले अन्य संगठनों को शिक्षा मिलेगी। अगर आप इन कंपनियों को 26 प्रतिशत शेयर देते हैं और अगर आप यहां निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाते हैं, अगर आप यहां विदेशियों को लगाते हैं, अगर आप यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाते हैं तो यह संकेत अन्य संगठनों को भी पहुंचेगा। भारत में आज भी साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम जैसे लाभ कमाने

[श्री अमर राय प्रधान]

वाले कुछ संगठन हैं तथा उन कंपनियों के कर्मचारी अपने आपको असुरक्षित समझेंगे और उनका उत्पादन कम होगा। अगर ऐसी बात है तो हमें उन लाभ कमाने वाली कंपनियों का इस तरह निजीकरण नहीं करना चाहिए।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस समय भी आप विधेयक को वापस ले लें।

डॉ. जयंत रंगपी (स्वायत्तशासी जिला - असम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीमा विनियमक विकास और प्राधिकरण (आई आर ए) विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं। मैं पूरी बहस सुनता आ रहा हूं और विशेष रूप से सत्ता पक्ष और कांग्रेस की बात सुन रहा हूं जो एक दूसरे का समर्थन करने में लगे हुए हैं।

पूरी बहस कांग्रेस तक ही सीमित रहीं है तथा जो यह कहते हैं कि वे कुछ संशोधन कर रहे हैं तथा उस पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह मूल रूप से कांग्रेस का आश्वासन था और स्थायी समिति का चेयरमैन उस दल से संबंधित है। बहस का पूरा विषय इसी के बारे में था।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक का आधार या सार जो दोनों ही प्रमुख राजनैतिक दलों ने आंका है हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए उसका प्रभाव इससे बहुत अधिक है। भारत के 1.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें माननीय वित्त मंत्री और सरकार से इस विधेयक पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। यह एक ऐसी सरकार है जो पहले ही दिन से सर्व सहमति की बात कर रही है। वे महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक को यह कहकर नहीं ला रहे कि इस पर सहमति नहीं हुई है। वे तीन नए राज्यों को राज्य का दर्जा दिलाने वाला विधेयक यह कह कर नहीं ला रहे कि इस पर सहमति की जानी है। वर्तमान बिल के बारे में कोई सहमति नहीं हुई है। न केवल यह कि संसद में कोई सहमति नहीं हुई है बल्कि लाखों मजदूरों ने सड़कों पर खुले आम इसका विरोध किया। इस संबंध में कोई सहमति नहीं हुई है। फिर भी, इस विधेयक को लाना चाहते हैं क्योंकि उनका बहुमत है और संभवतः उन्हें बड़ी विपक्षी पार्टी से समर्थन मिलने का आश्वासन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के अनुसार कार्य करना है।

जब 1991 में कांग्रेस ने उदारीकरण की पूरी प्रक्रिया शुरू की थी तब से मैं इस सभा का सदस्य था। तत्कालीन वित्त मंत्री कहा करते थे कि शुरू में कुछ कठिनाई हो सकती है परंतु दो वर्षों के बाद भूमंडलीकरण और उदारीकरण के परिणाम गांव के स्तर तक पहुंचेंगे। वे अधिकाधिक आंकड़ों और कई स्पष्टीकरणों के साथ इस बात को कहा करते थे। उन्होंने अत्यधिक उज्जवल परिदृश्य की कल्पना की थी कि भूमण्डलीकरण का प्रभाव यह होगा कि, भारत में अधिकाधिक धनराशियों के आने से बेरोजगारी की समस्या हल होगी, सरकार विकास कार्यों के लिए अधिक धनराशियों को रख पाएगी। आज की वास्तविकता क्या है? इस समय शताब्दी का आखरी पड़ाव है। उदारीकरण की प्रक्रिया के आरंभ होने के पश्चात् आठ वर्ष बीच चुके हैं। क्या भूमण्डलीकरण के लाभ गांव तक पहुंच पाएं हैं? क्या सरकार अधिक धनराशि को जुटा पाई? वे कागजों में बता सकते हैं कि इतनी धनराशि सामाजिक क्षेत्र या गांवों पर खर्च की गई है। क्या यह सही है? क्या यह सही नहीं है कि उड़ीसा की आधी जनसंख्या चक्रवात के कारण बर्बाद हो गई है। हमारी उडीसा सरकार यह कह रही है कि उनके पास समस्या से निपटने के लिए धन नहीं है। भारंत सरकार भी कह रही है कि वे भी समस्याओं का सामना कर रही है।

पूर्वोत्तर के लिए, प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा पैकेजों की घोषणा की गई है परंतु धनराशियां वहां तक नहीं पहुंची हैं, इसीलिए इस प्रकार के सिद्धांतों के बावजूद भी कि भूमण्डलीकरण से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिस प्रकार के उनके वायदे किये गए थे। मुझे अभी भी याद है कि नई आर्थिक नीति का पक्ष लेने वाले किस प्रकार बार–बार थाईलैण्ड और फिलीपिन्स का उदाहरण दे रहे थे। यदि आप उस समय की कार्यवाही वृत्तांत का अभिलेख देखें तो आपको पता चलेगा कि वे हमें यह विश्वास दिला रहे थे कि भूमण्डलीकरण के कारण थाईलैण्ड हमसे आगे बढ़ गया है और फिलीपिन्स हमसे आगे बढ़ गया है।

परंतु इन दिनां, वे थाईलैण्ड और फिलीपिन्स का उदाहरण नहीं देते हैं क्योंकि परिणाम एकदम स्पष्ट है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, थाईलैण्ड और फिलीपिन्स की अर्थव्यवस्थाओं का मूल आधार, नई आर्थिक नीति के पहले की आत्मनिर्भरता की मूल भावना भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के कारण नष्ट हो गई है।

यह विशेष विधेयक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के बड़े षडयंत्र का हिस्सा है और भारत के लोग जितनी आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के प्रयास में हैं उसे आर्थिक रूप से बर्बाद करने का प्रयास है। इस प्रकार यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने का बड़ा षडयंत्र है जिससे कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबावों के सामने घुटने टेक दें और हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य महा शक्तियों के आगे झुक जाएं।

इसलिए, यह विधेयक न केवल जन विरोधी है और इसमें न केवल जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ही शामिल नहीं है, यदि आप विधेयक का गहन अध्ययन करेंगे, तो आप यह भी पाएंगे कि वृहत्तर हित में, यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो यह राष्ट्र विरोधी है।

इसीलिए मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। यदि मेरे दल में अधिक सदस्य होते तो मैं केवल भाषण देने तक ही स्वयं

को सीमित नहीं रखता अपितु मैं कार्यवाही को भी रोक देता जिससे कि विधेयक पुरःस्थापित ही न हो सके। परंतु उनका सौभाग्य और मेरा दुर्भाग्य कि मेरे पास कार्यवाही को रोकने के लिए आवश्यक सदस्य नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इंश्योरेंस का बिल फाइनेस मिनिस्टर ने इस हाउस में पेश किया है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इसका कारण यह दिया गया है कि फॉरेन कम्पनियों को यहां निमंत्रित करके हमारे देश की इकोनोमी इम्प्रूव हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, सरकार की इस तरह की सोच है। मैं समझता हूं कि अपने देश की इकोनोमी को डेवलप करने के लिए यहां की ही डेवलपमेंट योजनाओं को हाथ में लेने की आवश्यकता है। यह बिल यहां पास नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा प्रयास था, मगर कांग्रेस के लोगों ने सपोर्ट करने की बात कही है। यहां जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इसमें हमारा पूरा विरोध इसलिए है क्योंकि ऐसा होने से एस. सी. और एस. टी. के लोगों पर बहुत असर पड़ेगा। कांस्टीट्यूशन ने एस.सी. और एस. टी. को साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन नौकरियों में देने का वायदा किया है। अगर प्रावइेटाइजेशन बढ़ता जाएगा तो एस सी, एसटी की नौकरियां कम होती जाएंगी।

महोदय, हम शुरु से मांग कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट सैक्टर को डेवलप करना है तो क्या प्राइवेट सैक्टर में एस. सी., एस. टी. को प्रोटेक्शन देने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है या नहीं। इस बिल में कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि फॉरेन कम्पनियां या जो भी दूसरी प्राईवेट कम्पनियां यहां आएंगी, उन प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियों में रिजर्वेशन की पालिसी होनी चाहिए। हम अपने कांग्रेस के मित्रों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि एस. सी., एस. टी. के बारे में आपने बहुत बार अच्छा सोचा भी है। मगर जिस तरह प्राइवेट सैक्टर बढ़ता जाएगा तो एस. सी., एस. टी. की नौकरियां कम होती जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है उसे फिर मैदान में आने की आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके पास मेजोरिटी है, आपने भी सपोर्ट कर दिया है। हम बिल को विरोध करने पर भी नहीं रोक सकते हैं मगर हम आपको रोक सकते हैं। अगर आप यह बिल पास कराते हैं तो सरकार को भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एल. आई. सी. और जी. आई. सी. कम्पनियां इतना अच्छा काम कर रही हैं। इनमें दो लाख कर्मचारी नौकरियां कर रहे हैं। इसका कम से कम एक करोड़ 50 लाख लोगों ने विरोध भी किया है, इसके बावजूद भी इन्होंने इस बिल को लाने की गड़बड़ क्यों कर दी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। आप अगर कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा रहता, लेकिन आप रुक नहीं सकते। वित्त मंत्री महोदय की भी अपनी मजबूरियां हैं जो यह बिल यहां लाये हैं। मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर यहां प्राइवेट कंपनियां आयेंगी तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाएगा। उपाध्यक्ष जी, हम आपके द्वारा सरकार से कहना चाहते हैं कि इस गरीब विरोधी बिल को रोकिये जिससे विदेशी कंपनियां इस देश में न आने पायें। यहां एल. आई. सी. और जी. आई. सी. को ही काम करने दीजिए। मेरा आपसे यह भी कहना है कि झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को इनसे कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज में भी भ्रष्टाचार होता है, इसलिए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भी कोई कमेटी होनी चाहिए जो इन कंपनीज में भ्रष्टाचार की जांच करे। अगर इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज आ जायेंगी तो ब्लैक–मनी और भ्रष्टाचार के और बढ़ने की आशंका पैदा हो जाएगी। जब तक आप भ्रष्टाचार और ब्लैक–मनी को खत्म नहीं करते, तब तक देश में प्रगति होने वाली नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं और कानून को तोड़ते हैं उन के विरुद्ध जब कार्रवाई होती है तो वे कोर्ट से स्टे ले लेते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, दो–तीन और आदमी हैं, आप जल्दी खत्म करें।

श्री रामदास आठवले : आठ बजे मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगा। जब तक मेरा भाषण खत्म नहीं होगा, तब तक वित्त मंत्री जी का भाषण होने वाला नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि अगर सत्तारूढ पार्टी को पांच साल राज करना है तो उन्हें इस बिल को वापस लेना चाहिए। इसके विरोध में हमारे कम्युनिस्ट मित्र और हम एक है। कांग्रेस वाले भी हमारे साथ हैं लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है क्योंकि वे इस बिल को पहले लाये थे। यह सब्जैक्ट कांग्रेस का ही है। उनके सब्जैक्ट को इन्होंने उठाया है। कांग्रेस के सब्जैक्ट को ही आप लाये हैं। हम आपकी विनती करते हैं कि आप इसे वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामदास आठवले : आपकी बात मानते हुए मैं इस बिल को वापस लेने की अपील करता हूं और अपना भाषण विरोध के साथ समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मंडल तो बहुत है लेकिन किसी मंडल का हाथ नहीं हैं किसी मंडल का पांव नहीं है किसी मंडल की आंख नहीं है और किसी मंडल का मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी दफ्तर में बाबू वहां बैठे हैं और जो सेवक हैं वे पैसे खा रहे हैं और मंडल चला रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है। अर्थमंत्री और अर्थ राज्य मंत्री को इन

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

मंडलों को सुधारने के लिए तथ्य देना चाहिए। जो मरीज है उसको दवाई देनी चाहिए।

पूर्व वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने ऐसा ही किया। उस समय सिन्हा साहब ने इसका कड़ा विरोध किया था। यह बिल पास करके माननीय मंत्री जी यश प्राप्त करना चाहते हैं। राज्य मंत्री भी इनका साथ दे रहे हैं। हमारे देश में विभिन्न नदियां हैं। उत्तर में गंगा और दक्षिण में गोदावरी पर कुम्भ का मेला लगता है। बीमा महामंडल महत्वपूर्ण मंडल है। उसने बिजली क्षेत्र में काम किया, बड़े बांधों का निर्माण करवाया और कई जगह गृह निर्माण का काम करवाया। यह कई क्षेत्रों में आर्थिक सहायता भी देते हैं। बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण होने से पहले बहुत धोखाधड़ी होती थी। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। मेरे क्षेत्र के एक आदमी ने बीमा करवाया और उसका पैसा भी जमा किया लेकिन 15 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में वित्त मंत्री जी को भी मालूम है। उनको मालूम है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत कठिन स्थिति में है। वहां यातायात की व्यवस्था नहीं है। वहां जंगल हैं। ऐसी स्थिति में भी बीमा कम्पनी ने एक लाख रुपए उसकी पत्नी को दिए । मैं विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहा हू। जिन जगहों में ठीक–ठाक काम चल रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण सब के हित में रहा। उसने सामान्य लोगों में विश्वास पैदा किया। सेवक वर्ग जन कल्याण के कामों के साथ जुड़े होते हैं। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण थे। उन्होंने 1962 में जिला परिषद बनायी। उस वक्त ग्राम सेवक वर्ग को निकालने का समय आया। उन्होंने इस समस्या को सॉल्व कर दिया। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आएंगी। ये हमारे लोगों को निकाल देगी। कम पढ़े–लिखे लोगों को बाहर नौकरी मिलनी मुश्किल है। यह वर्ग देश की अच्छी सेवा करता है। सेबी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार बैठी है। शेयरों पर लोगों ने बहुत पैसा लगाया है। विभिन्न म्युचअल फंड्स हैं। बड़े लोग इसमें लगा पैसा खा गए लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। बाहर की कम्पनियों पर सरकार कैसे नियंत्रण रखेगी? कामगार वर्ग की समस्या का आप समाधान करें। यह बिल तो पास होने वाला है क्योंकि कांग्रेस आपका साथ दे रही है। सत्ताधारी पक्ष बिल पास करवा लेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी इन दो मांगों को सरकार पूरा करे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नये विचार आ रहे हैं और नये तरह के चिन्तन से एक नई फिलासफी डेवलेप हो रही है। मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी देश हो, एशिया या अफ्रीका का विकासशील देश ही क्यों न हो, विश्व में होने वाले इन परिवर्तनों से वह अपने आपको अलग करके, घोंघें में बंद करके इनहाइबरनेशन की स्थिति में नहीं रह सकता है। उसे समय के साथ, इस प्रवाह के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, ऐसी आज आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक उदारीकरण की पूरी सोच, जिस पर आज हम यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं, उसी के एक हिस्से के रूप में आर्थिक सुधारों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस उदारीकरण की व्यूह रचना पहली बार कांग्रेस पार्टी इस देश में जब लाई, तो मुझे याद है और आपको भी स्मरण होगा, उस समय देश के विभिन्न राजनैतिक दलों और चिन्तन करने वालों ने टीका–टिप्पणी की थी। उस समय ऐसा प्रयास भी किया गया जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि आज उन लोगों को जो इस समय सरकार में हैं और यह बिल लाये हैं, हम उस तरफ थे और ये इस तरफ थे, यहां जब आर्थिक उदारीकरण की बात होती थी तो न जाने कितनी शंकायें व्यक्त करके, अनेक तरह से आर्थिक सुधारों का विरोध किया जाता था। मुझे प्रसन्नता है और मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आज कम से कम श्री यशवंत सिन्हा ने इस बात को महसूस किया है कि इस देश में आर्थिक सुधारों को लाये बिना देश की अर्थ–व्यवस्था को सही पटरी पर नहीं लाया जा सकता। यही कारण है कि उन्हें इन विचारों को स्वीकार करना पड़ा जिसे कांग्रेस पार्टी निरंतर देश के सामने और इस सदन में रखती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है और आपको भी स्मरण होगा कि जब जी ए टी टी पर चर्चा की गई, डब्ल्यू टी ओ पर चर्चा की गई तो देश में इस प्रकार का वातावरण बनाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ राजनैतिक दलों ने ऐसा ही वातावरण बनाने का प्रयास किया। गांव में लोग हम से बराबर पूछते थे कि क्या हमारी गाय का बछड़ा भी लिया जायेगा, हमें अपनी नीम का दातुन करने के लिए मिलेगा या नहीं– इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले आज कम से कम इस बात से सहमत हैं, जिसकी हमें प्रसन्नता है। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यूरोप के सारे देशों में वैश्वीकरण की ऐसी प्रक्रिया चल पड़ी है जिसे रोकना संभव नहीं हैं। सारी लिमिटेशन्स खत्म हो गई हैं। सारा यूरोप एक हो रहा है। न केवल यूरोप अपितु उनकी करेंसी जिसे छोड़ने के लिये वे कोई तैयार नहीं थे। आज करेंसी का यूरो के नाम पर एकीकरण हो रहा है। वह इसलिये हो रहा है क्योंकि आज विश्व में आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। उन परिवर्तनों को देखते हुये हमें आने वाली समस्याओं का चिन्तन करने के लिये स्वयं को तैयार करना पड़ेगा और वह प्रक्रिया आज शुरू हुई है जिसकी मुझे खुशी है।

मैं गत लोकसभा के छोटे से सत्र मे श्री यशवंत सिन्हा को सुन रहा था, जब वे आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर एक वक्तव्य दिया था जिसमें बताया गया था कि देश 88 हजार करोड़ रुपया पुराने सूद के रूप में चुका

रहा है। हमारे पास जो आर्थिक स्रोत संसाधन उपलब्ध हैं, वह भारत की चिन्ताओं और आवश्यकताओं को देखते हुए कम हैं। यह निश्चित है कि हम सबको पार्टी लाइन से अलग हटाकर इस पर विचार करना होगा। राजनीतिक विषयों पर हमारे मतभेद हैं और रहेंगे, लेकिन जहां देश की अर्थव्यवस्था का सवाल आता है, कम से कम मैं इस बात का हामी हूं कि हमें इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर एक राय बनानी होगी, अगर देश को आगे ले जाना है। सरकार में आप हो या हम हों, या कोई और हो, ये वह बुनियादी प्रश्न हैं, जिन पर अगर हम संकुचित दृष्टिकोण रखेंगे तो कुल मिलाकर हम राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं। कम से कम मेरी यह मान्यता है।

फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट हमने यहां आरंभ किया। मैं सहमत हूं, जब हमारे कुछ साथियों ने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट से जितनी हमारी कल्पना और अपेक्षा थी कि हमें आय मिलेगी, निवेश होगा, उस मात्रा और अनुपात में निवेश इस देश में नहीं हो सका। ठीक है। इसलिए तो और भी जरूरी हो गया है कि हम यह सोचें कि नये आर्थिक संसाधनों के स्रोत और कौन से विकासित किये जा सकते हैं। ऐसे स्रोतों को खोजना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बन चुका है और मैं समझता हूं कि अगर इस दृष्टि से हम देखें तो आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम और बातों को छोड़ दें, मैं उन तमाम राजनीतिक चर्चाओं में नहीं जाना चाहता कि किसने कैसा हल्का कमेन्ट किया, किसने क्या कहा, पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया जी ने, हम लोगों से जब चर्चा हुई और हम लोगों ने अपनी–अपनी बातें उनके सामने रखीं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारे मतभेद हो सकते हैं और रहेंगे, लेकिन जहां देश का सवाल है, जहां देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, वहां अपने छोटे राजनीतिक मतभेदों को राष्ट्र से ऊपर उठकर हम नहीं देख सकते है और इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे हर काम को जो राष्ट्र को मजबूत करता है, वह चाहें किसी पक्ष की तरफ से आता हो, हमें उसमें समर्थन देना चाहिए। मैं उसी के तहत यह बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

आज सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.3 प्रतिशत हम बीमा क्षेत्र के अंतर्गत ला पाए। आज भी 88 प्रतिशत हमारे देश की आबादी बीमा क्षेत्र से बाहर है। अगर इतने बड़े पोटेन्शियल को जो हमारे सामने पड़ा है, आखिर 50 वर्ष से अधिक हो गए, हमारे बीच में जीवन बीमा निगम भी है, और संस्थाएं भी हैं, वे संस्थाएं इतने पोटेन्शियल को क्यों ट्रैप नहीं कर पाईं। निश्चित है उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमा से अधिक वह ऐक्सपैण्ड नहीं कर पा रही हैं। उन आर्थिक संसाधनों और स्रोतों को वह संगठित नहीं कर पा रही हैं और ऐसी स्थिति में अगर हमारी नई बीमा कंपनियां यहां आती हैं जिनके पास पोटेन्शियल हैं, क्षमता है, ऐक्सपर्टीज है, और वे अगर इन आर्थिक स्रोतों को ट्रैप करती हैं और उसके बाद वे आर्थिक स्रोत इस देश के आर्थिक स्रोत इस देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, यह पहली शर्त है–सिन्हा जी, मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा, अन्य लोगों ने भी कहा है, और मैं विशेष रूप से जार देकर कहना चाहूंगा कि समूचे संसाधन जो एकत्र हों, उसमें इस बात के लिए सेफगार्ड्ज रखने होंगे, हमें इस बात की शर्त रखनी होगी, प्रावधान करना होगा। मैंने देखा है कि कुछ आपने प्रावधान किये हैं पर मैं समझता हूं कि शायद वे पर्याप्त नहीं हैं। अभी उन्हें और सख्ती से लागू करना होगा, मैण्डेटरी बनाना होगा और इस रूप में लागू करना होगा कि जो आय होती है इस आय का बड़ा हिस्सा बल्कि मैं कहूंगा कि आय का बड़ा भाग सामजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास क्षेत्र, और बुनियादी संरचना के विकास जैसे विद्युत और इत्यादि में लगाया जाना चाहिए। यही इस समय की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रावधान करने पर जरूर ध्यान दें कि जो भी आय होती है इस क्षेत्र में, उसका निवेश हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

दूसरा सुझाव यह है कि आपने प्रोविजन किये हैं, उसे और सुनिश्चित कर ले कि यह धनराशि देश से बाहर न जाने पाए। जो भी आय एकत्रित होती है, उसका उपयोग देश के अंदर हो। अगर कोई लीगल लिटिगेशन्स इस सिलसिले में उठते हैं, क्योंकि हमारा पिछला अनुभव कई मामलों में रहा है, उन्होंने हमें विदेशों में जाकर घसीट लिया लीगल लिटिगेशन्स में। अगर हम ऐसा प्रावधान करें कि इससे जुड़ी कोई लीगल लिटिगेशन हो तो उसका ज्यूरिस्डिक्शन इंडिया में होना चाहिए। हमें विदेशों में न जाना पड़े।

मैं वामपंथी दल, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के अपने साथियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन पार्टियों के माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये। मैं उन्हें सुनकर आश्चर्यचकित हूं। जब श्री इन्द्र कुमार गुजराल की यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी, उस समय उनके कॉमन मिनीमम प्रोग्राम का एक बिन्दु इन इंश्योरेंस कंपनियों को लाना था। उस समय हमारे ये सब साथी उसमें पार्टनर थे। तब उन्हें उसमें कोई खोट, बुराई, शंका या आशंका कहीं नजर नहीं आई। लेकिन आज जब यह बिल यहां लाया गया है, तब उन्हें अनेकों प्रकार की आशंकाएं है। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान ही टूटकर गिरने वाला हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। प्रियदा ने यह बात यहां कही और अगर मैं आज कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हिन्दुस्तान में अगर सबसे ज्यादा लिबरेलाइजेशन का फायदा किसी स्टेट को मिला है तो मैं समझता हूं कि शायद वह वैस्ट बंगाल को मिला है और वहां के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु को मैं बधाई देता हूं । यह अच्छी बात है कि उन्होंने कितनी विदेशी यात्राएं की और विदेशों से उन्होंने इनवैस्टमेंट को इनवाइट किया। कई प्रोजेक्ट्स की चर्चा श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने की। अब हम एक तरफ तो गुड़ खायें और दूसरी तरह हम गुलगुलों से परहेज करें।

श्री रूपचन्द पाल : क्या आप आधा मिनट रुकेंगे? वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि लिबरेलाइजेशन म्युचुअल बेनिफिट के लिए हमारी शर्तों पर होगा, उनकी शर्तों पर नहीं होगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : पाल साहब ने मुझे उठकर याद दिला दिया । जब वह अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने अनेक नेताओं के वर्ष 1989, 1991, 1993 आदि पुराने वक्तव्यों को यहां कोट किया। मैं मानता हूं जरूर कहा होगा। इस देश में हमारे पूर्वज हमें चरण छूने के बाद आर्शीवाद दिया करते थे–शतपुत्रवान भव। उस समय यह बात उचित रही होगी। लेकिन अगर आज कोई शतपुत्रवान भव कह दे तो वह हमें मार डालने के बराबर लगता है, शाप के बराबर लगता है। परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, अंतर हो जाता है। वही चीज जो कल सही थी आज गलत हो जाती है और जो आज सही है वह कल गलत हो जाती है। इसलिए तत्कालीन समय में उन परिस्थितियों में उनकी सोच ठीक रही होगी। उस समय यह कहा होगा। लेकिन इस दौर में बहुत सारा पानी पुल के नीचे से निकल गया बहुत परिवर्तन आ गया। नये कांसेप्ट्स आ गये हैं, परसेप्शन चेंज हो गये हैं। इन परसेप्शंस के दायरे में रहकर जब हम आप देखते हैं तो यह निश्चित कह सकते हैं कि इश्योरेन्स के लिए जो व्यवस्था, जो अथारिटी आप क्रीएट करना चाहते हैं वह जरूरी है। इसके अलावा मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन बातों का मैंने सुझाव के रूप में उल्लेख किया है, मुझे आशा है कि आप उन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सभा में उनका यह पहला भाषण है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, मैं अभी खत्म कर देता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कृपा करके ऐसे मामलों में राजनीति को न घसीटा करें। यह हमारे, आपके, सदन और देश के लिए बहुत हितकर होगा और इतने हल्के स्तर के स्टेटमेंट आपके बड़े और जिम्मेदार लोग देते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं समझता हूं कि एक शरीफ आदमी के तौर पर आप शायद उस पीड़ा को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राशिद अली (अमरोहा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि मेरी पार्टी बहुत पिछड़े लोगों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है। पूरे देश में उनके साथ डिसक्रिमिनेशन होता है, लेकिन इस हाउस में डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत देर से मिलता है, बहुत कहने के बाद मिलता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि पहले मेरी पार्टी छोटी पार्टी थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है यदि आप हमें थोड़ी बड़ी पार्टी ट्रीट करेंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : सर, छोटे बच्चे के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी एक मैम्बर की पार्टी है, आपको बोलने का पहला मौका मिला, इसलिए उन्हें कम मिल रहा है।

श्री राशिद अली : डिप्टी स्पीकर साहब, यह इंश्योरेंस रैगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी बिल, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और शायद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही इस बिल को पास कराना चाहती थी और उसके बाद आने वाली कई सरकारों ने लगातार इसका सपोर्ट किया है और आखिरकार मौजूदा सरकार भी इसका सपोर्ट कर रही है। जो कुछ मैं कहने वाला हूं वह इस देश और देश के लोगों को मद्दे नजर रखकर कह रहा हूं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बिल का सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, तो उसमें बी.जे.पी. की सरकार के साथ किसी तरह का मुहायदा होने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है और इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बी. एस. पी. के आम आदमी का फायदा किससे हो रहा है, वह चीज मैं देख रहा हूं और वह प्रपोजल किस तरफ से आ रहा है, यह बात कोई अहमियत नहीं रखती है। इसलिए मैं इस बिल का सपोर्ट कर रहा हूं।

मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान की आजादी को 52 साल हो गए और 52 साल में पूरी दुनियां का नक्शा बदल गया और हमारे अपने मुल्क का नक्शा भी बदल गया। 15 अगस्त, 1947 में कागज पर जो नक्शा था, आज 52 साल के बाद वह भी तब्दील हो गया। विचारों के अंदर, आइडियौलौजी के अंदर, पूरी दुनियां के अंदर तब्दीली आ रही है। दुनिया के वे मुमालिग जो 100 फीसदी सोश्यलिस्ट कंट्री माने जाते थे, वे भी आहिस्ता–आहिस्ता अपनी सोच के अंदर तब्दीली ला रहे हैं। रूस की मिसाल हमारे सामने है। जो कुछ उस मुल्क में हो रहा है वह सबके सामने है। हमारे मुल्क में भी तब्दीली होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी राय यह है कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली हो रही है वह बहुत आहिस्ता–आहिस्ता हो रही है। उसकी गति को तेज करना चाहिए। अभी हमारे आम आदमी को यह मालूम नहीं है कि किसी चीज के प्राइवेटाइजेशन करने से उसे क्या फायदा होगा। जिसने शहद खाया नहीं, उसे क्या मालूम शहद मीठा होता है या खट्टा। जब तक उसे शहद खिला न दिया जाए तब तक उसको क्या पता शहद का स्वाद कैसा होता है। हमारे यहां लिबरलाइजेशन का जो प्रौसेस आया है वह बहुत

आहिस्ता–आहिस्ता आया है, लेकिन जिस क्षेत्र में आया है, उसमें आम आदमी को फायदा पहुंचा है। हमने बैंकों के अंदर देखा है कि काफी तब्दीली आई है। जो नैशनलाइज्ड बैंकों के अंदर अपने पैसे जमा करता है और जब वह पैसे लेने जाता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह कर्जा लेने जा रहा है। वह अपना ही पैसा लेने जा रहा है फिर भी एक घंटे तक उसे खड़ा रखा जाता है। उसके साथ मिस–बिहेव किया जाता है। यह किसी एक बैंक का हाल नहीं है बल्कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, वे सभी एक जैसे हैं। जो विदेशी बैंक इस क्षेत्र में आए हैं, उनकी परफोरमेंस, उनकी कारगर्दगी है वह बहुत अच्छी है। वे आम आदमी के पास पहुंची है। आज नैशनलाइज्ड बैंक में खाता खोलना कोई साधारण बात नहीं है जबकि विदेशी या निजी क्षेत्र के बैंक का आदमी, आम आदमी के पास जाता है, अपने कैमरामैन को ले जाता है और वही उस पर उसका खाता खोल देता है। हम कुएं के मेंढक बनकर दुनियां को नहीं देख सकते हैं। मैं सिन्हा साहब को एप्रीशिएट करूंगा–

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की संयुक्त उद्यम वाली बीमा कंपनियों में, भारतीय संप्रवर्तकों की 74 प्रतिशत की आरंभिक हिस्सेदारी 74 प्रतिशत होगी और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी भागीदारों की होगी।

[हिन्दी]

आप 26 प्रतिशत कर रहे हैं। यह कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। यह बहुत मुनासिब है, लेकिन इसके अंदर मैं यह भी चाहूंगा कि जो आपने कहा है और सभा मैम्बरान ने कहा है, उसके लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो पैसा फॉरेन कंपनीज में आएगा वह देश के अंदर खर्च हो, बाहर नहीं जाना चाहिए और यह मैंडेटरी होगा कि ये कंपनियां रूरल एरियाज के अंदर जाएंगी।

अभी तक यह सही है कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, जो गांव में रहता है उस तक इंश्यारेंस का फायदा नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं इस बिल के बारे में श्री यशवन्त सिन्हा साहब से कहूंगा कि ज्यादा जरूरत ईमानदारी और नीयत की है। आप कितना भी अच्छा काम करें, अगर नीयत अच्छी नहीं हो तो काम अच्छा नहीं होगा और नीयत अच्छी होगी तो देश का भी फायदा होगा। एक ही बात नीयत से बदल जाती है। उर्दू का एक मिसरा है–'तौबा–तौबा शराब से तौबा'। ऐसा लगता है कि शराब से तौबा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी कह रहा है कि तौबा, शराब से तौबा। एक ही जुमला है, एक ही मिसरा है लेकिन दोनों के मतलब में जमीन और आसमान का फर्क है। यह नीयत का फर्क है। एक पीने वाला कह रहा है कि तौबा शराब से और दूसरा तौबा कर रहा है कि तौबा से शराब से तौबा। एक ही मिसरा है लेकिन दोनों की नीयत में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि इसमें सरकार की नीयत का बहुत ज्यादा दखल है। अगर उनकी नीयत ठीक होगी और देश का हित होगा तो यह बड़ा काम होगा, जो वह करेंगे।

इसके साथ–साथ एक सवाल यहां यह भी उठता है कि दो लाख इम्पलायज इस बात को बहुत जोर–शोर से कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरा कहने यह है कि हैल्दी कम्पीटिशन होगा तो उसका फायदा देश को होगा और हैल्दी कम्पीटिशन नहीं होगा तो उसका फायदा न देश को होगा और न इंश्यारेंस कम्पनीज को होगा। दुनियां के अंदर सिर्फ वही कौम ज्यादा इज्जत के साथ रहती है जो दौड़ के अंदर दूसरों से आगे निकलती है। कमजोर कौम, कमजोर इंसान, कमजोर मुल्क इज्जत की जिंदगी बसर नहीं कर सकता है। इकबाल ने कहा है:–

तकदीर के काज़ी का यह
फतवा है अज़ल से।
है जुर्म ज़यीफ़ी की सजा
मर्गे मफाजात।।

यह तकदीर का फैसला है, खुदा का फैसला है। जो कौम कमजोर होगी, जो मुल्क कमजोर होगा, जो इंसान कमजोर होगा, मौत उसका मुकद्दर बन जायेगी। इसलिए हमें कम्पीटिशन के अंदर आगे आना पड़ेगा। अपने मुल्क को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अपनी कौम को ताकतवर बनाना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि लिब्रलाइजेशन की तरफ हमें आगे बढ़ें और इसलिए मैं इस बिल का पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विनियामक विधेयक के बारे में मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : मैं यथासंभव संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा। परंतु मुझे अपनी बात रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : इस बात की गलत धारणा है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने से देश के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। ऐसी बात नहीं है। इस समय विद्यमान बीमा क्षेत्र चाहें वो जीवन बीमा हो या साधारण बीमा हो–यह सामान्य रूप से शहरों में ही व्याप्त है। यह कृषि क्षेत्र से जुड़े 65 प्रतिशत

[श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति]

लोगों तक नहीं पहुंची है। कई गांवों में कुछेक लोग ही बीमा कराते हैं। जब तक कि हम इसे प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बनाते हैं, जब तक हम इसका उदारीकरण नहीं करते हैं, जब तक हम इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बीमा कम्पनियों को आकर्षित नहीं करते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि इस प्रकार की एकाधिकारात्मक और संरक्षणवादी प्रवृत्ति के चलते इस क्षेत्र का विकास अत्यधिक कठिन होगा। हमारा कई अन्य क्षेत्रों का भी अनुभव रहा हैं उदारीकरण के बाद, उन क्षेत्रों का विकास अपेक्षाओं से भी अधिक रहा है।

सभा में कुछ मित्रों ने कारों के बारे में उल्लेख किया था। उदाहरण के लिए, आप मारूति कारों का मामला लीजिए। इस क्षेत्र में अन्य कम्पनियों के आने के बाद मारूति कारों की वृद्धि दर बढ़ गई है। इसी प्रकार बीमा क्षेत्र में भी, यदि आप उदारीकरण की नीति अपनाते हैं, यदि आप अन्य कम्पनियों को इस क्षेत्र में लाते हैं, तो बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी। अन्ततः आप को न केवल कर्मचारियों का ध्यान रखना होगा अपितु लाभार्थियों का भी ध्यान रखना होगा। कर्मचारियों की नौकरी बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उदारीकरण की नीति अपनाते हैं तो और अधिक नौकरियां सृजित होंगी क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसे अपना विस्तार करना पड़ेगा। इसे ऐसे क्षेत्रो में भी जाना पड़ेगा जहां बीमा कराने की सुविधा है ही नहीं। कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बीमा नहीं है। यहां पर माननीय वित्त मंत्री और अन्य माननीय सदस्य उपस्थित हैं। केवल कुछेक फसलों का ही बीमा होता है। अन्य फसलों का बीमा नहीं होता है।

रात्रि 8.00 बजे

जब तक आप इसे प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बनाएंगे तब तक अर्थव्यवस्था का प्रसार नहीं होगा। यह बताने के लिए माननीय वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित हैं कि हमारी ब्याज दरें क्या हैं? हमारी बीमा दरें अधिक हैं, हमारी ब्याज दरें अधिक हैं और तब भी हम और अधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं। उत्पादन गतिविधियों में यह अत्यधिक कठिन है, इसीलिए विपक्ष के हमारे मित्र भी बीमा क्षेत्र के उदारीकरण से सहमत हैं। इस कठिन परिस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर इस उदारीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने और अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए।

जब तक आप अर्थव्यवस्था का प्रचार नहीं करते हैं। तब तक हम बेहतर वृद्धि दर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अन्यत्र भी इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की वृद्धि दर कम रही है और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि भारत निवेश के अपेक्षित स्तर को क्यों नहीं आकर्षित कर पा रहा है? चीन अधिक निवेश को क्यों आकर्षित कर रहा है, क्योंकि चीन में वे आर्थिक नीतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में अनवरतता बनाए हुए हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन में ज्यादा स्थायित्व है जबकि हमारे देश में बार-बार लगातार नीतियों को बदला जा रहा है या कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। जिसके कारण आने वाले वर्षों इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसीलिए, मेरा मानना है कि बीमा विधेयक को अपने मूल रूप में पारित किया जाना चाहिए और हमें अन्य क्षेत्रों में भी उदारीकरण की नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि विदेशी निवेश या धन, जोकि इक्विटी के माध्यम से वांछित होता है, देश में आ सके। हमें इक्विटी के माध्यम से, निवेश के माध्यम से धन को प्राप्त करना होगा जिससे कि देश उन्नति करता रहे और हम उदारीकरण से लाभान्वित हो सकें।

सभी लोग समय देख रहे हैं इसीलिए मैं अपने भाषण को जारी नहीं रखता हूं। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री की सिफारिशों का पूर्णतः समर्थन करता हूं जिससे कि विधेयक अपने मूल स्वरूप में पारित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सभा का समय रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अभी तीन और सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर की प्रतिक्षा कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात होगी यदि हम सब बैठकर संक्षेप में इन तीनों की बात सुनें जिससे कल के लिए हमारा काम इतना कम हो जाएगा।

क्या सभा इस बात से सहमत है कि सभा का समय पंद्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाये?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बहुत सम्मान के साथ कुछ कहने का अधिकार है क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ी बात नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन महाभारत में एक कहानी है कि कुन्ती ने सूर्य भगवान द्वारा दिए गए वरदान को उपयोग करने की कोशिश की और उनके उपहार स्वरूप विवाह से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसका नाम कर्ण था। कर्ण को अनाथ माना गया था और बाद में वह राजा बने।

इसी तरह से मेरे मित्र श्री चिदम्बरम् द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था और उन्होंने अनजाने में अनेक प्रतिक्रियाओं को जाहिर करने का मौका दिया, श्री चिदम्बरम जिनके विरुद्ध मैं चुनाव में खड़ा हुआ था और मैंने उन्हें एक लाख से अधिक मतों से हराया था। मै। इस संबंध में केवल स्वयं यह कहने का दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे अपने विचार व्यक्त करने है क्योंकि जब मैंने श्री चिदम्बरम् का विरोध किया था तो मैंने यह विचार सामने रखे थे कि भारत में विदेशी निवेश तथा अन्य बातों को आसानी से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्वाचन काल के दौरान दिए गए मेरे भाषणों में एक भाषण यह था।

वास्तव में, मुझे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, अन्य वामपंथी दलों और विशेष रूप से एक बहुत ही दृढ़ और कर्मठ नेता पुरातच्छी थैल्लवी डा. जयललिथा के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक का समर्थन प्राप्त था। इसलिए, अपने और उसके विचार व्यक्त करने का मेरा भी कोई कर्त्तव्य है क्योंकि मुझे उनसे वोट मिले हैं। मैं अपने विपक्षी के प्रति यही अन्तर स्थापित कर सकता था। अतः मैं यह महसूस करता हूं हालांकि अपने दल की नीति के समर्थन में कुछ बातें कहना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

यदि पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी अभी जीवित होते, यदि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव इस तरह से बदल न गए होते और श्रीमती सोनिया गांधी प्रधान मंत्री होती तो मेरे विचार से इस तरह का विधेयक पेश नहीं किया जाता क्योंकि आरम्भ से ही हमारी यह भावना रही है कि हमारे भारतीय उद्यमियों की उन्नति होनी चाहिए। कांग्रेस दल की नीति के अनुसार हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहां तक कि अवादि कांग्रेस के सत्र में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहा था कि यह समाज का समाजवादी ढांचा है। इन्दिराजी ने इसे समाजवादी देश बनाकर संविधान में संशोधन किया । हम अपने संविधान से परे नहीं जा सकते हैं। हमें अपने देश को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या हम विश्व व्यापार संगठन में हस्ताक्षर कर रहे हैं अथवा किसी अन्य समझौते में हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हम समाजवादी हैं। हमारा देश एक समाजवादी देश है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस बात की घोषणा की गई है। अतः, जब भी इस सम्मानीय सभा के समक्ष कोई विधेयक पेश किया जाए, वह समाजवाद की कसौटी पर सही उतरना चाहिए।

मेरा विचार है कि इस तरह के विधेयकों को जब इस सम्मानीय संसद के समक्ष पेश किया जाए तो उनका उद्देश्य यही होना चाहिए। मेरे विचार में इसमें और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में काफी अन्तर है।

दुर्भाग्यवश, अब एक ऐसा दल सत्ता में है जिसने चुनाव काल के दौरान हमसे स्वदेशी, गांधीजी छीन लिए हैं। अब वे गांधीजी और **स्वदेशी** को भूल गए हैं। अब, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री के रूप में बैठे हैं और वे **स्वदेशी** के बारे में भूल गए हैं। वे संसद में स्वयं उनके द्वारा दिए गए भाषणों को भूल गए हैं। जबकि वह विपक्ष के नेता थे। वह आर एस एस कार्यक्रम अथवा संघ परिवार के कार्यक्रम के संबंध में भूल गए हैं कि विदेशियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए; हमारे अपने उद्यमियों को ऊपर उठना चाहिए और भारत के अन्दर उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होनी चाहिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा बाजार है, हमारी राष्ट्रीय कम्पनियों को आगे आना चाहिएं और केवल तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। यह उस समय भा. ज. पा. का विचार था। मेरा विचार है कि अब वे सत्ता में बैठकर बिल्कुल बदल गए हैं। वास्तव में, मैं बहुत अप्रसन्न हूं। क्या हम गलत कह रहे हैं?

जब हम अपने उद्योगों की देख–रेख कर रहे हों तो हममें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम हमारी अपनी परिसम्पतियां हैं। वह हमारी सामूहिक परिसम्पत्तियां हैं। वह हमारे राष्ट्र की परिसम्पत्तियां हैं। हमने अपने लोगों के धन का निवेश किया है। हमने देश की समृद्धि के लिए और अपनी जनता की समृद्धि के लिए और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय हमारी मृत्यु दर 69 अथवा 70 प्रतिशत थी। अब हमारी मृत्यु दर बहुत कम 13 अथवा 15 प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, मैं कुछ समय और अपना भाषण जारी रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है। कृपया अपना भाषण संक्षेप में दीजिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : अतः मेरा विचार है कि हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि लोगो में देश–भक्ति की भावना लाने के लिए और संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी बीमा कम्पनी, कोई भी सपत्तिधारी लाभ के बारे में ही सोचता है। यह शेयर–धारकों अथवा पॉलिसी धारकों के पास जाना चाहिए। इस समय चौथा भाग जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को मिल रहा है और यह एक सामाजिक दायित्व है। हम सामुदायिक उत्थान के लिए 1,00,000 करोड़ रु. से अधिक खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि शिव गंगा जल सुविधा भी जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई है; सड़कें भी जीवन बीमा निगम की धनराशि से बनाई गई हैं। जीवन बीमा निगम द्वारा अनेक आवास बनाए गए हैं। इसी तरह से, अन्य पिछड़े वर्गों को भी रोज़गार मिल रहा है और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम में रोज़गार दिया जा रहा है। जब अनेक विदेशी कंपनिया यहां आ जायेंगी तो वे रोजगार के लिए कहां जायेंगे? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसे विराष्ट्रीयकृत कर रहे हैं। आप खर्चीला और अनुपयोगी बना रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि इनका नाम हो। यह उतना नाम नहीं कमा सकतीं क्योंकि यह बहुत खर्चीली है। आपको अधिक धन लगाना होगा क्योंकि यह समर्थ है। अतः हाथी शेर नहीं बन सकता और शेर हाथी नहीं बन सकता है।

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

अब:, विदेशी कम्पनियां हमारा पैसा नहीं ले जा सकती हैं। यह बचत है। हम सम्पतियों का सृजन कर रहे हैं–यह एक संघ राज्य की तरह है–हमारी अपनी भूमि ईस्ट इन्डिया कम्पनी को दी गई थी। अतः क्या हम विदेशी कम्पनियों को पैसा देने जा रहे हैं? वह हमारा पैसा ले जायेंगे। आप पाबंदी लगा सकते हैं कि उन्हें यह पैसा नहीं ले जाना चाहिए लेकिन वह इसका पुनर्निवेश करेंगे जो कि हमारे अपने हित में हानिकारक होगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के विधेयकों को पेश करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हमें अपने आर्थिक अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। हमारे पास केवल राजनीतिक अधिकार हैं और यदि हम सभी कुछ दूसरे देशों को दे देंगे तो मैं नहीं समझता कि हम जीवित रह पायेंगे। समय आने पर कुछ अन्य देश हमारे ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : संशोधनों के संबंध में, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। पृष्ठ संख्या पांच पर, नियमित करने के अधिकार देने के लिए एक खंड है। मैं धारा 14(2)(क) उद्धरित कर रहा हूं:–

> "प्रार्थी को पंजीकरण, पुनर्नवीकरण, संशोधन, वापसी, रद्द करने अथवा निरसन करने का एक प्रमाण–पत्र जारी करना चाहिए।"

यदि वे उपर्युक्त तरीके से ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक शब्द–नहीं कर रहे हैं, तो आप एक शब्द 'राष्ट्रीयकृत' को जोड़ क्यों नहीं देते हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। इस तरह से यदि इसे जोड़ दिया जाता है, तो यह अच्छी बात है।

एक अन्य बात यह है कि 26 प्रतिशत केवल प्रवर्त्तकों की हिस्सेदारी है। यदि यह किसी और क्षेत्र में लगाया जाता है तो यह सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमा लेगा। अतः हम दूसरे क्षेत्र में इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। वे इसे खरीद सकते हैं और आरंभ में केवल प्रर्वतकों की ही 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी लेकिन बाद में वे उनकी हिस्सेदारी बढ़ा देंगे। अतः किसी भी बीमा कम्पनी में सरकार की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए। ताकि किसी भी गैर–सरकारी बीमा कम्पनी पर उनका सामाजिक नियंत्रण रह सके। इस तरह से हम सामाजिक क्षेत्र में धनराशि का निवेश कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव टिकले (नासिक) : आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बीमा क्षेत्र में सपर्घा होनी चाहिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ानी चाहिए, बीमा–धारकों को ठीक से सेवा मिलनी चाहिए, इसलिए निजीकरण हो रहा है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। सत्र में आने के एक दिन पहले हमारे जिले के एल. आई सी. के कर्मचारियों ने मुझे और हरीभाऊ महाले को बुलाया था।

मैं तो बी. जे. पी. के साथ काम करता हूं और ये अपोजीशन के हैं। दोनों एक सभा में एक ही मंच पर थे। तीन–तीन हजार कर्मचारी थे। उन्होंने बताया कि यह होने वाला है। मैंने कहा कि ठीक है। इसलिए जो उनकी गलतफहमियां हैं उनको बताने के लिए मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं। उनके मन में यह बात है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह से तीन लाख कर्मचारियों का क्या होगा? जो शर्तें और क्वालिफिकेशन एजेंट के लिए, प्रतिनिधि के लिए रखी थीं कि ग्रामीण भाग में आठवीं कक्षा तथा शहरी भाग में एस एस सी, पास, उसका क्या होगा। मैं ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। अपना समर्थन देते हुए मैं सिन्हा जी से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी कर्मचारी को वहां से निकाला नहीं जाना चाहिए। दूसरा यह कि तीन साल में यह कोर्स करो या 12वीं पास करो या वह कोर्स करों, यह भी नहीं होना चाहिए। उनको यह यकीन दिलाना चाहिए कि उनको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इन्ही शब्दों के साथ आपने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का बढ़ाया हुआ समय भी अब समाप्त हो गया है। क्या सभा और दस मिनट का समय बढ़ाना चाहती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक पर अखिल भारतीय अथवा डी. एम. के. के विचारों को व्यक्त करने के लिए मुझे मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बीमा क्षेत्र का निजीकरण भारत की प्रभुसत्ता के लिए एक चुनौती है। वित्त मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वह प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण नहीं चाहते । बीमा उद्योग और बैंकिंग उद्योग के लिए धन एक आवश्यक वस्तु है। यह बाहर से, किसी दूसरे देश से आए, आवश्यक नहीं है। हम अपने स्वयं के संसाधनों में भी धन राशि जुटा सकते हैं। हम विधेयक को पुरःस्थापित करने के बजाय यदि वित्त मंत्री सीमा शुल्क, आयकर, बैंकों को देय ऋणों जैसी कुछ अन्य देयताओं की वसूली, जो

करोडों रुपये है– दो हजार अथवा तीन हजार करोड़ रुपये– पर अपना ध्यान केन्द्रित करते तो उन्हें यह बीमा विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

बीमा अति परिष्कृत उद्योग नहीं है। हमारे विद्यमान बीमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों अथवा विदेशी कम्पनी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। हमारे बीमा और बैंकिंग उद्योग 1938 से इतने दशकों से अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह विधेयक आदर्श क्लास्किल सिद्धान्त पर आधारित है अर्थात सरकारी हित बनाम निजी हित। क्या यह विधेयक सरकारी अथवा निजी हित में पुरःस्थापित किया गया है और उसपर वाद–विवाद किया गया, यह केवल सरकार ही जानती है।

भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को पास कराने में रुचि रखती है और उसने इसे बहुत अधिक वरीयता दी है। 27.11.1999 को हमारे महासचिव डा. जयललिता ने एक वक्तव्य जारी किया था कि अखिल भारतीय अन्ना डी एम के इस सत्र में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को पारित करने के लिए भारत सरकार की पहल पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। जब कई सारे विधेयक, जो हमारे ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं, लम्बित पड़े हैं, और अभी उन पर चर्चा की जानी है, इस विधेयक को प्राथमिकता दी जा रही है।

इसलिए जैसाकि मैंने कहा, यह निजीकरण हमारी संप्रभुता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। मंत्री यह कहते हुए शपथ लेते हैं। कि "हम भारत के संविधान के प्रति–विधि द्वारा–किए गए निर्धारण के अनुसार सच्चा–विश्वास तथा निष्ठा रखते हैं।"

हम किसी कानूनी कम्पनी को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम किसी एक भारतीय कम्पनी को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम इस बाजार में विदेशी–विदेशी कम्पनी के आगमन की आशा करते हैं। मैंने एक समाचार पत्र में समाचार देखा है जहां कहा गया है कि विदेशी बीमा कम्पनियां भारतीय बीमा में प्रवेश करने के लिए लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। निम्नलिखित फर्मों ने पहले ही भारतीय साझेदारों के साथ काम करना शुरू कर दिया है: जर्मनी की एलायन्स ए जी, ब्रिटेन की प्रूडेंशियल लाइफ, अमरीका की अमेरिकन इन्टरनेशनल ग्रुप, ब्रिटेन की कमर्शियल यूनियन, ब्रिटेन की जनरल एक्सीडेट, कनाडा की सनलाइफ, अमरीका की चब कारपोरेशन, आई एन जी ग्रुप, स्टेंडर्ड लाइफ, अमरीका का सी. आई. जी. एन. ए. कनाड़ा लाइफ, जी आई ओ आस्ट्रेलिया होल्डिंग्स, आल स्टेट, गार्जियन ए एक्स ए, ज्यूरिक, अमरीका की मेटलाइफ, और एएमपी। निम्नलिखित कम्पनियां भारतीय साझेदारों की तलाश कर रही हैं : कनाडा की लीगल एण्ड जनरल, मैनुलाइफ, रायल एण्ड फंन अलाइन्स यासूडा फायर, टोकियो फायर एण्ड मेरिन, इगोन, सुमीतोओ, भीतुशुई मेरिन, जी ई केपिटा, न्यूयार्क लाइफ इन्टरनेशंनल स्विस टी और यूनिक री।

मैं इस बात में बल देना चाहता हूं कि ये सभी कम्पनियां कोई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं करने जा रही हैं अथवा वे पूरा धन निवेश नहीं करने जा रही हैं यह केवल 26 प्रतिशत है। इस 26 प्रतिशत के साथ वे हमारे विद्यमान बीमा उद्योग पर सिक्का जमा लेंगी। चूंकि आप इस विधेयक को पारित करने के लिए दृढ़ हैं तो इस विधान में क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं? मैं जानना चाहता हूं यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो कम्पनियों द्वारा आई आर ए अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर क्या कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा या नहीं। यह नहीं लगाया गया है। तथ्यों से यह स्पष्ट पता चलता है कि वित्त मंत्रालय में सम्बन्धित 12 वीं लोकसभा की 1998–99 की वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 27 में कहा गया है कि यहां वित्तीय दण्ड सहित कठोर दण्ड लगाए जाने पर विचार करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

मैंने विधेयक का अध्ययन किया है। इस विधेयक का भारतीय सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं है। ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे पास पर्याप्त मानव और संसाधन और प्राकृतिक सम्पदा है। हमारे पास धन है। वित्त मंत्री अपनी प्रतिभाओं और धन लगाकर संसाधनों का बढ़ाने अथवा संसाधनों का परिवर्धन करने संबंधी संभावनाओं को पता क्यों नहीं लगाते। हमारे पास जन शक्ति है।

श्री यशवन्त सिन्हा जी आप वित्त मंत्री हैं। क्या मैं अमरीका के वित्त मंत्री से कह सकता हूं कि वे यहां आएं और यह पद ग्रहण करें। वह भारत का विकास कर सकते हैं। मैं उन्हें इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप वित्त मंत्री रहें। हम उन्हें नहीं चाहते हैं। हम अपने लोगों में से सबसे बेहतर को चुनते हैं। उस प्रकार प्रौद्योगिकी का कोई अंतरण नहीं होता। यदि ऐसा है तो कुछ वर्षों के पश्चात् वे कहेंगे कि वे भी केबिनेट में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। विदेशी निवेशक यह प्रश्न कर सकते हैं। तब क्या आप ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरह उन्हें भी पद प्रदान करेंगे? तब भारत उसी प्रकार एक उपनिवेश बन जाएगा।

इस विधेयक को गरीब लोगों की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। गरीब लोगों को इस बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक की कठिनाईयों के बारे में पता नहीं है। विधेयक में इस बात की भी गारन्टी नहीं है कि इस क्षेत्र का लाभ देश को मिलेगा। कितना लाभ है जो आप देश को देने जा रहे हैं? विधेयक में इसका कोई तरीका नहीं दिया गया है।

एल आई सी और जी आई सी आवास निर्माण जैसी राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगे हुए हैं। उन्होंने हजारों करोड़ रुपये निवेशित किए हैं। उन्होंने विद्युत में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

निजी कम्पनियों के लिए 100 करोड़ रुपये की इक्विटी निर्धारित की है। यदि जैसी प्राकृतिक आपदा उड़ीसा में आई

[श्री पी. एच. पांडियन]

अथवा जैसे त्रासदी भोपाल में हुई वैसा कुछ होता तो ये कम्पनियां मुकदमे बाजी करना चाहेंगी। इस पर क्या नियंत्रण है? यूनियन कार्बाईट के बारें में क्या हुआ? हम 400 रु. अथवा 500 रु. तक प्रति परिवार प्राप्त नहीं कर सके। यूनियन कार्बाईट का मामला जीवन्त उदाहरण है।

यदि आप किसी विदेशी निवेशक अथवा कम्पनी को यहां पनपने देते हैं और वह अपने वचन से मुकर जाता है तो उस पर आपका क्या अधिकार होगा? क्या आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं? क्या आप उसे तलब कर सकते हैं? क्या आप उन पर कार्यवाही कर सकते हैं? आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। वे परिसमापन याचिका दायर कर देगे। वे मामले को बन्द करने की याचिका दायर करेंगे। आपको भारत में कटु अनुभव रहा है। कि यदि विदेशी आते हैं तो वे यहां पराश्रयी की तरह रहते हैं। वह जौंक हैं जो भारत का खून चूस लेंगे। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले क्योंकि हम जोरदार ढंग से इसका विरोध इस तथ्य के आधार पर करते हैं कि यह हमारे देश की सहायता नहीं करने वाला है। इससे हमारे सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। हमने निर्धारित बढ़ाए गए समय को पार कर लिया है। अन्यथा हमें इसके लिए और समय बढ़ाए जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री पी. एच. पांडियन : केवल एक मिनट। मैं यह चीजें संक्षेप में कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अब मुझे बोलने का मौका प्रदान किया है।

मैं "द हिन्दू" से उद्धृत करता हूं। इसमें लिखा है:–

"जब 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब तत्कानील वित्त मंत्री श्री सी.डी. देशमुख ने कहा था विकसित देश में बीमा को अनिवार्य सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए। जो किसी कल्याणकारी राज्य को अपने लोगों को प्रदान करनी चाहिए और इसे व्यापार साध्य अथवा स्टाक बाजार में अपना धन लगाने वालों के निवेश के अतिरिक्त संसाधन के रूप में नहीं लेना चाहिए।'––

अतः वित्त मंत्री महोदय, कृपया इसे इस परिपेक्ष्य में देखें कि यदि आपने इन उद्योगों को यहां पनपने दिया तो हमें ब्रिटेन के लोगों को भी कहना पड़ेगा कि वह यहां वापस आएं और भारत पर शासन करें। हमें अमरीका के लोगों को भी कहना पड़ेगा कि वह यहां वापस आएं और शासन करें। ये कम्पनियां अपनी शर्तें स्वयं तय करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। मैं और समय बढ़ाने के लिए नही कहूंगा।

श्री पी. एच. पांडियन : अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि इस समय उनके पास कल तक का समय है। वह अपने घर जाएं और इस पर विचार करें इसके सभी पक्ष विपक्ष पर विचार करें और विधेयक को वापस ले लें।

मैं अखिल भारतीय अन्ना डी.एम.के. की ओर से जोरदार शब्दों में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की सूची पूरी हो गई है। मंत्री महोदय, प्रश्न काल के पश्चात् कल जवाब देंगे।

अब यह सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 2 दिसम्बर, 1999/11 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।